1.कानिस्टेबल/ हैड कानि. की सामान्य ड्यूटी, थाने पर संधारित होने वाले रिकार्ड की जानकारी।

01. आर.पी.आर 1948 के नियम 202 व 203 में संतरी ड्यूटी को बताया गया है– आर.पी.आर 1948 के नियम 202 में हर थाने पर रात व दिन में एक संतरी रहेगा और उसका यह कर्त्तव्य होगा कि हवालात में बंद व्यक्तियों, खजाने की पेटी (तिजोरी), मालखाना व थाना परिसर में रखे तमाम सामान की निगरानी रखेगा।

नियम 203– मालखानें के दरवाजो एवं तिजोरियों के मजबूत ताले दिये जायेंगे जिनकी चाबियां इन्चार्ज मालखाना के पास रहेगी, मगर हवालात की चाबी सन्तरी के पास रहेगी।

02. टेलीफोन ड्यूटी के दौरान कानि. के आचरण – प्रत्येक थाना या पुलिस लाईन में टेलीफोन लगा होता है, टेलीफोन ड्यूटी पर अच्छे पढ़े–लिखे कॉनिस्टेबल/अधिकारी को लगाया जाता हैं, उसकी ड्यूटी होती है कि जो भी टेलीफोन पर संदेश आदेश मिले उसे आगे उच्च अफसर को बतावे व उनकी पालना सुनिश्चित करवाने हेतु उच्च अफसर से निवेदन करें। टेलीफोन ड्यूटी करने वाले कर्मचारी/अधिकारी को शिष्टता पूर्वक आचरण करना चाहिए। सबसे पहले फोन उठाते ही ''नमस्कार'' शब्द का प्रयोग करें उसके बाद उसके बाद अपना नाम पद–स्थान बतावें फिर टेलीफोन करने वाले की बात सुने समझने में नही आवे या सुनाई नही दे तो मातृ भाषा का प्रयोग करते हुए उनसे वापस बताने का निवेदन करे व उसकी बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करे व अपने पास पेन व डायरी(रजिस्टर) रखे जिसमें नोट करे व फोन करने वाले व्यक्ति का नाम पता पद वगैरह व कार्य के बारें में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। शिष्टतापूर्ण व्यवहार ही उसका दर्पण है।फोन पर जो भी बात हुई उसको सम्बन्धित अधिकारी को तुरन्त बताई जाए।''शिष्टतापूर्ण आचरण ही सफलता का मूलमंत्र है''।

03- आगंतुक कक्ष (रिसेप्शन रूम) में कानिस्टेबल की ड्यूटी

(1) बाहर से आने वाला व्यक्ति पीड़ित या परिवादी हो सकता है या स्त्री, बच्चा हो सकता है या कोई जानकारी हासिल करने वाला हो सकता है। उसके साथ शिष्टता से व्यवहार करना चाहिए तथा चाहें अनुसार सही जानकारी या मार्गदर्शन करना चाहिये।

(2) यदि पीड़ित हो परिवादी हो तो उसे ध्यानपूर्वक सुनकर सांत्वना देनी चाहिए तथा उच्च अफसर के आदेश हो तो उसे तुरन्त मिलवाना चाहिये ताकि उनकी समय पर पालना हो

(3) यदि सूचना संज्ञेय/असंज्ञेय अपराध कानून व्यवस्था बाबत् उच्च अफसर के निर्देश मिले हो तो तुरन्त इंचार्ज को बताना चाहिए ताकि उनकी समय पर पालना हो सके।

(4) थानाधिकारी क्षेत्र में बाहर हो तो उन्हे भी अवगत कराना चाहिए।

(5) प्राप्त सूचनाओं पर तुरन्त विवेक से कार्य करें।

(6) थानाधिकारी की अनुपस्थित में प्राप्त सूचनाऐं थानाधिकारी के आने पर तुरन्त बतायें।

(7) थानाधिकारी/इन्चार्ज थाना उपस्थित नहीं हो तो रिपोर्ट या सूचना पर तुरन्त जाब्ता को मौका पर भेजे,उच्च अफसर को सुचित करें यथा संभव शीघ्र कार्यवाही करें।

04- संदेश वाहक की ड्यूटी –संदेशवाहक थाना से या पुलिस लाईन से व अन्य कार्यालयों से न्यायालयों से प्राप्त डाक को लाने–ले जाने व कार्यालयों में देने का कार्य करता है। किसी प्रकार की डाक वायरलैस मैसेज, फैक्स संदेश, आदेश ,निर्देश आदि। संदेशवाहक को गन्तव्य स्थान पर समय पर डाक पहुंचानी चाहिए तथा वहां से प्राप्त डाक को अपने इन्चार्ज ऑफिसर को लाकर पेश करनी चाहियें। संदेशों की गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए।

05- नियम 170– हैड कानि. के कर्तव्य

1. प्रत्येक गार्ड सामान्य रूप से एक हैड कानि. के इन्चार्ज में रहेगा। यदि एक से अधिक कानि. हो तो वरिष्टतम गार्ड के लिए उतरदायी होगा। एक बीमार होने पर चार्ज दूसरे हैड कानि. या वरिष्ट कानि. को सौंपेगा और सूचना वरिष्ट अधिकारियों को तत्काल देगा।
2. यदि वहां दो हैड कानि. है तो दोनो एक साथ अनुपस्थित नहीं रहेंगे।
3. असामयिक रूप से संतरियों का निरीक्षण करे।
4. यह देखेगा कि संतरी अपना कार्य उचित ढंग से करते है या नहीं।
5. यह देखेगा कि संतरी उसका हुक्म मानता है कि नहीं।

6. वह यह देखेगा कि गार्ड उचित पोशाक में है और हथियारबद हो।
7. वह देखेगा कि शस्त्र और गोला बारूद सही स्थान पर रखे हो।
8. वह देखेगा कि उनके संरक्षण में रखी हुई सम्पति,व्यक्ति उचित रूप से लॉकअप में है।
9. संतरी का बदलाव उसकी देखरेख में होगा।

06 –राजस्थान पुलिस रेगुलेशन 1948 के नियम 173,174,177 के अन्तर्गत गार्ड में लगे संतरी को निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए–

1. कैदी या बीमार व्यक्ति से किसी अनजान व्यक्ति को नहीं मिलने दे, और ना ही किसी वस्तु के आदान–प्रदान की अनुमति दे।
2. कैदी की निगरानी सर्तकता व सावधानी से करेंगे।
3. यदि उसके परिवार का कोई सदस्य उससे मिलना चाहे तो उसकी तलाशी लेकर उससे मिलने की अनुमति देनी चाहिए।
4. कैदी के पास सदैव एक व्यक्ति वर्दी में व एक सादा कपडो में होना चाहिए।
5. सरकारी अस्पताल के किसी डॉक्टर/नर्स के अलावा अन्य किसी डॉक्टर/नर्स को कमरे में प्रवेश नहीं करने दिया जावे ।
6. गार्ड के सभी सदस्य पास में ही रहें, ताकि किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें।
7. संभव हो तो निगरानी के लिए कमरे में कैमरा लगवायें।

नियम 173–जब कोई कुख्यात अपराधी या विशेष राजकीय कैदी किसी टोली में हो तो स्पेशल गार्ड लगायी जावेगी और एस्कोर्ट में जाने वाले कैदी या कैदियों के महत्व के अनुसार व्यवस्था की जावेगी।

नियम 174– एस्कोर्ट पार्टी के इन्चार्ज को कमांड सर्टिफिकेट दिया जावे जिससे एस्कोर्ट इन्चार्ज ड्यूटी के बाद जारी करने वाले कार्यालय में लौटाये।

नियम 177– यदि रेल के रास्ते में कोई एस्कोर्ट का व्यक्ति या कैदी बीमार हो जावे जिसमें डॉक्टर की आवश्यकता हो तो एस्कोर्ट इन्चार्ज नजदीक पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करेगा। तथा निकटतम अस्पताल में बीमार व्यक्ति का इलाज करवाएगा। रेलवे पुलिस को भी जो ड्यूटी पर है को सुचित करे। सफर में यदि कोई अपराधी ऐसा सख्त बीमार हो जावे कि वो सफर नहीं कर सके तो उसे निकटतम थाने पर छोड दिया जावे। जहां से अपराधी सबसे नजदीकी जेल में भेज दिया जावेगा। यदि अपराधियों में से कोई मर जाये तो उसके लिए निकटतम थाने पर इतला दी जावेगी।

8. बैंको व अन्य वितीय संस्थानों की मुख्य शाखाओं (चेस्ट) से सहायक शाखाओं व अन्य बैंको और वितीय संस्थानों से नकदी रूपया व अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को लाया ले जाया जाता है उक्त नकदी व बहुमूल्य वस्तु को लाते व ले जाते समय अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार व नियमों द्वारा निर्धारित संख्या में पुलिस गार्ड लगाई जाती है।

एस्कोर्ट ड्यूटी के दौरान बन्दी को कोर्ट/जेल ले जाने के दौरान आरक्षी की एस्कोर्ट ड्यूटी

बंदी को अदालत में ले जाते समय की ड्यूटी व सावधानियां – बंदी को अदालत में ले जाते समय पुलिस कर्मचारियों को निम्नलिखित सावधानियां बरतना आवश्यक है।

1. अदालत लाते व ले जाते समय संतरी को विशेष चौकसी रखनी चाहिए।
2. कैदी पर अपनी पकड. हर समय मजबूत रखनी चाहिए।
3. कैदी के हथकडी न्यायालय के आदेश पर ही लगाए।
4. न्यायालय में पेश करते समय कैदी पर पूरी निगरानी रखे।
5. पेशी के दौरान अवांछित व्यक्तियों को कैदी से नहीं मिलने दिया जावे।
6. एस्कॉर्ट इन्चार्ज के आदेशों की सख्ती से पालना करे।
7. कैदी को लाने व ले जाने के वाहन की बारीकी से जांच करे।
8. कैदी को बाहरी व्यक्ति से खाने व पीने की कोई वस्तु नहीं लेने दे ।
9. कैदी की पेशी के दौरान संतरी उसे अन्य किसी और स्थान पर ना ले जाए।
10. संतरी कैदी के किसी भी परिचित से किसी प्रकार की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करे।

पुलिस स्टेशन पर संतरी डयूटी के कर्त्तव्य–

01. संतरी हर वक्त चुस्त और चौकन्ना रहे।
02. संतरी का टर्न आउट बहुत अच्छा होना चाहिए।
03. संतरी हमेशा संवैधानिक भाषा का प्रयोग करें।
04. जब भी फरयादी थाने पर आये तो उससे सरल भाषा में बात करके पुलिस स्टेशन में प्रवेश करावें।
05. संतरी कैदियों और मालखाने की बराबर निगरानी रखे और चाबी स्वयं के पास रखे।
06. पुलिस स्टेशने पर आने वाले आगंतुकों से आने का कारण पता करके अन्दर प्रवेश करने दे।
07. उच्च अधिकारियों का पद के मुताबिक अभिवादन करें।
08. उच्च अधिकारियों के द्वारा नियमानुसार दिय गये आदेशों का तुरंत और तत्परता से पालना करें।
09. संतरी अपनी ड्यूटी के दौरान अपने परिसरण क्षेत्र में टहलता रहे।
10. संतरी के पास से कोई हथियार बन्द टोली निकले तो उसका सलामी ॉास्त्र करके अभिवादन करें।
11. यदि कोई गॉव यात्रा थाने के सामने से गुजरे तो उसका अभिवादन करें।
12. प्रत्येक आने व जाने वाले पर पैनी नजर रखें।
13. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को बंदीग्रह से छोडा जाये तो संतरी अपनी मौजूदगी रखे और लेखा जोखा रखें।
14. बन्दीगृह में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की सूची रखे।
15. किसी बन्दी को उसके परिजन यदि खाना खिलाये तो उसे चैक करके खिलाया जाये।
16. बंदीगृह से गिरफ्तार किये व्यक्तियों को बाहर भेजा जाये, जैसे मजिस्ट्रेट के पास पॅाि हेतु निकाला जाये तो अपनी मौजूदगी में निकाला जायें।
17. गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को शौच आदि अपनी निगरानी में करवाये।
18. गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को बन्दीगृह में डालते समय मोबाइल, बैल्ट आदि अन्य वस्तुऐ चैक करके बन्दियों की पहॅुच से दूर रखी जाये।
19. यदि कोई गश्तीदल या मोबाइल पार्टी बाहर गई है तो उसका आने व जाने का ध्यान रखा जाये।
20. संतरी बदली करते समय तमाम जरूरी सूचनायें अपने अगले संतरी को बतावे।
21. रात्रि में आने वाले के साथ क्या कार्यवाही करनी है यह मालूम हो।
22. संतरी को अपनी देखभाल का इलाका मालूम हो।
23. संतरी रात्रि में चैलेन्ज पुकारे और पहचान होने पर ही अन्दर आने दे।
24. संतरी को मालूम होना चाहिये कि थाने पर कौन कौन अधिकारी मौजूद है।
25. संतरी मालखाने व सम्पूर्ण थाने की मुस्तेदी से निगरानी रखे।
26. संतरी विशेष योग्य जन और जनता के प्रति सम्मान की भावना रखे, जिससे की जनता में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना पैदा हों।
27. संतरी द्वारा आगंतुको के प्रति समानता की भावना अपनाई जावे। सबके प्रति समान आदर भाव रखे।

संतरी ड्यूटी के दौरान नही करने वाली बातें–

01. संतरी ड्यूटी के दौरान बैठेगा नही।
02. संतरी अपनी ड्यूटी के समय अपने हथियार को अपने से अलग नही रखेगा।
03. संतरी अपनी डयूटी के दौरान अनावश्यक वार्तालाप व कार्य नही करेगा।
04. संतरी अपनी डयूटी के दौरान गलत शब्दो का प्रयोग नही करेगा।
05. संतरी जनता के प्रति भेदभाव नही करेगा।
06. संतरी डयूटी के दौरान धूम्रपान व किसी प्रकार के नशे का सेवन नही करेगा।
07. संतरी डयूटी के समय मोबाइल फोन का उपयोग न करेगा।

थाने पर संधारित होने वाले रिकार्ड

आर.पी.आर. 1965 के नियम 3.35 व स्थाई आदेश संख्या 6/83 के अनुसार थाना का रिकार्ड चार भागो मे संधारित किया जाता है।

थाने पर रखे जाने वाले अपराध अभिलेख रजिस्टर

1. रोजनामचा आम।
2. प्रथम सूचना रजिस्टर (FIR)

3. केस डायरी।
4. अपराध रजिस्टर।
5. मालखाना रजिस्टर।
6. गैंग रजिस्टर।
7. चुराई गई व बरामद की गई वस्तुओं का रजिस्टर ।
8. सजायाबी (दोषसिद्ध) व संदिग्ध व्यक्तियों का रजिस्टर।
9. हिस्ट्रीशीटर्स एवं निगरानी याप्ता व्यक्तियों का रजिस्टर।
10. वांछित व्यक्तियों (भगोड़ो) का रजिस्टर।
11. गिरफ्तार (हवालातीयान) किये गये व्यक्तियों का रजिस्टर।
12. गुमसुदगी रजिस्टर।
13. ग्राम अपराध रजिस्टर।
14. गोपनीय रजिस्टर व अभियोगो का रजिस्टर।
15. न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का रजिस्टर।
16. मर्ग FIR रजिस्टर।
17. असंज्ञेय अपराधों का रजिस्टर (इस्तगासा रजिस्टर)
18. M.O.B. रजिस्टर (कम्प्यूटर इन्क्वायरी स्लिप)

निम्न रजिस्टर कार्यालय अभिलेख रखे जाते है

1. सम्मन व वारन्ट रजिस्टर।
2. प्राप्ति व प्रेषण रजिस्टर।
3. केस बुक (रोकड़ बही) रजिस्टर।
4. विदेशियों का रजिस्टर।
5. शिकायत (परिवादो) का रजिस्टर।
6. ट्रककॉल (टेलिफोन) का रजिस्टर।
7. आकस्मिक ;ब्स्द्ध अवकाश रजिस्टर।
8. सरकारी सम्पत्ति का रजिस्टर।
9. हथियारों के लाईसेंस का रजिस्टर।
10. चरित्र सत्यापन रजिस्टर।
11. एनकेशमेंट रजिस्टर।
12. हाजरी रजिस्टर।
13. जुर्माने की वसुली रजिस्टर(कुर्की वारन्ट रजिस्टर)
14. अर्द्धशासकीय प्रयोक प्राप्ति व प्रेषण रजिस्टर।
15. निरीक्षण रजिस्टर।
16. डाक टिकटो का रजिस्टर (S.T.)

आर.पी.आर 1965 के नियम 3.35 के अनुसार निम्न पत्रावलियां थाना पर रखी जाना आवश्यक है

1. स्थाई आदेश, परिचय एवं निर्देशों की फाईल।
2. सभी पत्र व आदेश जो उच्चाधिकारीयों से सरकार से पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुए की पत्रावली।
3. सभी पत्र/आदेश परिचय जो पुलिस अधीक्षक और आईजी रेंज से प्राप्त हुए की पत्रावलियां
4. अन्य पत्र व्यवहार की पत्रावलिया।
5. इन्क्वायरी स्लिप पर्चा ।
6. निरीक्षण पत्रावली।
7. चार्जशीट पत्रावली
8. आखिरी रिपोर्ट पत्रावली।
9. रिमान्ड शीट फाईल।
10. स्थाई पेशगी की पत्रावली।
11. साप्ताहिक गुप्त प्रतिवेदन पत्रावलियां।
12. सर्च स्लिप 120, 105 पत्रावली।

13. गवाहो को जारी किये गये सफीनो की पत्रावली।

आर.पी.आर. 1965 के नियम 3.35 में थाना में लटकाई जाने वाली सूचीयों के बारे में बताया गया है।

1. थाने पर रखे जाने वाले रजिस्टरों की सूची।
2. कालांशीय भेजी जाने वाली रिपोर्ट एवं नक्शो की सूची।
3. मर्ग की कार्यवाही करने वाले मजिस्ट्रेटो की पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों व अस्पतालो की सूची व निवास स्थान व फोन नम्बर की सूची।
4. शराब, अफीम, डोडापोस्त बैचने वाले लाइसेंस धारीयों की सूची।
5. गाँवों की सूची A/B/C श्रेणी के क्रम में।
6. आर्मस एवं एम्यूनेशन बैचने वाले/बनाने वालो की सूची।
7. उन कस्बो/नगरपालिकाओं की सूची जहां 34 पुलिस एक्ट/60 पुलिस एक्ट लागू हो।
8. थाना क्षेत्र मे स्थित सराय धर्मशालाओं, होटल, रेस्टोरेंटो की सूची।
9. उत्सव मेले व हाट की सूची।
10. डिस्पेंसरी अस्पताल, आयुर्वेदिक औषधालयों की सूची।
11. महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बरों की सूची।
12. पद के अनुसार थाने पर मौजूद स्टाफ की सूची।
13. विशेष प्रतिवेदनों (SR) वाले अभियोंगो की सूची।
14. राजस्थान के वारिष्ठ अधिकारियों की सूची।
15. एम.एल.ए./एम.पी./जिला प्रमुख/सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य/पार्षद/न्यायाधीशो की सूची।
16. राजनैतिक दल व उनके स्थानीय कार्यालयों की सूची।
17. थाना क्षेत्र में बीट विभाजन की सूची, बीट के बीट अधिकारी प्रभारी का नाम की सूची।

2.रोजनामचा–आम का संधारण एवं लेखन के संबंध सामान्य नियम आरपीआर नियम 1948 के नियम 279, आरपीआर नियम1965 के नियम 3.38, 3.39, 3.40, 3.41

रोजनामचा (दैनिक डायरी)–रोजनामचा आरपी फार्म नम्बर 61 एवं नियम 279 के अनुसार एक प्रिन्ट शुदा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की मुद्रा से थानों/चौकीयों/यूनिट/पुलिस लाईन को ईश्यू किये जाते है जो आरपीआर 1965 के नियम 3.38 के तहत तथा पुलिस अधीनियम 2007 की धारा 39 एंव आरपीआर 2008 के नियम 9 के अनुसार संधारण किया जाता है जिसमें दैनिक कार्य का विवरण अंकित किया जाता है। डबल प्रति में पृष्ठांकित हो जिसकी एक मुल प्रति कार्यालय रिकार्ड एंव दुसरी कार्बन प्रति सम्बधित सुपरविजन कार्यालय में निर्धारित समय में भेजी जाती है।

(क) रोजनामचा आम संधारण एवं लेखन से संबंधित सामान्य नियम RPR 1948 नियम 279, RPR नियम 1965 नियम 3.38, 3.39, 3.40, 3.41 :–

1.राजस्थान पुलिस नियम 3.38 के अन्तर्गत पुलिस थाना, चौकी, पुलिस लाईन, सशस्त्र पुलिस यूनिट के अन्दर एक रोजनामचा आम का संधारण किया जावेगा। जिसमें एक लगायत सौ तक डूप्लीकेट पेज रहेंगे। प्रत्येक पेज पर कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक की गोल मोहर लगी रहेगी व मुख्य पेज नं. एक पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक से यह प्रमाण पत्र लगा रहेगा कि इस जिल्द में एक लगायत सौ तक डुप्लीकेट पेज मौजूद है, जिन पर कार्यालय की मोहर लगी हुई है। यह थाने का रजिस्टर नं. 02 कहलाता है। जिसके एक ही नम्बर की दो प्रतियों के बीच कार्बन लगाकर लिखा जावेगा। कार्बन प्रति प्रतिदिन सुबह वृताधिकारी/ नियत्रंण अधिकारी के कार्यालय में भेज दी जावेगी।

(i) रोजनामचा आम की प्रत्येक प्रविष्टि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा अथवा पुलिस स्टेशन के लिपिक द्वारा की जावेगी, जो कोई रिपोर्ट डायरी में लिखी जावेगी उसे संबन्धित को पढकर सुनाया जावेगा और वह उस पर हस्ताक्षर करेगे। प्रत्येक बात जो इस डायरी में लिखी जावेगी व तत्काल लिखी जावेगी जिसके लिखने का नंबर एक तारीख में सीरियल नं. एक से अलग–अलग प्रविष्टि के अलग अलग नं. व प्रविष्टि का समय अंकित किया जावेगा। जो पुनः माह समाप्ति पर पुनः एक नं. से आगे लिखा जावेगा।

(ii) प्रत्येक दिवस डायरी को आरम्भ करने पर मुलाजमानों के नाम पदस्थापन की तिथी इसके पश्चात मुकदमें वाईज मुकदमो का विवरण पेडिंग का कारण व अन्त में कैश बुक में पैण्डिंग रकम का गौशवारा दर्ज होगा।

(iii) दैनिक डायरी पुलिस स्टेशन पर होने वाली प्रत्येक घटना के बारे में सम्पूर्ण अभिलेख रखती है इसलिए इसमें केवल गतिविधियों और पुलिस अधिकारियों के कार्य का उल्लेख न हो वरन इसमें बाहर 6 से आने वाले दर्शको को चाहे वह सरकारी व गैर सरकारी जो पुलिस स्टेशन पर किसी भी कारणवश स्वंय आये हो अथवा लाए गये हो, के बारे में भी उल्लेख होना चाहिए।

2. राजस्थान पुलिस नियम 3.39 – रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाने योग्य मामले :– उपरोक्त नियम के अनुसार रोजनामचा आम में वही बाते अंकित करना चाहिए जो उसमें अंकित होने योग्य है। इस रजिस्टर में निम्नलिखित मामलों की प्रविष्टि की जायेगी।

(क)उन पशुओं की संख्या और विवरण जिनको किसी दावे के सन्दर्भ में या सूचना पर संदिग्ध अवस्था अथवा विवाद में पकडा गया है।

(ख)रेमीशन नियम (क्षमा)के अधीन अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 394 के अधीन छोडे गये अपराधियों के पुलिस स्टेशन पर आने का दिन, समय और उद्देश्य तथा ऐसे व्यक्तियों के नाम भी।

(ग)पुलिस स्टेशन पर आने अथवा पुलिस स्टेशन से डयूटी पर जाने के समय का लेखा सभी पुलिस अधिकारी चाहे वे किसी भी श्रेणी के हो, चाहे पुलिस स्टेशन पर नियुक्त हो अथवा अन्यत्र नियुक्त हो, रखेगे तथा यह भी लिखेगे कि उनको इस प्रकार के कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। यह प्रविष्टि संबंधित अधिकारी द्वारा रवाना होने के तुरन्त पश्चात की जायेगी और इसे प्रभारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से मय सील व हस्ताक्षर के प्रमाणित किया जायेगा।

(घ)हैड कानि. की श्रेणी के अथवा उससे उच्च श्रेणी के प्रत्येक पुलिस अधिकारी जब किसी मामले के अनुसंधान जिसमें कि मामले की डायरी प्रस्तुत की जाती है, के अतिरिक्त किसी कार्य से वापिस लौटेगें तो दैनिक डायरी में स्टेशन लिपिक के द्वारा या उसके सहायक द्वारा यह प्रविष्टि करायेगे कि उन्होने किस–किस स्थान का दौरा किया है और अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन का वर्णन लिखवायेगे जो उन्होने पुलिस स्टेशन से अनुपस्थित रहकर किये है।

(ड)सभी प्रकार के संदेशो, सम्पति, नगदी की प्राप्ति व भिजवाने के समय का उल्लेख करेगे तथा संबंधित रजिस्टर की संख्या का हवाला भी देगे।
(च)अहस्तक्षेपीय अपराध के समस्त मामलों (नियम 5.3) की जानकारी शांति भंग करने व वैमनस्य फैलाने के मामले (नियम 4.28) व पुलिस स्टेशन पर समस्त चौकीदारो के आने के विवरण (नियम 2.3) के बारे में।
(छ) पुलिस स्टेशन पर आने व जाने वाले समस्त व्यक्ति जो बंद अपराधियों के पास आये हो और पुलिस स्टेशन के बन्दीगृह से छोडे व उसमें बंद किये गये समस्त अपराधी चाहे अस्थायी रूप से या कुछ समय के लिए ही हो, के बारे में।
(ज) प्रत्येक सम्मन के प्राप्त होने व जारी होने का समय व दिनांक जबकि वह पुलिस स्टेशन में आया व जारी किया गया।
(झ) भण्डार गृह में रखी गयी सम्पति के बारे में विवरण,नियम 3.15 व 3.18(2) में चाहे गये अनुसार।
(ट) डाक घर की तिजोरी जो पुलिस स्टेशन में रखी गई है अथवा उसमें से निकाली गई सामग्री के निकालने व रखने का सही समय।
(ठ) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 180 के तहत प्रत्येक हस्तक्षेपीय अपराध से संबंधित सूचना का सन्दर्भ व संख्या तथा दिनांक, जिस समय प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हो लिखा जाये।
(ड) प्रत्येक सोमवार की डायरी में उन समस्त कागजातो का उल्लेख करना होगा जो पिछले एक सप्ताह से अनिर्णीत पडे हो।
3.राजस्थान पुलिस नियम 3.40– पुलिस अधिकारी किसी ऐसी प्रविष्टि जिसके बारे में वह यह जानता हो की झूठी है और जो विश्वसनीय न हो चाहे उसने ऐसा किसी उच्च अधिकारी की आज्ञा से ही क्यों न किया हो, करने पर उससे नौकरी से अलग कर दिया जायेगा।
4. राजस्थान पुलिस नियम 3.41 – रोजनामचा की अंतिम प्रविष्टि की तारीख से 02 वर्ष बाद रोजनामचा को नष्ट किया जाता है।

3.राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 एवं पुलिस नियम 2008 (7,8,9,12,13,14)

राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 **(Rajasthan Police Act 2007)**

प्रारम्भिक

धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ–

(1)इस अधिनियम का नाम राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य और राज्य के बाहर तैनात राज्य के पुलिस बल पर होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

धारा 2 परिभाषाएं–

(1)इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क)''मुख्य सचिव'' से राज्य सरकार का मुख्य सचिव अभिप्रेत हैं;

(ख)''साइबर अपराध'' से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21)के अधीन सभी अपराध और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे कम्प्यूटर युक्तियों जैसे कम्प्यूटर, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट, एटीएम आदि के उपयोग द्वारा किये गये कोई भी अन्य अपराध;

(ग)''पुलिस महानिदेशक'' से राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल के सम्पूर्ण नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन के लिए इस रूप में नियुक्त पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ)''जिला पुलिस अधीक्षक'' से किसी पुलिस जिले का भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड)''घरेलू सहायक''से पारिश्रमिक के लिए या अन्यथा किसी गृहस्थी में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च)''नैतिक अधमता'' ऐसे किसी भी अपराध में अन्तर्वलितता अभिप्रेत है जो छल, कूटरचना, मत्तता, बलात्संग, किसी महिला की लज्जा भंग करने, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापवार निवारण अधिनियम, 1988 यथा परिभाषित अवैध व्यापार, अनैतिक व्यापार (निवारण)अधिनियम,1956 में यथापरिभाषित अनैतिक दुर्व्यापार, नियोजित हिंसा या राज्य के विरूद्ध ऐसे किसी अपराध से संबधित है जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 6 में वर्णित है;

(छ)''संगठित अपराध'' में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सदोष या अविधिपूर्ण अभिलाभ के उनके सामान्य आशय के अनुसरण में किया गया कोई अपराध सम्मिलित है;

(ज) चौकी'' से किसी पुलिस थाने की अधिकारिता के भीतर कोई पुलिस चौकी अभिप्रेत है;

(झ)''पुलिस अधिकारी'' से राज्य के पुलिस बल का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ञ)''पुलिस कार्मिक'' में पुलिस अधिकारी और ऐसे अन्य सभी व्यक्ति सम्मिलित होंगे जिनके लिए नियुक्ति प्राधिकारी पुलिस महानिदेशक या उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी है;

(ट)''पुलिस थाना'' से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का उपनियम सं. 46) के उपबंधों के अधीन पुलिस थाने के रूप में घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है,

(ठ)''अधीक्षण की शक्ति'' से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है सभी प्रशासनिक मामलों में निदेशन, मार्गदर्शन और अनुदेश देने की शक्ति और उसके अन्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का उपनियम सं. 46) में अन्तर्विष्ट अन्वेषण से संबंधित उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश को निष्प्रभावी करने, उलटने, विखण्डित या पुनरीक्षित करने की शक्ति भी होगा,

(ड)''विहित''से इस अधिनियम केअधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है

(ढ)''लोक स्थान'' से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जिस तक जनता की पहुंच है,

(ण)''रेल क्षेत्र'' से रेल पथों से अनुग्लन सबसे बाहरी सिग्नलों से बीच में के क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिनमें राजस्थान राज्य के भीतर प्रत्येक रेल स्टेशन का परिसर सम्मिलित है और उसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र में पथों पर की रेलें, चाहे वे चल रही हों या स्थिर हों, भी होगा,

(त)''पंक्ति'' से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है अधीनस्थ पंक्ति और पर्यवेक्षण पंक्ति,

(थ)''नियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं,

(द)''विशेष प्रकोष्ठ'' से अपराध के प्रवर्ग विशेष में कार्यवाही करने के लिए या समुदाय, जिसके अन्तर्गत अपराध से पीडित व्यक्ति भी है, को बेहतर सेवा देने केलिए सृजित कोई प्रकोष्ठ अभिप्रेत है

(ध)''राज्य'' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;
(न)''राज्य सरकार'' से राजस्थान राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(प)''अधीनस्थ पंक्ति'' से सहायक पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे की सभी पंक्तियां अभिप्रेत हैं;
(फ)''पर्यवेक्षण पंक्ति'' से पुलिस सहायक अधीक्षक और पुलिस उप अधीक्षक या उससे उपर की पंक्तियां अभिप्रेत हैं;
(ब)इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ''किरायेदार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कोई मकान या परिसर या उसका कोई भाग किराये पर दिया गया है चाहे कोई पट्टा या किराया विलेख निष्पादित किया गया हो या नहीं; और
(भ)''ग्रामरक्षक''से इस अधिनियम की धारा 48 के अधीन इस रूप में सूचीबद्ध कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।
(2)इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों को अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का उपनियम सं. 46) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का उपनियम सं. 45) में उन्हें दिये गये हैं।
धारा 3 राज्य के पुलिस बल का गठन– (1)राज्य के लिए पुलिस बल होगा।
(2)पुलिस बल का गठन पुलिस अधिकारियों की ऐसी पंक्तियों और संख्या से मिलकर होगा और उसके ऐसे संगठन होगें जो राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अवधारित करें।
(3)पुलिस बल के संगठन में प्रशिक्षण संस्थायें, अनुसंधान और विकास ब्यूरो, तकनीकी और समर्थक सेवाएं, आसूचना और आपराधिक अन्वेषण युनिटें और ऐसी अन्य संस्थाएं और यूनिटें सम्मिलित हो सकेंगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायें।
धारा 4 पुलिस रेंजे– राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, राज्य के महानगर क्षेत्र से भिन्न संपूर्ण राज्य क्षेत्र को एक या अधिक पुलिस रेंजों में विभाजित कर सकेगी।
धारा 6 पुलिस जिला और पुलिस जिला स्तरीय स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ–(1)राज्य सरकार राज्य के भीतर के महानगर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए किसी भी क्षेत्र को पुलिस जिले के रूप मे अधिसूचित कर सकेगी।
(2)राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी जिले मे एक या अधिक विशेष प्रकोष्ट स्थापित कर सकेगी और ऐसे विशेष प्रकोष्ठ के भारसाधक के रूप मे उप पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।
धारा 7 वृत्त –राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक पुलिस जिले को एक या अधिक वृत्तों मे विभाजित कर सकेगी।
धारा 8 पुलिस थाना–(1)राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी वृत्त मे एक या अधिक पुलिस थाने सृजित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक पुलिस थाने की अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
(2)राज्य सरकार पुलिस थाने के भारसाधक के रूप मे उप पुलिस निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।
(3)राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी पुलिस थाने की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर एक या अधिक चौकियां स्थापित कर सकेगी और ऐसी चौकी की प्रादेशिक अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
धारा 9 रेल क्षेत्रो से संबंधित विशेष उपबंध–राज्य सरकार,अधिसूचना द्वारा,राज्य के रेल क्षेत्रो के ऐसे भाग समाविष्ट करते हुए एक या अधिक पुलिस जिले सृजित कर सकेगी जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।
धारा 10 विशेष पुलिस अधिकारी –
(1)इस निमित्त विहित नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से, लिखित आदेश द्वारा, उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को ऐसी कालावधि के लिए नियुक्त कर सकेगा जो नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें।
(2)इस प्रकार नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी को वही शक्तियां, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होगा और वह उन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए दायी होगा और उन्हीं शास्तियों के अध्यधीन होगा और उन्हीं प्राधिकारियों का अधीनस्थ होगा जिनका सामान्य पुलिस अधिकारी होता है।
धारा 11 अतिरिक्त पुलिस अधिकारी–(1)राज्य सरकार या यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई प्राधिकारी ऐसे प्रयोजनो के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तो पर और ऐसी रीति से अतिरिक्त पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकेगा जो विहित की जाये।

(2) अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की तैनाती या प्रतिनियुक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर, जो उसकी आवश्यकता दर्शाये, की जा सकेगी और ऐसी तैनाती या प्रतिनियुक्ति पर उपगत व्यय ऐसी तैनाती या प्रतिनियुक्ति का अनुरोध करने वाले व्यक्ति से विहित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

धारा 12 पुलिस बल पर अधीक्षण – समस्त मामलो के संबंध मे पुलिस बल के अधीक्षण की शक्ति राज्य सरकार मे निहित होगी।

धारा 13 पुलिस महानिदेशक –(1)राज्य सरकार पुलिस बल के समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन के लिए पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों का पालन और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसे उत्तरदायित्व होगे जो विहित किये जाये।

(2)पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति महानिदेशक की पंक्ति के अधिकारियों और ऐसे अधिकारियों, जो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम सं.61) के उपबंधों के अनुसार तत्प्रयोजन के लिए गठित समिति की छानबीन के पश्चात् महानिदेशक की पंक्ति मे पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये गये हो, से मिलकर बने पैनल मे से की जायेगी

परन्तु अधिकारियों का पैनल राज्य मे महानिदेशक की पंक्ति के लिए स्वीकृत काडर पदो की संख्या के दुगुने से अधिक नही होगा।

(3)अखिल भारतीय सेवा अधिनियम,1951(1951 का केन्द्रीय अधिनियम सं.61)के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए इस प्रकार नियुक्त पुलिस महानिदेशक की न्यूनतम अवधि दो वर्ष की होगी।

(4)उप धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुलिस महानिदेशक को राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके पद से –

(क)किसी दाण्डिक अपराध मे न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्वि पर या भ्रष्टाचार या नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी मामले मे न्यायालयद्वारा आरोप विरचित कर दिये जाने पर ,

(ख)अखिल भारतीय सेवा(अनुशासन और अपील) नियम,1967 या किसी भी अन्य सुसंगत नियम के उपबन्धों के अधीन सेवा से उसके पदच्युत कर दिये जाने, हटा दिये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्त या निम्नतर पंक्ति मे अवनत कर दिये जाने के दण्ड पर

(ग) खण्ड (ख) मे निर्दिष्ट नियमो के उपबंधों के अनुसार उसके सेवा से निलंबित कर दिये जाने पर

(घ) शारीरिक या मानसिक रूग्णता के कारण पुलिस महानिदेशक के रूप मे कृत्यों का निर्वहन करने मे उसकी अक्षमता पर

(ड.)उसके स्वंय के अनुरोध पर ; या

(च)ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर, जो लिखित में अभिलिखित की जायें;हटाया जा सकेगा।

(5)राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक की सहायता करने के लिए एक या अधिक अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी और पुलिस महानिदेशक के परामर्श से ऐसे अधिकारियों के कृत्य, कर्त्तव्य, उत्तरदायित्व और शक्तियां अवधारित कर सकेगी।

धारा 14 पुलिस रेंज में पुलिस बल का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन–(1)राज्य सरकार, उप पुलिस महानिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी को किसी पुलिस रेंज के भारसाधक के रूप में नियुक्त करेगी।

(2)किसी पुलिस रेंज में पुलिस बल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन की शक्ति, पुलिस महानिदेशक के संपूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, उस पुलिस रेंज के भारसाधक अधिकारी में निहित होगी।

(3)अखिल भारतीय सेवा अधिनियम,1951(1951 का केंद्रीय अधिनियम सं.61) के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, पुलिस रेंज के इस प्रकार नियुक्त भारसाधक की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष की होगी।

(4) उपधारा(3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुलिस रेंज के भारसाधक अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके पद से,–

(क)किसी दांडिक अपराध में न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि पर या भ्रष्टाचार या नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी मामले में न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये जाने पर;

(ख)अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम,1967 या किसी अन्य सुसंगत नियम के उपबंधों के अधीन सेवा से उसके पदच्युत कर दिये जाने, हटा दिये जाने या अनिवार्य सेवानिवृति या निम्नतर पंक्ति में अवनत कर दिये जाने के दंड पर;

(ग)खंड(ख) में निर्दिष्ट नियमों के उपबंधों के अनुसार उसके सेवा से निलंबित कर दिये जाने पर;

(घ)शारीरिक या मानसिक रूग्णता के कारण उसके कृत्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता पर;
(ड)उसके स्वयं के अनुरोध पर; या
(च)ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर, जो लिखित में अभिलिखित की जायें, हटाया जा सकेगा।

धारा 15 महानगर क्षेत्रों में पुलिस बल का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन—(1)राज्य सरकार, महानगर क्षेत्र में पुलिस आयुक्त नियुक्त करेगी।

(2)पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं होगा और निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति द्वारा सिफारिश किये गये अधिकारियों के पैनल में से नियुक्त किया जायेगा—
(क)मुख्य सचिव,
(ख)राज्य के गृह विभाग का भारसाधक सचिव,
(ग)राज्य के कार्मिक विभाग का भारसाधक सचिव,
(घ)पुलिस महानिदेशक।

(3)किसी महानगर में पुलिस बल का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन, पुलिस महानिदेशक के संपूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, पुलिस आयुक्त में निहित होगा।

(4)उपधारा (1) के अधीन नियुक्त पुलिस आयुक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों और कर्त्तव्यों का पालन और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा और उसके ऐसे उत्तरदायित्व और प्राधिकार होगें जो राज्य सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जावे।

(5)अखिल भारतीय सेवा अधिनियम ,1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 61) के अधीन बनाये गये नियमो के अध्यधीन रहते हुए पुलिस आयुक्त की न्यूनत अवधि दो वर्ष की होगी।

(6)उपधारा (5) मे अन्तर्विष्ट किसी बाते के होते हुए भी, पुलिस आयुक्त को राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके पद से, —
(क) किसी दाण्डिक अपराध मे न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि पर या भ्रष्टाचार या नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी मामले मे न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये जाने पर
(ख) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1967 या किसी अन्य सुसंगत नियम की उपबंधो के अधीन सेवा से उसके पदच्युत कर दिये जाने, हटा दिये जाने या अनिवार्य सेवानिवृति या निम्नतर पंक्ति मे अवनत कर दिये जाने के दण्ड पर
(ग)खण्ड(ख)में निर्दिष्ट नियमो के उपबंधों के अनुसार उसके सेवा से निलंबित कर दिये जाने पर
(घ)शारीरिक या मानसिक रूग्णता के कारण उसके कृत्यों का निर्वहन करने मे उसकी अक्षमता पर
(ड.)उसके स्वंय के अनुरोध पर ; या
(च)ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर, जो लिखित में अभिलिखित की जायें;हटाया जा सकेगा।

(7)राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त की उसके कृत्यो के निर्वहन मे सहायता करने के लिए एक या अधिक अपर, उप या सहायक आयुक्त नियुक्त कर सकेगी और आयुक्त के परामर्श से ऐसे अधिकारियों के कृत्य, कर्तव्य, उत्तरदायित्व और शक्तियाँ अवधारित कर सकेगी।

धारा 16 किसी पुलिस जिले में पुलिस बल का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन—

(1)राज्य सरकार किसी पुलिस जिले के लिए जिला पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी—परन्तु किसी महानगर क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक को उप पुलिस आयुक्त के रूप में पदाभिहित किया जायेगा और इस अधिनियम में जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति निर्देशों का अर्थान्वन किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में तद्नुसर किया जायेगा।

(2)किसी पुलिस जिले में पुलिस बल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन की शक्ति, पुलिस महानिदेशक के सम्पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए जिला पुलिस अधीक्षक में निहित होगी।

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 61) के अधीन बनाये गये नियमो के अध्यधीन रहते हुए जिला पुलिस अधीक्षक की न्युनतम अवधि दो वर्ष की होगी।

(4)उप—धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जिला पुलिस अधीक्षक राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके पद से,—
(क)किसी दाण्डिक अपराध में न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि पर भष्ट्राचार या नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी मामले में न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये जाने पर

(ख) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1967 या किसी अन्य सुसंगत नियम के उपबंधों के अधीन सेवा से उसके पदच्यूत कर दिये जाने हटा दिये जाने या अनिवार्य सेवानिवृति या निम्नतर पक्तिं में अवनत कर दिये जाने के दण्ड पर
(ग)खण्ड (ख) में निर्दिष्ट नियमो के उपबंधो के अनुसार उसके सेवा से निलम्बित कर दिये जाने पर
(घ)शारीरिक या मानसिक रूग्णता के कारण उसके कृत्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता पर
(ड)उसके स्वय के अनुरोध पर या
(च)ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर , जो लिखित में अभिलिखित की जाये हटाया जा सकेगा
(5)राज्य सरकार जिला पुलिस अधीक्षक की सहायता करने के लिए एक या अधिक अपर, उप या सहायक पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी।
(6)उप–धारा (5) के अधीन नियुक्त पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे होगे जो पुलिस महानिदेशक द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जाए

धारा 17 किसी पुलिस वृत्त में पुलिस बल का नियत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन–

(1)राज्य सरकार किसी उप पुलिस अधीक्षक से निम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को किसी पुलिस वृत्त का भारसाधक नियुक्त कर सकेगी;
परन्तु किसी महानगर क्षेत्र मे किसी पुलिस वृत्त के भारसाधक अधिकारी को सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में पदाभिहित किया जायेगा और इस अधिनियम में किसी पुलिस वृत्त के भारसाधक अधिकारी के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में तदनुसार किया जायेगा।
(2)किसी पुलिस वृत्त में पुलिस बल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन की शक्ति,पुलिस महानिदेशक के सम्पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, पुलिस वृत्त के भारसाधक अधिकारी में निहित होगी।
(3 पुलिस वृत्त के भारसाधक की न्यूनतम अवधि दो वर्ष की होगी।
(4)उप–धारा (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुलिस वृत्त के भारसाधक को राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके पर से,–
(क) किसी दाण्डिक अपराध में न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्वि पर या भ्रष्टाचार या नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी मामले में न्यायालय द्वारा आरोप विचरित कर दिये जाने पर;
(ख) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1967 या किसी अन्य सुसंगत नियम के उपबंधों के अधीन सेवा से उसके पदच्युत कर दिये जाने, हटा दिये जाने या अनिवार्य सेवानिवृति या निम्नतर पंक्ति में अवनत कर दिये जाने के दण्ड पर;
(ग) खण्ड (ख) मे निर्दिष्ट नियमों के उपबंधों के अनुसार उसके सेवा से निलम्बित कर दिये जाने पर;
(घ) शारीरिक या मानसिक रूग्णता के कारण उसके कृत्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता पर;
(ड) उसके स्वंय के अनुरोध पर; या
(च) ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर, जो लिखित में अभिलिखित की जाये, हटाया जा सकेगा।

धारा 18 रेल क्षेत्रो में पुलिस बल का पर्यवेक्षण–(1)राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति के किसी अधिकारी को रेल क्षेत्रों का भारसाधक नियुक्त कर सकेगी।
(2) रेल क्षेत्रों मे पुलिस बल के नियत्रंण, पर्यवेक्षण और निर्देशन की शक्ति, पुलिस महानिदेशक के सम्पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, रेल क्षेत्र के भारसाधक पुलिस महानिरीक्षक मे निहित होगी।
(3)राज्य सरकार पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के किसी अधिकारी को रेल क्षेत्रों के पुलिस जिले का भारसाधक नियुक्त कर सकेगी और नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन की शक्ति , पुलिस महानिदेशक के सम्पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, इस प्रकार नियुक्त अधिकारी मे नियुक्त होगी।

धारा 19 क्षेत्र ड्यूटी पर के कतिपय पुलिस अधिकारियों की अवधि–

(1)पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के रूप में या किसी अपराध अन्वेषण यूनिट के भारसाधक अधिकारी के रूप में पदस्थापित किसी पुलिस अधिकारी की न्यूनतम अवधि दो वर्ष की होगी–
(2)उप–धारा(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व निम्नलिखित के परिणामस्वरूप स्थानांतरित किया जा सकेगा–
(क) उच्चतर पद पर उसकी पदोन्नती
(ख) उसकी अधिवर्षिता
(ग) न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि
(घ) किसी दाण्डिक अपराध में न्यायालय द्वारा उसके विरूध आरोप विरचित किये जाने 12

(ड) उसको लागू अनुशासनिक कार्यवाहियो से संबंधित नियमो के अधीन सेवा से पदच्युत किये जाने, हटाये जाने, सेवोन्मुक्त किये जाने या अनिवार्य सेवानिवृति या निम्नतर पक्ति में अनवत कर दिये जाने के दण्ड पर
(च)खण्ड (ड) में निर्दिष्ट नियमो के उपबंधो के अनुसार सेवा से उसके निलंबन पर
(छ)शारीरिक या मानसिक रूग्णता के कारण अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता पर
(ज) कोई रिक्ति भरने के लिये
(झ) उसके स्वयं के अनुरोध पर या
(ञ) ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर जो लिखित में अभिलिखित की जायेगी।
धारा 20 अधीनस्थ पंक्तियों में पुलिस अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तो का विनियमन–(1) राज्य सरकार अधीनस्थ पंक्तियों मे पुलिस अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तो के विनियमन के लिए कानून बना सकेगी।
(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए पुलिस महानिदेशक या राज्य द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पुलिस अधिकारी अधीनस्थ पंक्तियों के किसी पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में असावधान या उपेक्षावान या उसके अनुपयुक्त या किसी अवचार का दोषी पाये जाने पर सेवा से पदच्युत , हटा, पंक्ति में अवनत कर सकेगा या (दण्ड कवायद अतिरिक्त गार्ड फटीग या अन्य डयूटी के साथ उसके बिना) पन्द्रह दिन से अनधिक की किसी अवधि के लिए क्वाटर में परिरूद्व कर सकेगा।
धारा 21 राज्य पुलिस आयोग–
(1)राज्य सरकार एक राज्य पुलिस आयोग (जिसे इसमें आगे ''आयोग'' कहा गया है) स्थापित करेगी जो इस अध्याय के उपबंधो के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा।
(2)गृह विभाग का प्रभारी मंत्री आयोग का अध्यक्ष होगा और आयोग के अन्य सदस्य निम्नलिखित होगेः–
(क)राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता या यदि प्रतिपक्ष का कोई नेता नही हों तो राज्य विधानसभा में सबसे बडे प्रतिपक्ष दल (अध्यक्ष द्वारा मान्य एकल दल या दलो के समुह का नेता)
(ख) मुख्य सचिव
(ग)गृह विभाग का प्रभारी सविच
(घ)पुलिस महानिदेशक और
(ड)लोक जीवन के किसी भी क्षेत्र से ख्यातिप्राप्त तीन व्यक्ति (जिन्हे इसमें इसके आगे '' स्वंतत्र सदस्य'' कहा गया है) जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेगे।परन्तु कम से कम एक स्वतत्रं सदस्य समाज के कमजोर वर्गो में से होगा।
(3)राज्य सरकार आयोग के सचिव के रूप में कार्य करने के लिये किसी पुलिस अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी जो पंक्ति में अपर महानिदेशक से नीचे का नही होगा।
(4)आयोग अपनी बैठको, गणपूर्ति के स्वयं के संबंध में ऐसे नियमो का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाये जाये।
धारा 22 स्वतंत्रत सदस्यों के चयन के लिए समिति– स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा एक पैनल की सिफारिश पर की जायेगी जिसमें मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होगा और उसके सदस्य निम्नलिखित होंगः–
(क) राज्य विधानसभा मे प्रतिपक्ष का नेता या प्रतिपक्ष को कोई नेता नहीं हो तो राज्य विधानसभा में सबसे बडे प्रतिपक्ष दल (अध्यक्ष द्वारा मान्य एकल दल या दलों के समूह) का नेता
(ख) गृहविभाग का प्रभारी मंत्री
(ग) अध्यक्ष , राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग।
धारा 23 स्वतंत्रत सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताऐं– कोई भी व्यक्ति आयोग के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नही होगा यदि–
(क) वह भारत का नागरिक नही हो।
(ख) वह न्यायालय द्वारा सिद्वदोष ठहराया गया हो या उसके विरूद्व नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के आरोप किसी न्यायालय द्वारा विरचित किये गये हों
(ग) वह किसी लोक सेवा से पदच्युत किया गया हो हटाया गया हो या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हों।

(घ) वह न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है।
(ड) वह विकृत चित है या
(च) वह संसद या राज्य विधान मण्डल या किसी स्थानीय निकाय का सदस्य है या रहा है या किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के संसक्त किसी संगठन का पदाधिकारी है या रहा है या किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दस से संबद्व किसी संगठन का सदस्य है या रहा है ।

धारा 24 स्वतंत्र सदस्यों की पदावधि और विशेषाधिकार–(1)स्वंतंत्र सदस्य की पदावधि उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की होगी और वह पुनः नियुक्ति का पात्र नही होगा।
(2) स्वतंत्र सदस्य अवैतनिक हैसियत में सेवा करेगा और ऐसे सदस्य को दिये जाने वाले विशेषाधिकार और सुविधाऐं ऐसी होगी जो विहित की जायें।

धारा 25 स्वतंत्र सदस्यों का हटाया जाना– राज्य सरकार द्वारा किसी स्वतंत्र सदस्य को
(क) निम्नलिखित किसी भी आधार पर–
1. आयोग की तीन क्रमवर्ती बैठकों में सम्मिलित होने में समुचित हेतुक के बिना विफल रहने
2. शारीरिक या मानसिक दौर्बल्य के कारण अक्षकता या
3. सदस्य के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अन्यथा अक्षम होने
(ख) धारा 22 में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर या
(ग) यदि वह धारा 23 में विनिर्दिष्ट कोई निरर्हता उपगत कर लेता है हटाया जा सकेगा।

धारा 26 आयोग के कृत्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगा अर्थात
(क)दक्ष और जबाबदेह पुलिस व्यवस्था के उन्नयन के लिए नीतिगत मार्गदर्शन के बारे में राज्य सरकार को सलाह देना।
(ख)पुलिस बल के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए कार्य –उपदर्शकों की पहचान करने में राज्य सरकार की सहायता करना।
(ग)पुलिस बल के कार्य पर कालिक तौर पर अपने विचार संसूचित करना।
(घ)पुलिस व्यवस्था के लिए परिपेक्ष्य योजनाऐ बनाना और उन्हे राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
(ड)राज्य के अपराधों का विश्लेषण करना और निवारक उपाय सुझाना।
(च)पॉच वर्ष की कालावधि के लिए उक्त कालावधि के दौरान प्राप्त किये जाने के लिए इप्सित पुलिस व्यवस्था के उददेश्यों की पहचान करते हुए और उनके क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना उपवर्णित करते हुए युक्तियोजना बनाना।
(छ)विभिन्न पंक्तियों तथा प्रवर्गो के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण नीति तैयार करना और
(ज)ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किये जाये।

धारा 27 आयोग की वार्षिक रिपोर्ट–(1) आयोग प्रत्येक वर्ष के अन्त में राज्य सरकार को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान के अपने कार्य की और पुलिस बल के कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
(2) राज्य सरकार राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष बजट सत्र में वार्षिक रिपोर्ट रखवायेगी।

धारा 28 पुलिस स्थापना बोर्ड–(1)राज्य सरकार एक पुलिस स्थापना बोर्ड (जिसे इसमें आयोग ''बोर्ड'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है)गठित करेगी जिसमें इसके अध्यक्ष के रूप में पुलिस महानिदेशक और सदस्यों के रूप में पुलिस महानिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के चार पुलिस अधिकारी होगें।
(2) बोर्ड निम्नलिखित कृत्य करेगाः–
(क)सुसंगत सेवा नियमों के अनुसार कांस्टेबलों की भर्ती,
(ख) सुसंगत नियमों के अनुसार अधीनस्थ पंक्तियों में पदौन्नति।
(ग)राज्य सरकार के अनुमोदन से अधीनस्थ पंक्तियों के स्थानान्तरण के लिए मार्गदर्शक सिद्वान्त विहित करना
(घ) एक रेंज से दूसरी रेंज में अधीनस्थ पंक्तियों का स्थानान्तरण और उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति में पुलिस अधिकारियों का अन्तरण।
(ड) अपर पुलिस अधीक्षक की पंक्ति में पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए प्रस्ताव तैयार करना और उन्हें राज्य सरकार को प्रस्तुत करना और
(च) पुलिस कार्मिकों की शिकायतों का विश्लेषण और राज्य सरकार को उपचारी उपाय सुझाना।
(3)कॉन्सटेबलों की भर्ती के लिए और अधीनस्थ पंक्तियों में पदोन्नति के लिए बोर्ड पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी की अध्यक्षता में एक या अधिक समितियॉ नियुक्त कर सकेगा। 14

(4) पुलिस स्थापन बोर्ड अपनी बैठकों , गणपूर्ति और कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसे नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाये जायें।

धारा 29 पुलिस अधिकारियों के कृत्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्व–

(1) पुलिस अधिकारी के निम्नलिखित कृत्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगें–

(क) विधि का प्रवर्तन करना और जनता के जीवन स्वतंत्रता संपत्ति अधिकारों और मानवाधिकारों का संरक्षण करना;

(ख) अपराध और लोक न्यूसेंस का निवारण करना;

(ग) लोक व्यवस्था बनाये रखना;

(घ) आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना, आतंककारी क्रियाकलापों का निवारण और नियंत्रण करना और लोक शांति के भंग का निवारण करना;

(ड) लोक संपत्ति का संरक्षण करना;

(च)अपराधों का पता लगाना और अपराधियों को न्यायालय में पेश करना।

(छ)ऐसे व्यक्तियों को पकडना जिन्हें वह पकडनें के लिए विधितः प्राधिकृत है और जिनके पकडे जाने के लिए पर्याप्त आधार है,

(ज)प्राकृतिक या मानवकृत आपदाओं से उत्पन्न होने वाली स्थितियों में जनता की मदद करना और राहत उपायों में अन्य ऐजेसिंयों की सहायता करना,

(झ)जनता एंव यानों के व्यवस्थित संचलन को सुकर बनाना और यातायात को नियंत्रित और विनियमित करना,

(ञ)लोक शांति को प्रभावित करने वाली और अपराध से संबन्धित आसूचना एकत्र करना,

(ट) लोक प्राधिकारियों को उनके कृत्यों और कर्तव्यों के निवर्हन के लिए सुरक्षा उपलब्ध करना,

(ठ)ऐसे कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना जो उसे विधि द्वारा या किसी भी विधि के अधीन ऐसे निर्देश जारी करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा आदिष्ट किये जायें।

(2)राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई प्राधिकारी पुलिस अधिकारियों को ऐसे अन्य कर्तव्य और उत्तरदायित्व समनुदेशित कर सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें।

धारा 30 पुलिस का सामाजिक दायित्व–प्रत्येक पुलिस अधिकारी–

(1)जनता के सदस्यों से विशिष्टतया वरिष्ठ नागरिकों महिलाओं बालकों और समाज के कमजोर बर्गों के सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय सम्यक् शिष्टता और शालीनता से व्यवहार करेगा;

(2)जनता के सदस्यों विशिष्टतया वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों और शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिलांग व्यक्तियों जो सडकों या अन्य लोक स्थानों पर असहाय स्थिति में पाये जाते हैं, का मार्गदर्शन और सहायता करेगा;

(3) अपराध और सडक दुर्घटनाओं के पीडितों को अपेक्षित सहायता उपलब्ध करायेगा;

(4)लोक स्थनों और लोक परिवहन में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बालकों के उत्पीडन जिसमें पीछा करना, आपत्तिजनक भाव भंगिमा संकेत, फब्तियां या किसी भी रूप में किया जाने वाला उत्पीडन सम्मिलित है, का निवारण करेगा और

(5)जनता के सदस्यों विशिष्टतया महिलाओं, बालकों और समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों को विधिपूर्ण सहायता प्रदान करेगा।

स्पष्टीकरण–''वरिष्ठ नागरिक'' से पैंसठ वर्ष और उससे अधिक की आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

धारा 31 संज्ञेय मामलो मे इत्तिला का अभिखित किया जाना –(1)पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी किसी भी संज्ञेय अपराध के किये जाने के संबंध मे प्रत्येक इत्तिला को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023(1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं.01) के उपबंधो के अनुसार तुरन्त प्राप्त और अभिलिखित करेगा।

(2)जहाँ कोई व्यक्ति जिला पुलिस अधीक्षक को ऐसे किन्ही भी तथ्यों की सूचना भेजता है या देता है, जिससे प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध गठित होता है और अभिकथन करता है कि अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी ने इत्तिला अभिखित करने से इन्कार कर दिया है तो जिला पुलिस अधीक्षक उक्त पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के विरूद्व नियमो के अनुसार तुरन्त अनुशासनिक कार्यवाही करेगा या करवायेगा।

(3)उक्त अनुशासनिक कार्यवाहियों मे अधिनिर्णित कोई दण्ड संबंधित अधिकारी के सेवाभिलेख मे अभिलिखित किया जायेगा और जब भी उसकी क्षमता और निष्पादन का निर्णयन अपेक्षित हो तब सदैव उस पर विचार किया जावेगा।

धारा 32 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों का पालन–कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विधि द्वारा या किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उसके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को समनुदिष्ट किसी भी कर्तव्य का पालन कर सकेगा और ऐसे अधीनस्थ पर अधिरोपित किसी भी कर्तव्य की दशा में वरिष्ठ विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति की कार्रवाई द्वारा तब सहायता अनुपूर्ति कर सकेगा, उसे अधिक्रमित के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

धारा 33 पुलिस अधिकारी सदैव ड्यूटी पर होगें– इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी को सदैव ड्यूटी पर समझा जायेगा।

धारा 34 पुलिस अधिकारी को राज्य के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकेगा–प्रत्येक पुलिस अधिकारी को किसी भी समय राज्य के किसकी भी भाग में पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किया जा सकेगा।

धारा 35 पुलिस अधिकारियों का अन्य नियोजन में नियोजित न होना–कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों से भिन्न किसी भी प्रकार के नियोजन या कार्यालय में नियोजित नहीं होगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए उसे अभिव्यक्तः लिखित में अनुज्ञात न किया जाये।

धारा 36 पुलिस अधिकारी का ड्यूटी से नहीं हटना– कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से स्वयं को हटाने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा जब तक किउसे ऐसा करने के लिए ऐसी अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिव्यक्ततः अनुज्ञा न दे दी गई हो।

धारा 37 पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष सूचना रख सकेंगे–किसी पुलिस अधिकारी के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई सूचना रखना और समन वारंट तलाशी वारंट या ऐसी अन्य वैध आदेशिका, जो अपराध कारित करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध जारी की जा सके, के लिए आवेदन करना विधिपूर्ण होगा।

धारा 38 पुलिस अधिकारी अदावाकृत संपत्ति का प्रभार लेंगे–

(1)किसी भी आदावाकृत संपत्ति का प्रभार लेना और अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में उसकी तालिका देना प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा।

(2)ऐसी संपत्ति के व्ययन की रीति पर होगी जो विहित की जाये।

स्पष्टीकरण –इस धारा के प्रयोजन के लिए संपति के लिए कोई जंगम संपति,धन या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत होगी।

धारा 39 पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे–प्रत्येक पुलिस थाने या चौकी के भारसाधक अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्ररूप में और रीति से जो विहित की जाये एक साधारण डायरी रखे।

धारा 40 राज्य सरकार विवरणियों का प्ररूप विहित कर सकेगी (1)राज्य सरकार उसे पुलिस महानिदेशक का प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के प्रारूप और रीति विहित कर सकेगी।

(2) पुलिस महानिदेशक , अन्य पुलिस अधिकारियों को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियो ंके प्रारूप और रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

धारा 41वर्दी अधिकार, चिन्ह, साजसज्जा आदि(1)राज्य सरकार पुलिस अधिकारियों या यथास्थिति पुलिस अधिकारियों के किसी वर्ग के लिए वर्दी अधिकार चिन्ह और साजसज्जा विहित कर सकेगी।

(2)पुलिस महानिदेशक वर्दी पहनने और अधिकार चिन्ह और साजसज्जा रखने के लिए समय–समय पर निदेश जारी कर सकेगा।

अध्याय 6–पुलिस व्यवस्था के लिए विशेष उपबंध

धारा 42 अपराध अन्वेषण यूनिटें– (1)राज्य सरकार ,साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे प्रत्येक पुलिस थाने जो वह समय समय पर विनिश्चित करे में पृथक अपराध अन्वेषण यूनिट जिसका प्रधान पुलिस उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति को कोई अधिकारी होगा, सृजित कर सकेगी।

परन्तु महानगर क्षेत्र में ऐसी अपराध अन्वेषण यूनिट राज्य सरकार द्वारा किसी महानगर क्षेत्र की अधिसूचना से पॉच वर्ष से अनधिक की कालावधि के भीतर– भीतर स्थापित की जायेगी।

(2)राज्य सरकार ,साधारण या विशेष आदेश द्वारा पुलिस महानिरीक्षक या किसी भी पुलिस जिले में साइबर अपराधों संगठित अपराधों और ऐसे अपराधों जो पुलिस महानिदेशक द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए के अन्वेषण के लिए एक या अधिक विशेष अपराध अन्वेषण यूनिटें जिनका प्रधान उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी होगा सृजित कर सकेगी।
(3)ऐसी यूनिटों में पदस्थापित अधिकारियों को अति विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक की अनुज्ञा के सिवाय कोई भी अन्य कर्तव्य समनुदिष्ट नही किया जायेगा। जो ऐसे प्रत्येक पुलिस थाने जो वह समय समय पर विनिश्चित करे में पृथक अपराध अन्वेषण यूनिट जिसका प्रधान पुलिस उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति को कोई अधिकारी होगा, सृजित कर सकेगी।
धारा 43 लोक स्थान आरक्षित करने और नाका लगाने की शक्ति—ऐसी जांचो और निर्बन्धनो के अध्याधीन रहते हुए जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किय जाये
(क)जिला पुलिस अधीक्षक लोक नोटिस द्वारा किसी लोक प्रयोजन के लिए किसी मार्ग या अन्य लोक स्थान को अस्थायी रूप से आरक्षित कर सकेगा और इस प्रकार आरक्षित क्षेत्र से व्यक्तियों और यानो के संचलन को विनियमित कर सकेगा और—
(ख)जिला पुलिस अधीक्षक आम जनता के हित में लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिये या लोक सडको और मार्गो पर नाकों और अन्य आवश्यक संरचनाए खडी करने के लिये या किसी अपराध का निवारण या पता लगाने के लिए यानो या उनके अधिभोगीयों की जांच करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।
धारा 44 आदेश का परिरक्षण
(1)ऐसी जांचों और निर्बन्धनो के अध्यधीन रहते हुऐ जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये, जिला पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी लोक सडकों या लोक मार्गो या आम रास्तो पर भी सभी सभाओं या जूलूसो को विनियमित करने के लिये साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगा और वे मार्ग जिनसे और वह समय जब ऐसे जुलूस गुजर सकेगे, विहित कर सकेगा—
परन्तु जिला पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का इस बात का समाधान हो जाने पर कि वह किसी व्यक्ति या व्यक्ति के वर्ग द्वारा ऐसी सडक, मार्ग या आम रास्ते में कोई सभा आयोजित करने या एकत्र करने या ऐसा कोई जुलूस बनाने के लिये आशयित है जो यदि अनियंत्रित रहे जो शान्ति भंग होने की संभावना है तो वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करने का निर्देश कर सकेगा—
(2)जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी शर्तो के साथ जिन्हे वह उचित समझे अध्यपेक्षित अनुज्ञा दे सकेगा—
परन्तु वह किसी ऐसी सडक मार्ग या आम रास्ते में कोई ऐसी सभा आयोजित करने या एकत्र करने या ऐसा जुलूस बनाने के लिये अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेगा जिससे उसकी राय में शांति भंग होने की संभावना हो।
(3)कोई भी पुलिस अधिकारी जिस पर किसी जनसभा या जुलूस को विनियमित करने का उत्तरदायित्व है ऐसे किसी भी जूलूस को जिसे उप—धारा (2) में उपदर्शित अनुज्ञा प्राप्त न हो या जो उसकी राय में अनुज्ञा की शर्तो का उल्लंघन करता हो, रोक सकेगा और ऐसे किसी भी जुलूस या ऐसी किसी सभा को तितर—बितर होने का आदेश दे सकेगा।
(4)ऐसे किसी भी जुलूस या सभा को, जो अंतिम पूर्ववर्ति उप—धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश की उपेक्षा करती है या मानने से इनकार करती है, विधि विरूद्ध जमाव समझा जायेगा
(5)जिला पुलिस अधीक्षक आम जनता के हित में किसी लोक स्थान में प्रवेश या निकास या प्रचालन का समय विनियमित करने के लिए आदेश जारी कर सकेगा।
धारा 45 सूचना प्राप्त करने की शक्ति—जिला पुलिस अधीक्षक आदेश द्वारा किसी गृहस्थी ,दुकान या लोक परिसर के प्रत्येक स्वामी से किसी किरायेदार या घरेलू सहायक का ब्यौरा इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में देने की अपेक्षा कर सकेगा।
धारा 46 पुलिस सेवा के लिए संदाय—राज्य सरकार किसी व्यक्ति से जो किसी धनीय लाभ के लिए ऐसा कोई भी व्यवसाय जलसा प्रदर्शनी विक्रय मनोरंजन इत्यादि आयोजित करता है जिसमें लोक सुऱक्षा 17

के प्रयोजन के लिए या लोक शांति या व्यवस्था बनाये रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की आवश्यकता हो तो ऐसा उपयोक्ता प्रभार उदग्रहित कर सकेगी जो विहित किया जाये।

धारा 47 यातायात का विनियमन—जिला पुलिस अधीक्षक या राज्य सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में यातायात के प्रबन्ध के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी यातायात का सहज और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मोटर चालकों, साइकिल सवारों पैदल चलने वालों और पशुओं के साथ चलने वाले व्यक्तियों के सम्बंध में लोक सडकों या मार्गो के उपयोग का विनियमन करने के लिए और साइकिलों सहित यानों को पार्क करने का विनियमन करने के लिए समय—समय पर निर्देश जारी कर सकेगा।

धारा 48 ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम रक्षकों की सूचीबद्वता—(1)जिला पुलिस अधीक्षक, अपने भारसाधन के अधीन किसी पुलिस जिले में किसी गॉव या गॉवों के समूह के मामले में उस समूह के किसी गॉव में निवास करते हों ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्व किया जा सकेगा।

(2)स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसी सूचीबद्वता के समय तीस वर्ष और पचपन वर्ष से अधिक आयु के न हो और जो किसी गॉव में या गॉवों के समूह के मामले में उस समूह के किसी गॉव में निवास करते हो ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्व किया जा सकेगा।

(3)जिला पुलिस अधीक्षक सूचीबद्वता की प्रक्रिया में निम्नलिखित अधिमानता क्रम को ध्यान में रखेगा अर्थातः—

(क)राज्य सरकार का कर्मचारी ऐसी सूचीबद्वता के लिए उसके विभागाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए।

(ख)ऐसी सूचीबद्वता के लिए उसके कार्यालय के प्रधान के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए किसी स्थानीय निकाय या किसी भी अन्य संस्था का कर्मचारी जो केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली हो या उसके द्वारा सरवान रूप से नियंत्रित हो।

(ग)गृह रक्षा स्वंयसेवक। (घ)भूतपूर्व सैनिक।

4. किसी भी व्यक्ति को ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्व नही किया जायेगा यदि—

(क) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्व किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो।

(ख) उसके विरूद्व कोई दाण्डिक अपराध का मामला दर्ज है और जो उसके विरूद्व लम्बित है।

(ग)वह किसी राजनीतिक दल या उसके सहबद्व दल का सदस्य है या

(घ) वह ऐसी शैक्षिक अर्हता नही रखता हो जो विहित की जाये।

धारा 49 ग्राम रक्षकों की पदावधि— ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्व किसी व्यक्ति की पदावधि तीन वर्ष की होगी यह पदावधि बढायी या नवीकृत नही की जायेगी।

परन्तु किसी भी ग्राम रक्षक को उसकी सूचीबद्वता के चालू रहने के दौरान उसके समनुदेशन से हटाया जा सकेगा यदि वह धारा 48 की उप धारा (4) में विनिर्दिष्ट अपात्रताओं में सें कोई भी उपगत करता है या ग्राम रक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में उपेक्षा करता पाया जाता है।

धारा 50 ग्राम रक्षकों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व— ग्राम रक्षकों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(क) ग्राम में किसी अपराध के होने या विधि और व्यवस्था की स्थिति की पुलिस थाने को शीघ्रता से रिपोर्ट करना और अपराधियों से जबाव तलब करने में पुलिस की सहायता करना।

(ख) ग्राम अपराधों के निवारण और विधि और व्यवस्था की समस्या के निवारण को ध्यान में रखते हुए सामान्य चौकसी बनाये रखना ओर उसके बारे में पुलिस थाने को तुरन्त सूचना देना।

(ग) ग्राम में किसी संदिग्ध क्रियाकलाप ,किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि या किसी षडयंत्र के विकास की सूचना के बारे में जिससे किसी अपराध के होने या विधि और व्यवस्था के भंग होने की संभावना हो के प्रति जागरूक और संवेदनशील रहना और ऐसी सूचना को तत्परतापूर्वक पुलिस थाने को प्रेषित करना।

(घ) किसी व्यक्ति को उसके कब्जे में या उसके पास गये किसी भी शस्त्र गोला बारूद सम्पत्ति या किसी आक्षेपणीय वस्तु के साथ गिरफ्तार करने में और उसे पुलिस अधिकारी को सुपुर्द करने में या यथास्थिति उसे निकटतम पुलिस थानें ले जाने में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 43 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत किसी प्राईवेट व्यक्ति की सहायता करना।

धारा 51 ग्राम रक्षको को प्रशिक्षण –पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को ग्राम रक्षक के रूप मे उसके शामिल किये जाने पर ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और ऐसी कालावधि के लिए दिया गया है जो पुलिस महानिदेशक द्वारा अवधारित किया जाये।

धारा 52 ग्राम रक्षक द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान – ग्राम रक्षक के रूप मे सूचिबद्ध प्रत्येक व्यक्ति संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ऐसी शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा जो विहित किया जाये।

धारा 53 ग्राम रक्षक अवैतनिक कार्यकर्ता होगा–(1) ग्राम रक्षक एक अवैतनिक कार्यकर्ता होगा और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

(2)ग्राम रक्षक को ऐसा मानदेय और जेब से किया गया व्यय संदत्त किया जा सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये।

धारा 54 ग्राम रक्षक की पहचान –(1) प्रत्येक ग्राम रक्षक के लिए पहचान बैंज और एक फोटो पहचान पत्र ऐसे प्रारूप और रीति से दिया जायेगा जो विहत किया जाये

(2) इस अधिनियम के अधिन प्रत्येक ग्राम रक्षक अपने कृत्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन मे लगे रहने के दौरान पहचान बैंज पहनेगा और अपने साथ फोटो पहचान पत्र रखेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो ग्राम रक्षक न रहे, अपना पहचान बैंज और फोटो पहचान पत्र जिला पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को तत्काल परिदत्त कर देगा।

धारा 55 समुदाय संपर्क समूह–

(1)जिला पुलिस अधीक्षक पुलिस बल की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों से गठित कर या अधिक समुदाय संपर्क समूह विहित रीति से गठित करेगा परंतु प्रत्येक पंचायत के लिए कम से कम एक समुदाय सम्पर्क समूह गठित किया जायेगा।

(2)समुदाय सम्पर्क समूह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा और उसके ऐसे उत्तरदायित्व होगें जो विहित किये जायें।

धारा 56 पुलिस कार्मिको का कल्याण –राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा पुलिस कार्मिको के कल्याण के लिए ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो समुचित समझे जाये।

धारा 57 पुलिस कार्मिको के कल्याण के लिए निधि (1)राज्य सरकार ,अधिसूचना द्वारा, पुलिस कार्मिको और उनके आश्रितों के कल्याण के प्रयोजन के लिए निधियों का गठन कर सकेगी।

(2) निधियाँ ऐसी रीति से उपयोजित, प्रशासित और संपरिक्षित की जायेगी जो विहित की जाये।

(3) निम्नलिखित राशियाँ निधियों मे जमा की जायेगी, अर्थात–

(क) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अनुदान

(ख) पुलिस कार्मिक द्वारा निधि मे किये गये अभिदाय, या

(ग) निधि के प्रयोजन के लिए किया गया कोई अन्य अनुदान, दान, उत्तरदान आदि।

धारा 58 पुलिस कल्याण ब्यूरों–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा कार्मिकों के कल्याण के लिए अध्युपायों के क्रियान्वयन के लिए एक पुलिस कल्याण ब्यूरों स्थापित कर सकेगी।

(2) पुलिस कल्याण ब्यूरों की संरचना, कृत्य और उत्तरदायित्व ऐसे होंगे जो विहित किये जाये।

धारा 59 पुलिस कार्मिकों की शिकायत का निवारण

1.राज्य सरकार पुलिस अधिकारियों की शिकायतों के निवारण के लिऐ तन्त्र या प्रक्रिया निहित करेगा।

2.ऐसा तन्त्र पुलिस जिला,रेंज,पुलिस महानिदेशक स्तर पर शिकायतों के निवारण के लिये व्यवस्था करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा की प्रत्येक पुलिस अधिकारी को यदि अपनी शिकायत निस्तारण से सन्तुष्ट न हो तो कम से कम एक अपील करने का अधिकार हो।

धारा 60 सडक इत्यादि पर कतिपय अपराधों के लिए दण्ड–कोई व्यक्ति जो किसी भी ऐसे कस्बे जिस पर राज्य सरकार द्वारा इस धारा का प्रसार विशेष रूप से किया जाये, की सीमाओं के भीतर किसी भी सडक या खुले स्थान या आम रास्ते में निवासीयों या यात्रियों को बाधा, असुविधा, क्षोभ, जोखिम , संकट या नुकसान पहुंचाने आदि निम्न लिखित अपराधो में से कोई भी अपराध करता है तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्वि पर पच्चास रूपये के अनधिक के जुर्माने या आठ दिन के कठोर श्रम सहित या रहित कारावास का भागी होगा और किसी पुलिस अधिकारी के लिये किसी भी ऐसे व्यक्ति को वारन्ट के बिना अभिरक्षा मे लेना विधिपूर्ण होगा, और किसी पुलिस अधिकारी के लिये किसी भी ऐसे व्यक्ति को वारन्ट के बिना अभिरक्षा मे लेना विधिपूर्ण होगा जिसने उसकी दृष्टि मे ऐसा कोई भी अपराध किया हो,

पहला –पशुओ का वध, उग्र सवारी इत्यादि–कोई व्यक्ति जो किसी पशु का वध करता है या किसी पशु शव को साफ करता है, कोई व्यक्ति जो किसी पशु की अंधाधुंध या बेतहाशा सवारी करता है या चलाता है या किसी घोडे या अन्य पशु को उग्रता से प्रशिक्षित करता या फेरता है।

दूसरा– पशुओं के प्रति क्रूरता–कोई व्यक्ति जो किसी पशु व बेलगाम रूप से या क्रूरतापूर्वक प्रहार करता है दुरूपयोग करता है या उसे यातना देता है।
तीसरा–यात्रियों को बाधा पहुंचाना–कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से किसी पशु या वाहन को लदाई या उतराई के लिये या यात्रियों को बिठने या उतारने के लिये अपेक्षित समय से अधिक समय तक खडा रखता है या जो किसी वाहन को ऐसे ढंग से छोड देता है जिससे जनता को असुविधा या संकट हो:
चौथा– माल को बिक्री के लिये अरक्षित रूप से खुला छोड देना –कोई व्यक्ति जो किसी माल को बिक्री के लिये अरक्षित रूप से खुला छोडता है:
पांचवा– मार्ग मे कचरा फेंकना–कोई व्यक्ति जो गंदगी, कूडा–करकट, मलबा या कोई पत्थर या भवन निर्माण सामग्री फेंकता है या गिराता है या जो किसी गौशाला, अस्तबल का या ऐसा ही कोई सन्निमार्ण करता है या जो किसी गृह, कारखाने या गोबर डालने के स्थान से घृणोत्पादक पदार्थ निकलने देता है:
छठा–बलवा करते हुए पाये जाना– कोई व्यक्ति जो बलवा करते हुए पाये जाये।
सातवा–शरीर का अशिष्ट अभिदर्शन–कोई व्यक्ति जो जान बूझकर और अशोभनीय रूप से अपने शरीर को या किसी भी संतापकारी, निःशक्तता या रोग को अभिदर्शित करता है या स्वयं के सुखाचार से या किसी तालाब या जलाशय मे स्नान करके या कपडे धोकर , जो इस प्रयोजन के लिये पृथक से निर्धारित स्थान न हो, उपताप कारित करता है।
आठवां–सकंटमय स्थानो को सरंक्षित करने में उपेक्षा–कोई व्यक्ति जो किसी कुए, तालाब या अन्य संकटमय स्थान या ढांचे में बाड लाने या सम्यक रूप से सरंक्षित करने मे उपेक्षा करता है।
धारा 60 क– मत्त पाये जाने के लिये दण्ड– कोई व्यक्ति जो किसी भी ऐसे कस्बे जिस पर राज्य सरकार द्वारा इस धारा का प्रसार विशेष रूप से किया जाये, की सीमाओ के भीतर किसी भी सडक या खुले स्थान पर या मार्ग या आम रास्ते में मत्त पाये जाये और स्वयं की देखरेख करने में इतना असमर्थ हो कि निवासीयों, यात्रियों को बाधा, असुविधा, क्षोभ, जोखिम संकट या नुकसान हो तो वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्दि पर , प्रथम अपराध के लिये 500 रूपये के अनधिक के जुर्माने का पश्चावर्ती दो अपराध के लिये पांच हजार रूपये से अनधिक के जुर्माने का और तीसरे अपराध के लिये दोष सिद्दि के बाद प्रत्येक पश्चावर्ती अपराध के लिये दस हजार रूपये से अनधिक के जर्माने का या आठ दिवस से अनधिक के कठोर श्रम सहित या रहित कारावास का भागी होगाः और किसी पुलिस अधिकारी के लिये किसी भी ऐसे व्यक्ति को वारन्ट के बिना अभिरक्षा में लेना विधिपूर्ण होगा जिसने उसकी राय में ऐसा अपराध कारित किया हो।
धारा 61 पुलिस वर्दी का अप्राधिकृत उपयोग– जो कोई भी पुलिस अधिकरी न होते होते हुए राज्य सरकार या यथास्थिति राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए बिना पुलिस वर्दी या ऐसी कोई पोशाक,जो उस वर्दी के रूप की है जा जिस पर उसके कोई सुभिन्न चिन्ह अंकित है, पहनता है तो वह दोषसिद्धि होने पर छह माह से अनाधिक के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

पुलिस की जवाबदेही

धारा 62 पुलिस की जवाबदेही–(1)राज्य सरकार,यथासंभव शीघ्र एक राज्य पुलिस जवाबदेही समिती (जिसे इसमे इसके आगे राज्य समिति के रूप मे निर्दिष्ट किया गया है) और प्रत्येक जिले या जिलो के समूह के लिए जिला जवाबदेही समिति (जिसे इसमें इसके आगे जिला समिति के रूप मे निर्दिष्ट किया गया है) स्थापित करेगी।
(2) इस धारा के अधीन स्थापित समितियो के अध्यक्ष और सदस्यो को ऐसे पारिश्रमिक और जेब से किये गये व्यय का संदाय किया जा सकेगा जो राज्य सरकार समय–समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करें।
धारा 63 राज्य समिति–(1)राज्य समिति में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट निम्नलिखित पांच सदस्य होगेः–
(क)लोक संव्यवहार मे अनुभव रखने वाले सुविख्यात और एकता मे विश्वसनीय अभिलेख और स्वतंत्रता सदस्यो के रूप में मानवाधिकारो के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले चार व्यक्तिः
परन्तु एक स्वतंत्र सदस्य समाज के कमजोर वर्ग से और एक महिलाओं में से होगा।
(ख)अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस की पंक्ति का एक अधिकारी उसके सदस्य–सचिव के रूप में नियुक्त करेंगी।
(ग)राज्य सरकार स्वंतत्र सदस्यों में से किसी एक को राज्य समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी।
(2)राज्य समिति को ऐसी सचिवीय सहायता उपलब्ध करवायी जा सकेगी जो कि राज्य सरकार समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करें।
धारा 64 राज्य समिति के कृत्य– राज्य समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगें–

(क)पर्यवक्षेण पंक्ति के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध घौर अवचार के अभिकथनों की या तो स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित या उनकी और किसी व्यक्ति द्वारा या जिला समिति से प्राप्त किसी शिकायत पर, जांच करना (ख)जहां कहीं भी अपेक्षित हो, उसके द्वारा जांच किये गये किसी मामले में राज्य सरकार को सिफारिशें करना।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजन के लिए घौर अवचार से निम्नलिखित अभिप्रेत हैः–

(1) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लोप या कारण का ऐसा कोई असद्भाविक कार्य जो–

(1) घोर अपहति ,

(2) अवैध निरोध, या

(3) ऐसे किसी भी अपराध जिसके लिए विधि में विहित अधिकतम दण्ड दस वर्ष या उससे अधिक है–में परिणत होता है या उसकी कोटि में आता हैं, या

(2)– किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उद्‌दापन ।

धारा 65 राज्य पुलिस जवाबदेही समिति की शक्तियां– राज्य पुलिस जवाबदेही समिति को इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय वही शक्तियां होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) के अधीन किसी न्यायालय को वाद का विचारण करते समय होती है अर्थात्

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना

(ख) दस्तावेजों के पेश किये जाने के लिए बाध्य करना और

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ।

और समिति के समक्ष की कार्यवाहियों भारतीय न्याय संहिता 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं 45) की धार 229, 233 और 267 के अर्थातन्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जायेंगी।

धारा 66 जिला समिति–जिला समिति में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित पांच सदस्य होगे–

(क)लोक संव्यवहार में अनुभव रखने वाले सुविख्यात और एकता में विश्वसनीय अभिलेख और स्वतंत्र सदस्यों के रूप में मानाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले चार व्यक्ति :

(ख)अपर पुलिस अधीक्षक की पंक्ति का एक अधिकारी इसके सदस्य–सचिव के रूप में होगा

(ग)राज्य सरकार स्वतंत्र सदस्यों में से किसी एक को जिला समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी।

धारा 67 जिला समिति के कृत्य– जिला समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगीं :–

(क)अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस कार्मिक के विरूद्ध घौर अवचार के अभिकथनों की या तो स्वप्रेरणा से या शिकायत पर जांच करना और अपनी सिफारिशें सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजनाः

परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी समिति द्वारा की गयी सफिारिशों पर तीन मास की कालावधि के भीतर–भीतर विनिश्चय करेगा और विनिश्चय की प्रति समिति को भी सूचना के लिए भेजेगा,

(ख)अधीनस्थ पंक्तियों के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांचो को मॉनिटर करना, या

(ग)पर्यवेक्षण पंक्ति के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त की गयी शिकायतों और ऐसे अन्य मामलों, जिन्हें वह ठीक समझे को राज्य समिति को निर्दिष्ट करना

धारा 68समितियों के स्वतंत्र सदस्यों की पदावधि– (1) राज्य समिति या जिला समिति के स्वतंत्र सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी और कोई भी स्वतंत्र सदस्य उसकी समिति में दूसरी अवधि के लिए नामनिर्दिशित नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार ,राज्य समिति या जिला समिति के किसी भी स्वतंत्र सदस्य को हटा सकेगी ,यदि वह धारा 69 में विनिर्दिष्ट कोई निरर्हता उपगत कर लेता है वह स्वतंत्र सदस्य के रूप में उस पर व्यादिष्ट कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है।

धारा 69 स्वतंत्र सदस्य के रूप में नामनिर्दशन के लिए निरर्हता– कोई व्यक्ति ,राज्य समिति के या जिला समिति के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने का पात्र नहीं होगा यदि वह–

(क) भारत का नागरिक नहीं है।

(ख) किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है या जिसके विरूद्ध किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अन्तवर्लित किसी अपराध के आरोप विरचित किये हैं

(ग) किसी भी लोक सेवा से पदच्युत, हटाया या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया है।

(घ) किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है।

(ड.) विकृत चित हैं, या

(च) संसद या किसी राज्य विधान–मण्डल या स्थानीय निकाय का सदस्य है या रहा है या किसी भी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दल से संशक्त किसी संगठन का पदाधिकारी है या रहा है या किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध किसी संगठन का सदस्य है या रहा है।

धारा 70 कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां–(1)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023(2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 46) और अन्य सुसंगत विधियों के उपबंधों के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के लिए पुलिस के साथ जिला प्रशासन की अन्य एजेन्सियों के कृत्यकरण का निम्नलिखित से संबंधित मामलों के संबंध में समन्वय करना विधिपूर्ण होगाः–

(क) जिले में लोक शांति और प्रशांति में विध्न;

(ख) भूमि विवादों का निपटारा;

(ग) किसी भी लोक निकाय के निर्वाचनों का संचालन;

(घ) प्राकृतिक आपदाओं से निपटाना और उसके द्वारा प्रभावित लोगों का पुनर्वास करना;

(ड) किसी भी बाह्य आक्रमण क्या आंतरिक उपद्रवों से उत्पन्न होने वाली स्थितियां;

(च) ऐसा ही कोई मामला, जो किसी एक विभाग के क्षेत्र में नहीं है और जिले की जनता के सामान्य कल्याण को प्रभावित करता है; और

(छ) किसी भी लोक शिकायत को दूर करना।

(2) उप–धारा (1) में दिये मामलों में जिला मजिस्ट्रेट,पुलिस या अन्य एजेंसियों द्वारा स्थितियों के बारे में कार्यवाही करने में किए गए उपायों के बारे में रिपार्ट मंगवा सकेगा और उस मामले के संबंध में पुलिस को और संबंधित एजेंसी को ऐसे निर्देश प्रदान करेगा जो उसके (जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा आवश्यक समझे जायें।

धारा 71 नियम बनाने की शक्ति–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2)इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात ,यथाशक्य शीघ्र ,राज्य विधान के सदन के समक्ष,जब वह सत्र में हो, चौदह दिन की ऐसी कालावधि के लिए रखे जाएंगे जो एक सत्र या दो उतरोतर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि ऐसे सत्र जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या इसके ठीक बाद आने वाले सत्र की समाप्ति के पूर्व ,राज्य विधान मण्डल का सदन ऐसे किसी भी नियम में उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो ऐसे नियम तत्पश्चात ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नही होगा,तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलकरण इसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3)इस अधिनियम के अधिन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

धारा 72 कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति– (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है,तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम से अंसगत न होने वाले ऐसे उपबंध, जिन्हें वह कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन समझें, बना सकेगीः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना इसके जारी होने के पश्चात यथाशक्यशीघ्र विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

धारा 73 निरसन और व्यावृतियां– (1)भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का अधिनियम सं. 5) राजस्थान राज्य में उसके लागु होने के संबंध में और राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश, 1949 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया निरसन, इस प्रकार निरसित अधिनियमित के पूर्व प्रवर्तन और ऐसी अधिनियममित के उपबंधो के अधीन की गयी किसी बात या की गयी कार्यवाही या की गयी या की गयी समझी गयी बात या कार्यवाही (जिसमें की गयी कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन या जारी की गई अधिसूचना, आदेश या जारी किया गया नोटिस बनाये गये विनियम या नियम सम्मिलित हैं), पर उस सीमा जिस तक वह इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत न हो, इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन की गयी समझी जायगी और तब तक प्रवत रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्यवाही द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाए, कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

राजस्थान पुलिस नियम 2008 (7,8,9,12,13,14)

7. अदावाकृत सम्पत्ति

(1) उसके द्वारा पायी गयी या उसको सौंपी गयी अदावाकृत सम्पत्ति का प्रभार लेने वाला पुलिस अधिकारी एक तालिका तैयार करेगा जिसमें प्रभार में लेने के समय और स्थान और सम्पत्ति की मात्रा और पहिचान के बारे में विशिष्टयां अन्तर्विष्ट होंगी और तालिका पर सम्पत्ति का प्रभार लेना साक्ष्यित करने वाले दो व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगें। फर्द बनाऐगा।

(2) अदावाकृत सत्पत्ति का प्रभार लेने वाला पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सम्पत्ति का उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी तालिका के साथ यथासाध्य शीघ्रता से परिदान करेगा या परिदान करवायेगा। संबंधित थाने के थानाधिकारी को सुपुर्द करेगा।

(3) उप नियम (2) के अधीन अदावाकृत सम्पत्ति प्राप्त करने वाला पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी साधारण डायरी में प्रविष्टि करेगा या करवायेगा जिस पर ऐसी सम्पत्ति का परिदान करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। रोजनामचा में प्रविष्टि।

(4) पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी अदावाकृत सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

8. अदावाकृत सम्पत्ति का व्ययन –

1 अदावाकृत सम्पत्ति प्राप्त करने वाला पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो पुलिस महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, जिला पुलिस अधीक्षक या यथास्थिति, उप पुलिस आयुक्त को 15 दिन के भीतर –भीतर भेजेगा।

2 यदि अदावाकृत सम्पत्ति या उसका कोई भी भाग शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या उसमें पशुधन है तो पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी एक रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक या यथास्थिति, उप पुलिस आयुक्त को अविलम्ब भेजेगा और उसको जिला पुलिस अधीक्षक या यथास्थिति उप पुलिस आयुक्त के आदेशों के अधीन नीलामी द्वारा तत्काल बेचा जायेगा और उसके विक्रयागन सरकारी खाते में जमा किये जायेंगे।

3 जहां उप नियम (1) या (2) के अधीन प्रभारी अधिकारी द्वारा कोई रिपोर्ट भेजी जाती है वहां जिला पुलिस अधीक्षक या यथा स्थिति उप पुलिस आयुक्त एक उद्घोषणा जारी करेगा जिसमें ऐसी सम्पत्ति का ब्यौरा विनिर्दिष्ट किया जायेगा और यह अपेक्षा की जायेगी कि कोई भी व्यक्ति जो उस सम्पत्ति के प्रति दावा रखता है, उसके या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष ऐसी घोषणा की तारीख से तीन मास के भीतर–भीतर उपसंजात होगा और अपना दावा सिद्व करेगा।

स्पष्टीकरण :– उद्घोषणा से ऐसी उद्घोषणा जारी करने वाली पुलिस अधिकारी अधिकारिता के समस्त पुलिस थानों पर प्रमुख स्थान पर और पुलिस विभाग की वेबसाइट पर और यदि ऐसी किसी भी सम्पत्ति 23 का अनुमानित मूल्य पचास हजार रूपये से अधिक है तो एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा अदावाकृत सम्पत्ति के विवरण और ब्यौरे सहित, एक आम सूचना जारी करना अभिप्रेत है।

4 उपनियम (3) के अधीन उद्घोषणा जारी करने से पूर्व किसी भी तारीख पर, जिला पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस आयुक्त या यथास्थिति उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भी दावेदार को, ऐसे दावेदार के ऐसी सम्पत्ति का कब्जा रखने या प्रशासन करने के स्वत्व का समाधान करने पर सम्पत्ति के परिदान का आदेश कर सकेगा।

5 जिला पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस आयुक्त या यथास्थिति, उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, उप नियम (4) के अधीन कोई भी आदेश करने से पूर्व, स्वविवेकानुसार उस व्यक्ति से, जिसको उक्त सम्पत्ति का परिदान किया जाना है, ऐसी प्रतिभूति, जो वह उचित समझे, ले सकेगा और इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट कोई बात उस व्यक्ति से, जिसको ऐसे आदेश के अनुसरण में यह परिस्थत की गयी हो सम्पूर्ण या उसके किसी भी भाग को वसूल करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

6 जहाँ किसी भी ऐसी व्यक्ति से, जिसका सम्पत्ति के लिए दावा है, उप –नियम (3) के अधीन उद्घोषाणा द्वारा जिला पुलिस अधीाक्षक या यथास्थिति उप पुलिस आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष इस निमित उपसंजात होने और अपने दावे को सिद्व करने की अपेक्षा की जाती है वहाँ ऐसा अधिकारी अपने समक्ष की कार्यवाही का अभिलेखन, उस पर अपने निष्कर्षों सहित, जिला पुलिस अधीक्षक या यथास्थिति उप पुलिस आयुक्त को अग्रेषित करेगा।

7 जिला पुलिस अधीक्षक या यथास्थिति, उप पुलिस आयुक्त, उप –नियम (3) के अधीन जारी उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति सौंपने या यथास्थिति यदि संपत्ति के कब्जे या प्रशासन के किसी भी दावेदार के स्वत्व का समाधान करने व उसको सम्पत्ति को उपनियम (2) के अधीन बेच दिया गया है तो, विक्रयागमों का संदाय करने के लिए आदेश कर सकेगा।

8 जिला पुलिस अधीक्षक या यथास्थिति उप पुलिस आयुक्त, उप नियम (7) के अधीन कोई भी आदेश करने से पूर्व, स्वविवेकानुसार, उस व्यक्ति से जिसको उक्त सम्पत्ति का परिदान या विक्रयागमों का संदाय किया जाना है, ऐसी प्रतिभूति, जो वह उचित समझे, ले सकेगा और इस में इसके पूर्व अन्तर्विष्ट कोई बात उस व्यक्ति से जिसको ऐसे आदेश के अनुसरण में यह परिदत्त या संदत्त की गयी हो, सम्पूर्ण या उसके किसी भी भाग को वसूल करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।
9 यदि उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर –भीतर कोई भी व्यक्ति अपना दावा सिद्ध नहीं करता है तो सम्पत्ति या उप – नियम (2) के अधीन निक्षिप्त विक्रयागम राज्य सरकार के व्ययनाधीन रहेंगे और ऐसी सम्पत्ति, यदि उप–नियम (2) की अधीन बेची नहीं गयी है, जिला पुलिस अधीक्षक या यथास्थिति, उप पुलिस आयुक्त के आदेशों के अधीन नीलामी द्वारा बेची जा सकेगी। उसके विक्रयागम सरकारी खाते में जमा किये जायेंगे।
10 यदि अदावाकृत सम्पत्ति के किन्हीं भी विक्रयागमों के लिए सरकार से कोई भी दावा किया जाता है और यदि ऐसा दावा रैंज के पुलिस महानिरीक्षक या यथास्थिति, पुलिस आयुक्त के समाधानप्रद रूप से चाहे पूर्णतः या अंशतः सिद्ध हो जाता है तो सरकार रैंज के पुलिस महानिरीक्षक या यथानिरीक्षक या यथास्थिति, पुलिस आयुक्त द्वारा अवधारित रकम का दावेदार को संदाय करेगी।

9. साधारण डायरी :–

(1) समस्त पुलिस थाने, जिला पुलिस अधीाक्षक या उप पुलिस आयुक्त द्वारा पुलिस थाने को जारी उपयुक्त पृष्ठों वाली पुस्तिका में एक साधारण डायरी रखेंगे। ऐसी पुस्तकों में समस्त पृष्ठों को ऐसी रीति से संख्यांकित किया जायेगा जिससे कार्बन प्रति प्रक्रिया द्वारा दो प्रतियों में साधारण डायरी रखने की व्यवस्था हो सके:
परन्तु साधारण डायरी इलक्ट्रोनिक रूप में रखी जा सकेगी।
(2) साधारण डायरी में समस्त प्रविष्टियां पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की जायेगी। साधारण डायरी में कोई भी प्रविष्टि करने वाले अधिकारी, ज्यों ही डायरी में प्रविष्टियां की जायें, अपने हस्ताक्षर करेगा और इसके ठीक नीचे पृष्ठ के आरपार एक रेखा खींचेगा।
(3) पुलिस महानिदेशक ऐसे घण्टे जब डायरी दैनिक बन्द की जायेगी, नियत करेगा और ऐसी सूचना और ऐसा प्ररूप जिसमें ऐसी सूचना प्रत्येक दिन के प्रारंभ पर साधारण डायरी में प्रविष्टि की जानी है, भी विनिर्दिष्ट करेगा।
(4) साधारण डायरी, ऐसी समस्त घटनाओं , जो पुलिस थाने में होती है, का पूर्ण अभिलेख होना आशयित है जिसमें समस्त पुलिस अधिकारियों के पंचलन और क्रिया कलापों, बाह्य व्यक्तियों चाहे सरकारी या गैर सरकारी हों के निरीक्षण को लेखबद्व करना चाहिए।
(5) पुलिस अधिकारियों की जानकारी में की प्रत्येक घटना साधारण डायरी में प्रविष्टि की जायेगी। संज्ञेय अपराध की घटना के संबंध में प्राप्त कोई भी सूचना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 के अधीन की गयी कार्रवाई के ब्यौरों सहित, साधारण डायरी में संक्षेप में लेखबद्व की जायेगी।
(6) असंज्ञेय अपराध, लापता व्यक्तियों या सम्पत्ति के संबंध में मौखिक रूप से प्राप्त परिवादों की सूचना साधारण डायरी में लेखबद्ध की जायेगी। यदि ऐसी सूचना लिखित प्राप्त हो तो साधारण डायरी में इसके प्रति निर्देश किया जायेगा।
(7) साधारण डायरों में की गयी प्रत्येक प्रविष्टि को एक पार्श्व शीर्षक दिया जायेगा और मासिक खला में संख्यांकित किया जायेगा।
(8) पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी साधारण डायरी से सही और समय पर प्रविष्टियां लेखबद्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा।
(9) साधारण डायरी प्रत्येक दिन बन्द की जायेगी और इसकी एक प्रति वृत्त के भारसाधक पुलिस अधिकारी को यथाशक्य शीघ्र प्रेषित की जायेगी।
(10) साधारण डायरी चौकी द्वारा भी रखी जायेगी और चौकी के भारसाधक अधिकारी द्वारा लिखी जायेगी। इसमें पुलिस कार्मिकों का संचलन और उनके द्वारा प्राप्त कोई भी सूचना लेखबद्व की जायेगी।
(11) चौकी की साधारण डायरी की एक प्रति संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रतिदिन प्रस्तुत की जायेगी। पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का कर्तव्य होगा कि उसका परिशीलन करे और आवश्यक कार्रवाई करे।
(12) पुलिस महानिदेशक साधारण डायरी में अन्य सूचना लेखबद्ध करने के संबंध में समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगा।

12 समुदाय संपर्क समूह के सदस्यों की सूचीबद्धता :–

(1) समुदाय संपर्क समूह ग्राम पंचायत स्तर और पुलिस थाना स्तर पर गठित किया जायेगा। पंचायत स्तर के समुदाय संपर्क समूह में 5 सदस्य और पुलिस थाना स्तर के समुदाय संपर्क समूह में 30 सदस्य होंगे।

(2) समुदाय संपर्क समूह के एक –तिहाई सदस्य प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के अन्त में निवृत्त होंगे।

(3) समुदाय संपर्क समूह में समस्त वर्गों और समस्त श्रेणियों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रत्येक समुदाय संपर्क समूह में महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों प्रत्येक में से कम से कम दो प्रतिनिधि होंगे।

(4) समुदाय संपर्क समूह में केवल पंचायत या यथास्थिति, पुलिस थाने की अधिकारिता के स्थानीय निवासियों को सदस्य के रूप में लिया जायेगा। वह सम्माननीय नागरिक होना चाहिए और उसका नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए।

(5) किसी व्यक्ति को समुदाय संपर्क समूह का सदस्य नहीं बनाया जायेगा, यदि–

(क) उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो,

(ख) उसके विरूद्ध दाण्डिक अपराध का कोई मामला दर्ज है और या तो अन्वेषण के अधीन या विचारण के अधीन लम्बित है।

(ग) वह किसी राजनीतिक दल या उसके सहबद्ध दल का सदस्य है।

(घ) उसके किसी भी अपराध क्रियाकलाप में अन्तर्वलित होने का सन्देह है या उसका अपराधियों के साथ सहयोजन है।

(ड) वह सम्पति और भूमि विवादों और अन्य वादकरण में अन्तर्वलित है।

(6) समुदाय संपर्क समूह के सदस्यों को संबंधित पुलिस थाने और पुलिस वृत्त के भारसाधक अधिकारी क सिफारिशों पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

13. समुदाय संपर्क समूह का कृत्यकरण :– (1) पुलिस थाने का भरसाधक अधिकारी पुलिस थाना स्तर के समुदाय संपर्क समूह के सचिव के रूप में और गश्ती कांस्टेबल पंचायत स्तर के समुदाय संपर्क समूह के सचिव के रूप में कार्य करेगा। सदस्यों में से एक संयोजक और एक सहसयोजक के नाम निर्देशित किया जायेगा। वे एक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

(2) पुलिस थाना स्तर के समुदाय संपर्क समूह की बैठक 2 मास मे कम से कम एक बार और पंचायत स्तर के समुदाय संपर्क समूह की बैठक एक मास में एक बार होगी। समुदाय संपर्क समूहों की बैठकों की कार्यवाहियां उस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में लेखबद्ध की जायेंगी।

(3) यदि कोई भी सदस्य राजनीतिक क्रियाकलापों में अन्तर्वलित हुआ पाया जाता या समुदाय संपर्क समूह की बैठकों में भाग नहीं लेता है उसने नियम 12 के उप नियम (5) में यथा उल्लिखित कोई भी निर्रहता उपगत कर ली है तो उसे समुदाय संपर्क समूह से हटा दिया जायेगा।

(4) जिला पुलिस अधीक्षक किसी भी सदस्य को समुदाय संपर्क समूह से किसी भी समय हटा सकेगा यदि वह लेखबद्ध किये जो वाले किसी भी कारण से उसे अयोग्य समझता है।

14. समुदाय संपर्क समूह के कर्तव्य और उतरदायित्व :– समुदाय संपर्क समूह और इसके सदस्य

(क) पुलिस समुदाय संबंध सुधारने में पुलिस की सहायता करेंगे।

(ख) लोगों द्वारा सामना की गई पुलिस से सम्बन्धित समस्याओं को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष लायेंगे और समाधान खोजने में सहायता करेंगे।

(ग) अपराधियों को पकड़ने में और अपराध निवारण उपायों में पुलिस की सहायता करेंगे।

(घ) जनचेतना कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

(ड) अपराध सम्बन्धी आसूचना के संग्रहण में पुलिस को सहायता देंगे।

(च) किसी भी ऐसी उद्‌घटना, जिससे लोक शान्ति प्रभावित होने की संभावना हो, गश्ती कांस्टेबल या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के ध्यान में लायेंगे।

(छ) अपने क्षेत्र के भीतर किसी भी पुलिस अधिकारी के कदाचार से उसके वरिष्ठों को अवगत करायेंगे।

(ज) साम्प्रदायिक सौहार्द, और विधि और व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की सहायता करेंगे।

(झ) साम्प्रदायिक तनाव, धार्मिक उत्सवों, जुलूसों, रैलियों, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और किसी भी अन्य स्थिति में जब ऐसा करने की अपेक्षा की जाये, पुलिस को सहायता देंगे।

(ञ) संचार और सूचना को, जब भी ऐसा करने की अपेक्षा की जाये, गुप्त रखेंगे और

(ट) मामलों के अन्वेषण में और सामान्य पुलिस कृत्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

4.कानि. की पुलिस थाने पर लिपिकीय, कोर्ट लिपिकीय तथा अनुसंधान सहायक की भूमिका, केस ऑफीसर स्कीम।

01. कानि0 की रेकार्ड संधारण लिखने में H.M./D.O.की सहायक के रूप में ड्यूटी–जहां तक सम्भव हो रोजनामचा एच.एम. लिखता है, मगर उसकी सहायतार्थ एक शिक्षित कानिस्टेबल को लगाया जाता है। एच. एम. के पास कार्य अधिक होने से शिक्षित कानिस्टेबल रोजनामचा लिखने में व अन्य रिकॉर्ड संधरण करने में एच.एम. की सहायता करता है। इसी प्रकार डीओ के साथ भी टेलीफोन सुनने में रिकॉर्ड संधारण में तथा अन्वेषण में लिखापढ़ी में डीओ की सहायता भी करता है। थाना पर प्रतिदिन रोजनामचा लिखने में व डीओ के साथ एक कानिस्टेबल मुर्कर किया जाता है।

02 कानि. की कोर्ट सहायक की ड्यूटी – प्रत्येक थाना से एक कानिस्टेबल कोर्ट ड्यूटी के लिए लगाया जाता है। जो प्रतिदिन थाना से न्यायालय की डाक, समन/वारन्ट, ब्रिफ की फाईलें, चालान, एफआईआर की पत्रावलियां इस्तगासे वगैरा न्यायालय में ले जाता है, सम्बन्धित न्यायालय में पेश करता है तथा न्यायालय में रीडर–बाबु एवं एपीपी से समन्वय बनायें रखता है। तथा न्यायालय से डाक प्राप्त कर न्यायालय के आदेश निर्देश ब्रिफ तैयारशुदा पत्रावलियां डाक लेकर वापिस थाना में एसएचओ को पेश करता है। पुलिस का काफी कार्य अदालत से संबंधित होता है जैसे–पुलिस ब्रीफ तैयार करवाना, सम्मन वारन्ट प्राप्त कर उन्हें तामील करवाना, गिरफ्तार मुलजिमों को न्यायालय में पेश कर रिमांड प्राप्त करना, एफ.आर. चालान पेश करना, मालखाना निस्तारण के आदेश प्राप्त करना इत्यादि। प्रायः प्रत्येक थाने से एक कानि. अदालती कार्यों के लिए मुकर्र होता है जो प्रतिदिन न्यायालय जाता है व पुलिस थाने से संबंधित अदालती कार्य करवाता है। वह थानाधिकारी की तरफ से तैयार पुलिस ब्रीफ ए.पी.पी. से तैयार करवाता है तथा न्यायालय से समन वारन्ट प्राप्त कर थाने पर लाता है तथा बाद तामील या अदम तामील जैसी भी सूरत हो को वापस न्यायालय में पेश करता है। इसके अतिरिक्त थानाधिकारी की तरफ से एफ.आर.चालान, इस्तगासा, इत्यादि पेश करता है न्यायालय से प्राप्त डाक पर थाने से भेजे जाने वाले जवाब व प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश करता है। वह न्यायालय के कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित कर थाने के अदालती कार्य संपन्न करवाता है। फैसला शुदा पत्रावलियों को अदालत से प्राप्त करता है तथा अभियुक्तों को पेश करवाना इत्यादि अदालती कानि.के प्रमुख कर्तव्य हैं।

केस ऑफिसर स्कीम–राजस्थान पुलिस के द्वारा केस ऑफिसर स्कीम लागू की गई जिसमें संगीन प्रवृति के बदमाश व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में ट्रायल के दौरान कोई गवाह उस बदमाश व्यक्ति के बहकावे में आकर पक्षद्रोही हो जाता है जिससे मुकदमे पर विपरीत असर पड़ता है उस गवाह को पक्षद्रोही होने से बचाते हुए अपराधी के खिलाफ ठोस गवाही दिलाई जाने के प्रयास किये जाते है।ऐसे केस को इस स्कीम में लिया जाकर न्यायालय में अन्वेषण के दौरान अपराधी द्वारा अपने खिलाफ पेश होने वाले साक्ष्य को बचाने के लिए जो प्रयास किये जाते है, उन प्रयासों से उसको वंचित किया जाकर न्यायालय में ठोस साक्ष्य दिलाते हुए अपराधी को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाई जाने हेतु प्रकरण को सफल बनाने की जो पेरवी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है उसे केस ऑफिसर स्कीम कहा जाता है।

संगीन, सगंठित व गम्भीर प्रवृति के अपराधों में न्यायालय में मामले की पैरवी एवं पर्यवेक्षण हेतु तथा अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा स्थाई आदेश संख्या **6/2006** जारी हुआ।

इस स्कीम के तहत निम्न निर्देश दिये गए है–

1. अनुसंधान के दौरान अभियोजन की राय ली जाए ताकि प्रकरण से सम्बन्धित केस ऑफिसर द्वारा समस्त तथ्य जुटाये जा सके कोई भी तथ्य पीछे नहीं छुटे।
2. अनुसंधान पूर्ण करने के बाद भी अभियोजन शाखा से राय ली जावें।
3. चालान पेश करने के बाद केस ट्रायल पर निगरानी रखी जावे।
4. गवाह के सम्मन/वारन्ट समय पर जारी करवाने हेतु एपीपी की मदद ली जावें।
5. गवाहों के सम्मन/वारन्ट समय पर तामिल करवाये। गवाहों से सम्पर्क रखें ताकि उनको समय पर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु एवं अभियोजन की मदद के लिए प्रेरित किया जा सके।
6. एपीपी ढंग से पैरवी कर रहा है या नहीं इसका ध्यान रखा जावें।

आदतन अपराधियों के मामलों में बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, गौवध, हत्या, हत्या का प्रयास एवं डकैती आदि मामलों में पुलिस द्वारा प्रयास किया जाकर अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके। ऐसे मामलों में ही केस ऑफिसर नियुक्त किया जाना चाहिये।

स्थाई आदेश– 6/2006

प्रायः आदतन एंव पेशेवर अपराधियों के भय के कारण गवाह उनके विरुद्व साक्ष्य देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते जिससे उनके विरुद्व दर्ज बहुत कम अपराधों में सजा हो पाती है। इससे आपराधिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा जनता में असुरक्षा एंव भय की भावना घर कर लेती है। साथ ही पुलिस की कार्य कुशलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। यह योजना अपराधियों की सक्रिय गतिविधियो पर अंकुश लगाने, संगठित एवं गम्भीर अपराधो पर काबू पाने तथा जनता में ऐसे अपराधों एवं अपराधियों से असुरक्षा एवं भय के वातावरण को दूर करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के सार्थक परिणामो के दृष्टिगत भविष्य में इसके प्रभावी निष्पादन हेतु निम्नाकिंत निर्देश दिये जाते है।

केस ऑफिसर योजनाः–केस ऑफिसर योजना के अर्न्तगत सनसनीखेज एवं गम्भीर अपराधों तथा पेशेवर एवं आदतन अपराधियों के विरूद्ध अन्वीक्षाधीन प्रकरणों को चयनित कर उन प्रकरणो में केस ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। केस ऑफिसर का कार्य प्रकरण की अन्वीक्षा के दौरान केस की प्रगति पर निकट निगरानी रखता , अभियोजक एवं गवाहो से निकट सम्पर्क रखना तथा यह सुनिश्चित करना है कि अदालत में पेश होने वाले साक्ष्य समय पर एवं बिना व्यवधान के पेश हो। इसके अतिरिक्त केस ऑफिसर स्वयं द्वारा एवं अभियोजक के मार्फत अदालत से सम्पर्क कर प्रकरण में शीघ्र निस्तारण हेतु जल्दी पेशिया करवाने का हर संभव प्रयास करेगा। माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान द्वारा भी समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधिशो को केस ऑफिसर योजना के प्रकरणों को प्राथमिकता देने हेतु निर्देश पत्र क्रमांक gen/XV/07/05/669 दिनांक 10.04.06 द्वारा जारी कर दिये गये है।

योजना के मुख्य बिन्दुः

क. केस का चयनः– सही केस का चयन इस योजना को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है अतः केस के चयन के समय निम्न बिंदुओ पर गौर किया जावेः–

1.केस का चयन करते समय सर्वप्रथम ऐसे अपराधियों को चिन्हित करना चाहिए जिनसे आम जनता में भय व्याप्त हो तथा जिनसे लोग अपनी शारीरिक एवं सम्पति की सुरक्षा बाबत् आशाकिंत हो।

2.ऐसे व्यक्ति जो आदतन अपराधी हो तथा संगठित आपराधिक गिरोह के सरगना/सदस्य हों अथवा ऐसें गिरोह तैयार कर रहे हो।

3. अपराधी का चयन करने के पश्चात उसके विरूद्ध अदालत में विचाराधीन प्रकरणों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा ऐसे एक या दो प्रकरण जिसमें साक्ष्य सबसे सुदृढ़ हो और सजा मिलने की संभावना सर्वाधिक हो, का चयन कर उन पर एक केस ऑफिसर नियुक्त करना चाहिएं। आदतन अपराधी के विरूद्ध दो मामले लेने लाभदायक रहते है ताकि अगर एक में बरी हो अथवा पी. ओ एक्ट का फायदा मिले तो दूसरे में सजा मिल सकती है।

4. सामुहिक बलात्कार, बच्चियों के साथ बलात्कार के ऐसे प्रकरण जो जनता में चर्चा का विषय रहे हो तथा जिनसे जनमानस उद्वेलित हुआ हो, को इस योजना के अर्न्तगत लिया जावे।

5. गोवध से संबंधित प्रकरणों को भी केस ऑफिसर योजना में सम्मिलित किया जावे।

प्रकरणो का चयन एक निरन्तर प्रकिया रहेगी तथा जैसे–जैसे न्यायालय से प्रकरण निर्णित होते है, नये प्रकरण चंयनित कर योजना में सम्मिलित किए जाऐंगे।

वृताधिकारी/थानाधिकारी सनसनीखेज एवं गम्भीर अपराधो का अनुसंधान के समय ही इस योजना के तहत चयन कर लेगे तथा विशेष ध्यान देकर साक्ष्य एकत्रित करवाएगें व सुनिश्चित करेगें कि अनुसंधान में कोई कमजोरी न रह जावे।

जिन प्रकरणो में अभियुक्त का चालान 335 बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत किया गया है, उनको इस योजना के अर्न्तगत रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इनमें अभियुक्त की अदम मौजूदगी में न्यायालय में कोई कार्यवाही होने की संभावना नहीं रहती है।

केस ऑफिसर के कर्तव्यः

1. प्रत्येक केस में केस ऑफिसर मनोनीत होने के पश्चात् उक्त केस का भलीभांति अध्ययन करेगा तथा उस केस पर एक पत्रावली संधारित करेगा वह केस से संबंधित अदालत की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण लिखेगा, अदालत की ऑडरशीट की प्रतियां रखेगा, न्यायालय के आदेशों की पालना में उसके द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा लिखेगा व अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाही का उल्लेख करेगा।

2. केस ऑफिसर जिस अपराधी के केस पर नियुक्त हो उस अपराधी पर एक डोजियर भी संधारित करेगा। इस डोजियर में अपराधी से संबंधित निम्नलिखित सुचनाऐं होगी

(अ) नाम, वल्दियत, पता, टेलीफोन नम्बर

(ब) रिश्तेदारो, सहयोगियों, जमानतदारों, मित्रो के नाम, पते, पेशा, टेलीफोन नम्बर आदि

(स) अपराधी के संभावित शरणस्थल व छुपने के स्थान

(द) पूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड में प्र.सू.रि. व चार्जशीट की नकल

(य)अपराधी का तरीका वारदात व अपराध करने को क्षेत्र

(र) अंगुल चिह्न व फोटोग्रफ

3. केस ऑफिसर न्यायालय द्वारा जारी गवाहों के समन/ वारंट समय पर तामिल होकर न्यायालय में पहुंचना तथा गवाहों को समय पर न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेगा।

4. केस ऑफिसर प्रत्येक पेशी पर अदालत में उपस्थित रहेगा तथा अभियोजन की अभियोजन की कार्यवाही में आवश्यकतानुसार सहयोग करेगा।

5. केस ऑफिसर लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक से सम्पर्क रखकर सुनिश्चित करेगा कि प्रकरण की पैरवी सही ढंग से ही रही है तथा साक्ष्य न्यायलय में सही परिपेक्ष्य में प्रस्तुत की जा रही हैं।

6. केस ऑफिसर लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक को गवाह की याद्दाश्त ताजा करने में मदद करेगा।

7. केस ऑफिसर न्यायलय में प्रस्तुत होने वाले प्रादर्श समय पर एवं सही अवस्था में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

8. केस ऑफिसर जिन प्रकरणों में एफ.एस.एल.,एफ.पी.बी. आदि की रिपोर्ट प्राप्त होने में विलम्ब हो रहा हो, उन्हें पुलिस अधीक्षक के ध्यान में लाकर रिपोर्ट को प्राथमिकता के आधार पर मंगवाने की कार्यवाही करेगा।

9. केस ऑफिसर प्रकरण के समस्त गवाहान से सम्पर्क रखेगा तथा यह भी देखेगा कि उनको अपराधियों द्वारा प्रभावित नहीं किया जावे तथा वे अपराधियों के भय से ग्रसित ना हों अगर केस ऑफिसर कों पता लगे अथवा महसूस हो कि गवाह डरे हुए हैं तो उनकी सुरक्षा के पर्याप्त कदम उठायेगा। अगर अपराधियों द्वारा गवाहों को धमकाने/डराने की बात सामने आए तथा उनके प्रभावित होने की संभावना हो तो उनके विरूद्व अदालत में रिपोर्ट पेश कर आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही भी सुनिश्चित करेगा व जमानत खारिज कराने की कार्यवाही करायेंगे।

10. केस ऑफिसर अपराधी की आपतिजनक गतिविधियां, जिनकी सूचना उसको प्राप्त हुई हो, परन्तु किसी के द्वारा उन घटनाओं के बाबत रिपोर्ट नहीं की गई हो, की रिपोर्ट सम्बन्धित थाने के रोजनामचा आम में दर्ज करायेगा तथा आवश्यकतानुसार दण्ड प्रकिया संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आदि के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

11. केस ऑफिसर जब भी अभियुक्त की जमानत हेतु अदालत में आवेदन प्रस्तुत हो तो लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से अथवा केस ऑफिसर स्वयं, अपराधी का पूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड एवं गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत कर उसकी जमानत का सशक्त विरोध करेगा।

12. केस ऑफिसर सम्बन्धित केस में स्वयं व लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से न्यायलय को निवेदन कर प्रकरण में दिन प्रतिदिन की पेशी साक्ष्य हेतु निर्धारित करवायेगा ताकि प्रकरण का फैसला शीघ्रातिशीघ्र हो सके।

13. केस ऑफिसर यह देखेगा कि लोक अभियोजक द्वारा सजा के बिन्दु पर बहस के समय ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने हेतु पुरजोर बहस की जावे तथा अपने तर्को के सपर्थन में अपराधी का आपराधिक रिकॉर्ड न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

14. केस ऑफिसर उपयुक्त प्रकरण में धारा 13 भारतीय न्याय संहिता व 313 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करवाएगा।

पर्यवेक्षण अधिकारियों के दायित्व

थानाधिकारी के दायित्वः– थानाधिकारी प्रथम स्तर पर इस योजना के तहत लिए जाने वाले प्रकरणों का चयन कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करेंगे। वे प्रत्येक पेशी के पश्चात् केस ऑफिसर के साथ प्रकरण की समीक्षा कर आगे की जाने वाली कार्यवाही निर्धारित करेंगे। थानाधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश व लोक अभियोजक से भी सम्पर्क रखेंगे तथा आवश्यकतानुसार स्वयं न्यायलय में उपस्थित होकर केस ऑफिसर की मदद करेंगे। थानाधिकारी केस ऑफिसर को अपने दायित्वों के निष्पादन में पूरी सहायता करेंगे।

वृत्ताधिकारी के दायित्वः– वृत्ताधिकारी की इस योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उचित प्रकरणों का इस योजना के अन्तर्गत चयन हो,यहउनकी जिम्मेदारी है। वृत्ताधिकारी तारीख पेशी के दो दिन पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि गवाहान के सम्मन/वारण्ट तामिल हो चुके हैं तथा अदालत को सूचित किया जा चुका है साथ ही यह भी देखेंगे कि साक्ष्य हेतु जाने से पूर्वगवाहान की यादाश्त ताजा करवा दी गई है तथा गवाहान किसी भय से ग्रसित तो नहीं है। जब भी वृत्ताधिकारी थाने पर जाऐं तो थानाधिकारी व केस ऑफिसर के साथ प्रकरणों की समीक्षा करें तथा उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें तथा आवश्यकतानुसार वे सम्बन्धित मजिस्ट्रेट से सम्पर्क कर, अगर प्रकरण की अन्वीक्षा में कोई बाधा आ रही हो तो उनका निराकरण करवानें की कार्यवाही भी करेंगे।

पुलिस अधीक्षक/अति. पुलिस अधीक्षक के दायित्वः– इस योजना की सफलता पुलिस अधीक्षक/अति. पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत रूचि पर निर्भर करती है। उनकी प्रकरण के चयन एवं पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि केस ऑफिसर योजना के तहत जिन प्रकरणों का चयन किया जाता है वह उस क्षेत्र की आपराधिक गतिविधियों को मध्यनजर रखते हुए उचित हों। पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अपने जिले के समस्त केस ऑफिसर योजना के प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा केस ऑफिसर कर उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। साथ ही अगर उन्हें प्रकार के समन्वय का अभाव नजर आता हो तो जिला कलेक्टर, सत्र न्यायाधीश से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करवायेंगे।

पुलिस अधीक्षक यह भी देखेंगे कि सामान्यतः एक केस ऑफिसर का एक अथवा दो प्रकरणों में ही केस ऑफिसर नियुक्त किया जावे।

केस ऑफिसर योजना के तहत प्रत्येक मामले जिसमें मुलजिम को बरी किया जाता है, उसका परीक्षण करवाकर पुलिस अधीक्षक/अति. पुलिस अधीक्षक आवश्यक सुधारात्मक कदम उठायेंगे।

अगर कोई केस ऑफिसर अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिल पाया जाता है तो पुलिस अधीक्षक उसके विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही करेंगें।

5.मालखाने का रखरखाव, मालखाना रजिस्टर का संधारण एवं माल का निस्तारण।

मालखाना रजिस्टर– मालखाना रजिस्टर प्रतिवर्ष नया तैयार किया जाएगा। इस रजिस्टर में पिछले वर्ष के पैण्डिंग मालखाना आईटमों को नये रजिस्टर में लाल स्याही से इन्द्राज किया जाएगा, जो पुराने रजिस्टर के क्रम स. /सन् के साथ नवीन क्रमानुसार लिखेगा। पैण्डिंग रहे मालों का इन्द्राज किया जाएगा। उसके बाद वही विवरण लिखा जाएगा जो पहले लिखा गया। नये साल का माल या आईटम आगे ब्ल्यु स्याही से उसी क्रम में लिखे जायेगें। इसी प्रकार मालखाना आईटम जो मालखाने में अन्दर या बाहर रखे गये है। समस्त आईटमों पर मालखाना नम्बर /सन्, मुकदमा नम्बर, तारिख, धारा, थाना एवं जब्त सामान के विवरण का लेबल लगाया जायेगा। प्रत्येक मालखाना पर लेबल लगा होगा। थाना पर जमा मालखाना आईटमों को दीमक या अन्य प्रकार से नष्ट होने से, तोड़फोड़ होने से सुरक्षित रखा जायेगा। हर माह/वर्ष के अन्त में गोस्वारा निकाला जायेगा।

मालखाना आईटमों का निस्तारण

मुकदमाती मालखाना आईटम (चालान/एफआर) जिस हालात का थाने पर पैण्डिंग है तो ऐसे आईटमों को जैर अनुसंधान एवं जैर ट्रायल व निर्णय के बाद धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रार्थना पत्र पेश कर निस्तारण हेतु क्षैत्राधिकार मजिस्ट्रेट से निवेदन किया जायेगा तब निस्तारण का आदेश जारी किये जायेगें।

मर्ग का आईटम :– जिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास मर्ग पत्रावली पेश की जाती है। उनके समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी।

अदावाकृत (लावारिस) सम्पति :– जो पुलिस एक्ट 2007 की धारा 38 के तहत जब्त की गई है। उसका निस्तारण हेतु आरपीआर 2008 के नियम 7 की प्रक्रिया अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक को दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र भेजा जायेगा जिस पर पुलिस अधीक्षक आरपीआर 2008 के नियम 8 के तहत निस्तारण करेगा।

धारा 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 :– इसमें जब्त मालखाना आईटमों का निस्तारण, सम्बधित क्षैत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा पेश कर करवाया जा सकता है।

जामा तलाशी :– गिरफ्तार मुल्जिम को न्यायालय से जमानत होने पर थानाधिकारी स्वयं द्वारा भी जामा तलाशी का माल दिया जा सकता है। या मुल्जिम की न्यायिक अभिरक्षा का आदेश होने पर जरिये रोड़ सम्बन्धित जेल पर जमा कराया जाकर निस्तारण कराया जा सकता है।

अन्य माल:– परिस्थितियों के अनुसार मजिस्ट्रेट के आदेश से या जिस विभाग द्वारा थाने पर जमा कराया गया है, उस विभाग के आदेश से निस्तारण किया जा सकता है।

नोटः– आबकारी अधिनियम में जब्त माल की सूचना आबकारी विभाग को तुरन्त दी जाती है तथा नमूना सेम्पल एफएसएल भेजा जाता है। अन्य माल का निस्तारण मजिस्ट्रेट के आदेश से आबकारी विभाग करवा सकता है। आबकारी विभाग बरामद शराब की जांच करायेगा कि यह मानव के उपयोग के लिए सही या नहीं और उसके बाद ही जांच रिपोर्ट के आधार पर ही बरामद शराब का निस्तारण करेगा। यदि मानव के उपयोग के लिए सही है तो आबकारी विभाग वापस दुकानों पर विक्रय के लिए बेच देगा। मानव उपयोग के सही नहीं है तो उसे नष्ट करा दिया जायेगा तथा अपराध में प्रयुक्त वाहन जब्त होगा आबकारी विभाग उसका निस्तारण करेगा।

एनडीपीएस एक्ट :– इस अधिनियम के तहत जब्त समस्त पदार्थों को मुल्यों के आधार पर कोर्ट के आदेश द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा नष्ट करने का प्रावधान है।

6.बीट ड्यूटी एवं बीट बुक का संधारण, सम्मन वारन्ट तामील, बीट प्रभारी एवं पर्यवेक्षक अधिकारियों की भूमिका।

बीट प्रणाली –किसी पुलिस थाना या चौकी के अन्तर्गत आने वाला वह क्षेत्र जो अपराधो की रोकथाम कानून व्यवस्था बनाये रखने आसूचनाएं संकलन हेतु एवं अन्य तरह की गतिविधायों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से गांवो की जनसंख्या क्षेत्रफल, दुरी, एवं अपराधो की संख्याओं का ध्यान में रखते हुए गश्त, तामील व उपरोक्त कार्यो को देखते हुए विभिन्न हिस्सो में बांट कर पुलिस कार्यविधियों को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने की प्रक्रिया है। जो व्यवस्था है। ऐसी कार्य प्रणाली को बीट प्रणाली कहते है। आर.पी.आर. 1965 के नियम 2.28 में भी बीट प्रणाली का बताया गया है। थाना क्षेत्र या चौकी क्षेत्र को विभिन्न भागो में बांट कर उस निर्धारित क्षेत्र में पुलिस कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए एक कानिस्टेबल या एक से अधिक कानि0/अधिकारी को उस क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है। तथा तब ऐसे निर्धारित क्षेत्र को बीट कहते है।

अपराधों की रोकथाम में बीट प्रणाली का महत्व–

1. बीट कानि./अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के व्यक्तियों से नजदीकी से सम्पर्क बनायें रख कर विश्वास अर्जित किया जा सकता है। जिससे कोई भी व्यक्ति निःसंकोच बीट कानि को सूचना दे सकता है।
2. जनता एवं पुलिस के बीच आपसी सहयोग की एवं विश्वास की भावना उत्पन्न होती है।
3. हिस्ट्रीशीटर एवं बदमाशो पर निकटता से निगरानी रहती है।
4. निरन्तर बीट में गस्त करने से नये अपराध एवं नये अधिकारियों का पता चल जाता है।
5. अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था व शांति बनाये रखने में उपयोगी है।
6. पुलिस विभाग की छवि में भी सुधार होगा।
7. आपराधिक सूचनाऐं एकत्रित करने में लाभ होता है।
8. न्यायालय में आदेश सम्मन एवं वारण्ट तामील करवाने में सहायता मिलती है।
9. अपराधियों की गिरफ्तारी एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में सहायक है।

बीट बुक को स्थाई आदेश क्रमांक 9/88 के अनुसार चार भागो में संधारित किया जाता है।

बीट बुक के प्रथम भाग–

बीट क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर का नाम पता व अपराधों का विवरण।

1. पुराने अपराधी जो डकैती, लूट तथा नकबजनी की वारदातो से संबंधित हो
2. समाजकंटक व्यक्ति जैसे दादा, गुण्डा, बदमाश।
3. अपराधियों के आश्रय स्थल उनके मित्र आदि।
4. ऐसे अपराधी जो जुआ , सट्टा मादक पदार्थो के व्यापार अवैध शराब तथा अवैध हथियारो के निर्माण में लिप्त हों।
5. मौताबिर व्यक्तियों के नाम– बीट बुक का प्रथम भाग थानाधिकारी के निर्देशन में तैयार किया जाता है।

बीट बुक के द्वितीय भाग– बीट बुक का द्वितीय भाग 12 भागो में महीने वार विभाजित होगा प्रत्येक महीने में चार पृष्ठ होगें जिसमें –

पृष्ठ 1 पर –अपराधियों की हलचल का विवरण।

पृष्ठ 2 पर –अपराध एवं अपराधियों की सूचना।

पृष्ठ 3 पर –अपराधियों को पकड़ने के लिए नई विशेष कार गुजारी।

पृष्ठ 4 पर –महीने की समाप्ति पर एस.एच.ओ. द्वारा बीट कानि. द्वारा उक्त कार्यो का मुल्यांकन कर टिप्पणी अंकित की जायेगी।

बीट बुक के तृतीय भाग– सम्म्न प्राप्त हुये।

1. तामील
2. वारण्ट प्राप्त/तामील।
3. रात्रि गश्त/दिन में गश्त।
4. समाज कंटको तथा एस.एच.ओ. की जाँच।
5. जाँच इन्क्वायरी 'ए' जारी तथा जाँच करना।
6. पर्चा 'बी' कितने जारी व तस्दीक।

7. बीट बुक में अपराधियों के बारे में दर्ज टिप्पणी।
8. सन्तरी ड्यूटी आदि।
बीट बुक के चतुर्थ भाग– जायदाद सम्बन्धि अपराधें की पतारक्षी।
1. जुआ, सट्टा, मादक पदार्थे की बिक्री, अवैध शराब, हथियारों की बरामदगी।
2. धारा– 128 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के मामले।
3. भगोड़े घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी।
4. थानेदार (SHO) को दी गयी सूचना के फलस्वरूप अपराधों की सूची।

सम्मन तथा वारण्टों की तामील

सम्मन की तामील भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा **63 के अनुसार सम्मन का प्रारूप**–न्यायालय द्वारा जारी प्रत्येक सम्मन लिखित रूप में दो प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 64 के अनुसार सम्मन की तामील कैसे की जाए– प्रत्येक सम्मन की तामील पुलिस अधिकारी/लोकसेवक द्वारा सम्मन की दो प्रतियों में से एक प्रति प्रदान कर व्यक्तिगत रूप से कराई जाएगी। एवं तामील अधिकारी द्वारा दूसरी प्रति के पृष्ठ पर रसीद हस्ताक्षर करवाई जाएगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 66 के अनुसार जब सम्मन किये गये व्यक्ति ना मिल सके तब तामील – जब सम्मन किया गया व्यक्ति ना मिले तो सम्मन की दो प्रतियों में से एक प्रति को उसके परिवार के किसी व्यस्क पुरूष सदस्य को दी जायेगी एवं दुसरी प्रति के पृष्ठ पर रशीद हस्ताक्षरित कराई जाएगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 67 के अनुसार जब पूर्व प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया– यदि धारा 64, 66 में उपबंधित रूप से तामील नही की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी सम्मन की दो प्रतियों मे से एक प्रति को उसके निवास स्थान से सहज दृश्य भाग में लगायेगा।
इसी प्रकार एक लोकसेवक पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 68 व गवाह पर धारा 69 व 70 के अनुसार डाक द्वारा तामील करायी जा सकती है।

वारण्ट की तामीलः– जब कोई व्यक्ति बार–बार सम्मन जारी करने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही होता है। या अपराध करके फरार हो जाता है। तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को हाजिर करने के लिए गिरफ्तारी वारण्ट जारी करता है।
गिरफ्तारी वारण्ट दो प्रकार का होता है।
1. जमानती वारण्ट 2. अजमानतीय वरण्ट
जमानतीय वारण्टः– जमानती वारण्ट की के पृष्ठांकन पर निम्न बातें होनी चाहिए–
1. प्रतिभूतियों की संख्या।
2. वह समय जब उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है।
3. वह रकम जिसके लिए क्रमशः प्रतिभूति और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी किया गया है, आबद्ध होने चाहिए है।
अजमानतीय वारण्टः–अजमानतीय गिरफ्तारी वारण्ट की तामील कराने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को जमानत पर नही छोड़ सकता बल्कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 78 के अनुसार न्यायालय के समक्ष पेश करेगा।
बीट पर्यवेक्षक अधिकारी की भूमिका–
01. बीट बुक का प्रतिमाह निरीक्षण करना।
02. बीट कानि. द्वारा दी गई आपराधिक आसूचना पर की गई कार्यवाही का उल्लेख करना।
03. बीट कानि. द्वारा अपने बीट मे ली गई सीएलजी मीटिंग मे उपस्थित रहना एवं प्राप्त शिकायतो का समय पर निवारण सुनिश्चित करना।
04. बीट कानि. द्वारा बीट क्षेत्र में निवासरत एच.एस, आदतन, सूचीबद्ध, अन्य अपराधी पर निगरानी सूनिश्चित करना।
05. बीट कानि. द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य को पृष्ठांक्ति करना।
06. बीट क्षेत्र में रात्रि विश्राम सूनिश्चित कराना।

7.सूचना सूत्र(मुखबिरी) विकसित करना एवं आपराधिक आसूचना एकत्र करने में पुलिस कानि0 की भूमिका व कर्त्तव्य।

ऐजेन्ट :–जो व्यक्ति चेतनापूर्वक हमारे निर्देशों पर हमारे लिये काम करे ऐजेन्ट या मुखबिर कहलाता है।
ऐजेन्ट कैसे बनते है:– ऐजेन्ट 3 टी द्वारा बनाया जाता हैं।
1.**TASK**–लक्ष्य के अनुकूल है या नही।
2.**TALLENT**–लक्ष्य के अनुसार ऐजेन्ट की प्रतिभा ।
3.**TARGET**–लक्ष्य क्या है। कोई व्यक्ति जो अनुसन्धान अधिकारी के निर्देशन पर कोई गुप्त सूचना गुप्त तरीके से उसको बताये गये लक्ष्य के सम्बन्ध में देता है मुखबिर कहलाता है।

मुखबिर का महत्व –
1–चाही गयी सूचना प्राप्त हो जाती है
2– समय की बचत हो जाती है
3– व्यक्ति की कार्यवाही व भविष्य की योजनाओं की पूर्ण जानकारी मिल जाती हैं
4–जॉच अधिकारी को आने वाली कठिनाईयों का पूर्ण आभास हो जाता है।

मुखबिर के प्रकार –
मुखबिर दो प्रकार के होते है 1– आकस्मिक 2–नियमित ।
1. आकस्मिक मुखबिर –1. रूपये उधार देने व लेने वाला ,सामान गिरवी रखने वाला ,लुहार ,सुनार जैसे चोरी का सामान बेचना आदि
2. दुकानदान ,वाहन मैकेनिक ,मेडीकल स्टोर , दारू/भांग का ठेकाकर्मी
3. गायक ,नर्तकी ,सिनेमा गृह मैनेजर
4. ज्योतिष ,पुजारी ,मौलवी आदि के सम्पर्क मे अपराधी आजाता है
5.डॉक्टर ,कम्पाउडर ,हकीम वैध
6. चूँगी क्लर्क
7. धोबी , स्वीपर ,घरेलु नौकर
8. होटल ,सराय
9. समाचार पत्र,संवाददाता
10. साधू, सन्यासी ,भिखारी
11. अपराधी के सगे भाई ।
2.नियमित मुखबिर – थाना क्षेत्र मे नियमित मुखबिर होते है जो थानाधिकारी के सम्पर्क में रहते है ,थानाधिकारी के स्थानान्तरण पर नये थानाधिकारी से उसका सम्पर्क कराया जाता है वह थाना क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की जानकारी देता है हल्का कानि0, सामाजिक संस्था ,धार्मिक संस्था व हथियार मिलने व शरण पाने के स्थानो पर से नियमित मुखबिरी प्राप्त होती है।

मुखबिर बनाने का तरीका–
1.लक्ष्य का निर्धारण करना पडता है
2. टारगेट तक पहुॅच व जानकारी रखने वाले को ही मुखबिर बनाना चाहिये
3.मुखबिर की वर्तमान घरेलु/सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और उसकी जरूरत वर्तमान को मद्देनजर रख मुखबिर बनाया जा सकता है।
4.यदि वह सूचना देने को तैयार हो जाता है तो उससे सम्पर्क स्थापित करना चाहिये यदि वह सत्य व ठीक सूचना देता है तो उसका एक काल्पनिक नाम देना चाहिए।
5.यदि अस्थाई ऐजेन्ट का काम लम्बे समय तक जारी रखना है और आशा है सूचना सही मिलती रहे तो आई/ओ को मुखबिर बना लेना चाहिये।

अच्छे मुखबिर के गुण –
1. ईमानदार हो
2. सही व सत्य सूचना देने वाला हो
3. समय का पाबन्द हो
4. पढ़ालिखा हो
5. पुलिस रिकार्ड में अपराधी न हो

6. बेईमान ,सनकी , कर्जदार एवं धर्मान्ध न हो।

आपराधिक सूचना संकलन –किसी भी अपराध नियंत्रण व अनुसंधान में आपराधिक सूचना संकलन का बडा ही महत्व है पुलिस की सफलता व असफलता काफी हद तक सूचना संकलन पर निर्भर करती हैव सूचना संकलन के माध्यम से अपराधियों तक पहुॅचने में कामयाबी मिलती है।

अपराधिक सूचना संकलन दो प्रकार से कि जाती है जो इस प्रकार है– 1.अपराध होने से पूर्व 2. अपराध होने के पश्चात ।

1.अपराध होने से पूर्व – यदि अपराध होने से पूर्व ही सूचना संकलन हो जाये तो अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। अपराध पूर्व सूचना संकलन हेतु पुलिस कर्मी को अपनी बीट क्षेत्र व पुलिस थाना क्षेत्र में विश्वसनीय लोगो से अच्छा सम्बंध रखना चाहिये व उन्हे अपराध से पूर्व सूचना देने के लिए प्रेरित करना चाहिये ।अपनी बीट में गॉव के मुखिया , चौकीदार , पंच –सरपंच व ग्राम सेवक आदि से सम्पर्क कायम रख कर अपराध पूर्व सूचना प्राप्त करनी चाहिये । ये लोग कानूनन रूप से भी बाध्य है। अपराध पूर्व सूचना संकलन से किसी के पास अपराधियो के आने–जाने का चोरी के माल लेने देने वालो का प्राकृतिक या अप्राकृतिक मौत का पता चलना या किसी व्यक्ति द्वारा अवैध शराब ,नशीले पदार्थ या अन्य कोई अपराध किये जाने की सूचना मिले तो तुरन्त प्रबंधक थाना को देनी चाहिये।

2.अपराध होने के पश्चात –अपराध होने के पश्चात पुलिस को निम्नलिखित से आपराधिक सूचनाएं प्राप्त हो सकते हैं।

1. पीड़ित व्यक्ति से
2.घटना स्थल से
3.चश्मदीद गवाह से
4.राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो से
5 तरीका वारदात ब्यूरो से
6.पुलिस थाना के रिकार्ड से
7.मुखबिर से सादा वस्त्रों में

गुप्तचर कार्यों हेतु कानि. के कर्तव्य– आसूचना का संकलन पुलिस कार्य प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि पुलिस का प्रमुख कार्य अपराधों का निवारण रोकथाम व अपराधों में कमी लाकर जनता के जानमाल की सुरक्षा है अपराधों की रोकथाम तभी की जा सकती है जब अपराध के बारे में अथवा जानमाल की सुरक्षा से संबंधित संभावित खतरे का पुलिस अधिकारी को पूर्व में अनुमान प्राप्त हो जावे तो इस पूर्व अनुमान के संबंध में आवश्यक व प्रभावी कदम उठाकर अपराधों की रोकथाम व जानमाल की सुरक्षा की जा सकती है। पुलिस कार्य प्रणाली के दौरान पुलिस कर्मी की वर्दी पुलिस को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है जो पुलिस कर्मी की मौजूदगी को तुरन्त परिलक्षित करती है अर्थात पुलिस कर्मी की मौजूदगी छुपा नहीं पाती जबकी आसूचना का संकलन गुप्त रूप से एकत्रित की गई पूर्व जानकारी है इसके लिए अपनी पहचान छिपाकर कार्य करना अत्यावश्यक अर्थात गुप्तचर कार्यों हेतु पुलिसकर्मी को सादा वस्त्रों में तैनात किया जाकर बेहतर आसूचना का संकलन किया जा सकता है।पुलिस की आम कार्य प्रणाली के दौरान गुप्तचर कार्य व आसूचना के संकलन के लिए पुलिस कर्मियों को सादा वस्त्रों में तैनात किया जाता है।

सादा वस्त्रों में तैनात पुलिस कर्मी के निम्न कर्तव्य हैं–

1. सादा वस्त्रों में तैनात पुलिस कर्मी को अपना पहनावा इस प्रकार रखना चाहिए की वह वहां की लोकल परिस्थिति के अनुसार हो।
2. पुलिसकर्मी के हावभाव व दाड़ी, मूँछे, व बाल इत्यादि इस प्रकार रखने चाहिए कि वह किसी भी दृष्टि से पुलिसकर्मी ना लगे।
3. गुप्तचर कार्यों के संकलन के लिए आम जनता के आवागमन के स्थान जैसे नाई की दूकान, पान की थड़ी, चाय की थड़ी आदि पर अपनी मौजूदगी रखकर आसूचना का संकलन करे।
4. संकलित आसूचना का उच्चाधिकारियों को प्रेषण अपनी पहचान बताकर करे।
5. उच्चाधिकारियें के निर्देशों का पालन करें।
6. जिस व्यक्ति या कार्य के बारे में आसूचना एकत्रित की जा रही है स्वयं को भी वहां के माहौल के अनुसार ढाले ताकि अपनी पहचान व उपस्थिति छुपाई जा सके।
7.सहनशीलता से काम लें।किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित ना हों।

8.परिवाद की जाँच की मानक प्रक्रिया एवं मार्ग दर्शक सिद्धान्त, जांच रिपोर्ट तैयार करना।
पुलिस मुख्यालय के मेमोरेण्डम/परिपत्र संख्या 1372 दिनांक 19.5.2005 द्वारा 126 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत परिवाद की जाँच का अधिकारी बीट कॉनिस्टेबल को दिया गया है। परिवाद की जाँच के दौरान जाँचकर्ता प्रार्थी व गवाहों के बयान लिखेगा व अन्य बिन्दुओं की जाँच करेगा। सम्पूर्ण जाँच के बाद मामला सत्य पाये जाने पर इस्तगासा तैयार कर कार्यपालक न्यायालय में पेश करवायेगा।

9.गिरफ्तारी – प्रक्रिया एवं गिरफ्तार व्यक्ति के कानूनी अधिकार, सुरक्षित अभिरक्षा में पुलिस कानि. की भूमिका – कानूनी प्रावधान।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 43. गिरफ्तारी कैसे की जायेगी –
(1)गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतःछुएगा या परिरूद्ध करेगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो। परंतु जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना हो जब तक कि परिस्थितियों प्रतिकूलता नहीं दर्शाती हों, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा के लिए उसका निवेदन उपधरित किया जायेगा और जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षा नहीं करे या जब तक कि पुलिस अधिकारी महिला नहीं हो पुलिस अधिकारी महिला की गिरफ्तारी करने के लिए महिला के शरीर को नहीं छुंएगा।
(2) यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किये जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है।

(3) इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराधका अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 44. उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है–

(1) यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए 34 प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी हो यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अन्दर है तो ऐसे स्थान में निवास करने वाले या उस स्थान का भारसाधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अन्दर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधांए देगा।
(2) यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा (1) के अधीन नहीं हो सकता तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किन्तु गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहां की तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या स्थान के चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का हो किसी बाहरी या भीतरी द्वारा या खिड़की को तोडकर खोल ले यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने की सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहींकर सकता। परंतु यदि ऐसा कोई स्थान या ऐसा कमरा है जो (गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न) ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है जो रूढि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस स्त्री को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिये उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा और तब कमरे को तोडकर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है।
(3)कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वारा या खिडकी अपने को या अन्य किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरूद्ध है मुक्त करने के लिए तोडकर खोल सकता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 45. अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना**– पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 46. अनावश्यक अवरोध न करना**– गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरूद्ध न किया जायेगा, जितना उसका निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 47. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना**– (1) किसी व्यक्ति को वांरट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टयां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा।
(2) जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंटके बिना गिरफ्तार करता है वहां वह गिरफ्तार किऐ गए व्यक्ति को इत्तिला देगा कि वह जमानत पर छोडें जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभूओं का इंतजाम करे।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 48. गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता**–(1) इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, जानकारी उसके मित्रों नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नामनिर्दिष्ट किया जाए, तुरंत देगा।
(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में रखा जाता है ,उपधारा (1) के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा।
(3) इस तथ्य की प्रविष्ट कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तिला किसे दी गई है पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्ररूप में जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, की जाएगी।
(4) उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है यह कर्तव्य होगा किवह अपना समाधान करे कि उप–धारा (2) और उप–धारा(3) की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 49. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी**–(1) जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिये जाने का उपबंध नही करता है या ऐसे वारन्ट के अधीन जो जमानत लिये जाने का उपबन्ध करता है किन्तु गिरपतार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है कोई व्यक्ति गिरपतार किया जाता है तथा जब कभी कोई व्यक्ति वारन्ट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारण्ट के अधीन गिरपतार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है ,
तब गिरफ्तार करने वाला अधिकारी या जब गिरफ्तार प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को सौंपता है उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोडकर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता हैऔर जहां गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहां ऐसे व्यहिक्त को एक रसीद दी जाती है जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तुसय दिर्शित होगी।
(2) जब कभी किसी स्त्री की तालशी कराना आवश्यक हेा तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 50. आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति**– वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा। जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 51. पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा**–(1) जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किये जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे

पुलिस अधिकारी की जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी के लिये और सद्भावना पूर्वक उसकी सहायता करने में ओरउसके निदेशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिये यह विधिपूर्ण होगा किवह गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करें जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सकें,अभिनिश्चित करने के लिये उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है।

(2) जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी।

स्पष्टीकरण– इस धारा में और धारा 52 और धारा 53 में–

(क) ''परीक्षा'' में खून, खून के धब्बों , सीमेन लैंगिक अपराधों की दशा में सुआब थूक और स्वेद बाल के नमूनों और उंगली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के जिनके अंतर्गत डी.एन.ए. प्रोफाइल करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता सम्मिलित होंगे।

(ख) ''रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी'' से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956(1956 का 102) की धारा 2 के खण्ड (ज) में परिभाषित कोई चिकित्सीय अर्हता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 52 बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा– (1) जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्ववास करने के उचित आधार है कि इस व्यक्ति की परीक्षा या ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अपताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में उप–निरीक्षक से अनिम्न रैंक के पुलिस अधिकारी के निवेदन पर किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितना युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा।

(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलम्ब के परीक्षा करेगा ओर उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। जिसमें निम्नलिखित विशिष्टयां दी जाएंगी, अर्थात–

(क) अभियुक्त का और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है नाम और पता;

(ख) अभियुक्त की आयु;

(ग) अभियुक्त के शरीर पर चोट के निशान यदि कोई हो,

(घ) डी.एन.ए. प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन और

(ङ) उचित ब्यौरे सहित , अन्य तात्विक विशिष्टयां।

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अधिकथित किए जाएगें जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) परीक्षा प्रारम्भ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अकिंत किया जाएगा।

(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी , बिना विलम्ब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा जो उसे धारा 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उप–धारा (6) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 53. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच–(1)जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे केन्द्रीय या राज्य सरकारी की सेवा में चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षित किया जायेगा और यदि चिकित्सा अधिकारी उपस्थितनहीं हो तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर द्वारा उसकी गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात परीक्षित किया जायेगा;

परंतु जहां गिरफ्तार व्यक्ति महिला हो वहां शरीर की जांच केवल महिला ऑफिसर के अधीन या उसके द्वारा की जायेगी ओर यदि महिला मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध नहीं हो तो महिला रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर द्वारा की जायेगी।

(2) इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्ति की जांच करने वाला मेडिकल ओफिसर या रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर ऐसी जांच का रिकोर्ड तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति पर किन्हीं चोटों या हिंसा के निशान और अनुमानित समय, जब ऐसी चोटें या निशान कारित किये गये हों, वर्णित करेगा।

(3) जहां उप–धारा (1) के अधीन जांच की गई हो वहां ऐसी जांच की रिपोर्ट की एक प्रति मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर यथास्थिति द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को या ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताये गये व्यक्ति को प्रदान की जायेगी।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 54. गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त**–जहां कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त ऐसे अपराधों के अन्वेशण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य या किन्ही अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 55. जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया–** (1) जब अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है वारंट के बिना (अपनी उपस्थिति में नहीं अन्यथा) गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है त बवह उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है ओर उस अपराध का या अन्य कारण का जिसकेक लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को परिदत्त करेगा जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे ओर इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा ओर यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उसे वह आदेश दिखा देगा।

(2) उप–धारा (1) की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 56 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा–** अभियुक्त के स्वास्थ्य व सुरक्षा की उचित देखभाल करना अभियुक्त की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 57 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना**–वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलम्ब के बिना ओर जमानत के संबंध में इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 58 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरूद्ध न किया जाना**–कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रखेगाजो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के धारा 187 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोडकर चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 59 पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना–** पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निदेश देने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपने–अपने थानों की सीमाओं के अन्दर वारंट के बिना गिरफ्तार किये गये सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेगें चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 60 पकडे गये व्यक्ति का उन्मोचन**–पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंधपत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 61 निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड लेने की शक्ति**– (1) यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुडा लिया जाता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है या छुडाया गया है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी भी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन गिरफ्तार को धारा 44 के उपबंध लागू होगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति वारंट के अधीन के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 62 गिरफ्तार पूर्णतःसंहिता के अनुसार की जाये–** कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जायेगी सिवाय इस संहिता के प्रावधानों की अनुपालना में या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि की अनुपालना में।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के नवीनतम संशोधन

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 35 पुलिस बिना वारण्ट के कब गिरफ्तार कर सकेगी–**(1)कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा–

(क) जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है:

(ख) जिसके विरुध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चूका है या विश्वसनीय इतिला प्राप्त हो चूकी है या उचित संदेह विधमान है कि उसने कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्ते पूरी कर दी जाती है, अर्थातः –

1. पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, इत्तला या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है;
2. पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारीः–

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारित करने के लिये; या

(ख) अपराध के समुचित अन्वेषण के लिये;या

(ग)ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेडछाड करने से निवारित करने के लिये; या

(घ)उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उससे वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके, निवारित करने के लिये; या (ड़)जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नही कर लिया जाता, न्यायालय में उसकी उपस्थिति, जब भी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नही की जा सकती, आवश्यक है, और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा;

(परन्तु यह कि पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहां इस उपधारा के प्रावधानों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित ना हो गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा।)

(खक) जिसके विरूद्ध विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से अधिक की हो सकेगी चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना अथवा दण्डादेश से दण्डनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस इत्तिला के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है।

(ग)जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उदघोषित किया जा चुका है; अथवा

(घ)जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई सम्पत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है; अथवा

(ड़)जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुचाता है जब वह अपना कर्त्तव्य कर रहा है, या जो विधि पूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है;

(च)जिस पर संघ के सशस्त्र बलो में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है;

(छ)जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किये जाने से, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दण्डनीय होता, और जिसके लिये वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकडे जाने का या अभिरक्षा में निरूद्ध किये जाने का भागी है, संबंध रह चुका है या जिसके विरूद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विध्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है; अथवा

(ज)जो छोडा गया सिद्धदोष होते हुये धारा 394 की उपधारा(5) के अधीन बनाये गये किसी नियम को भंग करता है; अथवा

(झ)जिसकी गिरफ्तारी के लिये किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यापेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परन्तु यह तब जब कि अध्यापेक्षा मे उस व्यक्ति का, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिये गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश है और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यापेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना वह व्यक्ति विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था।

(2)धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंध है या जिसके विरूद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विधमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, मजिस्ट्रेट के किसी वारण्ट या आदेश के सिवाय, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 35–पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना**–(1)पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41 की उपधारा(1) के उपबंधो के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नही है, उस व्यक्ति को जिसके विरूद्ध इस बारे मे उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्मान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये उपसंजात होने के लिये निर्देश देते सूचना जारी करेगा।

(2)जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करें।

(3)जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नही किया जायेगा जब तक लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए।

(4)जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय सूचना के निबंधनो का अनुपालन करने में असफल रहता है अपनी पहचान कराने का अनिच्छुक है, वहां पुलिस अधिकारी, ऐसे आदेशो के अधीन रहते हुये, जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किये गये हो, सूचना में वर्णित अपराध के लिये उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 36–गिरफ्तारी की प्रकिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्त्तव्य– प्रत्येक पुलिस अधिकारी, गिरफ्तारी करते समय–**

(क)अपने नाम की सही,प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा,जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके,

(ख)गिरफ्तार का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो–

(1)कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तारी किये गये व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का,जहां गिरफ्तारी की गई है, प्रतिष्ठित सदस्य है;

(2)गिरफ्तारी किये गये व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा; और

(3)जब तक उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को यह इत्तला देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को,जिसका वह नाम दे, उसकी गिरफ्तारी की इत्तला दी जाए।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 37–जिले में नियंत्रण कक्ष**–(1)राज्य सरकार–

(क)प्रत्येक जिले में; और (ख)राज्य स्तर पर,पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी।

(2)राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गये सूचना पट्ट पर गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम और पते तथा उन पुलिस अधिकारियों के नाम और पदनाम संप्रदर्शित कराएगी, जिन्होनें गिरफ्तारी की है।

(3)राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष, समय–समय पर, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों, उस अपराध की प्रकृति जिसका उन पर आरोप लगाया गया है, के बारे में ब्यौरे संगृहित करेगा और आम जनता की जानकारी के लिये डाटा बेस रखेगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **धारा 38 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसन्द के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार**–जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किन्तु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नही।

10.एफ0आई0आर0 के कानूनी प्रावधान।

प्रथम सूचना प्रतिवेदन –संज्ञेय अपराध किये जाने के सम्बन्ध में कोई इत्तला थाने पर एस.एच.ओ. के समक्ष लिखित या मौंखिक रूप में प्राप्त होंने पर उस पर थानाधिकारी इन्डोसमेंन्ट कर पढकर परिवादी को सुनायेगा समझायेगा औंर रिपोर्ट देने वाले के हस्ताक्षर करायेगा या अपने निर्देशन में अपने अधिनस्थ से एर्न्डोसमेंन्ट करवायेगा। संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट 173 **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023** के तहत लिखी जाएगी व उसकी एक प्रति प्रार्थी को निःशुल्क दी जाएगी तथा एफ.आई.आर. की प्रतियॉ नियमानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस उप–अधीक्षक वृत एंव पुलिस अधीक्षक को भेजी जाएगी। एक प्रति असल रिकॉर्ड में रखी जाएगी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में आर.पी.आर. 1965 के नियम 5.5 में बताया गया है कि थाना पर एक एफ. आइ.आर. का रजिस्टर या जिल्द होगी इसमें किस प्रकार की प्रविष्ठियॉ होगी।जो वर्तमान में कम्प्यूटरराईज फार्म I-I-F-1 पर संधारित की जाती है तथा इसकी जिल्द 15 एफ.आई.आर. की जो छः पृष्ठो में होती है। प्रथम सुचना की एन्टी प्रथम सुचना कता होने के बाद अपराध रजिस्टर एवं V.C.N.B. पार्ट 2 में अकित की जायेगी रोजनामचा आम में रपट अंकित होगी तथा अलग–अलग परिस्थितियों में अपराधिक रिकार्ड में ईन्द्राज होगा।

एफ.आई.आर. लिखते समय निम्न बातो का ध्यान रखना चाहिये –

1. इत्तला देने वाले को तसल्ली से सुना जाय ।
2. एफ.आई.आर. पुर्ण रूप से प्राप्त की जाय ।
3. सुचना देने वाला क्या घटना के समय मौजुद था व उसने घटना देखी है, सुनी हैं या घायल हुआ हैं
4. अपराधियों के नाम पते अज्ञात हो तो हुलिया, पहनावा, भाषा, विशेष चिन्ह अपराधी को रोशनी में देखा या अन्धेरे में, घर
5. घटनास्थल का नाम, समय, दिनांक
6. अपराध किस कारण हुआ
7. अपराध किस प्रकार किया गया
8. किस तरह के हथियार थे।
9. तरीका वारदात क्या थी
10. अपराधी किस दिशा से आये व किस दिशा में गयें ।
11. गवाह के नाम पता, बिच बचाव किया या गवाह के चश्मदीद गवाह
12. उन अपराधीयों व लक्षणों को कौन–कौन पहचान सक्ते हैं ।
13. अपराधी क्या–क्या सामान ले गयें ।
14. आकार, प्रकार, मॉडल पहचान चिन्ह आदि
15. वस्तुओं के बिल वगैंराह
16. अपराधी मौंके पर क्या–क्या छोड गयें (चिन्ह, वस्तुऍ)
17. एफ.आई.आर. में देरी का कारण आदि

एफ.आई.आर. कौन दर्ज करा सकता हैं– पीडित व्यक्ति, अपराध के बारे में जानकारी रखने वाला, चश्मदीद गवाह, अपराध का व्यू, अपराध होने के बाद सुनने वाला पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी स्वयं प्रथम सुचना रिपोर्ट पर मजिद दरियाप्त–

रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति कानुन से अनभिज्ञ एंव अशिक्षित होता हैं उसके कारण न्यायालय में एफ.आई.आर का क्या महत्व हैं या एफ.आई.आर. में क्या–क्या समावेश होना चाहिए उसकी समझ के बाहर की बात हैं। ऐसी सुरत में शिकायत करता द्वारा रिपोर्ट को अच्छी तरह पढकर समझे एवं कानुन की महत्वता को देखते हुऐ एफ.आई.आर. में छुटी बातों का आरपीआर 1965 के नियम 5.1(4) के तहत परिवादी से प्रश्न करके इन्डोसमेंन्ट मे तकरियत दर्ज कर लेना चाहिये। इन्डोसमेन्ट न्यायालय में एफ.आई.आर. का ही भाग माना जाता हैं। न्यायालय में एफ.आई.आर. के साथ इण्डोसमेन्ट की एक्जीवीट्स होती हैं । इन्डोसमेंन्ट के निचे फरियादी के हस्ताक्षर किये जाते है।

एफ.आई.आर. के इन्डोसमेन्ट में रिपोर्ट एंव तकरिबन दरियाप्त प्रार्थी को पढकर सुनाई एंव समझाई गई एंव हस्ताक्षर कियें/करवाये गयें कि इबारत आवश्यक रूप से लिखे।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा–173 संज्ञेय मामलों में इत्तिला–(1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढकर सुनाई जाएगी और प्रत्येक

ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप से लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगें जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे,प्रविष्ट किया जाएगा।

(परन्तु यदि किसी स्त्री द्वारा, उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 (2023 का 45) की धारा 124 (1), धारा 124 (2), धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 78, धारा 64, धारा 66, धारा 65 (2), धारा 68, धारा 70(1), धारा 70(2),या धारा 79 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तिला दी जाती है तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी और ऐसी स्त्री को विधिक सहायता और किसी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता या महिला संगठन या दोनों की सहायता उपलब्ध कराई जाएगीः

परन्तु यह और कि–

(क) यदि वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता(2023 का 45) की धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 78, धारा 64,धारा 66, धारा 65(2), धारा 68, धारा 70(1), धारा 70(2)या धारा 79 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के, जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की ईप्सा करता है, निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, यथास्थिति, किसी द्विभाषिए या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी,

(ख) ऐसी इत्तिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगीः

(ग)पुलिस अधिकारी धारा 183 की उपधारा (6क) के खंड के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभवशीघ्र अभिलिखित कराएगा।

(2) उपधारा(1) के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि, इत्तिला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी।

(3) कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा(1) में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इंकार करने से व्यथित है, ऐसी इत्तिला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबन्धित रीति से अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध से संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को सभी शक्तियां होगी।

11.घटनास्थल का संरक्षण एवं भौतिक साक्ष्यों का संकलन, साक्ष्यों की अभिरक्षा की श्रृखंला का महत्व।

अपराध का घटनास्थल और अपराध का पता लगाने में इसकी महत्ताः–घटना से हमारा तात्पर्य उस घटना या आपराधिक कार्य से है जो आकस्मिक रूप से या जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति या नुकसान पहुँचाने की नियत से हमारे दैनिक जीवन में घटित होती है या की जाती है जैसे अचानक वाहन दुघर्टना हो जाना या चोरी करने की नियत से जेब काटना।

घटना स्थल – घटना स्थल से अभिप्राय उस स्थान से है जहाँ पर अपराध घटित हुआ है तथा अपराधी, अपराध एवं पीड़ित व्यक्ति के उपयोग में लाई गयी वस्तुएँ एक दूसरे के सम्पर्क में आती हैं।

अपराध का पता लगाने के निम्न महत्व है :–

(1) उंगलियों के निशान, पैरों के निशान, बाल, कोई कपड़े अथवा ऐसे अन्य अवशेष जो छोटे अथवा बड़े हों, जो अपराधी साधारणतया पीछे छोड़ जाते हैं, और अन्वेषण में सहायता करते हैं।

(क) किसी भी अपराध के लिये किये हुए तथ्यों को जान पाना।

(ख) अपराधी को जान पाना।

(ग) उस अपराधी को बन्दी बनाकर लाने, दण्ड दिला पाने में अथवा निर्दोष व्यक्ति को बन्दीगृह से मुक्त करा पाने में सहायक सिद्ध हो पाते हैं।

(2) इससे अपराधी को पहचान पाने में और उसे चिहिन्त कर पाने में आसानी होती है एवं अपराधी के आने व जाने के रास्तों तथा जो निशान वह छोड़कर गया है, उन्हें इकट्ठा कर पाने में सहायता मिलती है।

(3) अपराध स्थल की पहचान करने में भी घटना स्थल का निरीक्षण आवश्यक है।

(4) यह इस चीज की सच्चाई भी दर्शाता है कि क्या गवाह सच्ची बात कर रहे हैं अथवा नहीं?

(5) इससे अपराधी स्वयं ही भौंचक्का हो जाता है जब वह अपने ही छोडे गये चिन्हों को अपने आप देखता है।

(6) अन्वेषक को यह काफी सहायक सिद्ध होता है जब वह अपराध को उसकी कहानी के अनुसार हालात में गूँथते हुए एक कहानी सी बनाता है जैसा कि अपराध करने से पहले साधारणतया अपराधी के दिमाग में होती है। यदि वह किसी कारणवश स्वयं उस निरीक्षण हेतु नहीं पहुँच पाता तो की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 176 के अधीन किसी अधीनस्थ अधिकारी को वहाँ भेज दे जो उस स्थान को अन्वेषण के लिए उस समय तक सुरक्षित रखे जब तक कि निरीक्षण दल उस स्थल पर पहुँच न जाए

2 घटना स्थल को सुरक्षित रखना –जब किसी घटना या अपराध के घटित होने की सूचना पुलिस को मिले तो प्रबन्धक थाना का कर्तव्य है कि वह घटनास्थल की सुरक्षा के लिए किसी सिपाही को तुरन्त घटनास्थल की ओर रवाना कर और स्वयं भी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करके घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए वहाँ पहुँचे ।

घटनास्थल की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित बातों का पालन करें :–

1 घटना स्थल के आसपास किसी प्राइवेट व्यक्ति को न आने दें।

2 घटना स्थल से लगते हुए क्षेत्र की भी निगरानी व सुरक्षा करें ताकि कोई भी भौतिक साक्ष्य नष्ट न हो पाये।

3 घटना स्थल पर प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति पर निगरानी रखें।

4 घटना स्थल के आस पास भीड़ एकत्रित न होने दें।

5 स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले भौतिक साक्ष्यों जैसे पद चिन्ह इत्यादि को किसी वस्तु से ढक दे।

6 घटना स्थल पर मौजूद वस्तुओं का न छुएं और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को छूनें दें।

7 यदि कोई व्यक्ति घायल अवस्था में हो तो घटनास्थल के क्षेत्र का कम से कम उपयोग करते हुये उसे अस्पताल में पहुँचाने का प्रबन्ध करना चाहिए ।

8 घटना स्थल पर मौजूद व्यक्तियों को तब तक न जाने दे जब तक अन्वेषणकर्ता ने उनसे आवश्यक पूछताछ न कर ली हो।

9 घटना स्थल की सुरक्षा और उसका निरीक्षण अनावश्यक देरी के बिना किया जाना चाहिए।

10 घटना स्थल की सुरक्षा तब तक करनी चाहिए जब तक उच्च अधिकारी एवं अन्य विशेषज्ञ इसका निरीक्षण ना कर ले या उसका फोटो न उतार ले।

11 घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान दो या अधिक स्वतंत्र प्रतिष्ठित गवाहों को अवश्य बुला लें जो उस गाँव या शहर के रहने वाले हों और इसके बारे में गवाही देने के लिए तैयार हों लेकिन बदमाश, आँवारा या शराबी ना हो।

12 घटना स्थल की सुरक्षा सावधानी, सतर्कता और चुस्ती के साथ करनी चाहिए।

11. अंगुल चिन्ह– अंगुल चिन्ह लेने के तरीके एवं उनका वर्गीकरण, खोज करना और घटना स्थल से अंगुल चिन्ह उठाना (प्रयोगिक) उठाए गए अंगुल चिन्हो को विकसित करना:–

1. –अंगुल चिन्ह, लेने के तरीके एवं उनका वर्गीकरण, खोज करना और घटनास्थल से अंगुल चिन्ह पैकिग लेबल करना प्रदर्शो का भेजना, आरपीआर नियम 1948 के नियम 415,416,417,418,420 उठाना (प्रयोगिक) उठाए गए अंगुल चिन्हों का विकसित करना।

2. अंगुल चिन्हः– ''अंगुल छाप'' से तात्पर्य अगुलियों के अन्तिम पोर (Phalange) में रघीनो (Ridge) की बनावट (Pattern) को स्याही,खून, रंग गंदगी नयी तथा चिकनाहट आदि की साहयता से अंकित होना या करना है।

3. व्यक्ति की पहचान के एक सफलता एवं निश्चयात्मक साघन के रूप में ''अंगुल चिन्ह'' को स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित विशेषताओं के कारण पहचान की इस विधि का महत्व है–

(क) अद्वितिय पूरे विश्व में अब तक के अनुभवों में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नही मिले है। जिनके ''अंगुलचिन्ह'' समान हो तथा एक ही व्यक्ति को दो अलग–अलग अंगुलियों के ''अंगुलचिन्ह भी कभी समान नहीं पाये गये है। अर्थात प्रत्येक ''अंगुल चिन्ह पूरे विश्व में अपूर्व एवं अकेला होता है। इसी विशेषता के कारण अगुल चिन्ह किसी व्यक्ति की पहचान का महत्वपूर्ण एवं निश्चयात्मक (Conclusive) साक्ष्य माना गया है।

(ख) स्थापित्व (Permanence) किसी व्यक्ति की अंगुलियों के रघीनों की बनावट उसके पूरे जीवन काल में अपरिवर्तित रहती हे। चमड़ी के प्रत्यारोपण या शल्य किया के द्वारा भी रघीनों की बनावट (Ridge Patterns) को बदला नहीं जा सकता अंगुलियों के कुछ रोगो या अव्यवस्थाओं के कारण अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु कुछ समय पश्चात पुनः प्रकट ही जाते है।

उक्त दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के अलावा निम्न गुण भी हैः–

(ग) सर्वव्यापकता (Universlity) प्रत्येक व्यक्ति की अंगुलियों पर रघीनो की बनावट (Ridge Patterns) पायी जाती है।

(घ) अभिलेख को सरलताः–किसी व्यक्ति की अंगुल चिन्ह उसके ज्ञान के बिना सरलता से अभिलिखित किये जा सकते है।

(ङ) वर्गीकरण के सरलताः– अंगुल चिन्ह पर्चियों के एक व्यापक समूह को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पत्रावलियों में पृथक स्थान दर्शाया जा सकता है।

1. अगुंल चिन्हो का उपयोग–

1– अंगूल चिन्ह का उपयोग पूर्व में दण्डित एवं अगुल चिन्हों का उपलब्ध रिकार्ड वाले अपराधियों को पहचान स्थापित करने हेतु किया जाता है।

2– किसी अपराध के घटना स्थल पर पाये गये ''चान्स प्रिन्ट'' को उठाकर अपराधी की पहचान कर उसको दण्ड दिलाया जा सकता है। संदिग्ध व्यक्तियों के नमुने के ''अगुल चिन्ह'' लिये जाकर ''चान्स प्रिन्ट'' से मिलान कर उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सकती है। यदि ''अपराध रिकार्ड ब्यारो'' में किसी अपराधी का पूर्व में अंगुल चिन्हों का रिकार्ड उपलब्ध है तो चान्स प्रिन्ट से मिलान कर संदिग्ध अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित की जाकर उसको दण्डित करवाया जा सकता है।

3– अनजान व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिये उपयोग में लिया जा सकता है।

4– किसी गुट के निवासियों के अगुल चिन्हों की सहायता से उन्हे अनाधिकृत प्रवेश करने वालो के चान्स प्रिन्ट से अलग किया जा सकता है।

5– सिद्ध दोष व्यक्तियों के ''अंगुल चिन्ह'' ब्यूरो में अभिलेख हेतु आर0पी0 फार्म न0 102 में अपराधीयों की रिकार्ड स्लिप तैयार की जाती है। बन्दी शिनाख्त अधिनियम 1920 एवं राजस्थान बन्दी शिनाख्त अधिनियम 1956 में नाप जोख में ''फिगर प्रिन्ट'' व ''फुट प्रिन्ट'' भी शामिल है। पुलिस को सजायाफ्ता व्यक्तियो गिरफ्तार व संदिग्ध व्यक्तियों के 'अगुल चिन्ह' लेने के अधिकार प्रदान किये गये है।

2. घटनास्थल पर अंगुल चिन्हः–घटना स्थल पर अपराधीयों द्वारा छोड़े गये ''अंगुल चिन्ह'' चान्स प्रिन्ट (**Chance Print**) कहलाते है ये अंगुल चिन्ह अपराधी द्वारा अन्जाने में छोड़ दिये जाते है इसलिये इन्हे नकबजन का'' विजिटिग कार्ड'' (Burglars Visiting Card) कहते है।

3. '' चान्स प्रिन्ट'' मुख्यता तीन प्रकार के होते हैः–

1–दृश्य चिन्ह– ये चिन्ह कुछ रंगीन पदार्थ जैसे–पेन्ट, स्याही, गन्दगी, रक्त ओर दृव्य प्रदार्थ से सनी अंगुलियों द्वारा बनते है। इस प्रकार के चिन्हों को विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा फोटो लेकर रिकार्ड किया जा सकता है।

2–प्लास्टिक प्रिन्ट– ये चिन्ह प्रायः लचीली सतह (Flexible Surface) पर जाते है। इसीलिये ''प्लास्टिक चिन्ह'' कहलाते है ये चिन्ह साबुन गीली मिट्टी, राल ,मोमबत्ती, मोम या पेराफिन और चिपचिपे पदार्थो पर पाये जा सकते हे। इस प्रकृति के चिन्ह तिरछी रोशनी में फोटो लेकर रिकार्ड किये जा सकते है।

3– ''अदृश्य अंगुल चिन्ह' (लेटेन्ट चिन्ह) सबसे महत्वपूर्ण ''चान्स प्रिन्ट'' दृश्यता चिन्ह या लेटेन्ट प्रिन्ट होतें है। ये चिन्ह अत्यन्त कमजोर दृश्यता वाले होते है तथा विकसित करने के बाद ही स्पष्ट रूप से दृश्यमान होते है। ये चिन्ह अंगुलियो द्वारा चिकने रंगहीन पदार्थ छोड़े जाने पर उत्पन्न होते है। ऐसे चिन्ह, पसीना, मैल तथा चिकनाई युक्त पदार्थ जो अंगुलियो पर लगे रहते है से उत्पन्न होते है।

4. अदृश्य अंगुल चिन्हों को विकसित करना–

लेटेन्ट अगुल चिन्हों को विकसित करने की दो प्रमुख विधियों में एक भौतिक व दूसरी रासायनिक विधि है–

भौतिक विधियॉः–पाउडर तकनीक से विकास अगर पाउडर पद्धति को अपनाया जाना है तो इस बात का महत्व नहीं है कि कौनसा पाउडर काम में लेना है। पाउडर बारीक पिसा हुआ तथा सतह की पृष्ट भूमि से भिन्न रंग वाला होना चाहिये पाउडर चिपकने की प्रकृति वाला भी होना चाहिये। ''फिगर प्रिन्ट'' विकसित करने वाले ''किट'' में काला एवं ''ग्रे'' दो प्रकार क पाउडर सामान्यतया होते है।

1– काला पाउडर इस पाउडर का प्रयोग हल्के रंगो वाली तथा सफेद रंग की सतहो पर किया जाता है जो श्याम– सफेद (black and white) फोटो ग्राफी करने पर सफेद रंग में प्रकट होते है। सफेद कागज एवं चीनी मिट्टी के बर्तनो पर इसका प्रयोग अच्छा प्रभाव उत्पन्न करता है।

2– ग्रे/सफेद पाउडरः– चाक एवं पारे मिश्रण से प्राप्त पाउडर के अच्छे परिणाम प्राप्त होते है। ग्रे पाउडर का प्रयोग गहरे रंग वाली सतहो (Dark Surface) कांच, चांदी एवं पॉलिश वाले बर्तनों पर किया जाता है। उक्त दो प्रकार के पाउडर के अलावा निम्न का प्रयोग भी किया जाता है–

3– लाल पाउडर – यह ताड़ के पेड़ से प्राप्त राल (resin) से बना लाल रंग का बारीक पाउडर होता है, जिसका प्रयोग की नक्काशी में किया जाता है। इस पाउडर के प्रयोग विकसित अदृश्य चिन्ह गर्म करने पर ताप से आकृति में कोई परिवर्तन हुए बिना प्रकट होते है। कागज पर ताजा प्रिन्ट होने पर इसका प्रयोग अच्छा रहता है।

4– सिल्वर पाउडर– बारीक एल्यूमिनियम डस्ट से बने इस पाउडर का प्रयोग पेन्ट किये हुये, पॉलिश या वार्निस की हुई सतहो एवं पंख व सिलोफेन जैसे प्रदार्थो पर किया जाता है।

5– फ्लूरेसेंट पाउडर– जब कभी बहुरंगी सतहो पर अगुल चिन्हों को विकसित करना होता है जैसे कार्टून, पत्रिकाओं के कवर, कलेण्डर एवं डिब्बो इत्यादि पर तो फ्लोरेसेन्ट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। विकसित किये गये चिन्ह डार्क रूम में पराबैगनी किरणों में एक्सोज किये जाते है। एन्थ्रासिन एवं रोडेमिन–बी कुछ फ्लूरेसेंट पाउडर है।

पाउडर का प्रयोग कैसे किया जावेः– कठोर बालो के ब्रुश तथा शुतुरमुर्ग के बालो से बने ब्रुश का प्रयोग किया जाता है। अदृश्य चिन्ह युक्त सतह पर ब्रुश की सहायता से पाउडर छिड़का जाता है। सतह पर अगुलियो द्वारा छोड़ी गई चिकनाई पर पाउडर चिपक जाता है तथा रधीनें (**Ridges**) प्रकट होने लगती है। एक बार रधीनों का बनावटो की रूपरेखा प्रकट हो जाती है ब्रुश को रधीनों की दिशा के साथ–साथ व धीरे–धीरे चलाना चाहिये तथा फालतू पाउडर हटा देना चाहिये। अगुल चिन्ह विकसित हो जाने पर पाउडर के रंग वाली मार्किंग पेन्सिल द्वारा घेरा (**Incircle**) कर उसके आस–पास प्रकरण का विवरण व प्रादर्श मार्क अंकित कर फोटोग्राफ लिया जाता है।

1– कोर (**Core**)– कोर अंगुली छाप का आतरिक अन्तिम बिन्दु (**Inner Terminus**) है। जब कोर विषय रधीनों से बनाता है। तब सबसे बीच वाले रधीनो का सिरा कोर बनाता है। जब कोर समसंख्यक रधीनों से बनता है। तब बीच के दो रधीनों में से डेल्डा से दूर वाले रधीने का सिरा कोर बनाता है। चाहे उन रधीनों के सिरे उपर जुड़े हो या खुले हो। व्हर्ल तथा कम्पोजिट प्रकार की बनावटों में जो व्हर्ल से बने हो चाहे वे अण्डाकार हो या गोलाकार हो सबसे बीच वाला बिन्दु, जहॉ से रधीने का घुमाव शुरू होता है कोर का बिन्दु कहलाता है।

2– डेल्टा (**Delta**) यह अंगुली चिन्ह बनावट का बाह्य अन्तिम बिन्दु है जो दो प्रकार से बनाता है।

1– एक रधीने के टूटकर दो भिन्न दिशाओं में जाने पर डेल्टा वट बिन्दु कहलाता है जहॉ रधीने फुटकर सिगड़ज बनती है। यदि किसी चिन्ह में एक से अधिक विभाजन हो तो वह जो कोर के सबसे निकट हो (भीतरवाला) डेल्टा बनाता है। (बन्द डेल्टा)

2– दो साथ–साथ चलने वाले रधीनों के अपने रास्ते बदलकर भिन्न– भिन्न भागों में चले जाने पर दोनों रधीनों के रास्ता बदलने वाले स्थान के सामने बिन्दु डेल्टा (**Open Delta**) कहलाता है।

अंगुली छाप की बनावटे (**Finger Print Patterns**) अंगुली चिन्ह में सभी छापो को उनके रधीनों की बनावट के आधार पर निम्नलिखित

1– आर्च (**Arch**)– यह अंगुली छाप की वह बनावट हे जिसमें रधीने अंगुली के एक किनारे से प्रारम्भ होकर बिना लौटे हुये लहरो की तरह बीच में उठते हुये दूसरे किनारे पर समाप्त होते है। इनमें डेल्टा नहीं होता है। आर्च दो प्रकार के होते है 1–प्लेन आर्च, 2–टेन्टेड आर्च

1– टेन्टेड आर्च (**Tented Arch**) कभी–कभी आर्च के बीच वाले रधीने उपर की और तम्बु के डण्डे के समान उठे होते है और इन डण्डे की तरह उठे रधीने के दोनो ओर शेष रधीने इस तरह कृमबद्ध होते है। जैसे कि डण्डे के दोनो ओर लटके हो ऐसी दशा में यह छाप ठीक तम्बु की तरह दिखाई पड़ता हैं इस प्रकार के आर्च को टेन्टेड आर्च कहते है।

2– लूप (**Loop**) यह अंगुली छाप की वह बनावट हे जिसमें रधीने अंगुली के एक किनारे से प्रारम्भ होकर कुछ दूर जाने के उपरान्त लौटकर फिर उसी और समाप्त होते है जिस तरफ से प्रारम्भ हुये थे इस बनावट में रधीने उस डोरी के फन्दे की भाति जान पड़ते है जिनके दोनो सिरे एक ही ओर हो और यही कारण है कि इस प्रकार की बनावट को लूप या फन्दा कहा जाता है।

स्मरण रहे कि प्रत्येक लूप में एक डेल्टा एक कोर और दोनो के बीच में कम से कम एक लौटा हुआ रधीना हो या उस लौटे हुऐ रधीने के उपरी केन्द्र से उपर या नीचे की ओर कोई रधीना समकोण में फुटा या उस लौटे हुये रधीने को कोर तथा डेल्टा को मिलाती हुई खीची गई काल्पनिक रेखा न काटे तो लौटे हुऐ रधीने की गणना नष्ट हो जायेगी तथा इस बनावट की लूप के स्थान पर आर्च ही माना जावेगा। कभी–कभी लूप तथा आर्च की बनावट रधीने के उपर उठ जाने के कारण एक जैसी ही दिखती है और अन्तर समझना कठिन हो जाता है ऐसी दशा में यह समझाना चाहिये कि शीर्ष के किसी आरे यदि एक भी लौटा हुआ रधीना हो तो उसे लूप मान लेना चाहिये। यदि शीर्ष के दोनो आरे लौटे हुये रधीने हो तो वह टेन्टेड आर्च कहलायेगा। लूप दो प्रकार हैं– 1–अलनर 2–रेडियल

1–रेडियल लूप (**Radial Loop**) यदि लूप बनाने वाले रधीने के दोनो शीरे अंगूठे की तरफ से प्रारम्भ होकर लोटने के बाद फिर अंगूठे की ओर समाप्त होते है तो यह बनावट रेडियल लूप कहलायेगी जब तक यह ज्ञात न हो कि अगुंली धारा किस हाथ का यह बताना सम्भव होगा कि लूप अलनर है या

रेडियल अतः एक लूप रेडियल है या अथवा यह जानने के लिये लूप का ढाल (slope) तथा किस हाथ की अगुली चिन्ह है जानना आवश्यक है।

दाहिने हाथ एवं दाहिनी ओर ढाल– अलनर लूप।

बाए हाथ एवं बॉयी ओर ढाल– अलनर लूप।

दाहिने हाथ एवं बायी ओर ढाल– रेडियल लूप।

बाऐ हाथ एवं दायी ओर ढाल– रेडियल लूप।

2– अलनर लूप (**Uiner Loop**) यदि लूप बनाने वाले रधीने के दोनो सिरे कनिष्टका की तरह होकर लौटने के पास समाप्त हो तो यह बनावट अलनर लूप कहलायेगा।

2. व्हर्लस (**Whorl**) यह अंगुली छाप की वह बनावट है जिससे दो डेल्टो के बीच कुछ रधीने केन्द्र के चारो ओर घूमकर वृताकार या अण्डाकार गोला बनाते है। गोला बनाने वाले ये रधीने ने कभी इकतरे होते है कभी दोहरे और इसी के मान से व्हर्ल का एक कोर वाला (**Single Cord**) या दो कोर कहा जाता है। स्मरण रहे कि प्रत्येक व्हर्ल में एक कोर तथा कम से कम दो डेल्टा होना आवश्यक है।

व्हर्ल दो प्रकार के हो सकते है।

1– स्पाईर्ल व्हर्ल (**Spiral Whorls**) इस व्हर्ल में सुस्पष्ट वर्ताकार रधीने होते है।

2– इलेन्गेटेड व्हर्ल (**Elongated Whorls**) इस व्हर्ल के वर्ताकार रधीने कुछ पिचके हुऐ अथवा खीचे हुये होते है।

3– कम्पोजिट (**Composite**) आर्च को छोड़ कर जब अन्य प्रकार की दो या दो से अधिक कोई भी बनावटे एक ही अंगुली छाप में मले तो उसे कम्पोजित या मिश्रित कहा जाता है। ऐसी बनावटे दो लूप एक लूप तथा एक व्हर्ल दो व्हर्ल या इन्ही के मिश्रण में बनती है।

अंगुली छाप वस्तुओ के पैकिंग आदि स्थानान्तरण करते समय ध्यान देने योग्य बाते आर0पी0आर नियम 1948 के नियम 415, 416, 417, 419, 420

नियम 415:– क– छाप अंगुरत में अंगूठे की छापे भी शामील है और छापे या ता ''रोल्ड'' होती है या प्लेन।

ख–'' अन आइडेन्ट फाईड'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसकी सकूनत और पूर्व परित्र मालूम न हो या तफतीश पुलिस में पूरी तरह निश्चित न किये गये हो।
ग– ''अनट्रेस्ड'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है। जिसके विरूद्व सजापबी साबका का पता न चला हो।
घ– ''एक्सपर्ट'' का तात्पर्य उस अफसर से है जो छाप अगुरत की निपुणता के साथ जॉच करने उनका वगीकरण करने उनके सम्बंध में निपुण रूप देने में पास किया हुआ है।
नियम–416 क– छापे हमेशा अधिकृत फिंगर प्रिन्ट स्लिपान पर ली जायेगी।
ख– छापो में अंगुली का सिरा हमेशा फार्म के सिरे की ओर रहेगा।
ग– रोल्ड छापे लेने में सुभीते के लिए स्लिप की तरह जायेगी और तह किया हुआ भाग भेज के किनारे पर रखा जायेगा।
घ– हर अगुंली की रोल्ड छाप में अगुली के कुब्बे (फुले हुए भाग) की पूरी परिधि आना चाहिए। शंक होने की हालत में एक डेल्टा और चक्र होने की हालत में दो डेल्टा दिखाई देना चाहिए।
ड– हर अंगुली की छाप उसके लिये नियत स्थान मे ली जायेगी और उस जगह से बाहर की ओर निकली हुई नहीं रहेगी।
च– दाहिने हाथ की रोल्ड छापें अंगुली पर स्याही लगाई जाकर और नम्बर वार लगाई सबसे पहले ली जायेगी। जब ये ले ली जाय तो उस हाथ की चार अंगुलियों की छपी ली जायेगी जब उस हाथ की छापे ले ली जा चुके तो उसी ढग से बाये हाथ की अंगुलियो की छापे लेना चाहिये।
छ– तमाम व्यक्तियो और जगहों के नाम बहुत स्पष्ट पढने में आ सके वैसे लिखे जाना चाहिये। इन्द्राजात संक्षिप्त होगे और सजाया बिया काल क्रमानुसार लिखी जाएगी।
झ– छापे के लिये जाने के बाद स्लिप उलट दिया जायेगा और छापे लिये जाने वाले का नाम, सकूनत, ब्यौरा और सजाया बिया भरे जायेगे।
ण– औरतो के फिगंर प्रिन्ट स्लिपस् रव्वाह खोज के लिये या रिकार्ड के लिये भेजे जाये तो स्लिप के स्लिप तरफ छापे हो उसकी किनार पर तुर्खी के शब्द ''फीमेल'' (औरत का) लिखा जायेगा।
न– यदि कोई अंगुली लुप्त है या आकृति इतनी नष्ट है कि उसकी छाप लेना सम्भव नहीं है' तो उस अंगुली के लिये जो स्थान निपत है। उसमे शब्द ''मिसिग या डिफार्मड'' (लुप्त या आकृति नष्ट) स्याही से लिखा जायेगा दो अंगुलियो होने की दशा में यदि संभव हो तो दोनो में से एक छाप ली जायेगी जो अधिक स्पष्ट हो कुरूपता चीरे, फोडे, के चिन्ह और बीमारी के चिन्ह जो छापो के साफ उभरने में रूकावट करे तो उनका पूरी तरह से वर्णन किया जायेगा और यह लिखा जायेगा कि आया वे निशानात अस्थाई है या स्थाई।
ट–कोढियों के छाप अंगुरत किसी भी दशा में नहीं लिये जायेगे। जो व्यक्ति उड कर लगने वाली या छूत की बीमारी से बीमार हो तो जब तक वे बिल्कुल आराम न हो जाए उनके छाप अंगुरत नहीं लिये जायेगे।
नियम 417– निम्न व्यक्तियों के छाप अंगुरत चाहे वे बालक हो या जवान मर्द हो या औरत स्थायी रिकार्ड के वास्ते लिये जायेगे।
1– तमाम ऐसे व्यक्ति जो सजा की अवधि का कोई लिहाज न रखते हुए मालीपत के विरूद्व में जुर्मो में सजायाब हुए हो और उनमें दुबारा गिरफ्तार होने पर वेशी सजा मिल सकती हो यदी उनके नाम और पूर्व परिवर्तित मालूम न हुए हो और निश्चित न किये जा सकते हो।
2– तमाम ऐसे व्यक्ति जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 10 और 17 के जुर्मो में जो लायक एक साल या अधिक की कैद सख्त की सजा के है। सजायाब हुए हो और जिनके छूट जाने के बाद फिर जुर्म करने की संभावना हों
3– तमाम ऐसे व्यक्ति जो **भारतीय न्याय संहिता 2023** के अध्याय 10 और 17 के जुर्मो में जिनमें एक साल और अधिक की कैद की सजा मिलती हो दुबारा सजायाब हुए है।
4– तमाम ऐसे व्यक्ति जो **भारतीय न्याय संहिता 2023** की धाराऐं (214,178 से 179,125,318(2) सिवाय इसके कि जुर्म तुच्छ या पारिवारिक टेक्निकल प्रकार का) से 318, 85 ,178, 179, 180, 181 और 182 के अधीन सजायाब हुए हो।
5– तमाम ऐसे व्यक्ति जिनके लिये **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023** की धारा 128 और 129 के अधिन मुचलके लिये जाने का हुक्म हुआ हो।
6– तमाम ऐसे व्यक्ति जो कि नाजायज हथियार, अफीम या कोकेन का व्यापार करने वाले और ऐसे जुर्मो में सजायाब हुए ।
7– एक्ट या ऑर्डिनेन्स अकवाय जुरायम पेशा के अधीन रजिस्ट्री किये हुए अकवास जुरायम पेशा के अधीन रजिस्ट्री किये हुए अकवाय जुरायम पेशा के लोग।

8— तमाम व्यक्ति जो गुन्डा अधिनियम के अधीन सजायाब हुए हो।
9— तमाम ऐसे व्यक्ति जो ऐसे जुर्मो के इकदाम या अयानत (**भारतीय न्याय संहिता 2023**) की खण्ड 62 या 316(5)/54 के लिये सजायाब हुए हो कि जिसके कारण वे पी—आर बनाये जाने योग्य हो यदि (1)—उनकी सकूनत के जिलो के बाहर सजायाब हो या
(2)— उनके फिगंर प्रिन्ट स्लिपस पहले से रिकार्ड पर होना मालूम हो या विश्वास जाता हो या (3)— वे अनआइडेन्फाइड रहते हो।
10— तमाम व्यक्ति जो राजनैतिक आन्दोलन में एक साल या अधिक के सजायाब हो।
नियम 419 गैर तजवीज कैदी का फिंगर प्रिन्ट खोज के लिये नियत फार्म पर खर्च स्लिप के साथ भेजा जाना चाहिये जब ऐसे फिंगर प्रन्टि स्लिपस खोज के लिये भेजे जाये तो तहकीकात रोकी नहीं जायेगी लेकिन पहले इसके लिए सजा तजवीज की जाये, ब्यूरो से जबाब आने तक मुकद्मे के रिमान्ड के लिये दरख्वास्त दे दी जायेगी।
नियम 420 खास—खास मुकदमों में सरकारी गवाहों के छाप अंगुष्ठ हों और फोटो फौरन लिवा लेने चाहियें।
घटना स्थल से पद चिन्ह उठाने के तरीके (फोटोग्राफी) —
फोटोग्राफी :— सामान्यतः फूट प्रिन्ट को किसी भी विधि से उठाने से पूर्व फोटोग्राफी अवश्य कर लेनी चाहिए ताकि फुट प्रिन्ट को उठाते समय बिगड.ने पर फोटो का उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकें फोटोग्राफी करते समय निम्न बातो का ध्यान रखना चाहिए।
1. कैमरे के लैंस पद चिन्ह युक्त सतह के सामानान्तर रखने चाहिए।
2. अधिकतम गहराई प्राप्त करने के लिए हर को न्यूनतम अनुमत एक स्टॉप पर फिक्स करना बेहतर होता हैं
3. सूर्य की रोशनी में भी फ्लेश का प्रयोग करके और अधिक स्पष्ट फोटो प्राप्त किया जा सकता है।
4. फुट प्रिन्ट के बराबर पैमाना रखना चाहिए ताकि सुपरइम्पोजिशन तकनिक से तुलना व विश्लेषण में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।
5. पहचान की विशिष्टियों से युक्त एक कागज का टुकड.ा फुट प्रिन्ट के पास लगाना चाहिए जिस पर दिनांक प्रकरण का विवरण, अनुसंधान अधिकारी व गवाहों के हस्ताक्षर अंकित हो।
ट्रेसिंग (Tracing) :— यह पद चिन्ह अभिलिखित करने की आसान विधि है। एक कॉच या सेलुलॉयड शीट और एक ग्लास माक्रिंग पेन्सिल का प्रयोग कर पद चिन्हों की बाहरी रूपरेख तैयार की जाती है। जिसमें निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाता है:—
1 कॉच या सेल्युलाइड शीट को पद चिन्ह् के उपर निकटतम दुरी पर इस प्रकार लगाना चाहिए कि फुट प्रिन्ट को वास्तव में स्पर्श न करें।
2 ट्रेसिंग पूरा होने तक कॉच या सेल्युलाइड शीट को हटाना या हिलाना नही चाहिए।
3 ग्लास माक्रिंग पेन्सिल से खीचीं गई रेखायें यथासम्भव बारीक, वतत् व सुस्पष्ट होनी चाहिए।
4 पेन की नोक तथा ऑख को एक ही सीध में रेखांकित किये जाने वाले भाग के लम्बवत उपर रखें।
लिफ्टिंग (Lifting) :— फुट प्रिन्ट को उठाने हेतु फोटोब्रोमाइड पेपर तकनीक तथा स्थिर वैधुतिक तकनीक प्रयुक्त की जा सकती है।
1 फोटोब्रोमाइड पेपर :— धूलनुमा पदार्थो द्वारा निर्मित पद चिन्ह् काले फोटोब्रोमाइड कागज द्वारा उठाये जा सकते है। पेपर को थोड.ी देर पानी में डुबोकर नम बनाकर फालतु पानी हटा लिया जाता है इस कागज को पदचिन्ह् युक्त सतह पर रखकर समान रूपसे दबाया जाता है। जिससे धूलयुक्त पद चिन्ह् कागज की चिपचिपी सतह पर स्थानान्तरित हो जाता है। कागज को एक कोने से पकड.कर धीरे—धीरे सतह से हटा लेना चाहिए।
2 स्थिर वैधुतिक लिफ्ट :— कम्बल, कपड.ो, चटाई व पायदान इत्यादि पर पॉवों की धूल या गन्दगी लगने पर सतही प्रिन्ट, उनके रंग व बुनाई के कारण दिखाई नही देते है।ब्लैक विनाईल प्लास्टिक या काली परत युक्त एल्यूमिनियम फोइल को उच्च विभव की बैटरी द्वारा आवेशित करने पर नेगेटिव फुटप्रिन्ट उतर आता है।
3 कास्टिंग (Casting) :— धंसे हुए त्रिविमीय पद चिन्हों को कास्ट द्वारा उठाया जा सकता है। सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस के घोल से कास्ट तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम उपलब्ध पद चिन्हों की श्रृखलो में से धॅसा हुआ तथा स्पष्ट पद चिन्ह् का चयन किया जाकर सतह पर मौजूद घास, कंकड. इत्यादि फालतू पदार्थो को सतह से छेडछाड. किये बिना सावधानीपूर्वक हटाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिश्रण बनाने के लिए प्लास्टर व पानी का 7:4 के अनुपात में मिलाया जाकर एकरूप गाढा होने पर हथेली की सहायता से फ्रेम में डाला जाता है और कठोर होने पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाता है।

अंत में कास्ट को हल्के पानी से धोना चाहिए तथाा कास्ट के साथ अनावश्यक छेडछाड. नही करनी चाहिए।
1.कीचड. गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी पर बने फुट प्रिन्ट को कास्टिंग तकनीक से उठाने से पूर्व पानी के आधिक्य को ब्लोटिंग पेपर से सोख लेना चाहिए।
2. शुष्क बालू मिट्टी मोटी या बारीक धूल पर बने फूट प्रिन्ट पर एसरोसोल वार्निश स्प्रे करके सतह को सरल बनाकर पृथककरणहेतु आयल स्प्रे करने के बाद कास्टिंग की जानी चाहिए।
3. बर्फ पर बने फुट प्रिन्ट को सूर्य की किरणो से बचाने के लिए ढक लेना चाहिए, अगर बर्फ की सतह मुलायम है तो एयरोसोल वार्निश स्प्रे सख्त बनाने के बाद कास्टिंग की जानी चाहिए।
पद चिन्हों को सुरक्षित रखना पैकिग और भेजना :– अपराध अनुसन्धान में भौतिक साक्ष्यों के सग्बंध में अभिरक्षा की कडी में महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस विनियम 1965 के नियम 6.26 मे पद चिन्हो औार पगदण्डी की साक्ष्य का महत्व दिया गया है अपराध के घटना स्थल पर पाए जाने वाले पदचिन्हो को विश्वसनीय गवाहों को दिखाकर उनकी उपस्थिति में ही कास्ट तैयार कर गवाहों व अन्वेषण अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाते है। घटनास्थल से उठाए गए फुट प्रिन्ट का यथावत् बिना किसी छेड.छाड के परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भिजवाना चाहिए। फुट प्रिन्ट के फोटोग्राफ ट्रेस व लिफ्ट पेपर व कास्ट को समूचित पेकिंग व लेबलिंग के बाद ही अग्रेषण पत्र के साथ प्रयोगशाला मे भेजना चाहिए।
भौतिक साक्ष्यः–साधारणतया भौतिक साक्ष्य से तात्पर्य किसी ऐसे स्थान पर जहां पर अपराध घटित हुआ हो कोई भौतिक वस्तु, चिन्ह या हथियार इत्यादि पाये जाते है जो अपराध, अपराधी पीडित व्यक्ति और घटनास्थल को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है जैसे घटना स्थल से प्राप्त रक्त, बाल, चुड़ियों, के टुकडे, वीर्य, कपड़े का टुकडा, रेशे, पेंट, टायर चिन्ह, यात्रिक चिन्ह, अगुल चिंन्ह, गोली, छर्रे, छुरा, चाकु, जूता, चम्पल या इसी प्रकार की कई अन्य भौतिक साक्ष्य इत्यादि। अपराधी कितना ही शातिर और चालक क्यो न हो फिर भी घटना, स्थल पर अनजाने मे कोई न कोई भौतिक सूत्र अवश्य छोड़ जाता हैं। जैसा कि डॉ. लोकार्ड का स्पर्श सिद्वान्त इसकी व्याख्या करता है। डॉ. लोकार्ड के स्पर्श सिद्वान्त के **अनुसारः– ''प्रत्येक स्पर्श कोई न कोई चिन्ह अवश्य छोड़ता हैं''।**
जिसके द्वारा उस स्पर्श की पहचान साक्ष्य के रूप में की जा सकती है। अपराधी द्वारा घटनास्थल पर छोड़े गये इन्ही चिन्हो या वस्तुओं को भौतिक सूत्र कहा जाता है, जो अन्वेषण करने वाले अधिकारी के लिए बहुमूल्य साबित हो सकती है। परन्तु लापरवाही एवं अज्ञानता के कारण प्रायः में भौतिक सूत्र नष्ट कर दिये जाते है, लेकिन जिसके फलस्वरूप पुलिस अधिकारी का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाती है, साधारणतया पुलिस को घटना स्थल पर जो भौतिक साक्ष्य मिलती है।

डी0एन0ए0 परीक्षण निम्न प्रकार की समस्याओं मे बहुत उपयोगी हैः–
(1) अपराधी, अपराध–पीडित, हथियार, वाहन, घटनास्थल, मार्ग आदि के आपसी सम्पर्क को स्थापित कर सकते है, जब शारीरिक पदार्थ रह जाते है अथवा उनका आदान–प्रदान हुआ हो।
(2) अपराधी या पीड़ित की शारीरिक पदार्थो द्वारा पहचान करना। ये पदार्थ गिरे हुए अथवा खीचे हुए बाल भी हो सकतें है।
(3) बलात्कार के मामलों में अपराधी के वीर्य के धब्बों या योनि के पोंछन से पहचान करना।
(4) प्याले, गिलास, सिगरेट के टोटे, थूक और दॉतो से काटने में जो लार उपस्थित होती है, उससे अपराधी को पहचानना।
(5) मुत्र व मल द्वारा व्यक्ति को पहचानना।
(6) क्षत–विक्षत शवों की पहचानना, जब जीवन काल के जाने–पहचाने शरीरिक पदार्थ उपलब्ध हों।
(7) जब अनेक शवों के टुकड़े बिखरे पड़े हों, तो उनका आपस में सही मेल।
(8) पितृत्व के विवादों में सही माता–पिता की पहचान।
(9) परिवार के सदस्य से अनैतिक सम्बन्ध के मामले।
(10) त्यागे हुए बच्चे के मॉ–बाप।
(11) शिशु–हत्या के मामले में बच्चे के मॉ–बाप।
(12) खून के रिश्ते के दावे की पुष्टि करना।
(13) अवैध सम्बन्धों की पुष्टि करना।
(14) जुड़वा बच्चे समान रूप है अथवा असमान रूपी।
(15) पितृत्व, बलात्कार आदि के झूठे आरोप।
(16) सामूहिक बलात्कार के मामलों में सभी अपराधियों को अलग– अलग से पहचानना।

नमूनों के स्त्रोतः– डी0एन0ए0 शरीर की लगभग सभी कोषिकाओं में पाया जाता है। अतः इसे अनेक शारीरिक पदार्थो से निष्कर्षित कर सकते है। इसकी सूची इस प्रकार हैः–

1– रक्त
2– वीर्य
3– बाल की जड़े
4– कटेनाखुन(मांस या रक्त लगा हो)
5– लार
6– शरीर के उत्तक
7– हडिडयो का मज्जा
8– मूत्र
9– मल
10– दांत की कैनाल का गुद्दा (पल्प)
11– भ्रूण (अविकसित शिशु का शरीर)
12– शवों से लिया गया रक्त आदि।

12.लेखन कौशल एवं अभ्यास –द्वितीय सत्र : फर्द बयान–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, फर्दात यथा गिरफ्तारी, बरामदगी, चार्जशीट तैयार करना।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 180 – (1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी, जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं हैं जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे,मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता हैं।

(2) ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप याशास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित उन सब प्रश्नों का सही–सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछना है।

(3) पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है,तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा,जिसका कथन वह अभिलिखित करता है।

परन्तु यह और कि किसी ऐसी स्त्री का कथन, जिसके विरूद्ध **भारतीय न्याय संहिता** (2023 का 45) की धारा 74,धारा 75, धारा 76,धारा 77, धारा 78, धारा 64, धारा 65(1), धारा 66, धारा 67,68,70(1),70(2),71 या धारा 79 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 181 –पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना; कथनों का साक्ष्य में उपयोग:–(1)किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, और न ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो, और न ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की, जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था, किसी जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात् यथाउपबंधित के सिवाय, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जायेगाः

परन्तु जब कोई ऐसा साक्षी, जिसका कथन उपर्युक्त रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है तब यदि उसके कथन का कोई भाग, सम्यक् रूप से साबित कर दिया गया है, तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023(2023 का 47) की धारा 148 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनः परीक्षा में भी, किंतु उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही, उपयोग में लाया जा सकता है।

(2) इस धारा की किसी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) की धारा 26 के खंड (1) के उपबंधों के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 23(2) के उपबंधों पर प्रभाव डालती है।

स्पष्टीकरणः– उपधारा(1) में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप या खंडन हो सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है, महत्त्वपूर्ण और अन्यथा संगत प्रतीत होता है और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न होगा।

फर्द गिरफ्तारी

फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी

मुलजिम श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास जाजि सैनी उम्र –23 वर्ष पेशा– मजदूरी, निवासी– किशोर बाग, मकान न. 172, कृषि मण्डी, मण्डोर रोड़, जोधपुर

मुतालिक मु.न. 20 दिनाकं– 21/06/14 धारा–103(1), पुलिस थाना–मण्डोर (जोधपुर)

मुर्तिबा दिनांक 21/07/14 स्थान समय 11.30 प्रातः

रूबरू मौतबिरानः–

1. श्री रमेश पुत्र श्री श्यामलाल जाति– सैनी, निवासी कृषि मण्डी, मण्डोर रोड़, जोधपुर।
2. श्री मोहन पुत्र श्री रामलाल जाति सैनी निवासी मण्डोर जोधपुर।

उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू मुलजिम श्री अशोक पुत्र श्री रामनिवास जाति– सैनी उम्र 23 वर्ष पेशा मजदूरी निवासी कृषि मण्डी मण्डोर रोड़ जोधपुर को जुर्म उपरोक्त से आगाह कर हस्ब कायदा गिरफ्तार कर जामा तलाशी ली गई तो पहने हुए कपड़ो के अलावा अन्य कोई वस्तु नही मिली न ही पुलिस कब्जा ली गई, पहनने को शर्ट धारीदार फुल बाजु व जीन्स बरंग काले रंग की है जो वदन पर ही रखी गई।

हुलियाः– बदन गठीला, रंग गोरा, आंखे भूरी, कद लम्बाई– पाँच फुट लगभग। वह दाहिने हाथ की कलाई पर नाम गुदा हुआ है।

नोट– मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना इसके कहे अनुसार इसके बड़े भाई श्री लालचन्द को जरिये मोबाइल न. ————————— दी गई।

अतः फर्द हाजा मुर्तिव कर हाजरीन को पढकर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर किये गये।

हस्ताक्षर गवाह हस्ताक्षर गवाह हस्ताक्षर अभियुक्त

हस्ताक्षर अनुसंधान अधिकारी

पुलिस थाना– मण्डोर जिला –जोधपुर

फर्द बरामदगी का प्रारूप तैयार करना–

फर्द बरामदगी आलाए (हथियार) कत्ल तलवार बकब्जा मुलजिम श्री अशोक कुमार
पुत्र श्री रामनिवास जाति सैनी, उम्र 23 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी कृषि मण्डी मण्डोर रोड़ जोधपुर।
मुतालिक मु.न. 32/14 दिनांक –21/06/14, भारतीय न्याय संहिता धारा–103(1), पुलिस थाना–मण्डोर
मुर्तिबा तारीख 15/07/2014 स्थान समय–2.00 अपरान्ह्

उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू माफिक ईतला मुलजिम श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास जाति सैनी, उम्र 23 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी–कृषि मण्डी मण्डोर रोड़ जोधपुर ने आगे–आगे चलकर अपने घर के सामने बबूल की झाड़ियों के पास एक गढ्ढा खोदकर तलवार निकाल कर पेश की जो मुकदमा हाजा में आलाएं कत्ल होने से कब्जा पुलिस में ली गई।

हुलियाः– हस्ब जेल है तलवार लम्बाई 45 ईंच जसका मियान पीतल का तलवार की मूठ पर पीतल का काम किया हुआ है, मूठ की लम्बाई 4 ईन्च है। मियान से तलवार को निकाल कर देखा गया तो त लवार के फल पर खून के निशान दिखाई दे रहे है। तलवार की फल0 की ल0 41 ईंच फल की चौड़ाई 6 सेमी. है तथा आगे से नुकीला है फल की धार बहुत तेज है, सावधानीपूर्वक फल को मियान में बन्द कर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोर चेपा युक्त कर मार्क ''ई'' अंकित किया गया। नमूना सील फर्द पर अंकित की गई

अतः फर्द हाजा मुर्तिब कर हाजरीन को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर गवाह हस्ताक्षर गवाह हस्ताक्षर अभियुक्त

अनुसंधान अधिकारी

पुलिस थाना मण्डोर, जिला– जोधपुर

FINAL FORM/ REPORT

अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 193 **BNSS**

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 193 के अन्तर्गत

IN THE COURT OF ....

....के न्यायालय में

1. District(जिला) ..........................P.S.(थाना) ....Year(वर्ष)...............FIR No.(प्र.सू.रि.सं.)......... Date(दिनांक) ....

2. Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.). ....3. Date(दिनांक)...................

4. (i) Act(अधिनियम).. Sections(धाराएँ)... ....

   (ii) Act(अधिनियम) ....Sections(धाराएँ)... ....

   (iii) Act(अधिनियम) .... Sections(धाराएँ).. ....

(iv) Other Acts & Sections(अन्य अधिनियम एवं धाराएँ)...

5. Type of Final Form/Report: Charge Sheet / Not charge sheeted for want of evidence / FR True, Undetected / FR True, Untraced / FR True, offence abated / FR Unoccurred .
(tick ' ✓ ' applicable portion).
अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार :- आरोप पत्र दाखिल किया/साक्ष्य अभाव के कारण आरोप पत्र दाखिल नही किया/अंतिम रिपोर्ट सही-पता नही लगा/अंतिम रिपोर्ट सही-मिल नही रही/अंतिम रिपोर्ट सही-अपराध कम किया गया/अंतिम रिपोर्ट अघटित
(लागू हिस्से पर '✓' का चिन्ह लगाएँ)

6. If FR Unoccurred: False/Mistake of Fact/Mistake of law/Non cognisable /Civil nature.
(tick ' ✓ ' applicable portion).
यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित: झूठी/तथ्यों की त्रुटि/कानूनी त्रुटि/असंज्ञेय/दीवानी
(लागू हिस्से पर '✓' का चिन्ह लगाएँ)

7. If Charge sheet : Original / Supplementary.
(tick ' ✓ ' applicable portion).
यदि आरोप पत्र दाखिल किया : मूल/अनुपूरक
(लागू हिस्से पर '✓' का चिन्ह लगाएँ)

8. Name of I.O. (जाँच अधिकारी का नाम). ....Rank(पद) ....No.(सं.) ....
(at the time of charge sheet) (आरोप पत्र दाखिल करते समय)

9. (a)(क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम) ....

   (b)(ख) Father's / Husband's name(पिता/पति का नाम)..

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon (separate list can be attached, if necessary).
जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया है, (आवश्यकता अनुसार अलग सूची संलग्न करें):-

Sl. No. क्र.सं.	Property description सम्पति का विवरण	Estimated value (in Rs.) अनुमानित मूल्य (रु.में)	P.S. Property Register No. थाना सम्पति रजिस्टर सं.	From whom/ where recovered or seized कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई।	Disposal निराकरण
1	2	3	4	5	6

- 1/4 -

11. Particulars of accused persons charge-sheeted: (Use separate sheet for each accused)
आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण : (प्रत्येक अभियुक्त के लिए अलग पृष्ठ नत्थी करें)

Sl. No./क्रम संख्या………. …….

(i) Name(नाम) …………………………………….Whether verified (क्या सत्यापित है?)……………………………………………………

(ii) Father's/Husband's name(पिता/पति का नाम) …………………………………….(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष)……………………

(iv) Sex (लिंग) …………………….. (v) Nationality (राष्ट्रियता)……………………(vi) Passport No. पासपोर्ट संख्या…………………………..

Date of Issue(जारी करने की तिथि) ………………….. Place of Issue जारी करने का स्थान…………………………………………………

(vii) Religion(धर्म) ……….. (viii) Whether SC/ST/OBC(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग)……………………………………………..

(ix) Occupation(व्यवसाय)……

(x) Address(पता)………

……………………………………………………………………………Whether verified(क्या सत्यापित हैं?)………………………………

(xi) Provisional criminal No.(अनन्तिम अपराधी संख्या)………………………………………………………………………………………

(xii) Regular Criminal No. (if known) नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो)…………………………………………………………………..

(xiii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि) ……………………………………………………………………………………………………..

(xiv) Date of release on bail(जमानत पर रिहाई की तिथि) ……………………………………………………………………………………

(xv) Date on which forwarded to court(न्यायालय को भेजने की तिथि)…………………………………………………………………………

(xvi) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ) :………………………………………………………………………………………

(xvii) Details of bailers / sureties: (जमानतियों का ब्यौरा):

Name(नाम) …………………………………. Father's/Husband's name(पिता/पति का नाम) ………………………………………………

Occupation(व्यवसाय) ……………………………. Address(पता)…………………… ……………………………………………………

Identification (पहचान) ………..

(xviii) Previous convictions with case references(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण)…………………………………………

……

……

(xix) Status of the accused:
Forwarded / Bailed by police / Bailed by court / Judicial custody / Absconding / Proclaimed offender
(tick ' ✓ ' applicable portion).
अभियुक्त की स्थिति :
पेश किया गया/पुलिस द्वारा जमानत पर/न्यायालय द्वारा जमानत पर/न्यायिक हिरासत में/फरार/घोषित अपराधी
(लागू हिस्से पर '✓' का चिन्ह लगाएँ)

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect) : (Use separate sheet for each suspect)
आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण (प्रत्येक संदिग्ध के लिए अलग पृष्ठ नत्थी करें)

Sl. No.(क्रम संख्या)..... ......

(i) Name(नाम) ....Whether verified(क्या सत्यापित है?).....................................

(ii) Father's/Husband's Name(पिता/पति का नाम) ....(iii) Date/Year of birth(जन्मतिथि/वर्ष) ....

(iv) Sex(लिंग) .... (v) Nationality(राष्ट्रीयता) ....(vi) Passport No.(पासपोर्ट सं.)...................................

Date of Issue(जारी करने की तिथि)......................................Place of Issue(जारी करने का स्थान)...............................

(vii) Religion(धर्म) ....(viii) Whether SC/ST/OBC(अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग.....................................

(ix) Occupation(व्यवसाय) ....

(x) Address(पता)...

....Whether verified(क्या सत्यापित है?)...

(xi) Provisional criminal No.(अनन्तिम अपराधी संख्या)..

(xii) Suspicion approved : (संदेह अनुमोदित) Yes/No(हाँ/नहीं)

(xiii) Status of the accused (suspect): (अभियुक्त (संदिग्ध) की स्थिति):
Bailed by police/Bailed by court/ Judicial custody/Not arrested
(tick ' ✓ ' applicable portion).
पुलिस द्वारा जमानत पर/न्यायालय द्वारा जमानत पर/न्यायिक हिरासत में/गिरफ्तार नहीं किया
(लागू हिस्से पर '✓' का चिन्ह लगाएँ)

(xiv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ)..

(xv) Any Special remarks including reasons for not charge sheeting ....
आरोपपत्र दाखिल न करने के कारण सहित कोई विशेष अभ्युक्ति :

....

....

....

- 3/4 -

चार्जशीट न. 100/2015 भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा–**329(1),324(4)(5)** दिनांक **22-11-2015** मु. न. **244/15**
धारा– 329(1),324(4)(5) **भारतीय न्याय संहिता 2023** थाना –गांधीनगर दिनांक– **20-11-15**
महोदय,

हालात प्रकरण इस प्रकार निवेदन है कि परिवादी रामलाल ने एक लिखित रिपोर्ट थाना हाजा पर इस आशय की पेश की कि मै ग्राम रलावत का रहने वाला हूँ। ग्राम रलावत मे खसरा न. 244/2 रकबा 5 बीघा जमीन मेरे नाम है। जिस पर मै वर्षो से खेती कर रहा हूँ। मेरी इस जमीन के पडोस मे ही हरदेव पुत्र श्री जयराम R/O रालावता की जमीन है।मैने मेरी जमीन पर गेहू फसल बो रखी है।आज सुबह मेरे खेत पर गया तो पता चला कि मेरे खेत के पडोसी हरदेव गुर्जर ने दिनांक 19.11.15 को सुबह 11 बजे अपने ट्रेक्टर से मेरे खेत की सींव को उखाड दिया तथा मेरे खेत मे 10 फीट तक हल चलाकर नष्ट कर दिया। मैने इसका हरदेव को ओलभा दिया तो मेरे साथ गाली गलोच करने लगा। मैने उसको समझाने का प्रयास किया तो भी मेरी जमीन का कब्जा नही छोड रहा है। आदि रिपोर्ट पर प्रकरण सं. 244/ 15 धारा–329(1),324(4)(5) में थाना गांधीनगर पर दर्ज होकर श्री रामकिशन Hc 518 द्वारा अनुसंधान आरंभ किया गया।

प्रकरण के दौराने अनुसंधान मुस्तगीस रामलाल गवाह कल्याण जाट व रामदयाल के बयान लेखबद्ध कर मुस्तगीस की निशानदेही से हलका पटवारी की उपस्थिति में घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका, घटना स्थल मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण मे विवादित भूमि खसरा न. 244/2 रकबा 5 बीघा का राजस्व रिकॉर्ड मय नक्शा ट्रेस के प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में मूल हरदेव से तफ्तीश कर प्रकरण की घटना कारित करने के उपयोग में लिये गये ट्रेक्टर का बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

प्रकरण मे अनुसंधान से मुल. हरदेव के विरूद्ध धारा 329(1),324(4)(5) भा.न्याय.संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने एवं मुल. का अपराध जमानत होने से मुल. हरदेव गुर्जर को 5000/– की जमानत लेकर इसी प्रकार के जमाानत मुचलके लिये जाकर आजाद किया गया। मुल. बर जमानत पुलिस हैं।

अतः चार्जशीट न. 100/2015 धारा 329(1),324(4)(5) भा.न्याय.स. दिनांक 22.11.15 विरूद्ध मुल. हरदेव पुत्र श्री जयराम जाति गुर्जर उम्र 40 साल R/O रलावता Ps गांधीनगर जिला अजमेर के पेश कर अर्ज है कि समायत सलूक कानूनी फरमावे। मुल. बर जमानत पुलिस है जो हमरा चालान पेश होगा। मुल. की तस्दीक सकूनत सही है तथा मुल. का पूर्व सजायाबी रिकॉर्ड नही होना पाया गया।

<u>सूची गवाहान</u>

1 **श्री रामलाल पुत्र श्री नन्दाराम जाति जाट** R/O रलावता FIR**, बयान नक्शा मौका** Ps गांधीनगर जिला अजमेर।
2 श्री कल्याण **पुत्र श्री हरकरण जाति जाट उम्र 50 साल** R/O रलावता **बयान 161 द.प्र.सं.** Ps गांधीनगर जिला अजमेर।
3 श्री रामदयाल **पुत्र श्री पांचुराम उम्र 50** R/O सावटसर **राजस्व रिकॉर्ड** Ps गांधीनगर जिला अजमेर, हल्का पटवारी रलावता।
4 श्री रामनाथ पुत्र श्री कैलाश जाति गुर्जर उम्र 50 साल R/O रलावता **नक्शा मौका ,जप्ती** Ps गांधीनगर जिला अजमेर।
5 श्री हरलाल पुत्र श्री रामनारायण जाति जाट उम्र 44 साल R/O रलावता **नक्शा मौका,** Ps गांधीनगर जिला अजमेर।
6 श्री मुकेश कुमार Hc 44 Ps गांधीनगर– मालखाना
7 श्री रामकिशन Hc 518 Ps गांधीनगर– हालात तफ्तीश
8 श्री अजीत सिंह उ.नि. SHO Ps गांधीनगर– FIR,CS

<u>सूची दस्तावेज</u>

1 असल आरोप पत्र–(1) 2 असल FIR(कोर्ट में)–(1) 3 तहरीर रिपोर्ट–(1) 4 नक्शा मौका (1)
5 फर्द जप्ती–(1) 6 राजस्व रिकॉर्ड–(2) 7 बयान–(3) 8 मुचलका जमानत –(1)
9 गवाह मुचलका –(1) 10 मालखाना नकल–(1)

SHO Ps गांधीनगर
जिला अजमेर

13.सीएलजी का गठन, कार्य व महत्त्व।

कम्यूनिटी पॉलिसिंग (सीएलजी) –वर्तमान समय में पुलिस एवं जनता के बीच में सामंजस्य बनाये रखना बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य जनता के सहयोग के वगैर पूर्ण नहीं किया जा सकता । कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर एवं अन्य त्यौहारों अन्य अवसरों पर भी पुलिस एवं जनता का सांमजस्य जरूरी है। पुलिस का जनता में विश्वास होगा। तभी पुलिस के सभी कार्य पूर्ण कर सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार से लेकर पुलिस थानों तक जनता एवं पुलिस की कमेटियां बनी हुई है। जिनकी समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती है।

1. जनता एवं पुलिस के बीच कोर्डिनेशन – जनता एवं पुलिस के बीच आपसी सामंजस्य एवं तालमेल होना बहुत ही जरूरी है, इसके लिए थाना स्तर पर थाना क्षेत्र के मुख्य आदमियों की कमेटियों बनी हुई है। जिसमें थानाधिकारी एवं पुलिस के कर्मचारी सहित थाना क्षेत्र के मुख्य–मुख्य व्यक्ति होते हैं जिनकी समय–समय पर मिटिंग आयोजित होती है। कानून व्यवस्था की ड्यूटी एवं पुलिस की समस्त प्रकार की ड्यूटियों में यह है प्रभावी भूमिका निभाती है। बीट कांस्टेबल अपनी बीट की सीएलजी कमेटियां बनाता है। जिससे जनता में निरन्तर संपर्क बना रहता है। जिसे अपराधियों के बारे में सूचना प्राप्त करते रहते हैं एवं अन्य पुलिस से संबंधित कार्यवाही की जाती है।

2. सीएलजी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल बीट कांस्टेबल से लेकर थाना क्षेत्र एवं थाना क्षेत्र से लेकर वृत्त क्षेत्र एवं वृत्त क्षेत्र से लेकर जिला एवं पुलिस मुख्यालय एवं राज्य सरकार स्तर पर सीएलजी की कमेटियां गठित की गई है जिसमें जनता एवं पुलिस के प्रतिनिधि रहते हैं। जिसे जनता एवं पुलिस में आपसी सामंजस्य एवं तालमेल रहता है। चाहे भीड़ नियंत्रण का मामला हो चाहे अपराध को रोकने का मामला हो, वी.वी.आई.पी., वी.आई.पी., मेले, त्यौहार, यातायात व्यवस्था, सूत्र सूचना, अपराधियों के बारे में सूचना एवं चाहे अन्य मामले हों, कार्य सुगमता से पूर्ण हो जाता है इसलिए पुलिस के हर क्षेत्र में सीएलजी ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

(3) सी.एल.जी. (कम्यूनिटी लाइजन ग्रुप) का गठन एंव भूमिका–

धारा 55,राज. पुलिस एक्ट, 2007:– समुदाय सम्पर्क समूह–

1. जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस बल की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों से गठित कर या अधिक समुदाय सम्पर्क समूह विहित रीति से गठित करेगा, परन्तु प्रत्येक पंचायत के लिए कम से कम एक समुदाय सम्पर्क समूह गठित किया जावेगा।

2. समुदाय सम्पर्क समूह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा और उसके ऐसे उत्तरदायित्व होंगे जो विहित किए जाए।

सामुदायिक संपर्क समूह बाबत् राज. पुलिस नियम 2008 के प्रावधान–

नियम 12, रा0पु0नि0 2008:– समुदाय संपर्क समूह सदस्यों के सूचीबद्धता–

1. समुदाय संपर्क समूह ग्राम पंचायत स्तर और पुलिस थाना स्तर पर गठित किया जायेगा, पंचायत स्तर के समुदाय संपर्क समूह में 5 सदस्य और पुलिस थाना स्तर के समुदाय संपर्क समूह में 30 सदस्य होंगे।

2. समुदाय संपर्क समूह के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के अंत में निवृत होंगे।

3. समुदाय संपर्क समूह में समस्त वर्गों और समस्त श्रेणियों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रत्येक समुदाय संपर्क समूह में महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों प्रत्येक में से कम से कम दो प्रतिनिधि होंगे।

4. समुदाय संपर्क समूह में पंचायत या यथास्थिति, पुलिस थाने के अधिकारिता के स्थानीय निवासियों को सदस्य के रूप में लिया जावेगा। वह सम्माननीय नागरिक होना चाहिए और उसका नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए।

5. किसी व्यक्ति को समुदाय सम्पर्क समूह का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, यदि–

(क) उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो।

(ख)उसके विरूद्ध दांडिक अपराध का कोई मामला दर्ज है और या तो अन्वेषण के अधीन विचारण के अधीन लंबित है।

(ग)वह किसी राजनैतिक दल या उसके सहबद्ध दल का सदस्य है।

(घ)उसके किसी भी आपराधिक क्रियाकलाप में अन्तर्वलित होने का संदेह है या उसका अपराधियों के साथ सहयोजन है।

(ड)वह संपति और भूमि विवादों और अन्य वादकरण में अन्तर्वलित है।

6. समुदाय संपर्क समूह के सदस्यों को संबंधित पुलिस थाने और पुलिस वृत के भारसाधक अधिकारी की सिफारिशों पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नियत किया जायेगा।

नियम 13, राज0 पुलिस नियम 2008– समुदाय संपर्क समूह का कृत्यकरणः–

1. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी पुलिस थाना स्तर के समुदाय संपर्क समूह के सचिव के रूप में और गश्ती कानि0 पंचायत स्तर के समुदाय संपर्क समूह के सचिव के रूप में कार्य करेगा सदस्यों में से एक संयोजक और एक सहसंयोजक के नाम निर्देशित किया जावेगा वे एक वर्ष के लिए पदधारण करेंगे।

2. पुलिस थाना स्तर के समुदाय संपर्क समूह की बैठक दो मास में कम से कम एक बार और पंचायत स्तर की बैठकों की कार्यवाहीयॉ उस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में लेखबद्ध की जावेगी।

3. यदि कोई भी सदस्य राजनैतिक क्रियाकलापों में अर्न्तवलित हुआ पाया जाता या समुदाय संपर्क समूह की बैठकों में भाग नहीं लेता है या उसने नियम 12 के उपनियम 5 में यथा उल्लिखित कोई भी निर्रहता उपगत कर ली है। तो उसे समुदाय संपर्क समूह से हटा दिया जावेगा।

4. जिला पुलिस अधीक्षक किसी भी सदस्य को समुदाय संपर्क समूह से किसी भी समय हटा सकेगा। यदि वह लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी कारण से उसको अयोग्य समझता है।

नियम 14., राज. पुलिस नियम, 2008ः–

समुदाय संपर्क समूह के कत्तर्व्य और उत्तरदायित्व– समुदाय संपर्क समूह और इसके सदस्य–

(क) पुलिस समुदाय संबंध सुधारने में पुलिस की पुलिस सहायता करेंगे।

(ख)लोगों द्वारा सामना की गई पुलिस से संबंधित समस्याओं का पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष लाएगें और समाधान खोजने में सहायता करेंगे।

(ग)अपराधियों को पकडने में और अपराध निवारण उपायों में पुलिस की सहायता करेंगे।

(घ)जन चेतना कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

(ड)अपराध संबंधी आसूचना के संग्रहण में पुलिस को सहायता देंगे।

(च) किसी भी ऐसी घटना, जिससे लोक शांति प्रभावित होने की संभावना हो, गश्ती कानि0 या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के ध्यान में लायेंगे।

(छ)अपने क्षेत्र के भीतर किसी भी पुलिस अधिकारी के कदाचार से उसके वरिष्ठों को अवगत करायेंगे।

(ज)साम्प्रदायिक सौहार्द और विधि और व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की सहायता करेंगे।

(झ)साम्प्रदायिक तनाव, धार्मिक उत्सवों, जुलुसों, रैलियों, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ओर किसी भी अन्य स्थिति में जब भी ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, गुप्त रखेंगे और

(ट)मामलों के अन्वेषण में और सामान्य पुलिस कृत्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

4.अपराधों की रोकथाम में सीएलजी का महत्त्व– बीट स्तर, पुलिस थाना स्तर और जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन और समाज के बीच सौहार्द्र पूर्ण समन्वय स्थापित करने तथा बेहतर पुलिस व्यवस्था हेतू प्रयास के रूप में समुदाय संपर्क समूह सार्थक भूमिका निभाता है। सीएलजी सर्वप्रथम पुलिस बल में सामाजिक सरोकारों हेतु प्रतिबद्धता और समाज में पुलिस बल के कार्यों के प्रति जानकारी तथा अपने कर्त्तव्यों व अधिकारों प्रति सजग बोध उत्पन्न करता है।

किसी भी अपराध को गठित होने से रोकने, आपराधिक कृत्य के जारी रहने के दौरान और अपराध हो चुकने के बाद, तीनों स्तरों पर प्रभावी आसूचना, सहयोग और सजग नागरिक समर्थन पुलिस बल को बेहतरीन मदद करता है। साथ ही जरायम पेशा लोगों के पुनर्वास तथा अपराधीकरण रोकने की दृष्टि से सीएलजी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न आन्दोलनों, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों अथवा चुनौतीपूर्ण कानून व्यवस्था की स्थितियों में प्रभावशाली सीएलजी सदस्यों द्वारा सहयोग मिलने पर पुलिस संगठन के उद्देश्यों की सफल पूर्ति आसान होती है।

5.सीएलजी सदस्यों के साथ संवाद/मीटिंग का व्यावहारिक ज्ञान–सीएलजी मीटिंग हेतु अनुदेशक प्रशिक्षणार्थियों में से ही सीएलजी सदस्यों, थानाधिकारी, थाना स्टॉफ तथा बीट कानि0 के रूप में चुनाव करें तथा एक सीएलजी मॉक सीएलजी मीटिंग का आयोजन करें तथा प्रशिक्षणार्थियों को निम्नाकिंत बातों की जानकारी दें:–

- मीटिंग के दौरान सीएलजी सदस्यों को उनके उत्तरदायित्वों के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए।
- सीएलजी सदस्यों की समयावधि पूर्ण होने तथा नये सदस्यों को सम्मिलित करने के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी मीटिंग के दौरान दी जाएगी।
- पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में सीएलजी की मीटिंगों का आयोजन किया जाये।

- सभी बीट कानि0 अपने–अपने क्षेत्र के सीएलजी सदस्यों से विचार विमर्श करेगा तथा मीटिंग में उठाये जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करेगा।
- आयोजित होने वाली मीटिंग में यथा संभव अधिकारी उपस्थित होंगे।
- सीएलजी सदस्यों द्वारा उठाये जाने वाले मुद्दों का सीएलजी रजिस्टर में इन्द्राज किया जाएगा।
- यदि मुद्दा पुलिस से संबंधित है तो संबंधित बीट अधिकारी/कानि0 से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी।
- समस्या समाधान के लिए बीट कानि0 को पाबन्द किया जाएगा।
- यदि समस्या उच्च स्तरीय है तो एसएचओ स्वयं या उच्च अधिकारी समस्या समाधान का प्रयास करेंगे।
- पूर्व की मीटिंगों में उठाये गये मुद्दों के बारे में की गई कार्यवाही से सदस्यों को अवगत करवाया जायेगा।
- यदि समस्या अन्य विभाग से संबंधित है तो संबंधित विभाग से समन्वय किया जाकर समस्या समाधान के प्रयास किये जाएंगे।

14.धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के संदर्भ में।

कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर, जयपुर, पूर्व

प्रारूप चैक लिस्ट अन्तर्गत धारा 35(1)(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

प्रेषित–

माननीय न्यायालय एम एम क्रम–30,
जयपुर महानगर।

मन् अनुसंधान अधिकारी .... ए.सी.पी सांगानेर, जयपुर, पूर्व के द्वारा अभियोग संख्या .... दिनांक .... धारा .... पुलिस थाना .... जिला .... का अनुसंधान किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमीनल अपील संख्या 1277/2014 अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य व अन्य में प्रदत्त आदेश की पालना में धारा धारा 35(1)(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत चैक लिस्ट निम्न प्रकार अंकित है –

(1) अभियुक्त का नाम ....
(2) पिता/पति का नाम ....
(3) वर्तमान पता ....

1.क्या उक्त अभियुक्त के विरूद्ध 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक की सजा (जुर्माना सहित या रहित) वाले संज्ञेय अपराध के किये जाने के विषय में कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है अथवा उक्त व्यक्ति के विरूद्ध उक्त श्रेणी के तहत आने वाले अपराध के किये जाने के विषय में कोई युक्ति–युक्त शिकायत प्राप्त हुई है अथवा उक्त व्यक्ति के विरूद्ध उक्त श्रेणी के तहत आने वाले किसी अपराध के किये जाने का युक्ति–युक्त संदेह विद्यमान है ? (हॉ/नहीं)

2.यदि बिन्दु संख्या 1 का उत्तर ''हॉ''है तो धारा 35(1)(2) के निम्न प्रावधानों को स्पष्ट किया जाये –

(1) क्या ऐसा विश्वास करने का युक्ति–युक्त कारण विद्यमान है कि यदि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वह अवश्य ही अन्य कोई अपराध कारित करता ? (हॉ/नहीं)

(2) क्या अपराध का उचित अन्वेषण करने के लिये अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है ? (हॉ/नहीं)

(3) क्या ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को मिटाने या ऐसे साक्ष्य से किसी प्रकार से छेड़छाड़ करने से निवारण करने के लिये अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है ? (हॉ/नहीं)

(4) क्या अभियुक्त को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने, धमकी देने या वचन देने से निवारण करने के लिये ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य को प्रकट करने से रोका जा सके, से निवारित करने हेतु उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है ? (हॉ/नहीं)

(5) क्या अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरान्त ही जब कभी उसकी उपस्थिति माननीय न्यायालय में अपेक्षित हो, सुनिश्चित की जा सकती है ? (हॉ/नहीं)

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार निवेदन है कि अभियुक्त ....को उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के कारण धारा 41 (1) (b) (ii) के प्रावधान के तहत गिरफ्तार किया गया है। चैक लिस्ट उचित आदेशार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न दस्तावेज –

15.पुलिस हिरासत में अपराध के कारण व निवारण के उपाय।

(क)गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ व्यवहार एवं पुलिस हिरासत में मृत्यु के कारण व निवारण के उपाय :–
(प) गिरफ्तारशुदा व्यक्ति के साथ व्यवहार
1. किसी भी गिरफ्तारशुदा व्यक्ति के साथ संतरी को दुर्व्यवहार नही करना चाहिए।
2 किसी भी गिरफ्तारशुदा व्यक्ति के साथ कोई गाली गलौंच व मारपीट नही करनी चाहिए।
3. गिरफ्तारशुदा व्यक्ति को नित्य कर्म समय व आवश्यकतानुसार कराये जावे।
4. गिरफ्तारशुदा व्यक्ति के लिये रोशनी व हवा का ध्यान रखे तथा साफ सुथरी दरी व कम्बल की व्यवस्था की जावे।
5. गिरफ्तारशुदा व्यक्ति को प्रातः कालीन व सायंकालीन भोजन व पानी समय पर दे।
6. गिरफ्तारशुदा व्यक्ति के स्वास्थ्य सम्बन्धी शिकायत पर निवारण के लिए तुरन्त उच्चाधिकारियो को सूचित करे।
7. गिरफ्तारशुदा व्यक्ति को जिस हवालात में रखा जावे उसे साफ सुथरा रखा जावे। गिरफ्तारशुदा व्यक्तियों के साथ व्यवहार के सन्दर्भ में आरपीआर 1948 के नियम 256 व 257 में भी वर्णन किया गया है।

(ii) गिरफ्तारशुदा व्यक्तियों के मानवाधिकारो का संरक्षण :– संदिग्ध व्यक्तियों एवं दोषी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कानून के अन्तर्गत अनेक कानूनी प्रावधान किये गये है। पुलिस का कार्य संदिग्ध एवं दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करना है। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष समझा जाता है, जब तक कि उसके विरूद्व लगाये गये आरोप सिद्व ना हो जाये। किसी भी पुलिस कर्मी द्वारा किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार न किया जावे तथा गिरफ्तारशुदा व्यक्ति के मानवाधिकारों का पूर्ण संरक्षण किया जावे।
1. हिरासत में मारपीट ना तो करे ना किसी के द्वारा करने दे।
2. हिरासत के दौरान व्यक्ति के खाने पीने का ध्यान रखे।
3. मानवाधिकारो के बारे में संवेदनशील रहे।
4. परिवार जन से मिलने दे।
5. पसन्द के वकील से नियमानुसार मिलने का अवसर दे।
6. जब तक न्यायालय दोषी न माने तब तक निर्दोष माने ?
7. अपराधी होने के साथ–साथ वह एक मानव है। अतः मानवीय दृष्टिकोण रखे।
8 गाली गलौच न करे सभ्यता से पेश आए।

आर.पी.आर. 1948 के नियम 256 जब तफ्तीश करते हुये कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाये तो अनुसंधान अधिकारी अनुसंधान में गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उससे पुछेगा कि उसको पुलिस के द्वारा कोई दुर्व्यवहार की शिकायत तो नहीं है और सवाल जवाब दोनों केस डायरी में दर्ज करेगा । यदि दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जावे तो अनुसंधान अधिकारी इस आरोप की जाँच करेगा या करायेगा व इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को देगा।

आर.पी.आर. 1948 के नियम 257 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की तलाशी दो गवाहो की मौजूदगी में ली जानी चाहिये जिनका संबंध पुलिस से ना हो। प्रत्येक जब्त किये गये माल पर निशान लगाना चाहिए व सूची में दर्ज करना चाहिए।

पुलिस हिरासत में मृत्यु के कारणः–
1. मानसिक एवं शारीरिक यातना देने से व चोटे लगने से मृत्यु हो जाती है।
2. पूछताछ में आधुनिक विधियों का प्रयोग न करने से कभी –कभी अधिक चोट लगने से मृत्यु हो जाना।
3. अवैध हिरासत में रखने से परेशान होकर आत्महत्या कर लेना।
4. सबक सिखाने की प्रवृति होने के कारण बदला लेने के कारण मारपीट करना जिससे मृत्यु हो जाना।
5. संस्वीकृति हासिल करने के लिये मारपीट करना।
6. अमानवीय व्यवहार से दुखी होकर भी आत्महत्या कर लेना।
7. मानवाधिकारों के प्रति उपेक्षा बरतने से।
8. बीमार होने पर समय पर इलाज नही करवाने पर या लापरवाही बरतने से।
9. हिरासत में रखने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा न रहने से विपक्षी द्वारा मार दिया जाता है।
10. समय पर खान पान का ध्यान नही रखने से।

11 हवालात व शौचालय की स्वच्छता का ध्यान न रखना जिससे ब्लेड, रस्सी आदि उपलब्ध हो जाने से आत्महत्या कर लेना।

पुलिस हिरासत में मृत्यु के निराकरण के उपाय:— पुलिस हिरासत में मृत्यु होने से रोकने के लिए निम्नलिखित बातों का / उपायों को काम में लाना चाहिए:—

1. प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने से पूर्व व लॉक अप में बंद करने से पूर्व तलाशी ले ओर जो कुछ उसके पास पाया जाए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 के अनुसार सूची तैयार करे और एक सूची गिरफ्तारशुद्वा व्यक्ति को निशुल्क दे। इस आशय की रपट रोजनामचा आम में अवश्य दर्ज करे।

2. जब भी लॉकअप में बंद व्यक्ति को निकाला जाए या बंद किया जाए उसकी तलाशी लेकर ही निकाले और किसी व्यक्ति के हवाले किया गया इसकी रपट रोजनामचा आम में दर्ज करे।

3. जब भी किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया जावे या निकाला जावे तब उसके साथ अनावश्यक मारपीट नही करनी चाहिए।

4. यदि कोई पुलिस ऑफीसर उससे मारपीट करता है तो उसको ऐसा करने से रोके यदि वह फिर भी ऐसा करे तो उच्च अधिकारियो को सूचित करे।

5. लॉकअप में कोई तार या रस्सी या ब्लेड या शीशा आदि न छोडे क्योकि हिरासत में रखा व्यक्ति इनका उपयोग आत्महत्या करने में कर सकता है।

6. किसी व्यक्ति से कोई भी वस्तु या खाने पीने की वस्तु न लेने दे सिवाय परिवार के सदस्यों के।

7 हिरासत में रखे व्यक्ति को न्यायालय में ले जाते समय या बरामदगी के लिए लाते या ले जाते समय गार्ड द्वारा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करे।

8. यदि विरोधी व्यक्ति से खतरा हो तो सुरक्षा के लिये अतिरिक्त गार्ड व वाहन की व्यवस्था करे ताकि संभावित घटना को रोका जा सके।

9. किसी भी व्यक्ति को शरीरिक या मानसिक यातना ना दे, प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकार का उचित सम्मान करे।

10. अपने अधिकारो का दुरूपयोग ना करे और ना ही इनका उपयोग किसी से बदला लेने या सबक सिखाने के लिए करे।

11 सूचनाऐं तफ्तीश करने के लिए अन्वेषण की वैज्ञानिक विधियो का उपयोग करे एवं थर्ड डिग्री मेंथड का इस्तेमाल करने से बचे।

12. अपने कर्त्तव्यों का पालन कम से कम बल का उपयोग करते हुये करे। यदि पुलिस हिरासत से कोई व्यक्ति फरार होने की कोशिश करे तब उसको गिरफ्तार करने के लिए भी कम से कम बल का प्रयोग करे।

13. हिरासत के दौरान मानवाधिकारो का संरक्षण किया जाए।

14. विभागीय व विधिक आदेशो की पालना की जाए।

15 प्रशिक्षण के दौरान मानवाधिकारो के प्रति संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाए।

16. खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था हो।

17. रात्रि में विशेष सतर्कता बरती जाए।

18. हवालात व शौचालय की प्रतिदिन साफ सफाई हो। कोई तार, रस्सी,ब्लेड, शीशा आदि न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

19. मुलजिम की मनोवैज्ञानिक स्थिति का अवलोकन करे तथा उसके अवसाद में जाने पर चिकित्सकीय परामर्श दिलानी चाहिए।

(ख) पुलिस अभिरक्षा में निरूद्व व्यक्तियो के प्रति बरती जाने वाली सावधानियाँ:—

राजस्थान पुलिस नियम —1965 के अध्याय 7 के नियम 7.3 के अनुसार गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी लेना,

नियम 7.4 बन्दीगृह, 7.6 गिरफ्तार व्यक्ति अस्वस्थ्यता, नियम 7.16 महिलाओ की गिरफ्तारी, नियम 7.25 रूग्ण और घायल व्यक्तियो को बन्दी बनाना, नियम 7.27 अपराधियो का भोजन, नियम 7.28 बंदियों से साक्षात्कार के नियमो की पालना की जानी चाहिए।

1. हवालात में कोई तार या रस्सी या ब्लेड या शीशा आदि न छोडे क्योकि पुलिस अभिरक्षा में रखा व्यक्ति इनका उपयोग मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करने में कर सकता है।

2. परिवार के सदस्यों के अलावा किसी व्यक्ति से कोई भी वस्तु या खाने पीने की वस्तु न लेने दे। परिवार के सदस्यो के द्वारा दी जाने वाली खाने पीने की वस्तुओ को चैक करने के उपरान्त ही देने दिया जावे।

3. प्रत्येक गिरफ्तारशुदा व्यक्ति के साथ मानवाधिकारो का उचित सम्मान करे।

4. विभागीय व कानूनी आदेशों की पालना की जावे।

5. गिरफ्तारशुदा व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय चिकित्सालय के समय पर नियमानुसार कराया जावे।
6. हवालात के अन्दर के भाग में बिजली के तार, खिडकी व अन्य कोई आपत्तिजनक सामग्री नही होनी चाहिए। जिससे अभियुक्त उसका भागने में उपयोग कर सके या आत्महत्या करने का प्रयास कर सके। हवालात के अन्दर का भाग साफ–सुथरा होना चाहिए।
7. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के खाने पीने का समय पर ध्यान रखे।
8. प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने से पूर्व व हवालात में बन्द करने से पूर्व तलाशी ले ओर जो कुछ उसके पास हो उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 के अनुसार सूची तैयार करे और सूची की प्रति निशुल्क गिरफ्तारशुदा व्यक्ति को दे तथा इस आशय की रपट रोजनामचा आम में अवश्य दर्ज करे।
9. रात्रि के समय रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे की मुलजिम हवालात में नजर आता रहे, लेकिन रोशनी हेतु लगाये गये बल्ब व बिजली के तार मुलजिम की पहूँच से दूर होने चाहिए।
10. हवालात के दरवाजे मजबूत सरिये के होने चाहिए व हवालात में लॉक बाहर की ओर एवं मुलजिम की पहूँच से दूर होने चाहिए।
11. थाने पर तैनात सन्तरी को मुलजिम की प्रत्येक मूलभूत सुविद्याओं का ध्यान रखना चाहिए।
12. गिरफ्तारशुदा व्यक्ति से पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के दौरान मारपीट व अमानवीय व्यवहार नही करना चाहिए।
13. मुलजिम को कानूनी रूप में दिये गये अधिकारो के संबंध में उसे अवगत कराना चाहिए।
14. महिला की गिरफ्तारी के दौरान उसकी तलाशी महिला पुलिस अधिकारी/ महिला कान्सटेबल के द्वारा शालीनता का ध्यान रखते हुए ली जायेगी ओर उसे महिला बंदीगृह में ही रखा जावेगा।
15. **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 49** के मुताबिक गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उससे अधिक अवरूद्व ना किया जावेगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
16. **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50** के तहत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारो ओर जमानत के अधिकार की इत्तला दी जानी चाहिए।
17. **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 क** के मुताबिक गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का नामित व्यक्ति को गिरफ्तारी आदि की सूचना देना चाहिए।

16.जनता के साथ पुलिस का व्यवहार, थाने पर आने वाले/ सूचना प्रेषित करने वाले परिवादी से व्यवहार।

थाने पर आने वाले,सूचना प्रेषित करने वाले पीडित,परिवादी से व्यवहार

थाने पर आने वाले पीडित एवं परिवादी से व्यवहार–प्रत्येक पुलिसकर्मी को यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि थाने पर आने वाला प्रत्येक नागरिक उसकी नौकरी का आधारभूत स्तम्भ हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखे तो थाने पर आने वाला प्रत्येक नागरिक उसका ग्राहक है। कोई भी सफल व्यवसायी अपने ग्राहक को नाराज करके नहीं भेजता है,क्योंकि ग्राहक ही भगवान है। फिर पुलिस अपने ग्राहक को नाराज कर अपने पेट पर लात क्यों मारती है। थाने पर आने वाले हर व्यक्ति का दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए। जनता का विश्वास जीतना चाहिए। यह विश्वास पुलिस को आचरण में दयालुता, सद्भावना, कानून के पालन में ईमानदारी और निष्ठापूर्ण व्यवहार से ही प्राप्त हो सकता है।

- पुलिस से जनता को एक आम आचार संहिता अपेक्षित है जिसके तहत उसको सद्व्यवहार, महिलाओं व बच्चों के प्रति नरम रूख ,समाज में उपेक्षित वर्गो के प्रति सद्भाव होना अतिआवश्यक है।
- हमें जनता के प्रति संवेदनशील रह कर,धैर्य के साथ वस्तु:स्थिति को भापते हुये, उचित व्यवहार करना चाहिए।
- पुलिसकर्मी को छोटी–छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए।
- पुलिस को अपने आपको समाज का अंग समझना चाहिए।
- पुलिस को अपने कार्य में जनसहभागिता लानी चाहिए ।जनसहभागिता के साथ ही हम सफल हो सकते है।
- आज के लोकतांत्रिक युग में पुलिस डण्डे एवं गोली से नही, अपितु प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ सद्व्यवहार व सद्भावना रख कर ही कामयाब हो सकती है।

बीट डयूटी के समय नागरिकों के साथ व्यवहार–बीट डयूटी के दौरान जनता का विश्वास प्राप्त करना अति आवश्यक है। एक पुलिसकर्मी बीट डयटी के दौरान अपने व्यवहार की कुशलता से जनता का दिल जीत सकता है। वह प्रथम तो पुलिस जनता संबधों को अति घनिष्ठ बना सकते है और दूसरा यह किसी भी आपराधिक घटना की जानकारी आप तक पहुंचाकर अपराधों की रोकथाम करता है। बीट डयूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी का व्यवहार निम्न प्रकार का होना चाहिए।

- प्रत्येक पुलिसकर्मी का बीट डयूटी के दौरान अपने व्यवहार में मधुरता लानी चाहिए।
- पुलिस को जनता से सहयोग प्राप्त करने के पश्चात धन्यवाद अवश्य ज्ञापित करना चाहिए।
- जनता के दुख दर्द में भागीदार होना चाहिए , जैसे इलाके में कोई मृत्यु होती है या कोई शादी वगैरह है तो उसमें शामिल होना चाहिए।
- कई कार्य ऐसे होते हैं जो पुलिस कार्य नहीं होते, लेकिन यदि उन कार्यो से किसी व्यक्ति की मदद होती है तो अवश्य मदद करनी चाहिए।
- बीट में बुजुर्गो का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आज के इस आपाधापी के युग में लोग अक्सर बुजुर्गो की उपेक्षा करते हैं , पुलिस को ऐसे बुजुर्गो की पहचान कर उनकी देखभाल करनी चाहिए।
- बीट क्षेत्र में लडकियों की स्कूल, कॉलेज आदि के आसपास पास अवश्य नजर रखनी चाहिए, ताकि मनचले युवकों की गतिविधियों पर अंकुश लग सके।
- बीट क्षेत्र में आदर्श व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जनता की नजर में पुलिसकर्मी का व्यवहार आदर्श होता है। वह जनता का हीरो होता है।
- अपने क्षेत्र के निवासियों, आवासों, सन्देहास्पद व्यक्तियों, रेल बसों के आवागमंन का समय, जेल से छूटे अपराधियो, आदि सभी की जानकारी होनी चाहिए।
- गश्त के समय अपने कान व नाक खुले रखने चाहिए ,अर्थात पूर्णतः चौकस रहना चाहिए।

17.तनाव प्रबंधन एवं स्वास्थ्य।

1.तनाव प्रबन्धन – (Stress Management) .जब व्यक्ति एक–दूसरे से पारस्परिक विचारों का आदान–प्रदान करता है, तो उनमें कम या अधिक मात्रा में, तनाव या मानसिक दबाव उत्पन्न होता है। तनाव के स्तर, प्रत्येक व्यक्ति में पृथक– पृथक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में तनाव भावनाओं, मनोवैज्ञानिक लक्षणों, व्यवहारिक चिन्तन एवं शारीरिक चिन्हों के रूप में प्रकट होता है। अनेक विद्वानों का विचार है कि तनाव के अधिक समय तक बने रहने से अनेक मानसिक और शारीरिक रोग, जैसे– भावुकता, तनाव, हृदयगति सम्बन्धी रोग, फोडा, कैंसर और पीठ में दर्द इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं।

मनोशारीरिक (Psychophysical)रू.साधारण रूप से तनाव का अर्थ किसी व्यक्ति पर बल या दबाव का प्रयोग करने से लिया जाता है, लेकिन, वास्तव में, तनाव वह मनोशारीरिक प्रक्रिया है, जो शरीर में अधिक समय तक बने रहने पर, हानि, बीमारी या कुव्यवस्था उत्पन्न कर देती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा तनाव एक ऐसा अनुभव भी माना गया है, जो व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो शरीर में अधिक समय तक बने रहने पर हानि, बीमारी या कुव्यस्था उत्पन्न कर देती है। ''किसी समस्या से उत्पनन चुनौती की स्थिति में, उससे निपटने के लिए, शरीर में जो शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रियाए होती हैं, उन्हें हम तनाव कहते हैं'' अतः अधिक तनाव मनुष्य के लिए हमेशा हानिकारक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि तनाव किसी व्यक्ति में, किसी घटना या परिस्थिति के दौरान उत्पन्न होने वाली वह स्थिति है, जिसमें मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और सोचने, समझने तथा काम करने की शक्ति कमजोर पड जाती है। तनाव का अल्प मात्रा में होना मनुष्य के लिए उपयुक्त होता है।

तनाव का व्यक्तित्व पर प्रभावः–

1. दैनिक जीवन के सामान्य कार्यों में मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में, जब किसी एक कार्य या आवश्यकता को पूरा करने के लिए बार–बार असफलता का मुँह देखना पड़ता है, तब उसे तनाव का सामना करना पड़ता है। इसके कुछ लक्षण चिन्ता, अनुपयुक्तता, मनोविकृति, आत्महत्या और हीन भावनाओं के रूप में प्रकट होते हैं।

2. व्यक्तिगत कार्यों में– प्रत्येक व्यक्ति में अलग– अलग आदतें होती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति में, तनाव भी अलग–अलग मात्रा में पाया जाता है। तनाव की मात्रा उसकी रूचियों, कार्यों और आदतों पर निर्भर करती है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका होना या न होना तनाव की पहचान करने में सहायक होता है। जैसे– धुम्रपान करने की गति, शराब पीने की आदत, दस्त लगना, भोजन न पचना, रक्तचाप अधिक होना, हृदयगति का अधिक होना, एस्थमा और फोड़ा आदि ऐसे कार्य हैं।

3. घरेलु या सामूहिक कार्यों में– तनाव के प्रभाव की पहचान करने के लिए, पारिवारिक या घरेलु तथा सामूहिक रूप से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सकता है। घर में हिंसा या मार–पीट, परस्पर क्रोध करना, वैवाहिक जीवन में कटुता, सैक्स सम्बन्धों की उपयुक्त पूर्ति न होना, मित्रों से झगड़ा करना तथा किसी खेल या कार्यों में असफलता का मुंह देखना इत्यादि इसके उदाहरण हैं। इनके द्वारा तनाव का प्रभाव सरलता से देख सकते हैं।

4. व्यवसायिक कार्यों या नौकरी में– सभी व्यक्ति अपनी नौकरी/व्यवसायिक कार्यों में तनाव की स्थितियों का अनुभव करते हैं। कई व्यक्ति अपनी नौकरी से सन्तुष्ट नहीं होते, कई व्यक्तियों में नौकरी के प्रति अलगाव होता है, अनेक व्यक्तियों का शोषण होता है।इससे कर्मचारियों में रोष, गुस्सा, उत्तेजना और असामान्यता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इन लक्षणों के द्वारा तनाव की पहचान आसानी से हो सकती है।

5. पुलिस कार्य से तनाव के कारणः– प्रत्येक व्यक्ति को तनाव का सामना कभी–कभी अवश्य करना पडता है। तनाव व्यक्ति के लिए अत्यन्त हानिकारक होता है। अतः तनाव को दूर करने के लिए तनाव उत्पन्न करने वाले कारक जानना जरूरी है जो निम्नलिखित हैं–

I. मनोवैज्ञानिक कारण।

II. जैविकीय कारण।

III. व्यक्तित्व सम्बन्धी कारण।

मनोवैज्ञानिक कारणः– तनाव भी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तनाव उत्पन्न करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक, निम्नलिखित हैं–

1. असफलता या कुण्ठा– जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न हेा जाती है, तो वह उसका समाधान करने का प्रयत्न करता है, ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। लेकिन पुरानी रूढ़ियों, रीति रिवाजों और लालफीताशाही के हस्तक्षेप के कारण, जब उसे असफलता का सामना करना पडता है, तो तनाव की मात्रा में वृद्धि हो जाती है।

2. अत्यधिक कार्य– जब व्यक्ति पर अत्यधिक कार्य का बोझ हो या अधिक जिम्मदारियां सिर पर आ जाएं, तो उस व्यक्ति में काम की अधिकता या जिम्मेवारी के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है।

3. पृथक्करणः– जब किसी व्यक्ति को उचित सम्मान न मिले और साथ ही साथ उसका, पृथक्करण कर दिया जाये, तो स्वयं ही उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है।

4. मानसिक अनुकूलनः– तनाव एक मानसिक प्रक्रिया होती है। मानसिक अनुकूलन बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति होती है। जब व्यक्ति का सामना किसी समस्या से होता है, तो उसके दिमाग में मानसिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, मानसिक अस्थिरता की इस स्थिति में तनाव उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति सोचने–समझने की शक्ति खो बैठता है। अतः ऐसी अवस्था में शरीर का संतुलन बनाये रखने के लिए, पूर्व–स्थिति में लाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रक्रिया को मानसिक अनुकूल कहा जाता है।

जैविकीय कारणः–

1. मूल आवश्यकताओं की पूर्ति न होनाः– जब मनुष्य की मूल आवश्यकताएं, जैसे– भूख, प्यास, सैक्स, कपड़ा और मकान आदि की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसमें तनाव पैदा हो जाता है।

2. अत्यधिक शोरः– प्रतिदिन के कार्यों में हमें अनेक प्रकार का शोर सुनाई देता है। शहरों में अनेक प्रकार के शोर, असहनीय हो जाता है, तो उसके कारण भी तनाव उत्लन्न हो जाता है। कई व्यक्तियों को अनिद्रा रोग उत्पन्न हो सकता है। जो तनाव का कारण होता है।

3. शारीरिक दोषः– कई व्यक्तियों में अनेक प्रकार के शारीरिक दोष पाये जाते हैं। जिसके कारण व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाते हैं। इन शारीरिक दोषों में प्रमुखतः अन्धापन, लंगडापन,कुरूपता एवं हीन भावनाएं आदि ऐसे हैं जिससे उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कुरूप है।

4. हारमोन्स में परिवर्तनः– यदि व्यक्ति के हारमोन्स परिवर्तित होने शुरू हो जायें, तो स्वाभाविक है, कि व्यक्ति में स्वयं ही तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे– यदि किसी स्त्री में पुरूष हारमोन्स का उत्पन्न होनी आरम्भ हो जाए।

III. व्यक्तित्व सम्बन्धी कारणः–

1.चिन्ता उन्माद– प्रत्येक व्यक्ति में हर समय किसी न किसी प्रकार की चिन्ता पाई जाती है। जब यह चिन्ता किसी समस्या विशेष से जुड़ जाती है, तब व्यक्ति में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

2. स्वाभिमान या आत्मसम्मानः– अनेक बार व्यक्ति स्वाभिमान या आत्यसम्मान प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, लेकिन असफलता का सामना करना पडता है, तो वह कमजोर पड़ जाता है और अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। अतः उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है।

5. तनाव से बचने के उपायः–

1. व्यस्त रहें– हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें।

2. निश्चित कार्यक्रम– तनाव से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन नियमित रूप से निश्चित कार्यक्रम तैयार करके, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। अपने प्रतिदिन के कार्यों को अपनी दैनिक डायरी में क्रमवार लिखें ओर उसी के आधार पर कार्यों को पूरा करें।

3. सम्पूर्णतावाद– व्यक्ति प्रत्येक काम को पूरी तरह बिना गलती करना चाहता है, लेकिन, जब वह उस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाता या उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, तब वह तनावग्रस्त महसूस करने लगता है। टाईप 'ए' व्यवहार करने वाले व्यक्तियों में, तीव्र प्रतियोगिताएं कम समय में अधिक काम करने में और आक्रामक व्यक्तिव्त आदि विशेषताऐं पाई जाती हैं, जो तनाव पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं।

4. कुसमायोजनः– अनके बार कुसमायोजन के कारण व्यक्ति अनेक बार प्रायः तनावग्रस्त रहता है।

5. मानसिक स्वास्थ्य दिवस– प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह या महीने में, किसी एक दिन या तारीख को मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में निश्चित करना चाहिए। ताकि उस दिन आप अपने स्वास्थ्य का पूरा निरीक्षण भली–भांति करवा सकें और तनाव से छुटकारा पा सकें।

6. निर्णय लेना सीखें– किसी भी विषय में अनिश्चितता उत्पन्न होने से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं।

7. लक्ष्यों में परिवर्तन– यदि किसी लक्ष्य विशेष में असफलता का सामना बार–बार करना पड रहा है, तो उस व्यक्ति को चाहिए, कि वह अपने लक्ष्यों को परिवर्तित कर ले और तनाव से छुटकारा प्राप्त करे।

8. हॉबी या आदत निर्माण– हॉबी या आदत निर्माण से व्यक्ति का तनाव दूर होता है। साथ साथ उसकी नीरसता, ऊब और उदासी से भी छुटकारा पा लेता है। तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति अनेक
हॉबीज या आदतों का निर्माण कर सकता है। जैसे– संगीत सीखना, पुस्तकें पढना, पेंटिंग करना, बागवानी करना, खेल खेलना आदि।

9. मनोरंजन– आज की तनाव भरी जिन्दगी में व्यस्तता के साथ–साथ उपयुक्त मनोरंजन भी आवश्यक है,ताकि तनाव को कम किया जा सके।
10. संयत बने– तनाव रहित जीवन जीने के लिए, व्यक्ति को अपनी वाणी, भाषा, शब्दावली, शैली और भाव–भंगिमाओं पर संयम बरतना चाहिए। आक्रामक भाषा, व्यवहार एवं तरीकों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिए।
11. समय विभाजन एवं कार्यों का हस्तांतरण– समय विभाजन या समय प्रबंध की सहायता से भी तनाव दूर किया जा सकता है। समय विभाजन करके, शक्तियों का हस्तांतरण करके या कार्यो को प्राथमिकता देकर कार्यो का निपटारा करके, तनाव को कम किया जा सकता है। वारण्ट की तामील किसी अन्य कर्मचारी को दे सकते हैं। अतः कार्य की अधिकता से होने वाले तनाव से छुटकारा पा सकते हैं।
12. अवकाश– प्रत्येक व्यक्ति कार्य की अधिकता से परेशान रहता है। 'कोल्हू के बैल' का–सा ढंग जीवन को नीरस और बोझिल बनाता है। अतः इस बन्धन से पूर्ण जिन्दगी एवं तनाव से छुटकारा पाने के लिए, छुट्टी लेकर भी किसी स्थान पर जाना चाहिए।
13. व्यक्तित्व में सुधार– जब व्यक्ति में व्यक्तित्व विकार से तनाव अत्पन्न हो जाता है। तब व्यक्ति को चाहिए कि वह अच्छी विशेषताओं को अपनाये, सकारात्मक चिन्तन करे, ध्यान को एक स्थान पर केन्द्रित करे।
14. चिन्ताओं व तनाव पर नियंत्रण– अधिकतर तनाव, विशिष्ट परिस्थितियों में चिन्ता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। अतः चिन्ताओं पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि, उसको अपनी दैनिक क्रियाओं में खेलों, सैक्स, मनोरंजन एवं हंसी–मजाक को भी अपनाना चाहिए ताकि तनाव से छुटकारा मिल सके।
15. व्यायाम– अपनी रूचि और जीवन स्थिति के अनुकूल किसी उपयुक्त व्यायाम को अपने जीवन में अपनाएं, इससे न केवल, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, अपितु, तनाव भी दूर किया जा सकता है। इसके द्वारा मनोरंजन भी होता है। व्यायाम मन एवं मस्तिष्क के ऊपर अनुकूल प्रभाव डालता है।
16. सुदृढ अर्थव्यवस्था का निर्माण– जीवन–यापन की पूरी सुविधाएं नहीं मिल पातीं, जिसके कारण परिवार में तनाव उत्पन्न हो जाता है। बचत एवं निवेश की आदतें अपनानी चाहिए। पैसे के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाकर भी तनाव से बचा जा सकता है।
17. दाम्पत्य जीवन अच्छा बनाएं– समझदार दाम्पत्य जीवन साथी तनावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अतः पारिवारिक तनाव को कम करने और दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए पति–पत्नी को एक– दूसरे का सम्मान व आदर करना चाहिए, उनकी भावनाओं को जानना चाहिए तथा आपसी विश्वास को बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रयास करने चाहिए।
18. सदाचरण का पालन– जीवन में अच्छे आचरण के लिए, सत्य, अहिंसा, सदाचार, नैतिकता और सहिष्णुता आदि गुणों का विकास करके, तनाव को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। यदि किसी बात पर मन–मुटाव हो भी जाए तो एक–दूसरे को क्षमा कर दें, तभी मन कोमल और तनावरहित हो सकता है।
19. दवाएं– मादक द्रव्यों या नशीले पदार्थो का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए इससे कुछ देर के लिए तनाव दूर हो सकता है, परन्तु शरीर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकता है। अतः तनाव दूर करने के लिए दवाओं का प्रयोग करना भी पडे तो सही चिकित्सक के पास जाकर अपनी समस्या बताएं और उसी से उपचार करवाएं।
20. शान्त जीवन एवं ईश्वर भक्ति– तनाव से मुक्ति पाने के एक सरल मार्ग शांत जीवन एवं ईश्वर–भक्ति करना भी है। व्यक्ति को अपने व्यस्त जीवन में से कुछ क्षण ऐसे भी निकालने चाहिए जिनमें वह ईश्वर–भक्ति कर सके। इससे व्यक्ति में मानसिक तनाव तो दूर होगा ही, इससे साथ–साथ मानसिक एकाग्रता, सदविचार एवं सद्कर्मों के प्रति रूचि भी उत्पन्न होगी।
21. परामर्श संस्थाओं की सहायता– समाज में तनाव की समस्या से जुझने के लिए तथा उसको दूर करने के लिए परामर्श देने वाली संस्थाओं से सहायता व परामार्श लेना चाहिए।
22. योगा और ध्यान द्वारा भी तनाव को दूर किया जा सकता है।

तनाव का प्रबन्धनः– कुछ मात्रा में तनाव तो अच्छा है क्योंकि इससे हम हमारे कार्य कर पाते हैं। परन्तु अत्यधिक तनाव हमारी कार्य क्षमता व स्वास्थ्य दानों को ही अत्यधिकरूप से प्रभावित करते हैं। अतः
तनाव का इस प्रकार प्रबन्धन करना चाहिए कि वह हमारे स्वास्थ्य व कार्य क्षमता को प्रभावित ना कर सके। तनाव प्रबन्धन से तात्पर्य ' तनाव को इस प्रकार से समायोजित करना कि वह हमारे स्वास्थ्य व कार्य क्षमता को प्रभावित ना कर सके व हमारे कार्य करने की क्षमता में वृद्धि कर सके। तनाव से निपटने व कम करने वाले उपायों का अभ्यास करके हमें तनाव के दुष्प्रभावों को दूर करके इसे उत्पादक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अतः तनाव का प्रबन्धन करना अति आवश्यक व महत्वपूर्ण है।

क्रोध नियन्त्रण और कार्य में आक्रामकता– कार्य स्थल पर व हमारे कार्य क्षेत्र में कार्य करते समय हमें हमारे क्रोध पर नियन्त्रण रखना चाहिए। अक्सर लोग पुलिस के पास किसी घटना से आहत व व्यथित होने से आते हैं। जिससे वे क्रोध में होने से आपे से बाहर होकर इस तरह की बातें हमारे साथ करते हैं, जिससे पुलिस अधिकारी को गुस्सा आ जाता है तथा पुलिस अधिकारी के कार्य के घन्टे अधिक होने व तनावपूर्ण व विषम परिस्थितियों में कार्य करने से उनमें क्रोध आ जाता है। तथा क्रोध में वे अवांछित या सीमा से परे कार्य कर गुजरते हैं जिससे अधिकारी की स्वयं की व विभाग की छवि धूमिल हो जाती है। हम स्वयं भी अपने अनुभव से भली भाँती जानते हैं कि क्रोध में लिए गये निर्णय व किये गये कार्य अधिकतर गलत ही होते हैं। अतः हमें धैर्य व सहनशीलता से हर विषय व उत्तेजित करने वाली परिस्थिति में क्रोध पर नियन्त्रण रखना चाहिए। साथ ही क्रोध नियन्त्रण करके हमें व्यक्तियों के विरूद्ध आक्रामकता को कम करके धैर्य व सहनशीलता के साथ व्यवहार करके हम हमारे कार्य और तेजी व पूर्णता से कर पायेगें।

18.महिला डेस्क– सामान्य कार्य व रजिस्टर संधारण।

महिला डेस्क–महिलाओं के थाने पर आगमन पर उससे बातचीत करो। उसकी समस्या सुनकर निदान हेतु प्रत्येक थाने पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान के आदेश क्रमांक 4251–4327 दिनांक 3–12–04 द्वारा महिला डेस्क की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं।

महिला डेस्क का गठन– प्रत्येक थाने में जहां पर थानाधिकारी, निरीक्षक पद का हो वहां पर उप निरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक/हेड कानि. के नेतृत्व में 2 कानि. को लगाकर महिला डेस्क का गठन किया जावे । जिन थानों में थानाधिकारी उपनिरीक्षक पद का है वहां महिला डेस्क इन्चार्ज ए.एस.आई./हेड कानि. पद का हो एवं उनके अधीन 2 कानि. लगाये जावें। थाने पर पद स्थापित स्टाफ में से ही स्टाफ लगाया जाए। यदि थाने पर उचित मात्रा में नहीं हो तो आर.पी.एल. से लगाया जाए।

जहां तक संभव हो महिला डेस्क प्रभारी महिला हो यदि महिला अधिकारी पदस्थापित नहीं है तो थाने पर पदस्थापित ऐसे पुलिस अधिकारी (एस.आई/ए.एस.आई./हेड कानि.) को महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो ,उन्हें महिला डेस्क प्रभारी बनाया जा सकता है।महिला डेस्क में लगाए जाने वाले दोनों कानि. जहां तक हो महिला कानि. हो । जिन जिलों में महिला कानि. पर्याप्त न हो वहां ऐसे पुरूष कानि. लगाए जाए जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो। जैसे ही महिला अधिकारी या कानि. उपलब्ध हो तो पुरूष अधिकारी या कानि. को हटा कर महिला अधिकारी या कानि. को पदस्थापित किया जावे।

कार्यप्रणाली– थाने पर किसी भी महिला के आगमन पर महिला डेस्क द्वारा फरियादी को सुना जावे तथा जैसी भी समस्या हो उसके निदान हेतु महिला डेस्क स्टाफ कार्यवाही करेगा। महिला डेस्क के पास डॉक्टर, गाइनाकोलोजिस्ट, कानुनी सलाहकार, महिला संगठन के कार्यकर्ताओं या अन्य संगठन या संस्थान के महिला अधिकारियों के भी फोन नम्बर होने चाहिए, जिनसे आवश्यकता पड़ने पर सम्पर्क किया जा सके व आने वाली महिला को जैसी भी सहायता हो उपलब्ध करायी जा सके।

महिला डेस्क का कर्तव्य– महिला डेस्क की यह ड्यूटी होगी कि थाने पर आने वाली महिला से सबसे पहले सम्पर्क करें व उसकी सुनवाई करें। यदि बातचित से कानुनी कार्यवाही की आवश्यकता महसुस हो तो थानाधिकारी के पास कानुनी कार्यवाही हेतु भेजेगें। यदि कांउसलिंग की आवश्यकता है तो महिला संगठनों के सलाहकार के पास भेजें, यदि चिकित्सा सहायता की जरूरत है तो डॉक्टर के पास भेजें।

रिकॉर्ड संधारण– महिला डेस्क प्रभारी एक रजिस्टर का संधारण करेंगे जिसमें फरियादी का नाम, पता तथा की गई कार्यवाही एवं राहत जो दी गई का संक्षिप्त विवरण अंकित करेगा।

पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/वृत्ताधिकारी थाने के भ्रमण के दोहरान महिला डेस्क के कार्य की जानकारी करेंगे एवं बेहतर कार्य निष्पादन के सुझाव देंगे। एवं महिला डेस्क रजिस्टर में अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे।

महिला डेस्क की स्थापना थाने पर की जाकर थाना वाईज पदस्थापित महिला डेस्क इन्चार्ज/कानि. के नाम, पद नम्बर की सुचना सी.आई.डी.(सी.बी.) जयपुर भेजी जाये।

महिला डेस्क के लिये थाने में अलग कमरा हो जिसके बाहर महिला डेस्क का बोर्ड भी लगाया जाए।

19.राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियंत्रण व अपील) नियम 1958, नियम 12,13,14,15,16,17,18,19 व 32 पुलिस विभाग में व्यवस्था :–

क्र.स.	कर्मचारी	अनुसाासनिक अधिकारी	दण्ड
1	निरीक्षक या सीसी	महानिदेशक	1से7 तक समस्त दण्ड
		उपमहानिरीक्षक	1 व 3 तक
		पुलिस अधीक्षक या समकक्ष	1 और 2
2	उपनिरीक्षक या पीसी	उपमहानिरीक्षक	1 से 7 समस्त दण्ड
		पुलिसअधीक्षक या समकक्ष	1 से 3 तक
		अति पुलिस अधीक्षक	परिनिन्दा (1)
3	सहा.उप.निरीक्षक	पुलिस अधीक्षक	1 से 7
		अति पुलिस अधीक्षक	1 से 3
		उपअधीक्षक	परिनिन्दा (1)
4	मुख्य आरक्षी व कानि.	पुलिस अधीक्षक	1 से 7 तक
		अति पुलिस अधीक्षक	1 से 3 तक
		उपअधीक्षक	परिनिन्दा (1)

राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958

नियम 12– नियुक्ति प्राधिकारी– (1)किसी राज्य सेवा में समस्त नियुक्तियां सरकार द्वारा या इस विषय में सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

(2)किसी अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं में समस्त नियुक्तियां, विभागाध्यक्ष द्वारा या इस विषय में सरकार की स्वीकृति से विभागाध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(3)किसी चतुर्थ श्रेणी सेवा में समस्त नियुक्तियां विभागाध्यक्ष द्वारा इस विषय में जारी किये गये नियमों एवं अनुदेशों के अध्यधीन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

नियम 13– निलम्बन– नियुक्ति प्राधिकारी या कोई अधिकारी जिसके अधीन वह नियुक्ति अधिकारी है, या सरकार द्वारा इस विषय में सशक्त कोई भी अन्य प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा–

(क)जहां तक कि उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है या ऐसी कोई कार्यवाही लंबित है, या

(ख)जहां उसके किसी फौजदारी अपराध के संबंध में अन्वेषण या विचार हो रहा हो:

परन्तु जहां निलंबन की आज्ञा नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर प्राधिकारी द्वारा दी गई है तो उक्त प्राधिकारी, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट, जिनमें ऐसी आज्ञा दी गई थी, तुरंत नियुक्ति प्राधिकारी को देगा।

राजस्थान सरकार का विनिश्चय– राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील)नियम,1958 के नियम 13 के उपनियम(1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इन नियमों के नियम 14 में निर्दिष्ट लघु शक्तियों में से कोई शास्ति आरोपित करने के लिए सशक्त अधिकारी को राज्य सरकार के कर्मचारी को निलंबन करने का अधिकार प्रदान करती है।

(2) यदि कोई सरकारी कर्मचारी जो किसी फौजदारी आरोप पर या अन्यथा 48 घंटों से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया हो तो उसे हिरासत की तिथि से (उप नियम(1)के अधीन सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने हेतू सक्षम प्राधिकारी)की आज्ञा से निलंबित समझा जायेगा। और वहां आगामी आदेश तक निलंबन में रहेगा।

(3)जब किसी निलंबन आदेश में चल रहे राज्य कर्मचारी पर उसके विरूद्ध जारी की गई बर्खास्तगी या सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृति की शास्ति, इन नियमों के अधीन अपील में यह नजरसानी होने पर निरस्त कर दी जाती है और किसी निर्देशन के साथ मामला आगे जांच करने या कार्यवाही करने के लिए लौटा दिया जावें, तो उस कर्मचारी का निलंबन सेवा से बर्खास्तगी हटायी जाने या अनिवार्य सेवा निवृति को, मूल आदेश की तिथि से पुनः जारी रहना समझा जावेगा और वह आगामी आज्ञा तक प्रभाशील रहेगा।

(4)जब किसी राज्य कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृति करने की शास्ति, किसी न्यायालय के फेसले द्वारा खारीज कर दी जावें या शून्य घोषित कर दी जावें या प्रभावहीन हो

जावें, और मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अनुशासन प्राधिकारी उन्हीं आरोपों पर, जिनके आधार पर उसे बर्खास्तगी, हटाये जाने या सेवा निवृति की शास्ति मूलतः दी गई थी, आगे जांच करना तय करे तो उक्त राज्य कर्मचारी बर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृति की मूल आदेश की तिथि से, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, निलंबित किया समझा जावेगा और आगामी आदेशों तक वह निलंबन में चलता रहेगा।

(5)इस नियम के अधीन जारी किया गया निलंबन का आदेश किसी भी समय, उक्त आदेश देने वाले या देने वाले समझे गये प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा, जिसका उक्त प्राधिकारी अधीनस्थ है।

नियम 14 :– शास्तियों के प्रकार – निम्नांकित शास्तियां समुचित और पर्याप्त कारणों से और जिनको अभिलिखित किया जाएगा और जैसा इसमें इसके पश्चात उपबन्धित है, किसी सरकारी कर्मचारी पर लगायी जा सकेगी।

1. परिनिन्दा
2. वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना
3. लापरवाही से या किसी विधि, नियम या आदेश को भंग करने से सरकार को हुई आर्थिक हानि की उसके वेतन में से सम्पूर्ण या आशिंक रूप से वसूली
4. निम्नत्तर सेवा, ग्रेड या पद पर अथवा निम्नत्तर काल वेतनमान में अथवा काल वेतनमान के नीचे की प्रक्रम पर अवनत कर देना या पेंशन की दशा में नियमानुसार देय राशि में कमी कर देना ।
5. आनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवानिवृति ।
6. सेवा से हटाया जाना जो आगे नियोजन में निरर्हता नहीं होगी।
7. सेवा से पद्च्युत जो सामान्यतः भावी नियोजन में निरर्हता।

स्पष्टीकरण 1 :–

इस नियम के अन्तर्गत निम्नलिखित शास्ति की कोटि में नहीं होंगे –

a. सेवा या पद नियुक्ति के निर्बन्धनों से सम्बन्धित नियमों या आदेशों के अनुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने पर सरकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोकना।

b. किसी सरकारी कर्मचारी के दक्षता अवरोध पार करने में अयोग्य होने के कारण उसे उस काल में दक्षता अवरोध पर रोकना।

c. किसी सरकारी कर्मचारी को उसके मामले पर विचार करने के बाद, किसी सेवा, ग्रेड या पद पर जिस पर पदोन्नति के लिए वह पात्र है, अधिष्ठायी या स्थापन्न हैसियत से पदोन्नति न करना।

d. किसी उच्चत्तर सेवा, ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी का निम्न स्तर सेवा ग्रेड या पद पर इस आधार पर कि उसे अवसर दिया जाने पर वह उच्चतर सेवा,ग्रेड या पद के लिए अनुपयुक्त समझा गया है, अन्यथा किसी प्रशासनिक आधार पर जो उसके आचरण से सम्बन्धित नहीं है परिर्वतन कर देगा।

e. किसी सरकारी कर्मचारी का जो परिवीक्षा पर किसी दूसरी सेवा,ग्रेड या पद पर नियुक्त किया गया हो परिवीक्षा काल में या उसकी समाप्ति पर नियुक्ति के निर्बन्धनों या परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसरण में स्थायी सेवा, ग्रेड या पद पर परिर्वतन कर देना।

f. किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी अनिवार्यता या सेवा निवृति सम्बन्धी उपबन्धों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति

g. सेवा समाप्ति :–

1. परीवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी कर्मचारी को परीवीक्षा कालों या उसकी समाप्ति पर उसकी नियुक्ति के निर्बन्धनों या परीवीक्षा सम्बन्धी नियमों या आदेशों के अनुसार।
2. संविदा से अन्यथा किसी अन्य रूप में नियुक्त किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति काल समाप्त होने पर।
3. किसी काम के अधीन नियोजित किसी सरकारी कर्मचारी की उक्त करार के निर्बन्धनों के अनुसार।
4. राजस्थान की एकीकृत इकाईयों में से किसी भी सेवाओं के ऐसे सरकारी कर्मचारी की एकीकरण नियमों के अनुसार राजस्थान राज्य की एकीकृत सेवाओं में से किसी में भी नियुक्ति के लिए चयन न होने पर या उसमें सम्मिलित न किये जाने पर।

स्पष्टीकरण–2 :–किसी ऐसे व्यक्ति की जो राजस्थान की एकीकृत सेवाओं में से किसी भी पद पर तदर्थ या अंतिम आधार पर नियुक्त हो, एकीकृत नियमों के अनुसार ऐसी किन्ही सेवाओं या पदों पर चयन नहीं किये

जाने या उसमें सम्मिलत नहीं किये जाने अन्यथा किसी कारण से की गयी सेवा मुक्ति को, सेवा से हटाया जाना या पदच्युत यथा स्थिति समझा जायेगा।

टिप्पणीः—नियम 14 (7) के अधीन पदच्युति के कारण भावी नियोजन के लिए निरर्हता केवल राज्य सरकार द्वारा ही अधित्यजित की जा सकती है यदि किसी मामले के गुण दोषों से ऐसा करना न्यायोचित हो।

नियम—15 अनुशासनिक प्राधिकारी :—

1. राज्य सेवाओं के लिए राज्य सरकार या सरकार द्वारा उस विषय में विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी अधीनस्थ सेवा एवं मंत्रालयिक सेवा के लिये विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार के अनुमोदन से विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के लिये कार्यालाध्यक्ष नियम —14 में निर्दिष्ट सभी शास्तियां देने के लिए प्राधिकृत होगें।नियम—15 (1) द्वारा प्रदत्त शास्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल प्रशासनिक न्यायाधीश या राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामजद किसी न्यायाधीश को उपर्युक्त नियमों के अधीन विहित शास्तियों में से सेवा से हटायें जाने तथा पदच्युति की शास्ति के सिवाय कोई शास्ति राजस्थान उच्चत्तर न्यायिक सेवा और राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लगाने की शक्ति प्रदान करते हैं।

टिप्पणी :—

a. इन नियमों के नियम 12 के तहत एक सेवा में नियुक्ति करने हेतु विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी, नियम 14 में उल्लेखित शास्तियां देने हेतु सक्षम होंगे।

b. नियम 14 के क्रम संख्या 6 और 7 में अकिंत शास्तियां लगाने हेतु राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष (जैसी भी स्थिति हो) इस नियम के तहत अन्य प्राधिकारी को अधिकृत नहीं कर सकते हैं।

2. राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में जिनके नियुक्ति करने की शक्ति किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को नहीं सौंपी गई हो, परिनिन्दा तथा वेतन वृद्धि रोकने के अतिरिक्त शास्ति लगाने से पहले आर.पी0एस0सी0 से परामर्श किया जायेगा।

नियम 16 :— बड़ी शास्तियां लगाने की प्रक्रिया —

पब्लिक सर्वेन्ट्स (जाँच) एक्ट—1950 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी सरकारी कर्मचारी पर नियम 14 के खण्ड—4 से 7 तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने वाला आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि यथासक्य उसमें उसके पश्चात उपबन्धित रीति से जाँच न करली गई हो।

नियम 16(2) :— आरोप पत्र देना —

मुख्यतः निम्न पांच बातों का ध्यान रखा जावेगा :—

a अनुशासनिक अधिकारी दोषारोपण के आधार पर निश्चित आरोप बनायेगा।''स्पष्टीकरण'' के अनुसार यहां नियम 14 में वर्णित (1) से (3) तक दण्ड देने के लिए सक्षम अधिकारी भी अनुशासनिक प्राधिकारी है अर्थात वह आरोप बना सकता है।

b. जाँच का प्रस्ताव आरोप पत्र और दोषारोपण का विवरण पत्र लिखित में दोषी कर्मचारी को भेजे जावेगें।

c. अनुशासनिक प्राधिकारी लिखित कथन को प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित कर दोषी से उत्तर मांगेगा।

d. वह तीन प्रश्न भी पूछेगा—

I. कि क्या वह (दोषी कर्मचारी) सबका किसी आरोप की सत्यता को स्वीकार करता है?

II. कि उसे क्या स्पष्टीकरण या बचाव पेश करना है?

III. कि क्या वह व्यक्तिगत सुनवायी चाहता है?

e. आरोपित व्यक्ति अपने बचाव के समय जो बचाव या अभिकथन करता है उसके सम्बन्ध में कोई दण्ड देने के लिए अतिरिक्त आरोप बनाना आवश्यक नहीं होगा।

नियम—16(3) :— बचाव की तैयारी तथा अभिलेख का निरीक्षण —

इस नियम में अभिलेखों का निरीक्षण करने का प्रावधान है, जिसके अनुसार आरोपित कर्मचारी द्वारा बताये गये अभिलेख (दस्तावेज) का निरीक्षण करने और उसके अंशों के उद्धरण

(Abstract) लेने की अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति केवल दो कारणों से मना की जा सकती है ण यदि वह प्रलेख सुसंगत नहीं हो या ण्ण उसे दिखाना लोकहित में उचित नहीं हो। उसके लिये कारण अंकित करने आवश्यक हैं, सरकारी निर्देशानुसार प्रलेखों के निरीक्षण की अनुमति की अस्वीकृति प्रपत्र (10) में दी जानी चाहिए।

नियम—16(4) :— लिखित कथन तथा जाँच अधिकारी की नियुक्ति :—

इस उप नियम में निम्न बातें बताई गई हैं—

a. लिखित कथन की प्राप्ति पर या

b. लिखित कथन निश्चित समय में प्राप्त न होने पर
c. अनुशासनिक प्राधिकारी स्वीकार नहीं किये गये आरोपों की स्वंय जाँच करेगा या
d. आवश्यक समझे तो जाँच मण्डल (बोर्ड) या जाँच प्राधिकारी की इस जाँच के लिए नियुक्ति करेगा
e. आरोप पत्र के सभी आरोप यदि अपचारी कर्मचारी लिखित कथन में स्वीकार करले तो अनुशासनिक प्राधिकारी अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

नियम–16 (4क) – जाँच का आरम्भ :– इसके अनुसार

a. यदि सरकारी कर्मचारी जिसने आरोप स्वीकार नहीं किये हैं, जाचं अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है। इण्तो जाचं अधिकारी उससे पूछेगा कि :–(i.) क्या वह दोषी है ? या (ii.) अपने बचाव में कुछ कहना चाहता है?

c. यदि कर्मचारी दोषी होना स्वीकार करता है तो उसके अभिवचन को लिखा जावेगा और उस पर जाँच अधिकारी तथा आरोपित कर्मचारी दोनों हस्ताक्षर करेगें।

d.इस प्रकार जिन आरोपों को वह स्वीकार कर लेता है उन पर जाँच अधिकारी कर्मचारी के दोषी होने का निष्कर्ष भेजेगा।

नियमः– 16(5) उप स्थापक एवं सहायक अधिकारियों की नियुक्तिः– इसके अनुसार

1. आरोपों के समर्थन में (अभियोजन पक्ष को और से)मामला प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नामजद किया जावेगा,(जो''उप स्थापक अधिकारी'') कहलायेगा । इसकी नियुक्ति पदनाम से की जावेगी,ऐसा निर्देश है ।
2. सरकारी कर्मचारी किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी या सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी की सहायता से अपना मामला प्रस्तुत करेगा,जिस अनुशासनिक प्राधिकारी अनुमोदित करेगा। (यह''सहायक अधिकारी'' कहलायेगा)
3. सरकारी कर्मचारी अपनी पैरवी के लिए किसी विधि– व्यवसायी की नियुक्ति नही कर सकेगा। इसके लिए दो शर्ते लगायी गई हैः–

a. जब तक कि उप स्थापक अधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो या

b. जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को देखते हुए,ऐसी अनुज्ञा (अनुमति)न दे।

4. स्पष्टीकरण के द्वारा लोक अभियोजक,अभियोजक निरीक्षक,या सह निरीक्षक को विधि व्यवसायी माना गया है ।
5. यदि सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी विधि व्यवसायी हो,तो उपरोक्त शर्ते लागू रहेगी ।

नियम 16(6):– साक्ष्य का तरीका :–

a. सरकारी कर्मचारी द्वारा आरोपों के बारे में दोषी न होने का कथन करने पर (अरोपों को अस्वीकार करने पर) उप स्थापक अधिकारी को 10 दिन में अभियोजन पक्ष के गवाहों व दस्तावेजों की सूची देने को कहा जावेगा। वह यह सूची उस कर्मचारी को भी साथ भेजेगा।

b. ऐसी सूची मिलने के 10 दिन के भीतर वह अपचारी अधिकारी अपने बचाव के लिए चाहे गये दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत करेगा।

c. जाँच अधिकारी इसके बाद दोनों पक्षों के दस्तावेज सम्मन करेगा (मंगवायेगा)

d. पक्षकारों से इन्हें (दस्तावेजो को) स्वीकार या इनकार करने के लिए कहेगा ।

e. इसके बाद जाँच अधिकारी ऐसी साक्ष्य को बुलावेगा,जो आवश्यक समझी जावें।

f. (1) उप स्थापक अधिकारी को मुख्य परीक्षा का और
(2) सरकारी कर्मचारी या इसके सहायक अधिकारी को,जो भी उपस्थित हो,प्रति परीक्षा का
(3) अवसर देते हुए साक्ष्य अभिलिखित करेगा।
(4) उपस्थापक अधिकारी पुनर्परीक्षा करने का हकदार होगा,परन्तु किसी नये मामले (बिन्दु) पर जाँच अधिकारी की अनुमति के बिना पुनर्परीक्षा नहीं कर सकेगा।

g. अभियोजन साक्ष्य का समाप्ति के बाद,सरकारी कर्मचारी को 10 दिन के भीतर बचाव के साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने को कहा जावेगा।

h. जाँच अधिकारी विचार करने के बाद केवल सुसंगत साक्षियों तथा दस्तावेजों को भी सम्मन करेगा तथा पक्षकारों को मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा तथा पुनर्परीक्षा का अवसर देते हुये उनका साक्ष्य अभिलिखित करेगा। पण इसके बाद साक्ष्य बन्द कर दी जावेगी।

j. जाँच अधिकारी दोनों पक्षकारों द्वारा बुलाये गये साक्षियों और दस्तावेजों की सुसंगति पर विचार करेगा। किन्ही साक्ष्यों या दस्तावेजों के सम्मन करने से मना करने पर इसका कारण लेख बद्व करेगा।

k. जाँच अधिकारी भी न्याय के हित में पक्षकारों के साक्षियों से प्रश्न पूछ सकेगा,जो वह उचित समझे।

l. पक्षकारों को अपनी बहस सुनाने का अवसर दिया जएगा।

m. पहले नियम 16(6) (क) के नीचे एक''टिप्पणी'' द्वारा प्रावधान था जिसे नये नियम (1982) में नहीं रखा गया है।

नियम–16(7) तथा(8):– जाँच रिपोर्ट एवं जाँच अधिकारी के निष्कर्ष :–

1. जाँच की समाप्ति पर जाँच अधिकारी एक जाँच रिर्पोट तैयार करेगा,जिसमें:–(˙) प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष (इ) उसके कारणों सहित देगा।

2. मूल आरोप से भिन्न कोई आरोप स्थापित हो,उस पर भी निष्कर्ष देगा,परन्तु यदि उनको:–

a. सरकारी कर्मचारी ने स्वीकार कर लिया हो,या

b. उन आरोपों के विरूद्व उस बचाव का अवसर दे दिया गया हो।

c. उप नियम 8 में जाँच के अभिलेख की सूची दी गयी है ।

नियम 16(9) :– अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विचार एवं निष्कर्ष–

1. जहाँ जाँच अधिकारी और अनुशासनिक प्राधिकारी दोनों अलग अलग है,

2. तो अनुशासनिक प्राधिकारी (क) जाँच के अभिलेख पर विचार करेगा और (ख) प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

3. विचार करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी समझ कि जाँच किसी प्रकार से दूषित हो,गई,या अन्य कोई उचित पर्याप्त कारण हो तो वह कारण अभिलिखित करके:– (क) आगे और जाँच करने के लिए या (ख) नये सिरे से जाँच के लिए मामले को वापस भेजे सकेगा।

नियम 16(10) तथा(11):– लोक सेवा आयोग से परामर्श :–

a. जहाँआयोग से परामर्श (सलाह)लेना आवश्यक हो,ऐसे मामलों में:–

b. जाँच का अभिलेख आयोग को सलाह के लिए भेजा जावेगा ।

c. आदेश देने से पहले उस सलाह पर विचार किया जावेगा या ध्यान में रखा जावेगा।

नियम 16 (12) :– दण्डाज्ञा की सूचना –

1.अनुशासनिक प्राधिकारी का आदेश (अन्तिम आज्ञा या विनिश्चय या दण्डाज्ञा) सरकारी कर्मचारी को सूचित किया जायेगा।

2.उन आदेशों के साथ निम्न कागजात दिये जावेंगे :–

a. जाँच रिपोर्ट की एक प्रति।

b. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये निष्कर्षों का विवरण।

c. जाँच अधिकारी से असहमति के कारणों का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो।

d. आयोग की सम्मत्ति यदि कोई है।

e. आयोग की सम्मति को अस्वीकार करने के कारणों का संक्षिप्त विवरण।

3.अपवाद :– यदि सरकारी कर्मचारी को कोई साधारण दण्ड ही दिया गया हो, तो उसे जाँच अधिकारी को रिर्पोट की प्रति देना आवश्यक नहीं होगा।

नियम 17 :– छोटी शास्तियां लगाने की प्रक्रिया :–

नियम 14 में वर्णित (1) परिनिन्दा (2) वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना तथा (3) वेतन में से वसूली के इन साधारण दण्डों (शास्ति) में से कोई दण्ड देने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं, जिनका पालन अनिवार्य है :–

1. सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना देना :– अभिकथन (आरोप विवरण पत्र) देकर बचाव में अभ्यावेदन करने का अवसर देना जो वह चाहे।

2. जहाँनियम 16 के अधीन जाँच आवश्यक हो वहां ऐसी जाँच की जावेगी। {खण्ड (क)}

3. (क) ऐसे अभ्यावेदन पर और (ख) ऐसी जाँच के अभिलेख पर विचार कर लिया हो।

यदि कर्मचारी मांग करे, तो उसे अपना मामला स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना।

लोक सेवा आयोग से परामर्श, जहां आवश्यक हो।

इसके बाद ही दण्ड की आज्ञा दी जा सकेगी।

इस प्रकार साधारण दण्ड देने की प्रक्रिया में छः कदम हैं :–

1. सूचना व दोषारोपण
2. जाँच यदि आवश्यक हो
3. अभ्यावेदन
4. व्यक्तिगत सुनवाई
5. आयोग से परामर्श
6. अन्तिम आज्ञा

नियम 18. सीसीए रूल्स

संयुक्त जांच (1) जहां किसी मामले से दो या अधिक सरकारी कर्मचारी संबंधित हों, सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी जो ऐसे समस्त सरकारी कर्मचारियों को सेवा से पदच्युत करने की शास्ति लगाने के लिए सक्षम हो, यह आदेश दे सकेगा कि उन सबके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एक साथ की जाये।

(2) ऐसे किसी आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किए जायेगे–

- वह प्राधिकारी, जो उक्त एक साथ समान रूप से की जाने वाली कार्यवाही के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में काम करेगा,
- नियम 14 में विनिर्दिष्ट वे शास्तियां जिन्हें आरोपित करने के लिए उक्त अनुशासनिक प्राधिकारी सक्षम होगा,और
- क्या कार्यवाही में नियम 16 में अथवा 17 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाये।

प्रपत्र संख्या 8

नियम 18 के अन्तर्गत जांच अधिकारी की नियुक्ति

राज्य सरकार

विभाग

क्रंमाक दिनांक

1.चूंकि सर्व श्री............................(कर्मचारियों के नाम व पद विवरण) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत जांच की जा रही है।

2.और चूंकि राज्यपाल/ निम्न हस्ताक्षरकर्ता के विचार से उनके विरूद्ध आरोपित आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए।

3.अतः जब, राज्यपाल/ निम्न हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान सिविल सेवाएं(वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियम,1958 के नियम 18 के अन्तर्गत श्री....................(जांच अधिकारी का नाम व पद विवरण) को, उनके विरूद्ध आरोपों की संयुक्त जांच करने के लिए नियुक्त करते हैं/करता हैं। कार्यवाही में कथित नियमों के नियम 16/17 द्वारा निर्धारित कार्य प्रणाली का अनुसरण किया जावें।

अनुशासन प्राधिकारी के
हस्ताक्षर व पद विवरण

क्रंमाक दिनांक

प्रतिलिपि प्रेषित है–

1.श्री....................(जांच अधिकारी का नाम व पद विवरण) को,
2.श्री..................(राज्य कर्मचारियों के नाम व पद विवरण) को,
3.अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को, यदि कोई हो।

नियम 19 – कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया– नियम 16,17 व 18 में किसी बात के होते हुए भी –

1. जहाँ सरकारी कर्मचारी किसी फौजदारी आरोप में दोषसिद्ध हुआ हो या,
2. जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे कि उक्त नियमों में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है या,
3. जहाँ राज्यपाल का समाधान हो जाये कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करना समीचीन नहीं है। तो अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा तथा ऐसा ओदश जो वह उपयुक्त समझे, दे सकेगा।

परन्तु आयोग से परामर्श वाले मामले में आयोग से परामर्श लिया जायेगा।

टिप्पणी :– यदि कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अधीन कारण बताने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप से साध्य है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को एक ही अपील का अधिकार होगा।

अध्याय 7 पुनरीक्षण व पुनर्विलोकन

नियम 32 वह प्राधिकारी,जियके पास नियम 14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगााने के आदेश के विरूद्व अपील होती हो और यदि उसकी अपील न की गयी होतो वह,स्वेच्छा से या अन्यथा,अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही के मामले के अभिलेख मंगवा सकेगा तथा उसका परीक्षण कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो आगे अन्वेषण करने के बाद,ऐसे मामले में पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगा तथा बायोग से परामर्श करने के बाद ,जहां ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो–

(क)आदेश को पुष्ट,उपान्तरित या अपास्त कर सकेगा,

(ख)कोई शास्ति लगा सकेगा या आदेश द्वारा लगाई गई शास्ति को अपास्त,कम,पुष्ट या वर्धित कर सकेगा,

(ग)मामले को उस प्राधिकारी को,जिसने आदेश दिया हो,या किसी अन्य प्राधिकारी के ऐसी आगे की कार्यवाही या जांच करने का निर्देश देते हुए,जैसा कि मामले की परिस्थितियों में वह उचित समझे,विप्रेषित कर सकेगा,

(घ)ऐसा आदेश जो वह उपयुक्त समझे पारित कर सकेगा

(1)किसी शास्ति को लगाने या वर्धित करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा,जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का,जो वह ऐसी वर्धित शास्ति के विरूद्व करना चाहे,अवसर न दिया गया हो।

(2)यदि अपील प्राधिकारी किसी ऐसे मामले जिसमें नियम 16 के अधीन कोई जांच नहीं की गयी हो ,में नियम 14 के खण्ड(4) से (7) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने का प्रस्ताव करेतो नियम 19 के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसी जांच का निर्देश देगा और उसके बाद ऐसी जांच पर विचार करके ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे।

(3)इस नियम के अधीन किसी कार्यवाही का प्रारम्भ,पुनरीक्षित किये जाने वाले आदेश के दिनांक से छह महीना के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

20.व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन, जी0पी0एफ0 / एस0आई / एल0आई0सी0 व अन्य योजनाओं की जानकारी।

व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन–प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता व मेहनत से अधिक से अधिक आय प्राप्त करने के उपाय करने चाहिए तथा प्राप्त आय का सही प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए । अपनी आमदनी को आवश्यक कार्य जैसे स्वास्थ्य ,रोटी,कपडा एंव मकान पर व्यय प्राथमिकता अनुसार करना चाहिए।अपनी कुल आय में से 20 प्रतिशत बचत कर आवश्यक निवेश करना चाहिए।प्रत्येक व्यक्ति को रूपये खर्च करते समय उसकी उपयोगिता,आवश्यकता,विलासिता में अन्तर को समझते हुए खर्च करना चाहिए।दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। आय में से कुछ नकद राशि अकस्मात् बीमारी हेतू भी रखनी चाहिए। छोटे बच्चों को भी बचत की आदत के लिए पिग्गी बैंक की आदत डालनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह अपनी आय,व्यय,बचत का हिसाब किताब रखना चाहिए।छोटी–छोटी आय से आवृती बचत खाता (आरडी खाता)खोलना चाहिए। आवश्कता होने पर ही लोन लेना चाहिए तथा कुछ राशि सेवानिवुति के बाद अपने होने वाले खर्चो के लिए भी बचत करनी चाहिए।

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997 (जी0पी0एफ0)

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997 अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को इस खाते में अपने वेतन में से अंशदान किया जाता है।इस हेतू राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग कार्य करता है।तथा एक पास बुक प्रत्येक कर्मचारी को जारी की जाती है। जो विभाग/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित की जाती है।राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसमें अनिवार्य अभिदान करना होता है। सेवानिवृति पर सम्पूर्ण राशि मय ब्याज खाताधारक को प्राप्त होती है तथा खाताधारक नियमानुसार अपनी मृत्यु होने पर किसी अन्य वारिस का नाम निर्देशन भी करता है। प्रत्येक खाताधारक को एक खाता संख्या भी आंवटित की जाती है। खाता डायरी में समस्त जमा व निकासी का विवरण रहता है। सरकार अलग–अलग वेतन श्रंखला अनुसार मासिक कटौती राशि दर का निर्धारण करती है।कोई भी कर्मचारी अपने खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत अथवा 3 माह का मूल वेतन जो भी कम हो के बराबर राशि अस्थायी रूप से आहरण की सुविधा है। जैसे स्वय या परिवार के ईलाज ,शिक्षा,विवाह समारोह,कानूनी कार्यवाही,भवन मरम्मत वगैराह हेतू प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कर्मचारी के 15 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण होने पर तथा स्थाई उद्देश्यों के लिए स्थायी आहरण भी राज्य सरकार नियमानुसार स्वीकृत करती है। खाताधारक की सेवानिवृति या मृत्यु पर खाता बंद हो जाता है तथा नियमानुसार भुगतान किया जाता है।

राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 (एस0आई राज्य बीमा)

प्रत्येक कर्मचारी को प्रीमीयम भुगतान पर एक बीमा संविदा की जाती है।इस हेतू राज्य एंव प्रावधायी निधि विभाग कार्य करता है। बीमाकृत राज्य कर्मचारी हेतू प्रीमीयम प्राप्त कर एक बीमा प्रमाण पत्र दिया जाता है। जिसका एक क्रमांक व खाता होता है तथा मार्च में प्रथम कटौती होती है। खाताधारक को यह घोषणा करनी होती है कि वह कोई गंभीर रोग से ग्रसित नहीं है।इसमें प्रीमीयम की दर वेतन श्रंखला के अनुसार मासिक प्रीमीयम दर राजस्थान सरकार निर्धारित करती है।एक बीमा अभिलेख डायरी जारी की जाती है। जिसे आहरण वितरण अधिकारी, राज्य बीमा विभाग द्वारा सत्यापित किया जाता है। बीमाकृत व्यक्ति बीमा राशि हेतू नाम निर्धारण भी करता है जो किसी दुर्घटना या परिपक्वता पर बीमा राशि का संदाय होता है। बीमा पर दिये गये प्रीमीयम पर भी बीमाधारक नियमानुसार ऋण प्राप्त कर सकता है।खाताधारक की सेवानिवृति या मृत्यु पर खाता बंद हो जाता है तथा नियमानुसार भुगतान किया जाता है।

21.प्राथमिक चिकित्सा के बारे में प्राथमिक जानकारी।

प्राथमिक चिकित्सा की सीमा–प्राथमिक उपचार आकस्मिक दुर्घटना के अवसर पर उन वस्तुओं से सहायता करने तक ही सीमित है जो उस समय प्राप्त हो सकें। प्राथमिक उपचार का यह ध्येय नहीं है कि प्राथमिक उपचारक चिकित्सक का स्थान ग्रहण करे। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चोट पर दुबारा पट्टी बाँधना तथा उसके बाद का दूसरा इलाज प्राथमिक उपचार की सीमा के बाहर है। प्राथमिक उपचार का उत्तरदायित्व किसी डाक्टर द्वारा चिकित्सा संबंधी सहायता प्राप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है, परंतु उसका कुछ देर तक वहाँ रुकना आवश्यक है, क्योंकि डाक्टर को सहायक के रूप में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है।

प्राथमिक उपचार में आवश्यक बातें

प्राथमिक उपचारक को आवश्यकतानुसार रोगनिदान करना चाहिए, तथा घायल को कितनी, कैसी और कहाँ तक सहायता दी जाए, इस पर विचार करना चाहिए।

रोग या घाव संबंधी आवश्यक बातें

रोगी की स्थिति, इसमें रोगी की दशा और स्थिति देखनी चाहिए।

चिन्ह, लक्षण या वृत्तांत, अर्थात् घायल के शरीरगत चिन्ह, जैसे सूजन, कुरूपता, रक्तसंचय इतयादि प्राथमिक उपचारक को अपनी ज्ञानेंद्रियों से पहचानना तथा लक्षण, जैसे पीड़ा, जड़ता, घुमरी, प्यास इत्यादि, पर ध्यान देना चाहिए। यदि घायल व्यक्ति होश में हो तो रोग का और वृत्तांत उससे, या आसपास के लोगों से, पूछना चाहिए। रोगके वृत्तांत के साथ लक्षणों पर विचार करने पर निदान में बड़ी सहायता मिलती है।

कारण : यदि कारण का बोध हो जाए तो उसके फल का बहुत कुछ बोध हो सकता है, परंतु स्मरण रहे कि एक कारण से दो स्थानों पर चोट, अर्थात् दो फल हो सकते हैं, अथवा एक कारण से या तो स्पष्ट फल हो, या कोई दूसरा फल, जिसका संबंध उस कारण से न हो, हो सकता है। कभी कभी कारण बाद तक अपना काम करता रहता है, जैसे गले में फंदा इत्यादि।

घटनास्थल से संबंधित बातें –

- खतरे का मूल कारण, आग, बिजली का तार, विषैली गैस, केले का छिलका या बिगड़ा घोड़ा इत्यादि हो सकते हैं, जिसका ज्ञान प्राथमिक उपचारक को प्राप्त करना चाहिए।
- निदान में सहायक बातें, जैसे रक्त के धब्बे, टूटी सीढ़ी, बोतलें तथा ऐसी वस्तुओं को, जिनसे घायल की चोट या रोग से संबंध हो सुरक्षित रखना चाहिए।
- घटनास्थल पर उपलब्ध वस्तुओं का यथोचित उपयोग करना श्रेयस्कर है।
- दोहर, कंबल, छाते इत्यादि से बीमार की धूप या बरसात से रक्षा करनी चाहिए।
- बीमार को ले जाने के निमित्त प्राथमिक उपचारक को देखना चाहिए कि घटनास्थान पर क्या क्या वस्तुएँ मिल सकती हैं। छाया का स्थान कितनी दूर है, मार्ग की दशा क्या है। रोगी को ले जाने के लिए प्राप्त योग्य सहायता का श्रेष्ठ उपयोग तथा रोगी की पूरी देखभाल करनी चाहिए।

प्राथमिक उपचार करनेवाले व्यक्ति के गुण

(१) विवेकी (Observant), जिससे वह दुर्घटना के चिन्ह पहचान सके

(२) व्यवहारकुशल (Tactful), जिससे घटना संबंधी जानकारी जल्द से जल्द प्राप्त करते हुए वह रोगी का विश्वास प्राप्त करे

(३) युक्तिपूर्ण (Resourceful), जिससे वह निकटतम साधनों का उपयोग कर प्रकृति का सहायक बने

(४) निपुण (Dexterous), जिससे वह ऐसे उपायों को काम में लाए कि रोगी को उठाने इत्यादि में कष्ट न हो

(५) स्पष्टवक्ता (Explicit), जिससे वह लोगों की सहायता में ठीक अगुवाई कर सके

( ) विवेचक (Discriminator), जिससे गंभीर एवं घातक चोटों को पहचान कर उनका उपचार पहले करे

(७) अध्यवसायी (Persevering), जिससे तत्काल सफलता न मिलने पर भी निराश न हो तथा

(८) सहानुभूतियुक्त (Sympathetic), जिससे रोगी को ढाढ़स दे सके, होना चाहिए।

प्राथमिक उपचार के मूल तत्व

- रोगी में श्वास, नाड़ी इत्यादि जीवनचिन्ह न मिलने पर उसे तब तक मृत न समझें जब तक डाक्टर आकर न कह दे।
- रोगी को तत्काल चोट के कारण से दूर करना चाहिए।
- जिस स्थान से अत्यधिक रक्तस्त्राव होता हो उसका पहले उपचार करें।
- श्वासमार्ग की सभी बाधाएँ दूर करके शुद्ध वायुसंचार की व्यवस्था करें।

- हर घटना के बाद रोगी का स्तब्धता दूर करने के लिए उसको गर्मी पहुँचाएँ। इसके लिए कंबल, कोट, तथा गरम पानी की बोतल का प्रयोग करें।
- घायल को जिस स्थिति में आराम मिले उसी में रखें।
- यदि हड्डी टूटी हो तो उस स्थान को अधिक न हिलाएँ तथा उसी तरह उसे ठीक करने की कोशिश करें।
- यदि किसी ने विष खाया हो तो उसके प्रतिविष द्वारा विष का नाश करने की व्यवस्था करें।
- जहाँ तक हो सके, घायल के शरीर पर कसे कपड़े केवल ढीले कर दें, उतारने की कोशिश न करें।
- जब रोगी कुछ खाने योग्य हो तब उसे चाय, काफी, दूध इत्यादि उत्तेजक पदार्थ पिलाएँ। होश में लाने के लिए स्मेलिंग साल्ट (Smelling Salt) सुँघाएँ।
- प्राथमिक उपचारक को डाक्टर के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए।

स्तब्धता (Shock) का प्राथमिक उपचार

इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपचार करना चाहिए :

1. यदि रक्तस्त्राव होता हो तो बंद करने का उपाय करें,
2. गर्दन, छाती और कमर के कपड़े ढीले करके खूब हवा दें,
3. रोगी को पीठ के बल लिटाकर सिर नीचा एक तरफ करें,
4. रोगी को अच्छी तरह कोट या कंबल से ढकें तथा पैर में गरम पानी की बोतल से सेंक करें,
5. सिर में चोट न हो तो स्मेलिंग साल्ट सुंघाएँ और होश आने पर गरम तेज चाय अधिक चीनी डालकर पिलाएँ,
6. जरुरी हो तो ऑक्सीजन एप्लाई करें,
7. रक्त स्राव होने पर निचली एक्सटर्मिटीज को एलिवेशन दे, परन्तु रीढ़ की चोट में ऐंसा न करे।

सांप काटने पर प्राथमिक चिकित्सा

बहुत सारे सांप विषैले नहीं होते उनके काटने पर घाव को साफ करने और दवाई लगाने से ठीक हो जाता है। लेकिन विषैले सांप के काटने पर जल्द–से–जल्द प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। सांप के काटने से त्वचा पर दो लाल बिंदु जैसे निशान आते है। जहरीले सांप के काटने पर लक्षण सांप की प्रजाति के अनुसार होता है। नाग कोबरा या करैत प्रजाति के सांप के काटने पर न्यूरोलॉजिकलध्मस्तिष्क सम्बन्धी लक्षण दीखते हैं जबकि वाईपर के काटने पर रक्त वाहिकाएं नष्ट हो जाती हैं।

सांप काटने पर लक्षण

- सांप के काटने का निशान या सुन्न हो जाना
- दर्द के जगह पर लाल पड़ जाना
- काटे हुए स्थान पर गर्म लगना और सूजन आना
- सांप के काटे हुए निशान के पास के ग्रंथियों में सूजन
- आँखों में धुंधलापन
- सांस लेने और बात करने में मुश्किल होना
- लार बहार निकलना
- बेहोश होना या कोमा में चले जाना

सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के चरण

- रोगी को आराम दें
- शांत और आश्वासन दें
- सांप के काटे हुए स्थान को साबुन लगाकर, ज्यादा पानी में अच्छे से धोयें
- सांप के काटे हुए स्थान को हमेशा दिल से नीचें रखें
- काटे हुए स्थान और उसके आस–पास बर्फ पैक लगायें ताकि इससे जहर का फैलना कम हो जाये
- प्रभावित व्यक्ति को सोने ना दें और हर पल नजर रखें
- जितना जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल पहुंचाएं।
- सांप के काटने पर इलाज के लिए सही एंटी–टोक्सिन या सांप के सीरम को चुनने के लिए सांप की पहचान करना बहुत आवश्यक है।

अस्थिभंग का प्राथमिक सामान्य उपचार

- अस्थिभंग (fracture) वाले स्थान को पटरियों तथा अन्य उपायों से अचल बनाए बिना रोगी को स्थानांतरित न करें।
- चोट के स्थान से यदि रक्तस्त्राव हो रहा हो तो प्रथमतः उसका उपचार करें।
- बड़ी चौकसी के साथ बिना बल लगाए, अंग को यथासाध्य अपने स्वभाविक स्थान पर बैठा दें।
- चपतियों (Splints), पट्टियों (Bandages) और लटकानेवाली पट्टियों, अर्थात् झोलों, के प्रयोग से भग्न अस्थिवाले भाग को यथासंभव स्वाभाविक स्थान पर बनाए रखने की चेष्टा करें।
- जब संशय हो कि हड्डी टूटी है या नहीं, तब भी उपचार उसी भाँति करें जैसा हड्डी टूटने पर होना चाहिए।

मोच (Sprains) का प्राथमिक उपचार

- मोच के स्थान को यथासंभव स्थिर अवस्था में रखकर सहारा दें,
- जोड़ को अपनी प्राकृतिक दशा में लाकर उसपर खींचकर पट्टी बाँधें और उसे पानी से तर रखें, तथा इससे भी आराम ने मिलने पर पट्टी फिर से खोलकर बाँधें।
- रक्तस्राव का प्राथमिक उपचार
- घायल को हमेशा ऐसे स्थान पर स्थिर रखें जिससे रक्तस्त्राव का वेग कम रहे
- अंगों के टूटने की अवस्था को छोड़कर अन्य सभी अवस्थाओं में जिस अंग से रक्तस्त्राव हो रहा हो उसे ऊँचा रखें
- कपड़े हटाकर घाव पर हवा लगने दें तथा रक्तस्त्राव के भाग को ऊँगली से दबा रखें
- बाहरी वस्तु, जैसे शीशा, कपड़े के टुकड़े, बाल आदि, को घाव में से निकाल दें
- घाव के आसपास के स्थान पर जीवाणुनाशक तथा बीच में रक्तस्त्रावविरोधी दवा लगाकर रुई, गाज (Gauze) या लिंट (Lint) रखकर बाँध देना चाहिए।

अचेतनावस्था का प्राथमिक उपचार

बेहोशी पैदा करनेवाले कारणों से घायल को दूर कर देना तथा अचेतनावस्था के उपचार के साधारण नियमों को यथासंभव काम में लाना चाहिए।

डूबने, फाँसी, गलाघुटने तथा बिजली लगने का प्राथमिक उपचार

डूबे हुए व्यक्ति को कृत्रिम रीति से सर्वप्रथम श्वास कराएँ तथा गीले कपड़े उतारकर उसका शरीर सूखे वस्त्रों में लपेटें।

इसके पश्चात उसके पेट तथा फेफड़ों से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए।

कृत्रिम श्वास देने के लिए उसे पेट के बल सूखी जमीन पर लिटाकर अपने शरीर के भार उसके पीठ पर पर दबाव डालें।

रोगी की पीठ पर दबाव पड़ने से उसके पेट तथा फेफड़ों में भ्रा पानी बाहर निकल जाएगा। अब प्राथमिक चिकित्सा करने वाले को रोगी को कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि रोगी की श्वास प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चालू न हो जाए।

फाँसी लगाए हुए व्यक्ति के नीचे के अंगों को पकड़कर तुरंत शरीर उठा दें, ताकि उसके गले की रस्सी का कसाव कम हो जाए।

रस्सी का कसाव कम हाने पर रस्सी काटकर गला छुड़ा दें। फिर कृत्रिम श्वास लिवाएँ।

गला घुटने की अवस्था में पीठ पर स्कैपुला (scapula) के बीच में जोरों से मुक्का मारें और फिर गले में उँगली डालकर उसे वमन कराने की चेष्टा करें।

इसी प्रकार विषैली गैसों से दम घुटने पर दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान आदि खोलकर कमरे का गैस बाहर निकाल दें और रोगी को अपने मुंह के श्वास द्वारा आक्सीजन देने का प्रयास करें।

बिजली का शॉक मारने पर तुरंत बिजली का संबंध तोड़कर रोगी को कृत्रिम श्वास दिलाएँ तथा उत्तेजक पदार्थों का सेवन कराएँ।

22.पुलिसकर्मी का आचरण एवं नैतिकता, अनुशासन आदि पुलिस आचरण संहिता के परिपेक्षय में

पुलिस नैतिकता

1. नीतिशास्त्र का अर्थ– नीतिशास्त्र एक नियामक विज्ञान है, जो नैतिक मूल्यों की व्याख्या करता है यह ''है'' के स्थान पर ''चाहिऐ'' की अवधारणा को स्थापित करता है। इसी प्रकार पुलिस नीतिशास्त्र उन नियमों एवं सिद्धान्तों का संग्रह है, जो इस विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह निर्धारित करने में मार्ग दर्शन करता है, कि क्या उनके द्वारा किये गये कार्य नैतिक है।

2. पुलिस कार्यों में नीति शास्त्र की उपयोगिता– पुलिस बल में कर्त्तव्य पालन, आज्ञा पालन, विधि का सम्मान एवं अनुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए तथा पुलिस कर्मियों के व्यवहार, चरित्र एवं व्यक्तित्व के निर्माण में नैतिकता की उपयोगिता असंदिग्ध है। अपने द्वारा किये जाने वाले कार्यों में नैतिक व अनैतिक पहलुओं की विवेचना के अभाव में पुलिस कर्मी अपने संवैधानिक एवं कानूनी भूमिका का सही प्रकार से निर्वाह नहीं कर पायेगें।

3. पुलिस कार्यों में नैतिक उत्प्रेरणा का महत्व– यह भारतीय मान्यता है कि सच्चाई में ही शक्ति होती है, तथा सत्य ही ईश्वर है। पौराणिक उपाख्यानों में भी सत्य पक्ष को अन्तिम विजय के रूप में दर्शाया गया है। पुलिस कर्मियों को नैतिक शिक्षा देकर ही उनका मनोबल ऊंचा उठाया जा सकता है तथा उन्हें अपने कर्त्तव्यों को पालन भली प्रकार से करने के लिए मानसिक रूप से उत्प्रेरित किया जा सकता है।

शिष्टाचार के नियम–

1. उच्च अधिकारियों का सम्मान– पुलिस पद सोपान क्रम के अनुसार गठित बल है। इसमें उच्च अधिकारियों का सम्मान करना शिष्टाचार की प्रथम आवश्यकता हैं। अधिकारी एवं अधीनस्थ में परस्पर लगाव एवं निष्ठा का वातावरण तैयार में भी ऐसी भावना सहायक होती है, जो एक टीम के रूप में कार्य करने में मददगार सिद्ध होती हैं।

2. सभ्य एवं विनम्र व्यवहार– पुलिसकर्मी को विन्रमता इस प्रकार अपनानी चाहिये कि वह उसके आचरण में स्वाभाविक रूप से परिलक्षित हों। उसे बच्चों, महिलाओं, वृद्ध, बीमारजन एवं असहाय व्यक्यिों के प्रिति विशेष रूप से सभ्य एवं शालीन व्यवहार करना चाहिये।

3. महिलाओं के प्रति आदरभाव– हमारे देश में पुरातन काल से ही यह माना जाता है कि ''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवताः'' इस उक्ति को चरितार्थ करने के लिए पुलिस कर्मी द्वारा महिलाओं चाहे समाज के एक नागरिग के रूप में हो या फिर अभियुक्त, गवाह या प्रार्थी के रूप में हो, आदर भाव रखना चाहिए।

4. धैर्य साहस एवं सद्‌बुद्धि का परिचय– यूनानी दार्शनिक प्लेटों के अनुसार आचरण में धैर्य, साहस एवं विवेक के समावेश से ''न्याय'' सद्‌गुण की उत्पति होती है। पुलिस कर्मी को विकट से विकट परिस्थितियों में धैर्य, साहस व विवेक का त्याग नहीं करने हुए कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए।

5. कर्त्तव्य पालन में निष्पक्षता –हमारे देश में विधि के समक्ष समता का अधिकार है एवं सभी को विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है, और फिर पुलिस विधि को लागू करने वाली संस्था है, ऐसी स्थिति में पुलिस का व्यवहार निष्पक्ष होना अनिवार्य है।

6. सामंजस्य एवं सम्प्रेषण– यह नैतिकता का तकाजा है कि पुलिस कर्मी अपने अधिकारियों एवं सहकर्मियों तथा समाज के समस्त लोगों के साथ मेल–जोल की भावना से रहे, ताकि उसके अपने व्यक्तित्व में निखार के साथ–साथ विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति और अन्ततोगत्वा राष्ट्र के नूतन ऊचाईयों को स्पर्श करने में सहायक सिद्ध हो सकें।इसी प्रकार एक पुलिसकर्मी को अपने शीर्ष नेतृत्व एवं अधीनस्थों से संवादहीनता की स्थिति नही रखनी चाहिये एवं सम्प्रेषण के स्तर को अच्छा रखना चाहिए।

पुलिस आचार–संहिता

1. पुलिस के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा और जैसी कि संविधान में गारंटी दी गई है, नागरिकों के प्रति सम्मान तथा उनके अधिकारों को बनाए रखना अवाश्यक है।

2. पुलिस को नियामानुसार पारित किसी भी कानून के औचित्य या उसकी आवश्यकता के बारे में प्रश्न नही करना चाहिए। उन्हे कानून दृढता पूर्वक और भेद–भाव, डर या पक्षपात और दुर्भावना या बदले के भाव के बिना लागू करने चाहिए।

3. पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र और अपने कर्त्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। उन्हे न्यायापालिका के अधिकार नही हथियाने चाहिए और न ही यह लगना चाहिए कि वें ऐसी कोशिश कर रहे है, और न ही व्यक्तियों से बदला लेने तथा अपराधी को दंड देने के लिये फैसले को रोके रहना चाहिए।

4. कानून का पालन करवाने के लिये, जहॉ तक व्यावहारिक हो, समझा–बुझा कर और सलाह या चेतावनी देकर काम चलाना चाहिए।जब ताकत का इस्तेमाल जरूरी हो ही जाए तो परिस्थितियों के अनुसार कम से कम ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए।

5. पुलिस का प्रथम कर्त्तव्य है कि अपराध और अशांति को रोके। पुलिस को पक्के तौर पर समझ लेना चाहिए कि उनकी कुशलता की परख इसी में है कि अपराध और अशांति हो ही नहीं न कि इस बात में कि पुलिस की कार्यवाई दिखाई पड़े।

6. पुलिस को यह महसूस कर लेना चाहिए कि वे जनता में से ही हैं, अंतर केवल इतना है कि समाज के हित में और समाज की और से उन्हें नियुक्त किया है ताकि वे उन कर्त्तव्यों के प्रति पूरे समय ध्यान दे सकें जो सभी नागरिकों को भी निर्वाह करने होते है।

7. पुलिस को यह अनुभव करना चाहिए कि जितना सहज सहयोग उन्हें जनता से मिलेगा उतना ही उन्हें कुशलता से अपना काम करने में मदद मिलेगी। फिर यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने आचरण और कार्यो के बारे में लोगों का कितना विश्वास प्राप्त कर सकते है।

8. पुलिस को हमेशाा लोगों की भलाई दिमाग में रखनी चाहिए उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। उन्हें लोगों की आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा की और ध्यान दिए बिना सबकी सेवा और सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

9. पुलिस को स्वयं से पहले कर्त्तव्य को ध्यान में रखना चाहिए। खतरों के समय किसी के भला बुरा कहने पर या किसी के खिल्ली उड़ाने जैसी परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए तथा दूसरा की प्राण रक्षा में अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

10. पुलिस को हमेशा शिष्ट और सदाचारी रहना चाहिए, उन्हें ऐसा होना चाहिए कि लोग उन पर भरोसा करें उन्हें पक्षपात से अलग रहना चाहिए, उनमें उदारता और साहस होना चाहिए तथा उन्हें उच्च चरित्र बनाना चाहिए ताकि वे लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकें।

11. पुलिस की प्रतिष्ठा का मूल आधार ईमानदारी है। इस बात को ध्यान मे रखते हुए उन्हें अपना निजी जीवन सादा और संयमित रखना चाहिए और उनका निजी तौर पर या सरकारी नौकर के रूप में विचारों और कार्यों में सच्चा व ईमानदार होना जरूरी है ताकि लोग उन्हें आदर्श नागरिक के रूप में सम्मान दे सकें।

12. पुलिस को महसूस करना चाहिए कि राज्य के लिए वे पूरी तरह से तभी उपयोगी हो सकते हैं जब वे कानून के अनुसार अनुकरणीय अनुशासन और निष्ठा के साथ कर्त्तव्य निर्वाह कर सकें तथा अपने उच्चाधिकारियों के कानूनी निर्देशों का सही सही अनुपालन करें। अपने बल अर्थात पुलिस संगठन के प्रति पूरी वफादारी रखें तथा अपने को लगातार प्रशिक्षित तथा तैयारी में रखें।

13.धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते पुलिस को हमेशा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों के बीच एकता और भाई चारे की भावना पैदा करनी चाहिए। चाहे वे किसी भी धर्म, भाषा, क्षेत्र अथवा वर्ग के हों और ऐसी रीतियों को त्यागना चाहिए जो नारी जाति तथा समाज के दलित वर्ग की प्रतिष्ठा के प्रति अपमानजनक हों।

23.विचाराधीन हार्डकोर बंदियों को न्यायालयों में मुल्जिम पेशी पर ले जाने के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में पुलिस मुख्यालय के दिशा–निर्देश के बारे में जानकारी।

हार्डकोर स्कीम –गम्भीर प्रकृति के अपराधों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के खिलाफ सख्त निरोधात्मक कार्यवाही करना एवं अपराधी को अधिक से अधिक समय तक जेल में रखने के लिए उचित कानूनी विधियों का प्रयोग करना जिससे आमजन में हार्ड कोर अपराधियों का भय समाप्त हो और पुलिस की कार्यप्रणाली पर विश्वास पैदा हो।

इस स्कीम के तहत हार्डकोर अपराधी यदि जेल से बाहर है तो उसके खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही (129 भानासुसं, गुंडा एक्ट, एचओ एक्ट, एनएस एक्ट, पासा एक्ट के तहत) करें। ज्यादा से ज्यादा न्यायिक अभिरक्षा मे रखने की कार्यवाही करनी चाहिए, और यदि न्यायिक अभिरक्षा में नहीं हो रहा है तो भारी जमानत से पाबन्द की कार्यवाही करनी चाहिए। उसके उपरान्त उसके खिलाफ न्यायालय में केस पैण्डिगं ट्रायल है, न्यायालय में पेशी से गैरहाजिर चल रहा है तो न्यायालय से गिरफ्तारी वारण्ट प्राप्त कर गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जाना चाहिए।

स्थानीय न्यायालय मे मुल्जिम पेशी–

1. चालानी गार्ड पुलिस लाईन/थानों से बंदी की सूची एवं गार्ड पत्र लेकर जेल पहुॅच कर जेल अधिकारी को सूचित करेंगे।
2. जेल से अदालत के वारण्ट लेंगे, वारंट के अनुसार बंदी को जेल से प्राप्त कर उनकी अच्छी तरह से तलाशी लेंगे।
3. जेल के गेट के नजदीक पुलिस वाहन को खडा करें। वाहन को अच्छी तरह से तलाशी ले कि उसमें किसी भी प्रकार का नुकिला रॉड/तार या अन्य वस्तु न हों।
4. बंदीयों को गाडी में बैठते समय जेल के दरवाजे से लेकर वाहन तक पुलिस मुलाजमान कवर करके खडे रहे।
5. जेल से अदालत तक वाहन को निर्धारित मार्ग से लेकर जाएं। वाहन में गार्ड के मुल्जमान आगे व पीछे चौंकने होकर बैठे। पीछे बैठे मुल्जमान बंदियों पर नजर रखेंगे। वाहन चलते समय या चौराहे पर रूकते समय कोई व्यक्ति बाहर से बंदी को कोई वस्तु ना दें या बाहरी व्यक्ति से बात ना करे।
6. अदालत परिसर में बनी बंदीगृह पहुंचने पर सर्वप्रथम बंदीगृह को अच्छी तरह से एक मुल्जमान चैक करे उसके बाद वहां के चारों तरफ एवं बंदीगृह तक मुल्जमान सुरक्षा की दृष्टि से खडे कर गिनकर बंदीगृह में बंद कर उसके द्वार पर संतरी लगा दें।
7. बंदीगृह में ध्यान रखें कि आपसी रंजिश/ गैंगवार के मुल्जिम एक साथ बंद न किये जाये।
8. बंदीगृह पर एक रजिस्टर रखा जाएं जिसमें मुल्जिम का नाम व उसको ले जाने वाले मुल्जमान के हस्ताक्षर हों।
9. मुल्जमान बंदी को हाथ पकड कर अदालत में लेकर जाए तथा रास्ते में किसी व्यक्ति से बात न करे और न ही कोई वस्तु प्राप्त करे। यदि मुल्जिम भागने की कोशिश करे तब उसको रोकने के लिए जितना आवश्यक हो बल का प्रयोग करें।
10. बाद पेशी के वापस बंदीगृह में बंद कर रजिस्टर में इंद्राज करेगें।
11. जब सभी बंदीयों की पेशी हो जाये तो अदालत से उनके अगली तारीख पेशी के वारण्ट प्राप्त करेगें एवं बंदी वापस सुबह की प्रक्रिया के अनुसार जेल में सुरक्षित पहुंचाएंगे।
12. जेल में पहुॅचकर बंदी को अपने सामने जेल कर्मचारियों से तलाशी करवाकर सौपेगें ताकि बाद में मुल्जमानों पर किसी प्रकार का आक्षेप न लगे। जेल अधिकारी को अदालत से प्राप्त वारंट देंगे।
13. बीमार बंदी को अस्पताल में चिकित्सालय से ही दवा प्राप्त करें।

स्थानीय क्षेत्र से बाहर बंदी पेशी हेतु ले जाना हो–

1. बंदी को जेल से प्राप्त करते समय उसकी सम्पूर्ण तलाशी ले। बंदी का सम्बन्धित न्यायालय का वारंट , रेल/बस का किराया/वारंट, खाने के लिये रूपये प्राप्त करें।
2. बंदी को सरकारी वाहन रेल/रोडवेज की बस में लेकर जाये। बंदी को कमी किसी निजी वाहन में लेकर न जाये तथा यात्रा के समय उसके साथ उसका साथी यात्रा न कर रहा हो। यदि बदी के आस–पास कोई मिलने वाला बैठा है तो उसे वहॅा से हटायें एवं विशेष सर्तकता बरते।

3. बंदी को बाहर ले जाते समय यह ध्यान दे कि रेल अथवा बस का समय इस प्रकार हो कि जेल बंद होने से पूर्व उस कस्बा/शहर पहुँच जाये।
4. यात्रा के दौरान बंदी को मुल्जमान अपने बीच में बैठायें। खिडकी के पास बैठने पर मुल्जिम पर बाहर से कोई व्यक्ति आक्रमण कर सकता है अथवा उसे मोबाईल, खाने की वस्तु या अन्य चीजे दे सकता है।
5. यात्रा के दौरान मुल्जमान यह ध्यान रखे कि बंदी को कोई भी बाहरी व्यक्ति कुछ खाने को न दे तथा मुल्जमान भी विशेष रूप से यह ध्यान रखें कि यात्रा के दौरान कोई जानकर अथवा अनजान व्यक्ति से कोई चीज न तो खॉये न ही पीये, हो सकता है उसमें कोई नशीली वस्तु हो और वह बेहोश कर मुलिजम को छुडा ले।
6. रात्रि में यात्रा के दौरान मुल्जमान सोए रात्रि में अधिक चौकनें हो कर निगरानी रखे क्योकि अंधेरे का बंदी फायदा उठा सकता है।
7. निर्धारित स्थान पर पहुॅचने के बाद सर्वप्रथम मुल्जिम को यदि वह है तो जेल में पहुॅचाए यदि जेल नही है तो उस स्थान के थाने में हवालात मे बंद कराये।
8. रात्रि में यदि जेल के खुले होने का समय न हो तो उसे वहॉ के थाने पहुॅचकर हवालात में बंद करें। कभी भी किसी अन्य स्थान बंदी का घर, होटल, धर्मशाला में नहीं रूकें।
9. बाद पेशी के मुल्जिम का वारंट प्राप्त कर वापस जेल मे पूर्ण सतर्कता बरतते हुये जमा कराएं।
10. यात्रा के दौरान यदि बंदी को शौचालय जाना है तो दो जवान लेकर जायेंगे। बंदी को शौचालय में भेजने से पूर्व एक जवान शौचालय को चैक करेगा कि उसकी खिडकी सही हो, खराब या टूटी हुई न हो तथा शौचालय मे किसी प्रकार की ब्लेड या नुकीली वस्तु न हो। बंदी को यह बतायें कि शौच के समय दरवाजे की अंदर से कुंदी न लगाये। बाहर जवान दरवाजा एवं खिडकी पर ध्यान रखेंगे।
बंदी की एस्कोर्ट डयूटी मे सावधानियां–राजस्थान पुलिस रेग्यूलेशन 1948 के नियम 178, 179 के अनुसार बंदी की एस्कोर्ट डयूटी मे लगे हुये पुलिस कर्मचारियों के निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिये–
पुलिस कर्मचारी कई बार अपने कर्त्तव्यों का पालना निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से नही करते जिसके कारण अपराधियों को भागने का अवसर मिल जाता है। कई बार पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण भी अपराधी पुलिस हिरासत से भाग जाते है।इससे पुलिस की छवि खराब होने के साथ अन्य पुलिस कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है तथा समाज मे हर व्यक्ति पुलिस को संदेह की दृष्टि से देखता है।
यदि एक पुलिस कर्मचारी अपनी डयूटी के दौरान किसी अपराधी को पकडने के लिये बाध्य है और वह जानबूझकर उस अपराधी को गिरफ्तार ना करे तो उस पुलिस कर्मचारी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 260 के अनुसार कार्यवाही होती है तथा दोष सिद्व पाये जाने पर न्यायालय उसे दण्ड व जुर्माने से दण्डित करता है इसके अलावा यदि लोक सेवक होते हुये कोई पुलिस अधिकारी न्यायालय द्वारा दण्डित व्यक्ति को जो कानूनन हिरासत मे जे लिया जावे उसे गिरफ्तार करने के लिये बाध्य होते हुये जानबूझ कर पकडने मे उपेक्षा करे या कैद से भाग जाने दे या लापरवाही से भागना सहन करे, तो उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 261 के अनुसार दण्डित किया जावेगा।जिसको दो वर्ष तक की कैद या जुर्माने से दण्डित किया जा सकता ळें

पुलिस की अभिरक्षा में निरूद्ध रहने की सुरक्षा

आरपीआर–1948 के नियम–178, 179
RPR नियम 178– कैदियों पर गोली चलाना –जब एस्कोर्ट पार्टी का कोई व्यक्ति यह देखे कि कोई कैदी बचकर भागने का प्रयत्न कर रहा है तो वह तुरन्त अलार्म बजायेगा परन्तु उस पर गोली नहीं चलाएगा, एस्कोर्ट का प्रभारी अधिकारी ही उस पर गोली चलाने का आदेश दे सकता है, जबकि बंदी कियी व्यक्ति पर घातक आक्रमण करे और किसी भी अन्य प्रकार से उस व्यक्ति को चोट आने अथवा आसन्न संकट से बचाया जाना सभंव ना हो एस्कोर्ट को इस प्रकार के निर्देश देने चाहिए कि वे बिना प्रभारी अधिकारी के तब तक गोली नहीं चलाए, जब तक कि उनको आत्मरक्षा करने की आवश्यकता ना पडे।
RPR नियम 179– भाग जाना– जब कोई बंदी एस्कोर्ट दल से भाग जाये तो प्रभारी अधिकारी इसकी सूचना तुरन्त नजदीकी पुलिस स्टेशन पर देगा और शेष बंदियो के साथा प्रस्थान करेगा।
अभिरक्षा में से बंदी के फरार होने पर एस्कोर्ट पार्टी के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही–

1. जब एस्कोर्ट पार्टी का कोई व्यक्ति यह देखे कि कोई कैदी बचकर भागने का प्रयत्न कर रहा है, तो वह तुरन्त अलार्म बजाएगा।
2. प्रभारी अधिकारी इसकी सूचना तुरन्त नजदीकी पुलिस स्टेशन में देगा और शेष बंदियों के साथा प्रस्थान करेगा।
3. जब बंदी किसी पर घातक आक्रमण करे और किसी भी अन्य प्रकार से चोट पहूंचाए तो प्रभारी अधिकारी ही उस परिस्थिति में गोली चलाने का आदेश दे सकता है।
4. गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभिरक्षा से गिरफ्तार व्यक्ति भागने का प्रयास करे या भाग जाये चाहे तो पुलिस अधिकारी आवश्यक सभी साधनों को प्रयोग करेगा।

24.तलाशी व जब्ती के संबंध में कानूनी प्रावधान।

तलाशी

1.खुले स्थान,मैदान निर्मित क्षेत्र,मकान एवं अन्य स्थानों आदि की तलाशी–(आरपीआर 1965 नियम 6.24) तफ्तीश के दौरान पुलिस अपराध से सम्बन्धित किसी व्यक्ति या वस्तु की बरामदगी हेतु किसी स्थान जो अपने क्षेत्र या अन्य किसी क्षेत्र में है, की तलाशी धारा 44, 185, 186 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अर्न्तगत ली जाती है। जिसमें धारा 103 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो का पालन किया जाएगा।

2. तलाशी के प्रकार :–क. बिना वारण्ट तलाशी। ख. वारण्ट से तलाशी।

3. तलाशी के दौरान कर्त्तव्य :–

क. तलाशी के समय क्या तलाश किया जा रहा है की पूर्ण जानकारी होना।

ख. तलाशी में कम से कम दो या दो से अधिक स्थानीय व निष्पक्ष नागरिक शामिल करना।

ग. उपरोक्त गवाहो को पूर्ण कार्यवाही में साथ रखना।

घ. कब्जा पुलिस में ली जाने वाली वस्तुओं पर गवाहो के हस्ताक्षर करवाना।

ड़ तलाशी के लिए स्थान में प्रवेश से पहले पुलिस अधिकारी उक्त गवाहो को अपनी तलाशी देगा तथा अच्छा होगा कि दोनों गवाहो की तलाशी स्थान मालिक को दे दी जाए।

च. अगर तलाशी के दौरान उस स्थान में कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसकी भी तलाशी ली जा सकती है।

छ. सिपाही तलाशी के दौरान अपने स्थान को जहाँ पर उसे लगाया गया है, नहीं छोड़ेगा।

ज. गृह स्वामी को तलाशी में साथ रखा जाएगा।

झ. बरामद सामान की सूची बनाई जाएगी जिसकी तीन प्रतियाँ होगी। एक प्रति मकान मालिक को निःशुल्क दी जाएगी।

ण. अगर तलाशी जिला गैर में है तो सामान की सूची सम्बन्धित एस.एच.ओ. व इलाका मजिस्ट्रेट को दी जायेगी और आई.ओ. तलाशी की मुख्य प्रति अपने पास रखेगा जो मुकदमा की पत्रावली के साथ लगाई जाएगी।

ट. तलाशी के दौरान शिष्टता का ध्यान रखा जाएगा और औरतों की शालीनता को बरकरार रखा जाएगा।

ठ. कब्जा पुलिस में लिए गए सामान को सुरक्षित रखना व दाखिल माल–खाना कराना।

ड. अगर कोई अपराधी है तो उसको गिरफ्तार करना, व सिपाही का कर्त्तव्य है कि उसे अपनी हिरासत में ठीक से रखेगा तथा हथकड़ी का विधिक प्रयोग करेंगा।

धारा 44 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

(1)यदि गिरफ्तारी के वारण्ट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिये प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी ऐसे स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अन्दर है तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का कोई भी भारसाधक व्यक्ति उस व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे प्रवेश करने देगा और उसके अन्दर तलाशी लेने के लिये सब उचित सुविधाएं देगा।

(2) यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा 1 के अधीन नहीं हो सकता तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिये जो वारण्ट के अधीन कार्य करता है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारण्ट निकाला जा सकता है। किन्तु गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर प्रदान किये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो पुलिस अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करें और वहाँ तलाशी ले तथा ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिये किसी गृह या अन्य स्थान के किसी बाहरी और भीतरी द्वार या खिडकी को तोडकर प्रवेश करें परन्तु यदि कोई ऐसा स्थान ऐसा कमरा है जो ऐसे स्त्री के वास्वविक अभियोग में है जो रूढि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने से पूर्व सूचना देगा तथा उस स्त्री को वहाँ से हट जाने के लिये प्रत्येक उचित सुविधा देगा।

कोई पुलिस अधिकारी किसी गृह या स्थान का बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहाँ निरूद्व है उसे मुक्त करने के लिये तोड़कर खोल सकता है।

धारा 185 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 **:–** पुलिस अधिकारी जो थानाधिकारी या जांच अधिकारी के पास यह विश्वास करने का आधार है कि ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिये जिसका अन्वेषण करने के लिये उसे अधिकार है पुलिस थाने की सीमाओं के अन्दर किसी स्थान में पाई जाती है और उसकी

राय में अनुचित विलम्ब के बिना तलाशी लेना आवश्यक हो और वारण्ट प्राप्त करने का न्यायालय दूरी पर हो तथा न्यायालय से वारण्ट प्राप्त करने में जिन वस्तुओं की तलाशी ली जानी है उनके खुर्दबुर्द होने की सम्भावना हो तब ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करेगा व तलाशी लेगा। थानाधिकारी यदि इसके लिए किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत करता है तो वह लिखित में होना चाहिए। तलाशी की फर्द की प्रति मजिस्ट्रेट के पास व एक प्रति मकान के भारसाधक को दी जायेगी।

धारा 186 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

(1) पुलिस थाने का थानाधिकारी या जांच अधिकारी जो उप निरीक्षक के पद से कम न हो दूसरे थाने के थानाधिकारी से चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो किसी स्थान में ऐसे मामले में तलाशी दिलवाने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) तब वह थानाधिकारी 165 के उपबन्ध के अनुसार तलाशी लेगा। जो चीजें तलाशी में मिले उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा जिसने तलाशी के लिये कहा था

(3) विशेष परिस्थितियों में जब तलाशी के लिये अपेक्षा की जाने में विलम्ब हो तथा वांछित वस्तु तथा सम्पत्ति हटा देने या उसे नष्ट कर देने की आशंका हो तो थानाधिकारी तथा जांच अधिकारी जो एस0 आई0 से कम न हो दूसरे थाने के क्षेत्र में तलाशी ले सकता है या तलाशी की सूचना थानाधिकारी को जिसके क्षेत्र में तलाशी की है भेजेगा और यदि संभव हो तो एक प्रतिलिपि भी भेजेगा और एक प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(4) उप धारा 4 के अधीन भेजी गई प्रति की नकल मकान के भारसाधक के आवेदन पर निःशुल्क दी जायेगी।

धारा 143 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

1. बन्द स्थान का भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी को जो तलाशी वारण्ट की तामील कर रहा है प्रवेश करने व तलाशी के लिये उसे उचित सुविधा देगा।
2. उक्त रीति से प्रवेश प्राप्त नहीं होने पर धारा 47 की उप धारा 2 में उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा।
3. ऐसे स्थान में या उसके आस पास सन्देहास्पद व्यक्ति जो ऐसी वस्तु छुपाये हुये है जिसकी तलाशी ली जानी है, उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है यदि वह स्त्री है तो उसकी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखकर अन्य स्त्री द्वारा लिवाई जायेगी।
4. तलाशी के दौरान मोहल्ले के दो या अधिक स्थानीय स्वतन्त्र और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साक्षी के तौर पर बुलाये जाए और तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाए।
5. तलाशी के दौरान अधिग्रहित की गई समस्त चीजों की सूची तैयार की जाये तथा साक्षियों के हस्ताक्षर करवायें जाए।
6. तलाशी के दौरान मकान के स्वामी को हाजिर रहने की अनुज्ञा दी जाये तथा साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रति उस मकान के स्वामी को दी जायें।
7. तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई वस्तु छिपाई हुई मिले तो कब्जे में ली जाकर सूची बनाई जाए व उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाए।
8. कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जो उसे परिदत्त या निवीदत्त किया गया है, बुलाये जाने पर ऐसा करने से उचित कारण के बिना इन्कार या उसमें उपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जायेगा की उसने भा.द.स. की धारा 187 के अधीन अपराध किया है।

तलाशी के दौरान ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें:–

(i) दो निष्पक्ष गवाहो को रखना।
(ii) तलाशी से पहले अपनी तलाशी देना।
(iii) जहाँ तक सम्भव हो गवाह स्थानीय हो।
(iv) गृह–स्वामी/रहने वाले को तलाशी का आधार बताना।
(v) यदि तलाशी वारण्ट से है तो वारण्ट दिखाना।
(vi)यदि गृहस्वामी या किरायेदार या निवासी प्रवेश में रुकावट डाले तो धारा 44 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार कार्यवाही करना।
(vii) तलाशी की पूर्ण प्रक्रिया में गृहस्वामी/गवाहो को साथ रखना।
(viii) मौका पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेना। धारा (49 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

(ix) तलाशी में बरामद सामान की जब्ती (Seizure Memo) दो प्रतियों में बनाना।
(x) तैयारशुदा जब्ती की एक प्रति गृहस्वामी को निशुल्क देना।
(xi) जब्ती गवाहो के सामने बनाना और उस पर हस्ताक्षर करवाना।
(xii) तलाशी में बरामद सामान को आवश्यकतानुसार सील करें।
(xiii) बरामद सामान की सूची का विवरण दैनिक डायरी (रोजनामचा) में दिया जाना चाहिए।
(xiv) तैयारशुदा जब्ती में कोई फेरबदल ना करें ।
(xv) बरामद सामान को मालखाना में जमा करायें और मालखाना रजिस्टर (Case Property Register) में दर्ज करायें।
(xvi) तलाशी प्रक्रिया पूरी होने पर पूर्ण विवरण सहित पालना (Compliance) रिपोर्ट सम्बन्धित न्यायालय को भेजना।
(xvii) तलाशी निश्चित विधि अनुसार लेना।
(xviii) तलाशी में औरतों की शालीनता का पूरा ध्यान रखना और औरत की तलाशी औरत के द्वारा।लिवाया जाना सुनिश्चित करें।
(xix) तलाशी की कार्यवाही में अधीनस्थ कर्मचारियों ने अपने अध्किारियों के दिशा निर्देशानुसार कार्य करना और वांछित वस्तु की ही तलाश करना।

फर्द तलाशी तैयार करना । (प्रारूप फर्द खाना तलाशी)

फर्द खाना तलाशी मकान श्री .... पुत्र श्री .... जाति ....
उम्र ..... पेशा............... निवासी ....
मुर्तिबा तारीख .... समय ....
उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू मन पुलिस उप निरीक्षक नाम .... पुलिस थाना जिला मकान मालिक श्री .... को अपनी जामा तलाशी लिवाई जाकर मकान के मुख्य द्वार से प्रवेश हुआ। घर में घुसते ही बाँयी तरफ एक छोटा कमरा बना है। उसके सामने पहुँचा व महिलाओं की शिष्टता को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक तरफ जाने की हिदायत की गई तत्पश्चात कमरे में प्रवेश कर तलाशी ली गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। तत्पश्चात इसी कमरे के पास रसोई घर की तलाशी ली गई। इसके पश्चात मेंन गेट के सामने वाले कमरे की तलाशी ली गई तो कोई आपतिजनक वस्तु नहीं मिली। लॉबी व बाथरूम को भी चैक किया गया सर्म्पूण मकान की सावधानीपूर्वक तलाशी ली गई परन्तु कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली बाद खाना तलाशी के उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू गृह स्वामी श्री .... को अपनी पुनः जामा तलाशी लिवाई गई गृह स्वामी को एक फर्द खाना तलाशी की कार्बन प्रति पृथक से दी जायेगी।
अतः फर्द खाना तलाशी मुर्तिब हुई, हाजरीन को पढ़कर सुनाई सुन समझ सही होना मानकर हस्ताक्षर किये।
1 हस्ताक्षर गवाह 2 हस्ताक्षर गवाह हस्ताक्षर गृह स्वामी

अनुसंधान अधिकारी
पुलिस थाना जिला

जब्ती, फर्द जब्ती तैयार करनाः– प्रारूप फर्द बरामदगी

फर्द बरामदगी आलय कत्ल तलवार व कब्जा मुलजिम श्री .... पुत्र श्री .... जाति .....उम्र .... पेशा .... निवासी
मुतालिक मु0 न0 .... दिनांक
धारा .... पुलिस थाना ....
मुर्तिबा तारीख .... समय ....
उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू माफिक ईतला मुलजिम श्री .... पुत्र श्री .... जाति .... उम्र .... पेशा........... निवासी.............. ने आगे आगे चलकर अपने घर के सामने बबूल की झाड़ियों के पास जमीन में एक गढ्ढा खोदकर तलवार निकाल कर पेश की जो मुकदमा हाजा में आलय कत्ल होने से कब्जा पुलिस में ली गई ।
हुलियाः– हस्ब जेल है तलवार एक, लम्बाई 45 इन्च, जिसका मियान पीतल का है तलवार की मुट पर पीतल का काम किया हुआ मूठ की लम्बाई 4 इन्च है। मियान से तलवार को निकाल कर देखा गया तो तलवार के फल पर खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। तलवार के फल की लम्बाई 37.5 इंच है तथा फल

की चौडाई 6 से.मी. है तथा आगे से नुकीला है फल की धार बहुत तेज है। सावधानीपूर्वक फल को मियान में बन्द कर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलड मोहर चेपा युक्त कर मार्क ''ई'' अंकित किया गया । नमुना सील फर्द पर अंकित की गई।

अतः फर्द हाजा मुर्तिब कर हाजरीन हो पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर गवाह हस्ताक्षर गवाह हस्ताक्षर अभियुक्त

अनुसंधान अधिकारी
पुलिस थाना जिला

प्रारूप फर्द जब्ती

फर्द जब्ती संदिग्ध वाहन मोटर साईकिल बिना नम्बरी हीरो होण्डा स्प्लैण्डर बरंग काला
मुतालिक धारा 102 सी.आर.पी.सी.
पुलिस थाना ....
मुर्तिब दिनांक ..... समय ....
रूबरू मौतबिरानः—

1. 2.

उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू संदिग्ध वाहन मोटर साईकिल बिना नम्बरी हीरो होण्डा स्प्लैण्डर बरंग काला चैसिस न0 .... ईंजन न0 .... हैड लाईट टूटी हुई आदि गणेशजी की छाप लगी हुई, दाहिना आगे का इण्डीकेटर टूटा हुआ, बाँया पैडल टूटा हुआ है। जो स्थान .... के बबूलों में पड़ी हुई है। आस—पास में कोई ताजा खोज या वाहनों के टायरों के निशान इत्यादि नहीं पाये गये। वाहन को खड़ा कर चालू करने के कोशिश की गई परन्तु काफी दिनों से पड़ा रहने से मोटर साईकिल चालू होने की स्थिति में नहीं है। आस—पास में पूछताछ की गई परन्तु संदिग्ध वाहन का कोई मालिक का पता नहीं चल सका है। वाहन मोटर साईकिल संदिग्ध अवस्था में पाई जाने से हस्ब धारा 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जप्त की गई।

अतः फर्द हाजा मुर्तिब कर हाजरीन को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान हस्ताक्षर किये।

अनुसंधान अधिकारी

हस्ताक्षर गवाह हस्ताक्षर गवाह

25.संदिग्ध व्यक्ति व अपराधी से पूछताछ।

1. पुछताछ एक बंद कमरे में होनी चाहिए ताकि वो पुछताछ करने वाले के प्रश्नों पर ही ध्यान दे बाहर ध्यान नहीं दे।

2. कमरे में पूर्ण गोपनीयता होनी चाहिए कोई व्यक्ति कमरे में आये जायें नहीं।

3. जिससे पुछताछ हो रही है, उसे पूरी बात बताने का अवसर दिया जाना चहिए, जल्दी–जल्दी सवाल नहीं करे।

4. जिससे पुछताछ की जा रही है, उस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहियें (आय,व्यय,कार्य,व्यवसाय,स्वभाव, आदतें,दोस्त आदि) ।

5. पुछताछ उसी भाषा में की जानी चाहिए जो वो भाषा समझे।

6. थर्ड डिग्री का तरीका नहीं अपनाये एंव उत्तेजित न हो, शालीनता का बर्ताव करना चाहियें। डाटना डपटना नही चाहियें।

7. अनावश्यक बातो में समय नष्ट नहीं करें।

8. पूछताछ का उद्देश्य सच्चाई पता लगाना है न की अपराध कबूलवाना।

9. महिला से पूछताछ में उसके रिश्तेदार को साथ रखना चाहिए।

10. पूछताछकर्ता मनोविज्ञान का ज्ञाता हों।

11. आधुनिक उपकरणो का प्रयोग किया जाना चाहियें जैसे लाई डिटेक्टर, ब्रेन मोफिया, पोलोग्राफी, नार्को टेस्ट आदि।

12. यदि किसी बच्चे से पूछताछ करना है तो सहानुभुति पूर्वक प्यार से पूछताछ करनी चाहिये ऐसी धारणा है कि बच्चा झूठ नही बोलता।

13. पूछताछकर्ता की नजर पैनी होनी चाहिये संदिग्ध के चेहरे को पढ़ना चाहिये(पसीना आना, घबराहट, हौठ सुखना आदि।)

26.पासपोर्ट/घरेलू नौकर/कर्मचारी/किरायेदार/संदिग्ध व्यक्ति से संबंधित चरित्र सत्यापन ड्यूटी व महत्व

चरित्र सत्यापन रिपोर्ट –किसी भी विभाग सार्वजनिक अथवा निजी, चुनाव के दौरान उम्मीदवार के पर्चा दाखिल करते समय, देश से बाहर यात्रा करते समय आवश्यक पासपोर्ट जारी करते समय इसके अलावा अन्य सामरिक संस्थानों में व्यक्ति का चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग द्वारा करवाया जाना आवश्यक तथ्य है। पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र में यह जानकारी दी जाती है कि उक्त व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार के आपराधिक प्रकरण तो विचाराधीन नहीं हैं, और यह व्यक्ति आपराधिक, विध्वंसक, सामप्रदायिक, असामाजिक कार्यों में शरीक तो नहीं है अर्थात चरित्र सत्यापन एक अति महत्तवपूर्ण कार्य है तथा यह कार्य निष्पक्षतापूर्वक किया जाना चाहिए क्योंकि इससे जिस संस्था द्वारा चरित्र सत्यापन करवाया गया है उस संस्था की कार्य पद्धति व कार्यप्रणाली प्रभावित होती है।

जांच सत्यापन रिपोर्ट लिखना –जांच सत्यापन रिपोर्ट लिखते समय निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करना चाहिये

1. जिस व्यक्ति का चरित्र सत्यापन किया जा रहा है उसके संदर्भ में आपराधिक सूचना का थाने के रिकार्ड से बारीकी से मिलान करा लिया जावे इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो।
2. चरित्र सत्यापन में अन्य जानकारी जैसे राजनीतिक सक्रियता, साम्प्रदायिकता, सामाजिक अपराधों में लिप्तता की जानकारी, उसकी पारिवारिक व आसपास के सामाजिक वातावरण से एकत्रित की जावे।
3. यह जानकारी यथासम्भव योग्य बीट कानि.स्टेबल द्वारा करवायी जावे।
4. चरित्र सत्यापन किये जाने वाले व्यक्ति की मनोवृति व मनोदशा का भी उल्लेख किया जावे।
5. जिस व्यक्ति का चरित्र सत्यापन किया जा रहा है उस व्यक्ति व फोटो का मिलान भली भांति कर लिया जाना चाहिए।
6. चरित्र सत्यापन किये जाने वाले व्यक्ति के बारे में किसी भी प्रकार की विपरित जानकारी प्राप्त होने पर इसे सम्बन्धित व्यक्ति के प्रभाव में आकर न छुपायें तथा इन्चार्ज अधिकारी को इससे अवगत करायें।
7. चरित्र सत्यापन किये जाने वाले व्यक्ति से किसी प्रकार का प्रलोभन स्वीकार नहीं करें।
8. सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होने व प्राप्त जानकारी से सन्तुष्टि व स्वंय सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करें।

पासपोर्ट आवेदन जॉच प्रोफार्मा

आवेदन का नाम–....................................पुत्र/ पुत्री/पत्नि..........................जाति..................................उम्र.......................... निवासी...................................जिला..........................पासपोर्ट फाईल संख्या..........................दिनांक.................

भाग–अ

01. पासपोर्ट में दिया गया विवरण सही है एवं फोटो मिलान खाती है। हॉ/नही
02. क्या आवेदन द्वारा दिये गये पते पर लगातार एक वर्ष के अपातकालीन दौरों को छोडकर रहा है। हॉ/नही
03. ऐसा कोई कारण है कि आवेदन भारतीय नागरिक नही है। हॉ/नही
04. क्या आवेदन के विरूद्ध कोई आपराधिक आरोप है। हॉ/नही
05. क्या आवेदन को पिछले पॉच वर्षो की अवधि में किसी आपराधिक जुर्म के लिये दोषी ठहराया जाकर कारावास की सजा की गई है। हॉ/नही
06. क्या किसी न्यायालय द्वारा आवेदक को न्यायालय में पेश होने के लिये वारन्ट/सम्मन/अथवा गिरफ्तारी वारन्ट जारी किये गये है। हॉ/नही
07. क्या किसी न्यायालय द्वारा आवेदक के भारत से बाहर जाने के लिये रोक लगाई गई है। हॉ/नही
08. क्या आवेदक ने पूर्व भी विदेश यात्रा की है और आवेदक के पास अन्य कोई पासपोर्ट/दस्तावेज है। हॉ/नही
09. क्या आवेदक केन्द्र/राज्य या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है। हॉ/नही

भाग–ब

क्या आवेदक ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो भारत की सुरक्षा/अखण्डता/सम्प्रभुता को अथवा अन्य देशों के साथ भारत के मैत्री सम्बन्ध को खतरा पहुॅचाता हो तो भारत की जनता के हित में नही हो यदि हॉ तो विवरण दिजिये। हॉ/ नही

जॉचकर्ता की रिपोर्ट–..
....
थाना हाजा का सजायाबी रिकॉर्ड–
....
....
थानाधिकारी की टिप्पणी–
....
....

चरित्र प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री........ ....जाति..................... उम्र...................वर्ष निवासी..थाना.............................. ....जिला.....................................को मैं करीबन.......................से भलीभांति जानता हूँ। इनका चाल–चलन इस अवधि के दौरान अच्छा है। जो इसी मकान में रहते हैं। यह मकान (किराया/स्वयं)... ....का है। यह किसी राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में शामिल नही है।

नाम.. नाम..
पुत्र/पुत्री/पत्नि.................................... पुत्र/पुत्री/पत्नि.......................................
उम्र................वर्ष, निवासी.................... उम्र............ वर्ष, निवासी....................
थाना..............................जिला............... थाना...........................जिला..........
हस्ताक्षर हस्ताक्षर

चरित्र सत्यापन पुलिस जॉच रिपोर्ट

नाम अभ्यार्थी...पिता/पति/ पुत्र का नाम...जाति................ ....उम्र................................पता..

01. क्या अभ्यार्थी किसी प्रतिबन्धित राजनैतिक अथवा साम्प्रदायिक दल से सम्बन्धित है यदि हॉ तो किस दल से।

02. क्या अभ्यार्थी के विरूद्ध कोई नैतिक चलन युक्त/अपराध का मुकदमा पुलिस अनुसंधान अथवा न्यायालय में विचारधीन है।..

03. क्या अभ्यार्थी नैतिक चलन युक्त अपराध के किसी मामले में दण्डित हो चुका है।

04. क्या आप सन्तुष्ट है कि अभ्यार्थी का चरित्र संतोषजनक है।...................................

05. क्या आपर किसी ऐसी परिस्थिति से अवगत है जिसकी वजह से आपकी राय में अभ्यार्थी को राज्य सेवा में लिया जाना अनुपयुक्त है।..

06. शिक्षा सम्बन्धित तथ्य सही है या नहीं...

जॉचकर्ता की रिपोर्ट–..
....
थाना हाजा का सजायाबी रिकॉर्ड(एच.एम.रिकॉर्ड)...
....
थानाधिकारी

27.पुलिस में टीम भावना का अर्थ, विकास व महत्त्व।

पुलिस में टीम भावना–टीम के सदस्यों के रूप में सहयोग करने की इच्छा टीम भावना कहलाती हैं। एक समूह की वह भावना जो सदस्यों में जीत की चाहत पैदा करती हैं। टीम भावना में सदस्य टीम सफलता के लिए अपनी भूमिका भी अदा करने को तत्पर रहते हैं। इसका उद्देश्य कार्य को पूर्णतः से करना व उद्देश्य प्राप्ति में सफलता हासिल करना।पुलिस विभाग की स्थापना परस्पर सहयोग एवं तालमेल पर आधारित हैं। किसी भी काम को करने के लिए टीम के रूप में काम करना अत्यन्त आवश्यक हैं जिससे सफलता ज्यादा व आसानी से मिल सकती हैं। जब वास्तव में कोई बडी घटना होती हैं जैसे– लूट, डकैती तो उस कार्यक्षेत्र व आस–पास के कार्यक्षेत्र के बहुत से ऑफिसर उस घटना स्थल पर पँहुचते हैं ताकि घटना करने वाले अपराधियों को पकडने का प्रयास कर सके साथ ही वे उस अपराध को हल करने के लिए अन्य कार्यक्षेत्रों में भी मिलकर कार्य कर सकतें हैं। पुलिस को अपराधियों को पकडने के लिए टीम भावना से कार्य करने की जरूरत हैं साथ ही पुलिस सफल एवं सुयोग्यता से कार्य करने के लिए टीम भावना से काम करना आवश्यक हैं।

पुलिस कार्य प्रणाली में टीम भावना का महत्व–

1. सृजनात्मकता बढती हैं क्योकि सदस्यों के अलग अलग ज्ञान, कला, गुणा एवं विचारों से अधिक सृजनात्मकता परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. सन्तुष्टि–साथ रहकर कार्य करने से कर्मचारियों में अधिक ऊर्जा व उत्साह का सृजन होता हैं और इस ऊर्जा व उत्साह से अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती जिसका प्रभाव अभिप्रेरण के रूप में देखनें को मिलता हैं।
3. कला– कोई व्यक्ति सम्पूर्ण नहीं होता। कोई व्यक्ति योजना बनाने मे बेहतर होता हैं तो कोई लागू करने मे आदि–आदि तरह तरह से योग्य होता हैं। इस प्रकार जब सब मिलकर कार्य करते हैं तो कला का एक बहुत विशाल क्षेत्र उपलब्ध हो जाता हैं जिससे अतिविाि्ष्ट परिणाम मिल सकते हैं।
4. गति– टीम के सदस्यों मे काम बांटने से यह तेजी से और उत्साह से किये जाने के कारण लक्ष्य तेजी से प्राप्त किये जा सकते हैं।
5. सहारा–काम के मुश्किल हालात में टीम के अन्य सदस्यों का सहयोग एवं उत्साहवर्धन मिलने से परिणाम शीघ्र प्राप्त व उनका मनोबल बना रहता हैं।

28.एम0एल0सी0 व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण।

मेडिकल –

चोट प्रतिवेदन रिपोर्टः– अनुसंधान में व्यक्ति के शरीर पर आई चोटे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होती हैं जिन्हे मान्यता प्राप्त चिकित्सक से परीक्षण करवा चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र में चोट प्रतिवेदक का नाम, पिता का नाम, आयु, जाति, निवासी, पुलिस प्रतिवदेन संख्या, दिनांक व पहचान चिन्ह आदि का उल्लेख किया जाता है

1. प्रथम भाग में चोट का स्वरूप अंकित किया जाता है।

चोट मुख्यत चार प्रकार की होती हैंः– 1 औजार से, 2 गर्मी से, 3. रसायन से, 4 अन्य चोटेंः–

ण औजार से में निलगू, रगड/खंरोच एंव घाव आते हैं।
ण गर्मी से जलना व झुलसना
ण रासानियक में तेजाब व अन्य पदार्थो से
ण अन्य में विधुत, आकाशीय बिजली आदि आते हैं

2. इसमें प्रत्येक चोट का आकार, लम्बाई, चौडाई व गहराई में अंकित किया जाता है।
3. इसमें चोट शरीर के कौनसे अंग पर लगी अंकित की जाती है।
4. इसमें चोट का प्रकार सामान्य या गम्भीर अंकित किया जाता है।

चोट प्रतिवेदन प्रपत्र के नीचे के भाग में निम्न प्रकार गम्भीर चोट का वर्णन किया हुआ होता हैः–
प्रथम– पुंसत्वहरण
द्वितीय– किसी भी कान की श्रवण शक्ति या किसी भी आंख की ज्योति की स्थाई हानि।
तृतीय– किसी भी कान से स्थाई या अस्थाई रूप से सुनना रूक जाना।
चतुर्थ– जोड के किसी अंग का काम करने से रूक जाना।
पंचम– जोड के किसी भी अंग की शक्ति का स्थाई रूप से नाश हो जाना या स्थाई रूप से अलग हो जाना।
षष्टम– सिर या चेहरे का स्थाई रूप से विकृत हो जाना।
सप्तमः– ऐसी चोट जो जीवन के लिए घातक हो या चोट लगने वालो को 20 दिन तक तीव्र शारीरिक दर्द पहुंचाती है या
उसे दैनिक दिनचर्या पालन में असमर्थ करती हैं।

5. इसमें चोट किस प्रकार के हथियार से लगी है, हथियार धारदार या भोंडे से है का अंकित की जाती है।
6. चोटग्रस्त व्यक्ति के पहचान चिन्ह अंकित किया जाता है।
7. इसमें चोट के एक्सरे तजबीज का अंकन किया जाता है।
8. इसमें चोटग्रस्त व्यक्ति का विशेष विवरण अंकित किया जाता है जिसमें विशेष परिस्थितयों उसकी मौजुदा हालत हृदय गति, ब्लड प्रेशर, होश में या नहीं आदि का वर्णन किया जाता है।
9. चोट प्रतिवेदन पर चोटग्रस्त व्यक्ति के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान अंकित होते हैं।

न्यायिक चिकित्सा रिपोर्टः– जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध कारित किया जाता है एवं अपराध के अनुसंधान में पीडित व्यक्ति के शारीरिक परिक्षण से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं तो उस व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सय/शारीरिक परिक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, उक्त रिपोर्ट का विधिक महत्व होता है। वह रिपोर्ट न्यायिक चिकित्सा रिपोर्ट कहलाती है। इसमें यह आवश्यक नही है कि व्यक्ति के शरीर पर प्राप्त साक्ष्य जाहिरा चोट के रूप में हो। जैसे उस व्यक्ति नें जहर खा लिया हो, आत्महत्या का प्रयास किया हो या अन्य किन्ही संदिग्ध परिस्थितियों में घायल हुआ हो ऐसे व्यक्ति के बारे में मेडिकल लीगल रिपोर्ट(एमएलसी) तैयार की जाती है, उक्त रिपोर्ट के आधार अनुसंधान अधिकारी द्वारा अग्रीम जांच/कार्यवाही की जाती है। इसमें चिकित्सा विधि विशेषज्ञ सम्बन्धित मामलों में अपनी राय देते है। एक चिकित्सक विधि विशेषज्ञ निम्न बातों का पता लगाने के लिए अपनी राय देता है।

एमएलसी रिपोर्ट फॉर्म में पीडित का नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र, लिंग, पता के पूर्ण विवरण के साथ कहां से रैफर किया गया, किस वार्ड में है, कब हुआ, किस वार्ड में भर्ती का उल्लेख होता है। इसके अतिरिक्त पीडित के पहचान के चिन्ह व रिपोर्ट का विवरण अंकित होता है।

पोस्टर्माटम –

शव परीक्षण (पोस्टर्माटम रिपोर्ट) –

इसका महत्व एवं उददेश्य, विसरा व बाल आदि के सैम्पल सुरक्षित करना।

मरणोन्तर परीक्षा(Postmortem examination(Autopsy) मरणोन्तर परीक्षा क्या हैः–

मृत्यु के पश्चात चिकित्सक द्वारा शव का बाहरी तथा आन्तरिक परीक्षण किया जाता है जिससे मृतक तथा उसकी मृत्यु के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इस जानकारी से अन्वेषण अधिकारी को तथा कालान्तर में कानून को सहायता मिलती है।

मरणोन्तर परीक्षा क्यों कराई जाती हैः–मरणोत्तर परीक्षा विभिन्न परिस्थितियों में हुई मृत्यु से संबन्धित सभी पहलुओं की जांच के लिये की जाती है।

शव परीक्षण के उददेश्य निम्नलिखित होते हैः–

1. यदि व्यक्ति अज्ञात है तो उसकी पहचान करना। इस परीक्षण में विभिन्न पहलु देखे जाते हैं जैसेः–

(अ) मूलवंश का पता लगाना जैसे अफ्रीकन, चीनी, भारतीय इत्यादि।

(ब) धर्म का पता लगाना जैसे हिन्दू, मुसलमान व्यक्तियों की पहचान करना।

(स) लिंगॅ(मगद्ध का पता लगाना विशेषकर यदि शव सड़ गया, लिंग वाला हिस्सा गायब हो।

(द) आयु– इसके लिये दॉतों, हड्यिों आदि का परीक्षण किया जाता है।

(य) अंगुष्ठ छाप, पदचिन्ह आदि के द्वारा।

(र) शारीरिक विशेषताएं जैसे किसी छः अंगुलियों का होना, किसी अंग का विकृत होना इत्यादि। पुरानी क्षति (Injury) के निशान भी मिल सकते है। इसके अलावा तिल, मस्से आदि भी देखे जाते है।

(ल) शरीर पर गोदनें के निशान भी मिल सकते हैं।

(व) व्यवसायिक निशान शरीर पर मिल सकते हैं जैसे दर्जी की अंगुलियों में सूई चुभने के निशान आदि।

2. मृत्यु का समय निकालनाः–मृत्यु कब हुई इसके लिए निम्न बिन्दुओं का सहारा लिया जाता है।

(अ) शव का ठण्डा होनाः–मृत्यु के बाद शरीर ठण्डा होना लगता है, ठण्डा होने की गति निकालने से समय का अनुमान हो सकता है।

(ब) शरीर पर विभिन्न रंगों के धब्बे होना– यह धब्बे शरीर के पृथ्वी की तरफ वाले हिस्से मे होते है तथा इनका कारण रक्त का इक्कठा होना होता है जो कि निश्चित समय पर पैदा होते हैं।

(स) शरीर का अकड़ना–मृत्यु पश्चात शरीर एक निश्चित क्रम में निश्चित समय में अकड़नें लगता है। जिससे मृत्यु का समय मालूम किया जा सकता है।

(द) शरीर का विघटन होना या सड़ना– यह भी एक निश्चित क्रम में होता है तथा इसके विभिन्न लक्षणों द्वारा समय का अनुमान लगाया जा सकता है।

(य) आमाशयों तथा ऑतों में भोजन की स्थिति– पचा हुआ या अपच भोजन से भी समय निकाला जा सकता है।

3. मृत्यु का कारण मालूम करनाः– यह पता लगाया जाता है कि मृत्यु प्राकृतिक है या अप्राकृतिक यदि अप्राकृतिक है तो यह आत्महत्या, हत्या या दुर्घटना हो सकती है तथा जिस प्रकार से मृत्यु हुई है उसके अलग–अलग लक्षण मिलते हैं। मृत्यु किसी भी कारण से हुई हो अन्त में या तो गहरी बेहोशी हो जाती है या रक्तहीनता हो जाती है या वासारोध हो जाता है। इन सभी के अलग–अलग कारण होते हैं तथा तद्नुसार शव पर लक्षण भी अलग–अलग पाये जाते हैं। भूख, गर्मी या ठण्ड से, जलनें से, बिजली से तथा विष द्वारा मृत्यु होने से शरीर पर अलग–अलग लक्षणों से इनका पता लगाया जा सकता है।

4. नवजात शिशु में पता लगाना कि शिशु मृत पैदा हुआ था या जीवितः–

मरणोन्तर परीक्षण की अनुमतिः–मरणोन्तर परीक्षा हेतु अन्वेषण अधिकारी मृतक की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर शव को रजिस्ट्रीकृत सक्षम चिकित्सक के पास भेज देता है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में मृत्यु के सम्भावित कारण, घाव के चिन्ह, शव का नाम, लिंग, आयु तथा परीक्षा की आवश्यकता के कारण आदि का उल्लेख अन्वेषण अधिकारी द्वारा किया जाता है। यानि बिना अन्वेषण अधिकारी की लिखित अघ्यपेशा के मरणोन्तर परीक्षा चिकित्सक द्वारा नहीं की जा सकती है।

मरणोत्तर परीक्षा का समयः– सामान्यतः मरणोन्तर परीक्षा दिन में या सूर्य के प्रकाश में किया जाना चाहिये, ऐसा इसलिये कि शव पर आई आन्तरिक व बाह्य चोटों का सम्यक विधि एवं विधिवत परीक्षण हो सके, चिकित्सक को जैसे ही शव परीक्षण हेतु अध्यपेसा प्राप्त हो बिना विलम्ब किये शव परीक्षण कार्य आरम्भ कर देना चाहिये। शव परीक्षण सार्वजनिक छुट्टी के दिन भी किया जा सकता है। जब शव रात को लाया जाता है और शीतगृह की व्यवस्था नहीं हो तो शव परीक्षण रात में ही किया जा सकता है। बाह्य परीक्षण

के अन्तर्गत शव पर बाह्य क्षति के निशान मरणोन्तर नीला, शरीर का तापमान व मृत्यु जन्य काठिन्य आदि आते है।

मरणोन्तर परीक्षण रिपोर्ट का प्रारुपः–शव का परीक्षण दो प्रकार से किया जाता है। बाह्य परीक्षण तथा आन्तरिक परीक्षण।

प्रारुपः– लाश का नाम (ज्ञात या अज्ञात), स्थान, दिनांक, समय, शव पहचान करने वाले कानि. या चौकीदार का नाम, अनुमानित, उम्र, उचाई, मृत्यु का अनुमानित समय।

29.महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में पुलिस की भूमिका– कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन एवं लैंगिक अपराध– कानूनी प्रावधान।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

धारा–3 परिभाषाएँ– इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा संदर्भित न हो–

(क) '' व्यथित व्यक्ति '' से कोई भी स्त्री जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू सम्बन्ध रखती है, या रखती रही है और जो प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के उसके साथ किसी भी कृत्य को करने का अभिकथन करती है, अभिप्रेत है;

घरेलू हिंसा की परिभाषा– इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिये प्रत्यर्थी का कोई भी कृत्य, लोप या कार्यकारण या आचरण, घरेलू हिंसा गठित करेगा, यदि वह–

(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा, के जीवन, अंग या कल्याण को नुकसान पहुंचाता है, क्षतिग्रस्त करता है या खतरा पहुंचाता है या ऐसा करने का प्रयास करता है और सम्मिलित है शारीरिक दुरूपयोग, यौन दुरूपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरूपयोग तथा आर्थिक दुरूपयोग; या

(ख) व्यथित व्यक्ति को उसे या उसके नातेदार वाले किसी अन्य व्यक्ति को, किसी दहेज या अन्य सम्पत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति कि लिये विधि–विरूद्ध मांग को पूर्ति करने के लिये प्रपीडित करने के आशय से तंग करता है, नुकसान पहुंचाता है, क्षतिग्रस्त करता है या खतरा पहुंचाता है; या

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी भी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति को या उसके नातेदारी वाले किसी व्यक्ति को धमकी देने का प्रभाव रखता है; या

(घ) व्यथित व्यक्ति को अन्यथा क्षतिग्रस्त करता है या नुकसानी कारित करता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक।

धारा –5 पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्त्तव्य– कोई भी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट, जो घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त कर चुका है या अन्यथा घरेलू हिंसा की घटना वाले स्थान पर हाजिर है या जब घरेलू हिंसा की घटना की उसे रिर्पोट की गयी है, व्यथित व्यक्ति को सूचित करेगा–

(क) इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश, मौद्रिक अनुतोष के लिये आदेश, अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, प्रतिकर आदेश या ऐसे एक से अधिक आदेश के रूप में अनुतोष प्राप्त करने के लिये आवेदन करने के उसके अधिकार के बारे में;

(ख) सेवा प्रदाता की सेवाओं की उपलब्धता के बारे में;

(ग) संरक्षण अधिकारी की सेवाओं की उपलब्धता के बारे में;

(घ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का 39) के अधीन निःशुल्क विधिक सेवाओं के उसके अधिकार के बारे में;

(ड.) भारतीय न्याय संहिता (2023 का 45) की धारा 85 के अधीन शिकायत दाखिल करने के उसके अधिकार के बारे में :

परन्तु यह तब जबकि, इस अधिनियम की कोई भी बात का किसी भी रीति में पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध कारित करने के बारे में सूचना की प्राप्ति पर विधिनुसार कार्यवाही करने के उसके कर्तव्य से मुक्त करने के रूप में अर्थान्वयन नहीं किया जायेगा।

धारा –25– प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश का भंग कारित करने के लिये शास्ति–

(1) प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या संरक्षण आदेश के किसी अन्तरिम आदेश का कोई भंग, इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा और या किसी भांति के कारावास जो एक वर्ष तक विस्तारित हो सकेगा या जुर्माने से जो 20,000 रूपये तक विस्तारित हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2)उपधारा–1 के अधीन अपराध का परीक्षण यथासाध्य मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा जो वह आदेश पारित कर चुका है, जिसका भंग अभियुक्त द्वारा कारित किया जा चुका होना अभिकथित किया गया है।

(3)उपधारा–1 के तहत आरोप विरचित करते समय मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (2023 का 46) की धारा 85 या उस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) यथास्थिति हो, के अधीन आरोप विचरित भी कर सकेगा, यदि तथ्य उन उपबन्धो के अधीन कोई अपराध कारित करना प्रकट करते है।

धारा–26– संज्ञान और सबूत–(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) मे कुछ भी के समाहित होते हुये, धारा 25 की उपधारा(1) के अधीन अपराध संज्ञेय और गैर– जमानतीय होगा।

(2)एकमात्र व्यथित व्यक्ति के परिसाक्ष्य पर, न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि धारा 25 की उपधारा(1) के अधीन अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया गया है।

कार्यस्थल पर यौंन उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध, प्रतिशोषण अधि.–2013)

1. विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान–1997 सुप्रीम कोर्ट गाईडलाइन

कार्यस्थल पर यौन शोषण की रोकथाम के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें माना कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मौलिक अधिकारों का हनन है।

(1) कार्यालय में ऐसा वातावरण हो जिससे महिलाओं को कार्य करने के दौरान किसी भी प्रकार का भेदभाव न सहना पड़े यह नियोक्ता की जिम्मेदारी है।

(2) कार्यस्थल पर यौन शोषण अपराध है इस बात को सेवा नियमों में जोड़ा जाना चाहिए एवं कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

(3) कार्यस्थल पर एक शिकायत कमेटी (आंतरिक परिवाद कमेटी) का गठन किया जाए, जिसकी अध्यक्ष महिला हो। समिति मे आधी से अधिक सदस्य महिलाएं हो। समिति में एक स्वेच्छिक संस्था की महिला प्रतिनिधि होनी चाहिए। शिकायत को गोपनीय रखते हुए निश्चित समय में निपटाना चहिए।

(4) कार्यालय में महिलाओं की छुट्टियों, स्वास्थय की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे काम करने में सहूलियत हो।

(5) काम के दौरान महिलाकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न यदि गंभीर हो तो प्रभारी को कानून के अनुसार कदम अठाना चाहिए और थाने में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध रिपोर्ट करनी चाहिए।

तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा 2013 में **The Sexual Harrasment Of Women At Workplace(Prevention,Prohibited & Redressels Act 2013)** भी पारित किया जाए।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिशोध) एक्ट 2013

कार्यस्थल पर यौंन उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध, प्रतिशोषण अधि.–2013)

2. परिभाषाएं–इस अधिनियम में,जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''व्यथित महिला से अभिप्रेत है,–

(1) किसी कार्यस्थल के संदर्भ में, किसी भी आयु की ऐसी महिला जो चाहे नियोजित हो या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अध्यधीन रहने का अभिकथन करती है,

(2) किसी निवास स्थान या गृह के संदर्भ में, किसी भी आयु की ऐसी महिला,जो ऐसे निवास स्थान या गृह में नियोजित हो;

(ढ़) ''लैंगिक उत्पीड़न'' के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक अवांछनीय कृत्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या तात्पर्यित) सम्मिलित है, अर्थात,–

(1) शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करना; या

(2) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना; या

(3) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना; या

(4) अश्लील साहित्य दिखाना; या

(5) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर–शाब्दिक या गैर–शाब्दिक आचरण करना;

ण) ''कार्यस्थल'' के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं–

(1) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन,उधम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, जो समुचित सरकार या स्थानिय प्राधिकरण या किसी सरकारी कंपनी या किसी निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित , उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या भागतः उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वितपोषित की जाती हैं

(2) कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट वेन्चर,उपक्रम,उधम, संस्था स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर–सरकारी संगठन, यूनिअ या सेवा प्रदाता, जो वाणिज्यिक, वृतिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरं
जक, औधौगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वितीय क्रियाकलाप करता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाय, विक्रय वितरण या सेवा भी है;

(3) अस्पताल या परिचर्या गृह;

(4) कोई खेलकूद संस्था,स्टेडियम, खेलकूद, प्रक्षेप या प्रतियोगिता अथवा खेल का स्थान, जो चाहे नैवासिक हो या प्रशिक्षण, खेलकूद या इससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में प्रयुक्त न किया जाता हो;

(5) नियोजन, से उद्भूत या के दौरान, कर्मचारी द्वारा भ्रमण किया गया कोई स्थान जिसमें सम्मिलित है ऐसी यात्रा करने के लिये नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन;
(6) कोई निवास स्थान या गृह;
(त) किसी कार्यस्थल के संबंध में, ''असंगठित सेक्टर'' से ऐसा कोई उधम अभिप्रेत है, जो व्यष्टियों या स्वःनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी भी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहां उधम कर्मकारों को नियोजित करता है, वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या दस से कम है।

3. लैगिंक उत्पीड़न का निवारण–

(1) कोई भी महिला, किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं होगी।
(2) अन्य परिस्थितियों के साथ–साथ निम्नलिखित परिस्थितियां, यदि वह लैंगिक उत्पीड़न के किसी कृत्य या आचरण के संबंध में या से संबद्व होने के कारण हुई हैं या विधमान हैं, तो वह लैंगिक उत्पीड़न होगाः–
(क) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन; या
(ख) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी;या
(ग) उसकी वर्तमान या भावी नियोजन प्रास्थिति के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी; या
(घ) जो उसके कार्य में हस्तक्षेप करता है या उसके लिए अभित्रासमय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातारण सृजित करता है;या
(ड़) उसके लिए स्वास्थ्य या सुरक्षा समस्याओं का गठन करने वाला अपमानजनक आचरण।
आंतरिक परिवाद समितियों का गठन

4. आंतरिक परिवाद समिति का गठन–

(1) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक,लिखित आदेश द्वारा, आंतरिक परिवाद समिति नामक एक समिति का गठन करेगाः
(2) आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नामनिर्देशित किए जाने निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात
(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारीयों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी :

11.परिवाद कें बारे में जांच (1) धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ,यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानिय समिति, जहाँ प्रत्यर्थी कोइे कर्मचारी हैं,वहाँ प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में पीरवाद के बारे में जांच करने की कार्यवाही करेगी और जहां ऐसे कोई नियम विद्यमान नही है तो ऐसी रीति में जो की विहित की जाए या किसी घरेलू कर्मकार की दशा में , स्थानिय समिति, यदि प्रथम द्रष्टया मामला विद्यमान हो तो भारतीय न्याय संहिता (2023 या 45) की धारा 79 और उक्त संहिता के यथा प्रयोज्य अन्य सुसंगत उपबन्धो के अधीन मामला पंजीबद्व करने के लिये सात दिनो की कालावधि के भीतर पुलिस को परिवाद अग्रेषित करेगी
(2) भारतीय न्याय संहिता (2023 का 45)की धारा 79 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ,न्यायालय ,जबकि प्रत्यर्थी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, धारा 15 के उपबधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि के संदाय का आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
(3) उपधारा (1) के अधीन जांच करने के प्रयाजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानिय समिति को वही शक्तियां होगी, जो निम्नलिखिम मामलो के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैंः–
(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करनाः
(ख) किन्ही दस्तावेजो के प्रकटीकरण ओर पेश किए जाने की अपेक्षा करनाः
(ग) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।
(4) उपधारा (1) के अधीन जांच नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।
परिवाद के बारे में जांच

12. जांच के लंबित रहने के दौरान कार्यवाही (1)जांच के लंबित रहने के दौराने, व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को निम्नलिखित की सिफारिश कर सकेगी–
(क) व्यथित महिला प्रत्यर्शी का किसी अन्य कार्यस्थल में अंतरण, या
(ख) व्यथित महिला की तीन माह तक की कालावधि की छुट्टी मंजूर करने, या
(ग) व्यथित महिला की ऐसी अन्य राहत प्रदान करने, जो निहित की जाए।
(2) इस धारा के अधीन न्यथित महिला को मंजूर की गई छुट्टी उस छुट्टी के अतिरिक्त होगी,जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होती।

(3) उपधारा (1) के अधीन, यथाथिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर , नियोजक उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिशो को क्रियान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट यथास्थिति आंतरिक समिति को भेजेगा।

(13) जांच रिपोर्ट(1) इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर यथास्थिति, आंतरिक समिति, स्थानिय समिति, अपने निष्कर्षो की एक रिपोर्ट, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख के दस दिनो की कालावधि के भीतर उपलब्ध करायेगी और ऐसी रिपोर्ट के संबंधित पक्षकारो को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्शी के विरूद्ध अभिकथन साबित नही किया गया है तो नह नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी की मामले में कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नही है।

(3) जहरं, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानिय समिति इस निष्कर्ष पर पुंचती है कि प्रत्यर्शी के विरूद्व अभिकथन साबित हो गया है, वहा वह, यथास्थिति नियोजक जिला अधिकारी से निम्नलिखित की सिफारिश करेगी

(1) प्रत्यर्शी को लागू सेवा नियमो के उपबंधो के अनुसार कदाचार के रूप में या जहां ऐसे सेवा नियम नही बनाए गए है, वहो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लैंगिक उत्पीउन के लिए कार्यवाही करने,

(2) प्रत्यर्शी के सेवा नियमों के किसी बात के होते हुए भी,प्रत्यर्शी के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला को या उसके विधिक वारिस को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की ऐसी राशि की कटौमी करने, जो धारा 15 के उपबंधो के अनुसार वह अवधारित करेः

(4)नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर उस पर कार्यवाही करेगा।

(14). मिथ्या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड(1) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पंहुचती है कि प्रत्यर्थी के विरूद्व अभिकथन द्वेषपूर्ण है अथवा व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद को मिथ्या होना जानते हुए किया है अथवा व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कुटरचित या भ्रामक दस्तावेज प्राप्त किया है तो वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को उस महिला या व्यक्ति के विरूद्व जिसने यथास्थिति धारा 9 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिवाद किया है उसे लागू सेवा नियमो के उपबंधो के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नही है, वहॉ ऐसी रीति में जो विहित की जाए, कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकेगीः

(2) जहां यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पंहुचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, वहां वह यथास्थिति साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नही है वहां ऐसी रीति में जो विहित की जांए कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकेगी।

30.अपचारी बालक एवं पीडित बालकों के कानूनी संरक्षण में पुलिस की भूमिका– कानूनी प्रावधान।

(जे0जे0 एक्ट 2015 धारा–2,4,10,11,12,13,21,22,31,74से 77,94,107)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) और संरक्षण अधिनियम–2015

धारा–2. परिभाषाएँ– इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(1) "परित्यक्त बालक" का अभिप्राय ऐसे बालक से है जिसे उसके जैविक अथवा दत्तक माता–पिता या संरक्षकों द्वारा परित्यक्त कर दिया गया है जिसे सम्यक् जाँच के पश्चात समिति द्वारा परित्यक्त घोषित किया जा चूका है।

(2) "दत्तकग्रहण" से वह प्रकिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा दत्तक बालक स्थायी रुप से अपने जैविक माता–पिता से अलग कर दिया जाता है और वह अपने दत्तक माता–पिता का उन सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के साथ धर्मज संतान बन जाता है जैसे किसी जैविक बालक से सम्बद्ध होते है;

(3) "दत्तकग्रहण विनिमय" का अभिप्राय ऐसे विनिमयों से है जिन्हें दत्तकग्रहण के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा विरचित और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है;

(4) "प्रशासक" का अभिप्राय राज्य के उपसचिव की पंक्ति से अनिम्न किसी ऐसे जिला पदधारी से है,जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गयी है;

(5) अनुरक्षण का अभिप्राय राज्य ऐसे व्यक्तियों को वितिय या अन्य प्रकार के आश्रय का प्रावधान सुनिश्चित करने से है जिन्होनें अठ्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है लेकिन उन्होने इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, और उन्होनें समाज की धारा में सम्मिलित होने के लिए किसी संस्थागत देखरेख को छोड़ दिया है;

(6) "प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण" का अभिप्राय किसी विदेशी सामाजिक अथवा बाल कल्याण अभिकरण से है जिसे केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा अनिवासी भारतीय या भारत के समुद्र पार भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों या विदेशी भावी दत्तक माता–पिता को भारत से किसी बालक के दत्तक ग्रहण हेतु प्रायोजित करने के लिए उस देश के केन्द्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग की सिफारिश पर प्राधिकृत किया गया है;

(7) "प्राधिकरण" का अभिप्राय धारा 68 के अधीन गठित केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण से है;

(8) भीख माँगना का अभिप्राय निम्न से है–

(i) लोक स्थान में भिक्षा की याचना करना या प्राप्त करना या किसी निजि परिसर में भिक्षा की याचना करना या प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करना, चाहे वह किसी भी बहाने से हो;

(ii) भिक्षा अभिप्राप्त या उद्यापित करने के उद्देशय से, अपना या किसी अन्य व्यक्ति या जीव–जन्तु का कोई व्रण,घाव, क्षति, विरुपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना;

(9) "बालक का सर्वोतम हित" का अभिप्राय बालक के सम्बन्ध में उसके मूलभूत अधिकारों तथा आवश्यकता, पहचान, सामाजिक भलाई और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की पूर्ति करने हेतु लिये गये किसी भी निर्णय के आधार से है;

(10) परिषद का अभिप्राय धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय परिषद् से है;

(11) "केन्द्रीय प्राधिकरण" का अभिप्राय अन्तर–देशीय दत्तकग्रहण में बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग अभिसमय(1993) के अधीन उस रुप में मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग से है;

(12)''बालक'' का अभिप्राय– ऐसे व्यक्ति से है जिसने अठ्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है;

(13) "विधि का उल्लंघन करने वाला बालक का अभिप्राय" ऐसे बालक से है जिसका अपराध को कारित करना अभिकथित है या पाया जाता है और जिसने उस अपराध के कारित किये जाने की तारीख पर अठ्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण नही की है;

(14) "देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक" का अभिप्राय ऐसे बालक से है–

(i) जिसे गृह विहिन अथवा किसी निश्चित स्थान के और जीवन निर्वाह के किसी सदृश्य साधन के बिना पाया जाता है; अथवा

(ii) जिसे तत्समय प्रवृत श्रम विधियों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है अथवा भिक्षा मांगते हुए या सड़क पर आवारागर्दी करते हुए पाया जाता है; अथवा

(iii) जो किसी व्यक्ति के साथ (चाहे वह उस बालक का संरक्षक हो या नहीं) निवास करता है और उस व्यक्ति ने–
(क) उस बालक को आहत किया है, उसका शोषण किया है या प्रताड़ित किया है अथवा उसकी उपेक्षा की है या बालक के संरक्षण हेतु बनायी गयी तत्समय प्रवृत अन्य किसी भी विधि का उल्लंघन किया है; अथवा
(ख) उस बालक को मार डालने, आहत करने, उसका शोषण करने या दुरुपयोग करने की धमकी दी जाती है और उस धमकी को कार्यान्वित किये जाने की युक्तियुक्त सम्भावना है; अथवा
(ग) किसी अन्य बालक या बालकों को मार डाला है, उनका दुरुपयोग किया है, उनकी उपेक्षा की है या उनका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक के उस व्यक्ति द्वारा मार डाले जाने, दुरुपयोग किये जाने, शोषण किये जाने या उपेक्षा किये जाने की युक्तियुक्त सम्भावना है; अथवा

(iv) जो मानसिक या शारीरिक रुप से असक्षम है या जो घातक या असाध्य रोग से ग्रसित है, जिसे आश्रय देने वाला या देखभाल करने वाला कोई नहीं है अथवा जिसके माता– पिता या संरक्षक देखभाल करने में असमर्थ, अयोग्य है बशर्ते ऐसा परिषद् या समिति द्वारा पाया गया हो; अथवा
(अ) जिसके माता– पिता अथवा संरक्षक है और ऐसे जिसके माता– पिता अथवा संरक्षक का उस बालक पर नियंत्रण और उसकी सुरक्षा तथा भलाई को संरक्षण प्रदान करने के लिए समिति अथवा परिषद् द्वारा अयोग्य या असमर्थ होना पाया गया हो; अथवा

(vi) जिसके माता पिता नहीं है तथा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसकी देखरेख करने का इच्छुक हो, अथवा जिसके माता–पिता ने उसे परित्यक्त कर दिया है या उसका अभ्यर्पण कर दिया है; अथवा

(vii) जो गुमशुदा या भगोड़ा बालक है अथवा जिसके माता–पिता को ऐसी रीति से जिसे विहित किया जाये, युक्तियुक्त जाँच करने के पश्चात् नहीं पाया जा सकता है; अथवा

(viii) जिसके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार अथवा अवैध कार्यों के प्रयाजनार्थ दुरुपयोग किया गया है, जिसे यातना दी गयी है या जिसका शोषण किया गया है अथवा उसका ऐसा किया जा रहा है या किये जाने की सम्भावना है; अथवा

(ix) जिसका मादक द्रव्यों में या दुर्व्यापार के कार्यों में लगा दिया जाना पाया गया है और उसका इस प्रकार लगाया जाना सम्भाव्य है; अथवा
(ग) जिसका अन्तःकरण विरुद्ध अभिलाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है अथवा किया जाना सम्भाव्य है; अथवा

(xi) जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सामाजिक अशान्ति अथवा प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ है अथवा उसके द्वारा प्रभावित है; अथवा

(xii) जो विवाह की आयु को प्राप्त करने के पूर्व विवाह के किये जाने के आसन्न जोखिम में है और जिसके माता–पिता, परिवार के सदस्य, संरक्षक एवं अन्य किसी व्यक्ति का उस विवाह के अनुष्ठान के लिए उतरदायी होना सम्भाव्य है;
(15) ″बालक के अनुकूल'' का अभिप्राय ऐसे किसी व्यवहार, आचरण, चलन, प्रक्रिया, दृष्टिकोण, वातावरण या उपचार से है जो मानवीय, विचारशील तथा बालक के सर्वोतम हित में हो;
(16) ″बालक दत्तकग्रहण हेतु विधितः″ स्वतन्त्र का अभिप्राय धारा 38 के अधीन सम्यक् जाँच करने के पश्चात् समिति द्वारा उस रुप में घोषित किये गये बालक से है;
(17) ″बाल कल्याण अधिकारी″ का अभिप्राय समिति अथवा जैसा विषय हो परिषद् द्वारा दिये गये निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए बालक गृह से सम्बद्ध ऐसे उत्तरदायित्व वाले अधिकारी से है जिसे विहित किया जाये;
(18)''बाल कल्याण पुलिस अधिकारी'' का अभिप्राय धारा 107 की उप–धारा (1) के अधीन उस रूप में पदनामित अधिकारी से है;
(19) ''बालक–गृह'' का अभिप्राय ऐसे बालक गृह से है जिसे या तो स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर–सरकारी संगठन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्थापित अथवा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और वह धारा 50 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए रूप में पंजीकृत किया गया हो;
(20) ''बालकों का न्यायालय'' का अभिप्राय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के अधीन स्थापित न्यायालय अथवा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) के अधीन विशेष न्यायालय, जहाँ कहीं विद्यमान हो, से है और जहाँ ऐसे न्यायालयों को पदनामित नहीं

किया गया है तो वहाँ अधिनियम के अधीन अपराधों के विषय में विचारण करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले सत्र न्यायालय से है;

(21) ''बालक देखरेख संस्था'' का अभिप्राय बालक गृह खुला आश्रम, संपेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा का स्थान, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण और उन बालकों, जिन्हें सेवाओं की आवश्यकता है, को देखरेख और संरक्षण प्रदान करने के लिए इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त उपयुक्त सुविधा से है;

(23)''न्यायालय'' का अभिप्राय ऐसे सिविल न्यायालय से है जिसे दत्तक ग्रहण और संरक्षकत्व के मामलों में क्षेत्राधिकार प्राप्त है और इसमें जिला न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय सम्मिलित हो सकते है;

(33)''घृर्णित (जघन्य) अपराध''में ऐसे अपराध सम्मिलित है जिनके लिए भारतीय न्याय संहिता (2023 का 45) अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि के अधीन न्यूनतम दण्ड 7वर्ष या उससे अधिक का कारावास है;

(45)''लघु अपराध'' में ऐसे अपराध सम्मिलित हैं जिनके लिए भारतीय न्याय संहिता (2023 का 45) अथवा तत्समय प्रतृत्त अन्य किसी विधि के अधीन अधिकतम दण्ड तीन वर्ष तक का कारावास है;

धारा–4 किशोर न्याय बोर्ड–(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ,2023 (2023 का 45) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्डों को, इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, स्थापित करेगी।

(2)बोर्ड एक ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान मजिस्ट्रेट कहा गया है) न हो, जिनके पास कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो और दो ऐसे सामाजिक कार्यकताओं से मिलकर बनेगा जिसका चयन ऐसी रीति से किया जाएगा,जो विहित की जाए और उनमें कम से कम एक महिला होगी। यह एक न्यायपीठ का रूप लेगा और ऐसी न्यायपीठ को वही शक्तियां प्राप्त होगी, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ,2023 (2023 का 45) द्वारा यथास्थिति, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की गई हैं।

(3)किसी भी सामाजिक कार्यकर्त्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त तभी किया जाएगा जब ऐसा व्यक्ति कम से कम सात वर्ष तक बालकों से तात्पर्पित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से अंतवर्लित हो या बालक मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसायरत व्यवसायी हो।

(4)कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि–

(क)उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिकमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है;

(ख)उसे ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं दिया गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान की गई है;

(ग)उसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है;

(घ)वह कभी बालक के दुरूपयोग या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।

(5)राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सदस्यों, जिनके अंतर्गत परिषद का प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, का देखरेख, संरक्षण, पुनर्वासन, बालकों के लिए विधिक उपबंधों और न्याय के संबंध में ऐसा प्रेरण, प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण, जो विहित किया जाए, उसकी नियुक्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए।

(6)बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और वह रीति जिसमें ऐसा सदस्य त्यागपत्र दे सकेगा, ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(7)बोर्ड के किसी सदस्य की, प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय, नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात् समाप्त किया जा सकता है, यदि वह सदस्य–

(i)इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरूपयोग को दोषी पाया गया है; या

(ii)बोर्ड की कार्यवाहियों में बिना किसी विधिमान्य कारण के लगातार तीन मास तक भाग लेने में असफल रहता है;

(iii)किसी वर्ष में तीन–चौथाई से कम बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है;

(iv)सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान उपधारा(4) के अधीन अपात्र हो जाता है।

किशोर न्याय परिषद

धारा 10 ऐसे बालक को पकडा जानाा जिसका विधि का उल्लघंन कारित करना अभिकथित है–
1.पुलिस द्वारा जैसे ही किसी ऐसे बालक को पकडा जाता है जिसका विधि का उल्लघंन कारित करना अभिकथित है,उस बालक को विशेष किशोर पुलिस ईकाई अथवा नामोदिष्ट बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जायेगा जो उस बालक को बिना कोई समय नष्ट किये हुए लेकिन उस स्थान से जहां उस बालक को पकडा गया था,यात्रा हेतू आवश्यक समय को अपवर्जित करते हुए बालक को पकडने के समक्ष पेश करेगा।

2.राज्य सरकार इस अधिनियम के सुसंगत नियमों की विरचना करेगी

क. ऐसे व्यक्तियों (पंजीकृत स्वंयसेवी अथवा गैर–सरकारी संगठनों समेत) का उपबन्ध करना जिनके माध्यम से किसी ऐसे बालक जिसका विधि का उल्लंधन करना अभिकथित है को परिषद् के समक्ष पेश किया जा सकेगा।

ख.ऐसी रीति का उपबन्ध करना जिसमें एस बालक जिसका विधि का उल्लंघन करना अभिकथित है को सम्प्रेषण गृह या जैसा विषय हो सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सकेगा।

धारा 11 उस व्यक्ति की भूमिका जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा जाता है–
कोई व्यक्ति जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा जाता है जबकि वह आदेश प्रभावी हो उक्त बालक के उतरदायित्व को उसी प्रकार से प्राप्त करेगा मानो उक्त व्यक्ति उस बालक का पिता हो और बालक के भरणपोषण के लिए उत्तरदायी हो।

धारा 12–उस व्यक्ति को जमानत जो प्रकट रूप से ऐसा बालक है जिसका विधि का उल्लघन करना अभिकथित है–1. जब कोई व्यक्ति जो प्रकट रूप से बालक है और जिसका किसी जमानतीय अथवा गैर जमानतीय अपराध को कारित करना अभिकथित है पुलिस द्वारा पकडा जाता है या निरूद्व किया जाता हैअथवा परिषद् के समक्ष उपसंजात होता है या लाया जाता है तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ,2023 (2023 का 46) अथवा तत्समय प्रवृतअन्य किसी भी विधि में अन्तर्दिष्ट किसी भी बात के होते हुए प्रतिभू के साथ अथवा उसके बिना जमानत पर मुक्त कर दिया जायेगा या परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखा जायेगा।

धारा –13 माता पिता,संरक्षण या परिविक्षण अधिकारी को सूचना–
(1) जब कोई ऐसा बालक जिसका विधि का उल्लंधन करना अभिकथित है,पकडा जाता है तो थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारी अथवा विशेष किशोर पुलिस ईकाई जिसके समख उस बालक को लाया जाता है ,उस बालक के पकडे जाने के बाद यथा सम्भंव शीध्र सूचित करेगा–1.उस बालक के माता– पिता अथवा संरक्षक यदि उन्हे पाया जा सके और उन्हे उस परिषद के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश करेगा जिसके समक्ष बालक को पेश किया गया।

(2) परिवीक्षा अधिकारी, अथवा यदि कोई परिवीक्षक अधिकारी उपलब्ध नही है तो बाल कल्याण अधिकारी, दो सप्ताह के भीतर बालक के इतिवृत तथा परिवाद की पृष्ठ भूमि से संबंधित सूचना और अन्य तात्विक परिस्थितियों को अन्तर्विष्ट करते हुए सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट को तैयार करने और दाखिल करने के लिये, जिनका जॉच को करने हेतु परिषद की सहायता करना संभाव्य है।

2. जहां किसी बालक को जमानत पर मुक्त किया जाता है तो परिषद द्वारा परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी को सूचित किया जायेगा।

धारा–21 आदेश जिसे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरूद्ध पारित नही किया जा सकेगा– विधि का उल्लघन करने वाले किसी भी बालक को ऐसे किसी अपराध के लिये, या तो इस अधिनियम के प्रावधानो के अधीन या भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता (1860 का 45) अथवा तत्समय प्रवृत अन्य किसी भी विधि के अधीन, मुक्ति की सम्भावना के बिना, मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट नही किया जायेगा।

धारा 22– बालक के विरूद्ध लागू न होने वाली दंड प्रक्रिया के अधीन की कार्यवाही– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ,2023 (2023 का 46) में या तत्समय प्रवृत किसी निरोध निवारक विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी बालक के विरूद्ध उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन न कोई कार्यवाही संस्थित की जाएगी और न ही कोई आदेश पारित किया जाएगा।

धारा 31–समिति के समक्ष पेश किया जाना–(1)देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित किसी व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः–

(i)किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या विशेष किशोर पुलिस एकक या पदाभिहित बालक कल्याण पुलिस के अधिकारी या जिला बालक कल्याण एकक के किसी अधिकारी या तत्समय प्रवृतत किसी श्रम विधि के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा;

(ii)किसी लोकसेवक द्वारा;

(iii)ऐसी बालबद्ध सेवाओं या किसी स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन या किसी अभिकरण द्वारा,जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाए;

(iv)बालक कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा;

(v)किसी सामाजिक कार्यकर्त्ता या लोक भावना से युक्त नागरिक द्वारा;

(vi)स्वयं बालक द्वारा, या;

(vii)किसी नर्स, डॉक्टर, परिचर्या गृह(नर्सिंग होम) अस्पताल या प्रसृति गृह के प्रबंधक द्वाराः

परन्तु बालक को समय नष्ट किए बिना, किंतु चौबीस घंटे की अवधि के भीतर यात्रा के लिए आवश्यक समय के छोडकर समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

(2)राज्य सरकार, जांच की अवधि के दौरान समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रीति का और बालक को, यथास्थिति, बाल गृह या आश्रय गृह या सुविधा उपयुक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने या सौंपने की रीति का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

बालकों के विरूद्ध अन्य अपराध

धारा 74 बालकों की पहचान के प्रकटीकरण पर प्रतिषेध–(1)किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, न्यूजशीट या दृश्य–श्रव्य मीडिया या किसी जॉच अथवा अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में या संसूचना या अन्य रूप में कोई भी रिपोर्ट नाम, पता या विधालय या अन्य कोई विशिष्टि प्रकट नहीं करेगी जिससे विधि का उल्लघंन करने वाले बालक अथवा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक या पीड़ित बालक या ऐसे मामले में लिप्त अपराध के साक्षी की, तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि के अधीन, पहचान प्रकट होती हो, न ही ऐसे किसी बालक की तस्वीर को प्रकाशित किया जायेगा :

परन्तु यह कि लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, परिषद या जैसा विषय हो समिति जॉच करते समय ऐसे प्रकटीकरण की अनुमति दे सकती है बशर्ते उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण उस बालक के सर्वोत्तम हित में हो।

(2) पुलिस ऐसे मामलों में जहॉ वाद को बन्द किया जा चुका है या उसका निस्तारण किया जा चुका है, चरित्र प्रमाण–पत्र के प्रयोजनार्थ या अन्यथा बालकों के अभिलेख को प्रकट नहीं करेंगी।

(3) उपधारा (1) के प्रावधानों का अतिलंघन करते हुए कोई भी व्यक्ति ऐसी अवधि के कारावास जो छः माह तक हो सकता है या अर्थ दण्ड से जो दो लाख रूपये तक हो सकता है या दोनो से दण्डनीय होगा।

धारा–75–बालक के प्रति क्रूरता के लिए दण्डः– जो कोई किसी बालक का वास्तविक प्रभार रखते हुए या उस पर नियंत्रण रखते हुए उस बालक पर हमला करता है, उसे परित्यक्त कर देता है, उसका दुरूपयोग करता है, उसे अभिदर्शित करता है या ऐसी रीति से जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है या उस बालक पर हमला करता है, उसे परित्यक्त कराता है या उसका दुरूपयोग कराता है, अभिदर्शित कराता है, या उसकी उपेक्षा कराता है, जिससे उस बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट कारित होना सम्भाव्य है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास जो तीन वर्ष तक हो सकती है या एक लाख रूपए के अर्थदण्ड से या दोनों से दण्डनीय होगा :

परन्तु यह कि यदि यह पाया जाता है कि जैविकीय माता–पिता द्वारा बालक का ऐसा परित्याग उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुआ है तो यह उपधारित किया जायेगा कि ऐसा परित्याग अपनी इच्छा से नहीं है और इस धारा के दाण्डिक प्रावधान ऐसे वादों में लागू नहीं होंगे :

परन्तु अग्रेतर यह कि यदि ऐसा अपराध किसी ऐसे संगठन द्वारा या उसका प्रबन्ध करके नियोजित करे किसी व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जिसे उस बालक के देखरेख और संरक्षण का कार्य सौंपा गया है, तो वह सश्रम कारावास से, जो पाँच वर्ष तक हो सकेगा और अर्थदण्ड से पाँच लाख रूपए तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि पूर्वोलिखित क्रूरता के कारण, यदि वह बालक शारीरिक रूप से असक्षम हो जाता है या उसे मानसिक रोग हो जाता है या यह नियमित कार्यों को करने के लिए मानसिक रूप से अनुपयुक्त हो जाता है या जिसका जीवन अथवा अंग जोखिम में है तो ऐसा व्यक्ति कम से कम तीन वर्ष के सश्रम

कारावास से दण्डनीय होगा लेकिन जो दस वर्ष तक विस्तारित किया जा सकेगा और पाँच लाख रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डनीय होगा।

धारा 76–भीख मांगने के लिए बालक का नियोजनः– (1) जो काई भीख मांगने के प्रयोजनार्थ किसी बालक को प्रयोग करता है अथवा किसी बालक से भीख मंगवाता है, ऐसी अवधि के कारावास से जो पाँच वर्ष तक का हो सकता है, से दण्डनीय होगा और साथ ही एक लाख रूपए के अर्थदण्ड के लिए भी दण्डनीय होगा परन्तु यह कि यदि भीख मांगने के प्रयोजनार्थ व्यक्ति बालक का अंग–भंग कर देता है या उसे अपंग बना देता है तो वह कम से कम सात वर्ष की अवधि के कारावास, जो दस वर्ष तक को हो सकता है, से दण्डनीय होगा और पाँच लाख रूपए के अर्थदण्ड के लिए भी दायी होगा।

(2) जो कोई बालक का वास्तविक प्रभार या उस पर नियंत्रण रखते हुए उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करता है, उपधारा (1) में यथा उपबन्धित किसी दण्ड से दण्डनीय होगा और उस व्यक्ति का धारा 2 के खण्ड (14) के उप–खण्ड (5) के अधीन अनुपयुक्त माना जायेगा :

परन्तु यह कि उक्त बालक किसी भी परिस्थितियों में विधि का उल्लघंन करने वाला बालक नहीं माना जायेगा और उसे ऐसे संरक्षक या अभिरक्षक के प्रभार अथवा नियंत्रण से हटा दिया जायेगा और उसे समुचित पुनर्वास के लिए समिति के समक्ष पेश किया जायेगा।

धारा 77–किसी बालक को नशीली मदिरा या स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्तिः–जो कोई, सम्यक रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश के सिवाय अन्य प्रकार से, किसी बालक को कोई नशीली मदिरा या स्वापक, औषधि या तम्बाकू के उत्पाद या मनःप्रभावी पदार्थ देता है या दिलवाता है, ऐसी अवधि के सश्रम कारावास, जो सात वर्ष तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा और अर्थदण्ड के लिए भी दायी होगा जो एक लाख रूपए तक हो सकता है।

धारा 94–आयु की उपधारा और अवधारणाः– (1) जहाँ समिति या परिषद् को, इस अधिनियम के प्रावधानों में से किसी के अधीन (साक्ष्य देने के प्रयोजन को छोडकर अन्य किसी प्रयोजन के लिए) उसके समक्ष लाये गये व्यक्ति की उपसंजाति के आधार पर स्पष्ट है कि उक्त व्यक्ति बालक है तो वहाँ समिति या परिषद् उस बालक की आयु को, जितना निकटतम हो सके, बताते हुए ऐसे सम्प्रेक्षण को करेगा और वह आयु के अग्रेतर पुष्टि की प्रतीक्षा किये बिना धारा 14 या जैसा विषय हो धारा 36 के अधीन या जैसा विषय हो की कार्यवाही करेगा।

(2) यदि समिति या परिषद् के पास इस सम्बन्ध में संदेह करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, समिति या जैसा विषय हो परिषद् निम्न आधारों पर आयु अवधारणा की प्रक्रिया को प्रारम्भ करेगा।

1 विधालय से जन्म प्रमाण–पत्र अथवा सम्बन्धित परीक्षा परिषद् से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण–पत्र में तारीख, यदि वह उपलब्ध हो और उसके अभाव में;

2 निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म–प्रमाण–पत्र;

3 और केवल उपरोक्त (1) तथा (2) के अभाव में आयु का अवधारणा अस्थि विकास जाँच अथवा समिति या परिषद् के आदेशो पर आयु अवधारणा का अन्य कोई नवीनतम चिकित्सीय परीक्षण द्वारा किया जायेगा, जिसे समिति या परिषद् के आदेशो पर किया गया हो :

परन्तु यह कि समिति अथवा परिषद् के आदेश पर किया गया ऐसा आयु अवधारणा परीक्षण उस आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर पूरा किया जायेगा।

(3) समिति या परिषद् द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके समक्ष इस प्रकार लाये गये व्यक्ति की आयु के रूप में अभिलिखित की गयी आयु उस व्यक्ति की शुद्ध आयु के रूप में समझी जायेगी।

धारा 107–बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाई–(1)प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहायक उपनिरीक्षक से अन्यून पंक्ति के कम से कम एक अधिकारी को, जिसके पास योग्यता, समुचित प्रशिक्षण और स्थिति ज्ञान हो, पुलिस, स्वैच्छिक और गैर–सरकारी संगठनों के समन्वय से अनन्य रूप से बालकों के साथ या तो पीडितों या अपराधियों के रूप में व्यवहार करने के लिए, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में अभिहित किया जा सकेगा।

(2)बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए, राज्य सरकार प्रत्येक जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस एककों का गठन करेगी, जिनका नेतृत्व उप–पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक का पुलिस अधिकारी करेगा, और जिसमें उपधारा(1)के अधीन अभिहित सभी पुलिस अधिकारी होंगे और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्त्ता, जिनमें एक महिला होगी, होंगे।

(3)विशेष किशोर पुलिस एकक के सभी पुलिस अधिकारियों को, विशेषकर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में शामिल करने पर, विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे अपने कत्तव्यों का निर्वहन अधिक प्रभावी रूप से कर सकें।

(4)विशेष किशोर पुलिस एकक के अंतर्गत बालकों से संबंधित रेल पुलिस भी है।

31.मोबाईल फोन ट्रेकिंग, इंटरनेट एवं अन्य सूचना तकनीकों का पुलिस कर्त्तव्यों में प्रयोग, कानूनी प्रावधान।

सी0डी0आर0 का विश्लेषण।

मोबाईल ट्रेकिंग Cell Phone Technology भारत में मोबाईल सेवा की शुरूआत 1995 में चार महानगरों में की गई।

Terminology

I.M.E.I . यह इन्टरनेशनल मोबाईल Equipment Identification N0. होता है। यह 15 Digits का हो मोबाईल डिवाईस या हैण्डसेट को Identify करता है।

उदाहरण– I.M.E.I. नम्बर–490154203237518 अंतिम Digit क्रमशः 2 चैक Digit होता है जो Records मे या CDR मे 0 Display होता है।

चैक Digit का उदाहरण–

I.M.E.I. Check Digit Formula

I.M.E.I.	4 9 0 1 5 4 2 0 3 2 3 7 5 1 ?
Double–Every Other	4 18 0 2 5 8 2 0 3 4 3 14 5 2 ?
Sum Digit	4+(1+8)+0 + 2 +5 + 8 + 2 +0 +3 +4 +3 +9(1+4)+5+2+?=52

Sum Divisble By 10 We Need =8

Check Digit =8

Last Digit =8

1. **I.M.S.I.**—(International Mobile Subscriber Identirication Number) यह 19 Digit कर नम्बर जिसे I.C.C. I.D. यानी Integrated Circuit Card Identification Number भी कहते है।

उदाहरणः–

89917
00407
26017

SIM

89	91	70	0407	260	17505	4
⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
Telecom ID	**Country Code**	NetWork Code	YYDD	Switch Conf	Sim no	Check Digit

3– Sim- Subscriber identity Module

4– G.S.M.- Global System Mobile Communication यह तकनीक Digital Technology पर कार्य करती है जैसे– BSNL, Airtel , Vodafone , Idea, Aircel, Reliance (GSM) एवं TATA
यह सभी G.S.M. आधारित मोबाईल प्रदाता कम्पनीयां है।

5- C.D.M.A.- Code Division Multiple Access & यह तकनीक Analog Mode पर कार्य करती है। जैसे Reliance CDMA TATA Indicom एवं MTS Companies CDMA आधारित सुविधाएं प्रदान करती है।

मोबाईल कॉल डिटेल

प्राप्त करने सम्बन्धी कार्य हेतु जॉच कर्ता/अनुसंधान कर्ता द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पत्र सम्बन्धित मोबाईल कम्पनी के Nodal Officer को CRPC की धारा 91 के तहत भिजवाया जाता है।

Interception

यह Phone Taping या अन्तावरोध Indian Telegraph Act 1885 की धारा 5(2) के तहत पुलिस विभाग में अधिकृत महानिरिक्षक पुलिस(आई.जी.पी.) की अनुशंसा पर 7 दिन हेतु अधिकतम कराया जा सकता है। एवं इस हेतु राज्य गृह सचिव का अनुमोदन अनिवार्य है। सात दिन से अधिक Interception राज्य गृह सचिव की अनुमति पश्चात ही किया जा सकता है। Indian Telegraph Act 1885 धारा 5(2)एवं Indian Telegraph Rules 1951 के धारा 419 अ के तहत किये जा रहे interception का रिकार्ड दो माह तक सम्बन्धित जिला पुलिस अधिक्षक सेव रखेंगें एवं दो माह पश्चात फोन टेपिग का रिकार्ड Destroy कर दिया जाता है।

Call Detail

1- Calling No.- Outgoing Call CDR No.
2- Called No.- Incoming No. CDR No.
3- Date
4- Time
5- Duration
6- Cell 1-Initial Cell ID
7- Cell 2- Final Cell ID
8- Call Type – Smt (Incoming Msg) /Smo (Outgoing Msg) /In/Out/Rcf (Roaming Call)
9- IMEI (GSM)/ESN No.(CDMA)
10- Type –Post/Pre
11- SMS Centre
12-Roaming No.(If in roaming)

Call Detail द्वारा हमे कॉलर द्वारा दिये गये कॉल, प्राप्त कॉल, तारिख समय ,कॉल अवधि,युजर द्वारा प्रयुक्त हैडसेट यूजर के फोन के **Location** आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एवं किसी भी आपराधिक मामलों पर कॉल डिटेल भारत सरकार के नियमानुसार एक वर्ष की अवधि तक सर्वर में सेव रहती है।

Electronic Record की कॉपी —यांत्रिक प्रक्रिया में प्राप्त कॉपी हेतु प्रणाम पत्र की प्रकृति नोडल अधिकारी का इस आश्य का प्रमाण पत्र है कि यांत्रिकिय व अन्य प्रकिया जिनके माध्यम से कॉपी प्राप्त की गई है उसके दौरान डाटा की **Accuracy Ensured** की गई।

I.S.P. मोबाईल कम्पनी के नोडल अधिकारी के द्वारा विश्वसनीयता प्रमाणपत्र

- कम्प्यूटर सिस्टम इंचार्ज का प्रमाण पत्र
- कम्प्यूटर सिस्टम का विवरण
- डाटा स्टोर करने की प्रकिया
- कम्प्यूटर सिस्टम एवं डाटा को सुरक्षित रखते हेतु सावधानीयां और कम्प्यूटर सिस्टम का यह प्रमाण पत्र की उसकी ज्ञान में कम्प्यूटर प्रश्नातर्गत सिस्टम जो कि उसके नियत्रण में या सदर्भित समय पर सही कार्य कर रहा था। एवं सम्बन्धित डाटा व प्रिन्ट आउट सही सुचना को इंकित करता है।या उसके प्राप्त कि गई है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65बी(4) के तहत जारी होने वाले प्रमाण पत्र

CERTIFICATE

(Under Section 65 B (4) of the Indian Evidence Act 1872)

Subject –Investigation in case no. ……../20------

Under Section --------------------

Police station _________ Rajasthan

Certified that the electronic record/computer output provided by Email above case to the police station ________ Rajasthan has been produced from the serves using appropriated electronic device and that its contents are true reproduct of the original to the best of my knowledge and belief thank regards.

सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 मय नवीनतम संशोधन 2008

(झ) 'कम्प्यूटर' से ऐसी इलैक्ट्रोनिक चुम्बकीय प्रकाशीय या अन्य द्रुत डाटा संसाधन युक्ति या प्रणाली अभिप्रेत हैं जो इलैक्ट्रोनिक चुम्बकीय या प्रकाशीय तंरगो के अभिचलनों द्वारा तर्कसंगत अंकगणितीय और स्मृति फलन के रूप में कार्य करता हैं और इपके अंतर्गत सभी निवेश उत्पात प्रक्रमण भंडारण कंप्यूटर साफ्टवेयर या संचार सुविधायें भी हैं जो किसी कंप्यूटर से संयोजित या संबंधित होती हैं।

(ठ) 'कंप्यूटर प्रणाली' से निवेश और निर्गम सहायक युक्तियों सहित और ऐसे कैलकुलेटरों को छोडकर जो क्रमादेश्य नहीं हैं और बाह्य फाइलों के साथ संयोजन में उपयोग में नहीं आ सकते ऐसी युक्ति या युक्तियों का संग्रह अभिप्रेत हैं जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम इलेक्ट्रोनिक अनुदेश निवेश डाटा भंडारण और पुनः प्राप्ति संचार नियंत्रण और अन्य कृत्य करती हैं

43. कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान और के लिए (शास्ति और प्रतिकर)– यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति की, जो किसी कम्प्यूटर नेटवर्क प्रणाली या का भारसाधक हैं, अनुज्ञा के बिना–

(क) ऐसे कम्प्यूटर, कम्प्यूटर नेटवर्क प्रणाली में पहुँचता हैं या पहुँच प्राप्त करता हैं (और कम्प्यूटर सम्पदा)

(ख) ऐसे कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क से कोई डाटा कम्प्यूटर डाटा –संचय या सूचना जिसके अन्तर्गत किसी स्थानांतरणीय भंडारण माध्यम में धृत या संचित कोई सूचना या डाटा भी हैं, डाउनलोड करता हैं प्रतिलिपी करता हैं या उसका उद्धरण लेता हैं।

(ग) किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में किसी कम्प्यूटर संदूषक या कम्प्यूटर वाइरस का प्रवेश करवाता हैं,

(घ) ऐसे कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क डाटा–संचय या किसी अन्य कार्यक्रम को नुकसान पहुँचाता हैं या पहुँचवाता हैं,

(ड) किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क को विच्छिन्न करता हैं या करवाता हैं

(च) किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में पहुँच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति की किसी भी साधन में पहॅुच से इन्कार करता हैं या करवाता हैं

(छ) इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में, किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में किसी व्यक्ति की पहॅुच को सुकर बनाने के लिए कोई सहायता प्रदान करता हैं,

(ज) किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में छेडछाड या छल साधन करके, किसी व्यक्ति के लेख में डालता हैं

(झ) कम्प्युटर तन्त्र में स्थित कोई सूचना विनाश करना, हटाना या परिवर्तन करना या इपके महत्व या उपयोगिता या प्रभावों को किन्ही साधनों द्वारा क्षति करते हुए इसे न्यून करना,

(ञ) क्षतिकारित करने के आशय से कम्प्यूटर तन्त्र के लिए उपयोगी किसी कम्प्यूटर स्त्रोत कोई चोरी करना, छिपाना, नष्ट करना या परिवर्तन करना या किसी व्यक्ति को चोरी करने देना, छिपाने देना, नष्ट किया जाना या परिवर्तन किया जाना सहन करता हो,

(ऐसे प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के माध्यम से क्षतिपूर्ति भुगतान करने को वह दायी होगा।)

43–क, डाटा सुरक्षित रखने को असफलता के लिए प्रतिकर – जहॉ निगमित निकाय कम्प्यूटर तन्त्र में रक्षित, सव्यवहारिता या धारित कोई संवेदनशील व्यकितगत डाटा या सूचना जो निजता, नियन्त्रण या कियान्वयन से प्रथा तथा प्रकिया युक्तियुक्त सुरक्षित रखने तथा बनाये रखने में लापरवाह हैं तथा एतत् द्वारा किसी व्यक्ति का सदोष हानि या सदोष लाभ कारित करता हो, ऐसा निगमित निकाय ऐसे प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के माध्यम से क्षतिपूर्ति का भुगतान करने को दायी होगा।

65. कम्प्यूटर साधन कोड से छेडछाड– जो कोई कम्प्यूटर कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी कम्प्यूटर साधन कोड का रखा जाना या अनुरक्षित किया जाना तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अपेक्षित हो, जानबुझकर या साशय छिपाता हैं, नष्ट करता हैं या परिवर्तित करता हैं अथवा साशय या जानबुझकर किसी अन्य से छिपवाता हैं, नष्ट कराता हैं तो वह कारावास से जो, तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो लाख रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

66. कम्प्यूटर सम्बन्धित अपराध– यदि कोई व्यक्ति बेईमानीपूर्वक या कपटपूर्वक धारा 43 में निर्देशित कोई

कृत्य करता हो, वह कारावास के अवधि जो तीन वर्ष तक की हो सकती हैं या जुर्माना जो पॉच लाख रूपये तक हो सकता हैं या दोनो से दण्डनीय होगा।

66 क. संचार सेवा इत्यादि माध्यम से आपराधिक संदेश प्रेषित करने हेतु दण्ड– कोई व्यक्ति कम्प्यूटर तन्त्र या संचार उपकरण के साधनों द्वारा प्रेषित करता हैं,

(क) कोई सूचना जो कि पूर्णतः आपराधिक या धमकी युक्त हैं, या

(ख) कोई सूचना जिसका वह मिथ्या होना जानता हैं परन्तु खिसाने असुविधा करने, खतरा करने, बाधा डालने, अपमान करने, हानि करने, आपराधिक अभित्रास करने, दुश्मनी करने, द्वेषता फैलाने या दुर्भावनावश ऐसे कम्प्यूटर तन्त्र या संचार उपकरण का सारतः उपयोग करने द्वारा, या

(ग) खिसाने या असुविधा करने या प्रवंचना करने या प्रेक्षिती या ऐसे सन्देशों के उद्भव के बारे में ग्रहीता का दुर्वव्यदेशन करने के उद्धेश्य के लिए इलेक्ट्रोनिक मेल सन्देश,

66ख. चुराया हुआ कम्प्यूटर तन्त्र या कम्प्यूटर उपकरण– कपटपूर्वक प्राप्त करने के लिए दण्ड जो कोई कपटपूवर्क कोई चुराया हुआ कम्प्यूटर तन्त्र या संचार उपकरण जानते हुए या विश्वास होने का कारण रखते हुए प्राप्त करता या निधारिंत करता हैं, किसी भाँति का कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती हैं या जुमार्ना जो रूपये एक लाख तक हाक सकता हैं या दोनों से दण्डित होगा।

66 ग, अनन्यता चोरी के लिए दण्ड– जो कोई कपटपूवर्क या बेईमानीपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर पासवास या कोई अन्य विलक्षण पहचान विशेष उपयोग करता हैं, किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती हैं तथा जुर्माना भी, रूपये एक लाख तक हो सकेगा, से दण्डित होगा।

66 घ– कम्प्यूटर तन्त्र उपयोग करने द्वारा प्रतिरूपेण द्वारा छलने के लिए साधनों द्वारा प्रतिरूपण द्वारा छल करता हैं। किसी भॉति के कारावास जिसकी अवधि तीन वर्षों तक हो सकती हैं तथा जुर्माना का भी दायी होगा जो एक लाख रूपये तक विस्तारित हो सकता हैं, से दण्डित होगा।

66 ड. एकान्तता का उल्लंघन करने के लिए दण्ड– जो कोई आशयपूवर्क या जानते हुए कोई व्यक्ति नर या नारी की सहमति बिना, उस व्यक्ति की एकान्तता का उल्लंघन करने वाली परिस्थिति के अधीन, उसके एकान्तर क्षेत्र की तस्वीर लेता हैं, प्रकाशित करता हैं या प्रेषित करता हैं कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती हैं या जुमार्ना, दो लाख रूपये से अधिक नहीं या दोनों से अधिक नहीं या दोनों से दण्डित होगा।

66 च साइबर आंतकवाद का दण्ड– जो कोई–

(क) भारत की एकता, अखण्डता, सुरक्षा या सम्प्रुभता को धमकी देने के आशय से लोक या लोक के किसी भाग में आंतक एतत् द्वारा फैलता हैं–

(1) किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कम्प्यूटर तन्त्र तक पहुँच करने से इन्कार करता हैं या करने देता हैं, या

(2) कम्प्युटर तन्त्र अप्राधिकृत रूप से समझने या पहॅुच की कोशिश करना या प्राधिकृत पहॅुच का अतिउंल्लघन करना, या

(3) कोई कम्प्यूटर अपवित्र करने की कोशिश करना या करने देना, तथा ऐसे कार्य के साधनों द्वारा व्यक्तियों की मृत्यु कारित करना या सम्भाव्य होना या क्षतिकारित करना या सम्पत्ति की हानि या विनाश करना या तीतर–बीतर करना या जानते हुए कि समाज के जीवन हेतु आवश्यक सेवाएॅ या धारा 70 के तहत विनिर्दिष्ट समालोचक सूचना संसाधनों को प्रतिकूलता प्रभावित करती हैं, या

67.इलेक्ट्रोनिक प्ररूप में अश्लील सामग्री प्रकाशन करने या प्रेक्षण करने हेतु दण्ड–

जो कोई इलेक्टोनिक प्ररूप में कोई सामग्री प्रकाशित करता हो या प्रेषण करता है या प्रकाशित करने देता है जो कामुक या कामुक हित को आमन्त्रित करत है या जो इसका प्रभाव व्यक्तियो का नैतिक पतन या पथ भ्रष्ट करने की प्रवृति वाला है, जिनके द्वारा सभी सुसंगत परिस्थितियों के संबंध में इसमे वर्णित या सन्निविष्ट मामले को पढने , देखने या सुनने की संभावना हो, प्रथम दोष सिद्धि पर किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक विस्तारित हो सकती है तथा जुर्माना जिसक विस्तार पाँच लाख रूपये तक हो सकती हो किसी दशा में किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि पाँच वर्षो तक विस्तारित हो सकती है तथा जुर्माना भी जिसका विस्तार दस लाख रूपये तक हो सकता है दण्डित होगा।

67क. इलेक्टोनिक प्ररूप में लैंगिक संबंधी स्पष्ट कृत्य इत्यादि वर्णित सामग्री का प्रकाशन किये जाने या प्रेषण किये जाने के लिए दण्डित होगा– जो कोई इलेक्ट्रानिक प्रारूप में कोई सामग्री प्रकाशित करता है या प्रेषण करता है या प्रकाशित करने देता है या प्रेषण करने देता है जिसमें लिंग सम्बन्धी स्पष्ट कृत्य या आचरण वर्णित है प्रथम दोष सिद्ध पर किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक विस्तारित हो सकती है तथा जुर्माना जिसका विस्तार दस लाख रूपये तक हो सकता है तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धी पर किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि सात वर्ष तक विस्तारित हो सकती है तथा जुर्माना

भी जिसका विस्तार दस लाख रूपये तक हो सकता है, से दण्डित होगा।

67ख. इलेक्ट्रोनिक प्ररूप में बच्चों के लैंगिक प्रदर्शन कृत्य इत्यादि सामग्री का प्रकाशन किये जाने या प्रेषण किये जाने के लिए दण्ड–

(क) कोई इलेक्ट्रानिक प्ररूप में सामग्री प्रकाशित करता है या प्रेषण करता है या प्रकाशित करने देता है या प्रेषण करने देता है जो बच्चों को लैंगिक प्रदर्शन कृत्य या आचरण में नियुक्त वर्णन करता है; या

(ख) अश्लील या अभद्र या लैंगिक प्रदर्शन द्वारा बच्चों का वर्णन करते हुए किसी इलेक्ट्रानिक प्ररूप में मूल अंकीय चिन्हो का सृजन करता है, संग्रह करता है, प्राप्त करता है, तलाश करता है, डाउनलोड करता है, विज्ञापित करता है, उन्नयन करता है, आदान–प्रदान करता है या सामग्री वितरण करता है, या

(ग) बच्चों को एक या अधिक बच्चों के साथ ऑनलाईन सम्बन्ध बनाने को संवर्द्धन करता है, बहकाता है या उत्प्रेरित करता है तथा लैंगिक प्रदर्शन कृत्य द्वारा या तरीके में जिसमें युक्तियुक्त वयस्क को कम्प्यूटर तन्त्र परर अपराधी बना सकता है; या

(घ) बच्चों को ऑनलाईन दुष्प्रयोग सुविधाएँ प्रदान करता; या

(ड़) किसी इलेक्ट्रानिक प्ररूप में स्वयं का दुरूपयोग करना या बच्चों के साथ लैंगिक प्रदर्शन कृत्य के सम्बन्ध अन्य का अभिलेख करता है।

78 अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का 46) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जो इंसपैक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करेगा।

80 पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों की प्रवेश करने, तलाशी लेने, आदि की शक्ति– (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का 46) में किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, जो इंसपैक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा वहां पाए गए किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकेगा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या कर रहा है या करने वाला है।

इन्टरनेट

इन्टरनेट किसे कहते है ?

विश्व में अलग–अलग जगहो पर स्थित अलग–अलग कम्प्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क को तथा वाइड एरिया नेटवर्क को आपस में मकड़ी के जाल की तरह जोड़ने वाली प्रणाली को इन्टरनेट कहा जाता है।

☐ वेब ब्राउजर कौन–कौन से होते है ?

इन्टरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फॉयर फॉक्स व ओपेरा।

➢ **WWW** क्या है ?

इसका पूरा नाम वर्ड वाइड वेब है।यह किसी भी वेबसाइट का पता होता है। जिसमें सारी सूचनाओं का संग्रहण होता है। जिससे सारी सूचनाये प्राप्त कर सकते है।

➢**URL** क्या है ?

इसका पूरा नाम यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर है। यह एक किसी भी वेब पेज का पता होता है। जो सामान्यतः किसी भी वेबसाइट को खोलने पर एडरेस बार में प्रदर्शित होता है।

उदाहरण :– **WWW.facebook.com/login/php?**

➢ वेब पेज को प्रायोगिक तौर पर खोलना एवं जानकारी देना–

उदाहरण :– **WWW.google.co.in**

☐ ई–मेल किसे कहते है ?

ई–मेल पत्र व्यवहार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। ई–मेल भेजने व प्राप्त करने वाले दोनो ही व्यक्तियों के पास कम्प्यूटर व इन्टरनेट कनेक्शन होना आवश्यक है।

इन्टरनेट कनेक्शन के लिये वांछित हार्डवेयर इस प्रकार है– 1 कम्प्यूटर 2 मॉडेम 3 टेलिफोन कनेक्शन

➢ ई–मेल सुविधा सामान्यतः कौन–कौन सी वेबसाइट देती है?

गूगल की जी मेल,याहू की याहू, रेडिफ की रेडिफ मेल, **AOL mail**

☐ स्वयं के नाम की ई–मेल आईडी किस प्रकार बनाई जाती है ?

ई–मेल सुविधा का ईस्तेमाल करने के लिए यूजर को अकाउन्ट खोलना पड़ता है। इसके लिये पहले उस वेबसाईट को खोलना पड़ता है ।
(**WWW.Yahoo.com**) जहां यूजर खाता खोलना चाहता है, उसमें मेल के नाम से एक बटन होता है। जिसको क्लिक करने पर अगली साईट खुलेगी जहां न्यू यूजर बटन पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन फोर्म खुल जायेगा ओर उसमें चाही गयी सूचना भरने पर **E-Mail** अकाउन्ट तैयार हो जायेगा।

□ ई–मेल किस प्रकार भिजवाई जाती है?
सर्वप्रथम To के अन्दर भेजने वाले का ई–मेल पता टाइप करे, उक्त ई–मेल की कॉपी अगर किसी अन्य किसी ई–मेल पर भी भेजनी हो तो **C.C. /B.C.C** में ई–मेल टाईप पता टाइप करे। सम्बन्धित ई–मेल का विषय सब्जेक्ट कॉलम मे टाइप करे एवं निचे दिये गये मैसेज बॉक्स मे अपना मैसेज/लैटर अन्य लिखकर **Send** बटन द्वारा भिजवा दे।
सोशल साईट–वर्तमान में फेसबुक, वॉट्सएप, ट्वीटर, गुगल प्लस, ईन्टाग्राम, वाइबर, लाईन, स्काईप आदि।

सी0डी0आर0 का विश्लेषण।

CDR

□ Call Data Records (CDRs) are produced every time a user makes a call or send a text message or send a multimedia message
□ Contains:
□ Originating number (A-Number or Phone Number)
□ Terminating number (B-Number or called number)
□ Originating and terminating mobile equipment number
□ Length
□ Type of Service
□ Initial serving Base Station and even more

CDR File

▶Contains all the details corresponding to a particular mobile number for a fixed period.
▶The details incorporated in this CDR file are
▶cell number,
▶call type whether the call is incoming, outgoing,
▶whether the text message is sent, received,
▶IMEI number,
▶IMSI number,

▶call date, call time, call duration,
▶cell, cell last etc.

Tower CDR File

▶Tower CDR File refer to call evidence document corresponding to any tower used by any mobile number
▶Contains all the communication made using a particular tower.
▶The details incorporated in this CDR file are
▶Called number,
▶Calling number,
▶Call flow direction,
▶Id of the tower,
▶Duration etc

SDR File

▶SDR(Subscriber Data Record) file contains different details of the subscriber or customer.
▶Contains:
▶Mobile Number,
▶Permanent address,
▶Present address,
▶Customer name and other customer related details

Cell ID File

▶Cell ID File is maintained by different service provider to hold the tower related information.
▶The file contain information's like :
▶Location of the different tower available,
▶Latitude, Longitude,
▶Address of the located tower,
▶Tower ID in different formats like full CGI or part of the tower ID

Calling (A) Party	Called (B) Party	Date	Time	Duration	First Cell ID	Last Cell ID	Call Type	IMEI	IMSI
919819194961	919920641598	27-08-2014	06:52:53	900	404-20-11-34273	404-20-11-34273	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919920641598	27-08-2014	07:14:57	356	404-20-11-34273	404-20-11-34273	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	08:47:13	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	08:49:01	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	13:15:45	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	13:15:53	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	13:15:57	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	13:17:54	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	13:29:06	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	13:33:38	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	LM-HDFCSL	27-08-2014	19:33:33	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	918692842502	27-08-2014	20:00:52	92	404-20-11-34271	404-20-11-34271	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	20:08:21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SMS-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919920641598	27-08-2014	21:09:20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	21:13:09	0	404-20-11-30021	N/A	SMS-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	21:13:34	0	404-20-11-37591	N/A	SMS-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	21:23:53	0	404-20-11-37591	N/A	SMS-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076919702627590	27-08-2014	21:24:38	269	404-20-11-37591	404-20-11-30021	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	9930467773	27-08-2014	21:35:18	18	404-20-11-30021	404-20-11-30021	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919221299134	27-08-2014	21:36:09	82	404-20-11-37591	404-20-11-30021	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919702627596	27-08-2014	21:47:44	189	404-20-11-37591	404-20-11-30021	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919702627596	27-08-2014	22:19:58	66	404-20-11-30252	404-20-11-33441	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	7738015760	27-08-2014	22:21:53	51	404-20-11-30252	404-20-11-30252	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919702724492	27-08-2014	22:35:25	22	404-20-11-34271	404-20-11-34274	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919221919141	27-08-2014	22:45:49	8	404-20-11-34271	404-20-11-34271	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919920641598	27-08-2014	23:01:51	24	404-20-11-34273	404-20-11-34273	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076918692842500	27-08-2014	23:10:42	34	404-20-11-34271	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076918692842500	27-08-2014	23:13:21	125	404-20-11-34272	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076919702627590	27-08-2014	23:14:23	10	404-20-11-34272	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076919702627590	27-08-2014	23:15:01	79	404-20-11-34272	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264

Normal CDR

Calling (A) Party	Called (B) Party	Date	Time	Duration	First Cell ID	Last Cell ID	Call Type	IMEI	IMSI
919819194961	919920641598	27-08-2014	06:52:53	900	404-20-11-34273	404-20-11-34273	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	[illegible]	27-08-2014	07:14:57	356	404-20-11-34273	404-20-11-34273	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	[illegible]	27-08-2014	08:47:13	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	[illegible]	27-08-2014	08:49:01	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	[illegible]	27-08-2014	13:15:45	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	[illegible]	[illegible]	13:15:53	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	[illegible]	13:15:57	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	911240902779740	40420305264
919819194961	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	13:33:38	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	LM-HDFCSL	27-08-2014	19:33:33	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	918692842502	27-08-2014	20:00:52	92	404-20-11-34271	404-20-11-34271	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	20:08:21	0	404-20-19-30293	N/A	SMS-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919920641598	27-08-2014	21:09:20	145	404-20-11-37591	404-20-11-30021	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	21:13:09	0	404-20-11-30021	N/A	SMS-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	21:13:34	0	404-20-11-37591	N/A	SMS-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	21:23:53	0	404-20-11-37591	N/A	SMS-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076919702627590	27-08-2014	21:24:38	269	404-20-11-37591	404-20-11-30021	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	9930467773	27-08-2014	21:35:18	18	404-20-11-30021	404-20-11-30021	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919221299134	27-08-2014	21:36:09	82	404-20-11-37591	404-20-11-30021	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919702627596	27-08-2014	21:47:44	189	404-20-11-37591	404-20-11-30021	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919702627596	27-08-2014	22:19:58	66	404-20-11-30252	404-20-11-33441	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	7738015760	27-08-2014	22:21:53	51	404-20-11-30252	404-20-11-30252	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919702724492	27-08-2014	22:35:25	22	404-20-11-34271	404-20-11-34274	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919221919141	27-08-2014	22:45:49	8	404-20-11-34271	404-20-11-34271	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919920641598	27-08-2014	23:01:51	24	404-20-11-34273	404-20-11-34273	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076918692842500	27-08-2014	23:10:42	34	404-20-11-34271	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076918692842500	27-08-2014	23:13:21	125	404-20-11-34272	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076919702627590	27-08-2014	23:14:23	10	404-20-11-34272	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076919702627590	27-08-2014	23:15:01	79	404-20-11-34272	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264

CDR of Suspect / Accused

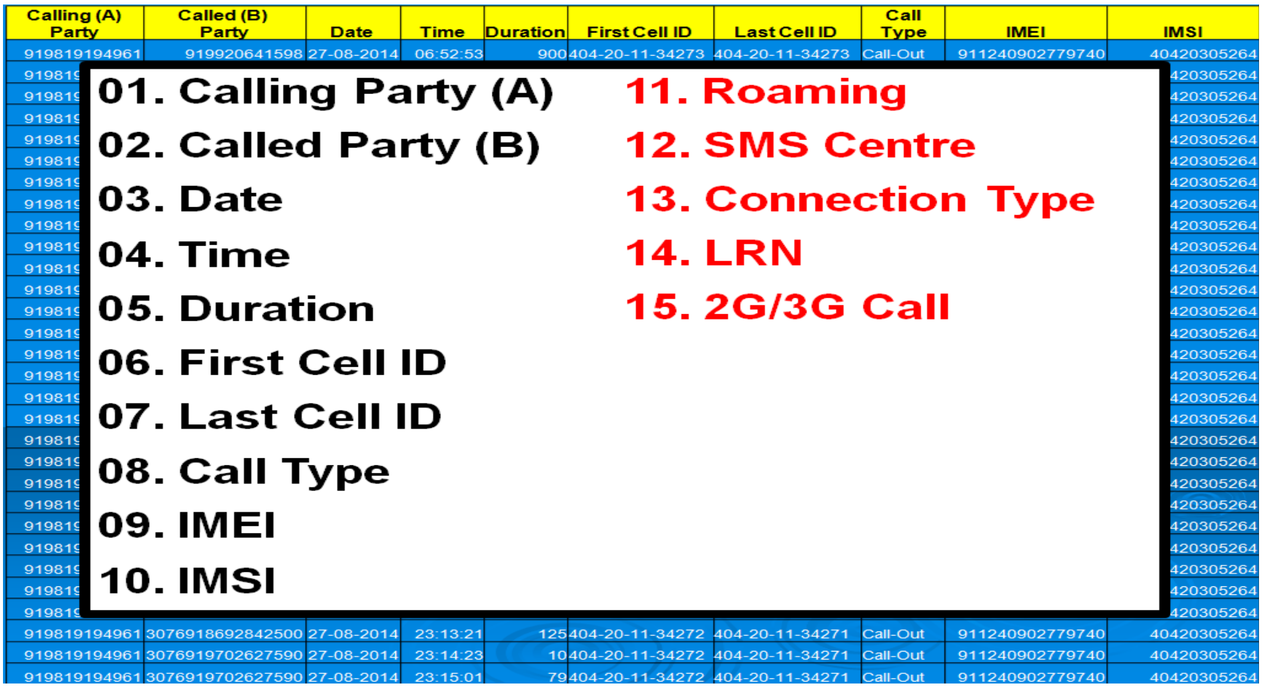

Calling (A) Party
Called (B) Party
Date
Time
Duration
First Cell ID
Last Cell ID
Call Type
IMEI
IMSI
01. Calling Party (A)
02. Called Party (B)
03. Date
04. Time
05. Duration
06. First Cell ID
07. Last Cell ID
08. Call Type
09. IMEI
10. IMSI
11. Roaming
12. SMS Centre
13. Connection Type
14. LRN
15. 2G/3G Call

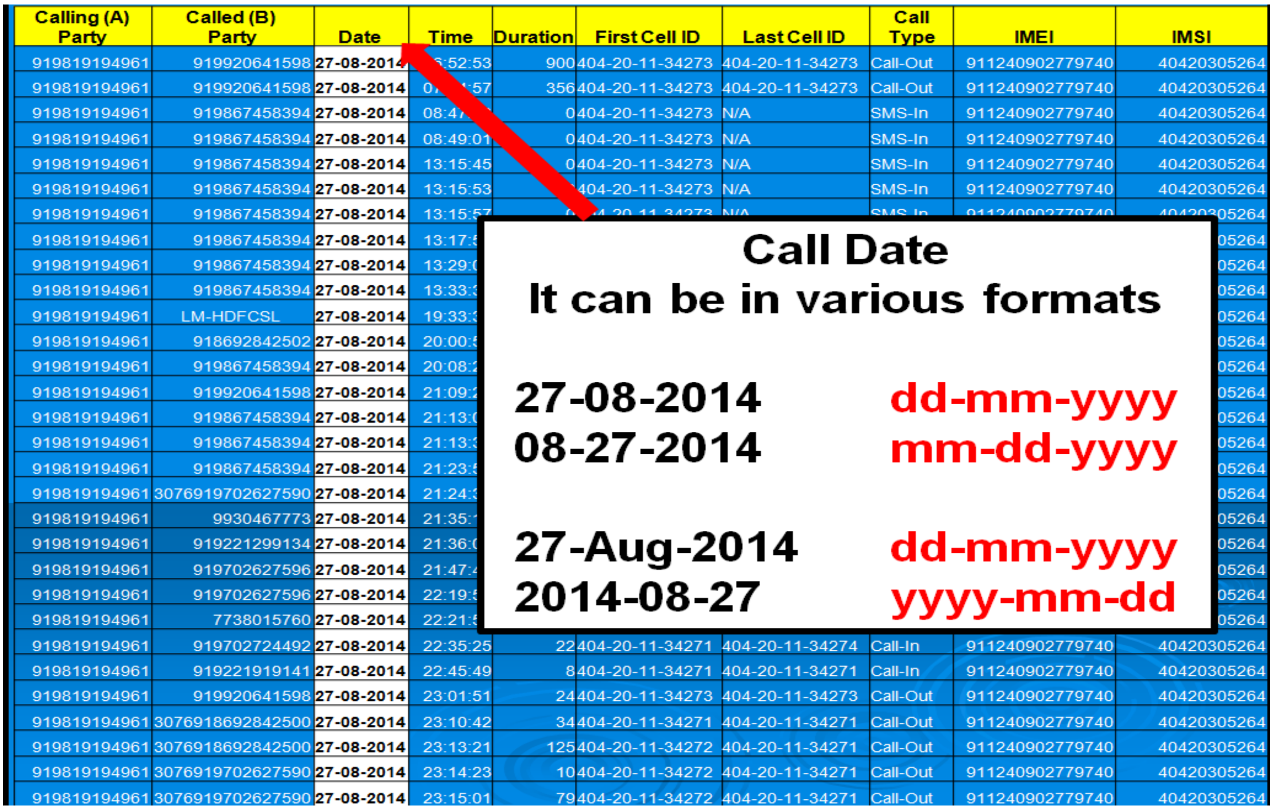

Calling (A) Party
Called (B) Party
Date
Time
Duration
First Cell ID
Last Cell ID
Call Type
IMEI
IMSI
Call Date
It can be in various formats
27-08-2014 dd-mm-yyyy
08-27-2014 mm-dd-yyyy
27-Aug-2014 dd-mm-yyyy
2014-08-27 yyyy-mm-dd

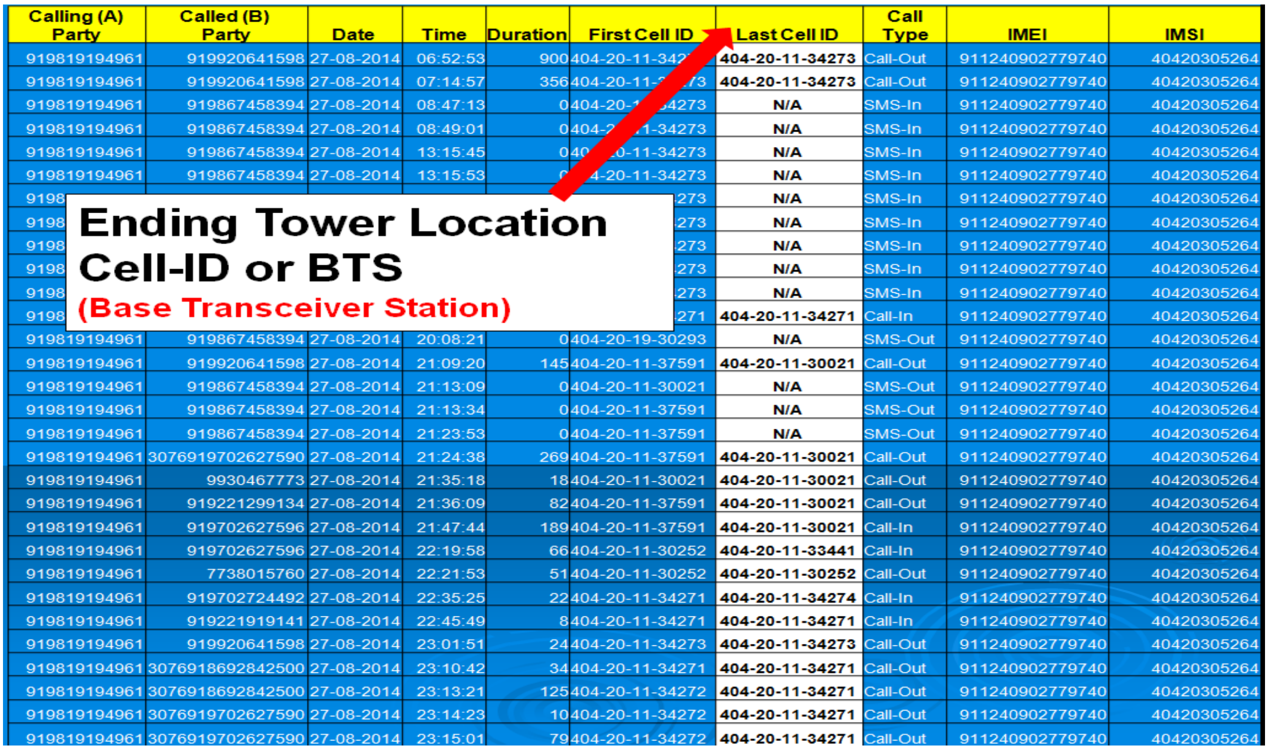

Calling (A) Party	Called (B) Party	Date	Time	Duration	First Cell ID	Last Cell ID	Call Type	IMEI	IMSI
919819194961	919920641598	27-08-2014	06:52:53	900	404-20-11-342	404-20-11-34273	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919920641598	27-08-2014	07:14:57	356	404-20-11- 73	404-20-11-34273	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	08:47:13	0	404-20- 4273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	08:49:01	0	404-2 1-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	13:15:45	0	40 0-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	13:15:53		4-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
9198					273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
9198					273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
9198					273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
9198					273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
9198					273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
9198					271	404-20-11-34271	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	20:08:21	0	404-20-19-30293	N/A	SMS-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919920641598	27-08-2014	21:09:20	145	404-20-11-37591	404-20-11-30021	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	21:13:09	0	404-20-11-30021	N/A	SMS-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	21:13:34	0	404-20-11-37591	N/A	SMS-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	21:23:53	0	404-20-11-37591	N/A	SMS-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076919702627590	27-08-2014	21:24:38	269	404-20-11-37591	404-20-11-30021	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	9930467773	27-08-2014	21:35:18	18	404-20-11-30021	404-20-11-30021	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919221299134	27-08-2014	21:36:09	82	404-20-11-37591	404-20-11-30021	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919702627596	27-08-2014	21:47:44	189	404-20-11-37591	404-20-11-30021	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919702627596	27-08-2014	22:19:58	66	404-20-11-30252	404-20-11-33441	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	7738015760	27-08-2014	22:21:53	51	404-20-11-30252	404-20-11-30252	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919702724492	27-08-2014	22:35:25	22	404-20-11-34271	404-20-11-34274	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919221919141	27-08-2014	22:45:49	8	404-20-11-34271	404-20-11-34271	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919920641598	27-08-2014	23:01:51	24	404-20-11-34273	404-20-11-34273	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076918692842500	27-08-2014	23:10:42	34	404-20-11-34271	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076918692842500	27-08-2014	23:13:21	125	404-20-11-34272	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076919702627590	27-08-2014	23:14:23	10	404-20-11-34272	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076919702627590	27-08-2014	23:15:01	79	404-20-11-34272	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264

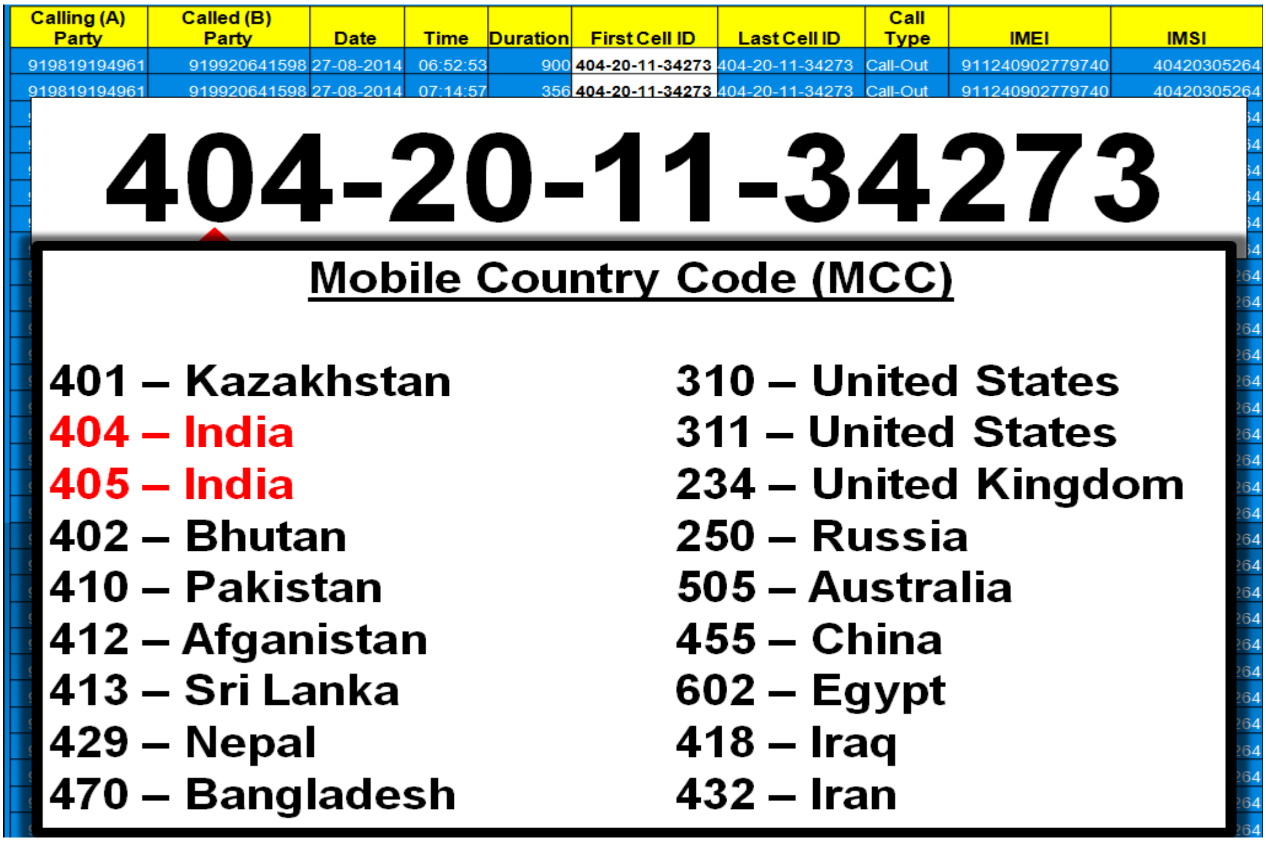

Calling (A) Party	Called (B) Party	Date	Time	Duration	First Cell ID	Last Cell ID	Call Type	IMEI	IMSI
919819194961	919920641598	27-08-2014	06:52:53	900	404-20-11-34273	404-20-11-34273	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919920641598	27-08-2014	07:14:57	356	404-20-11-34273	404-20-11-34273	Call-Out	911240902779740	40420305264

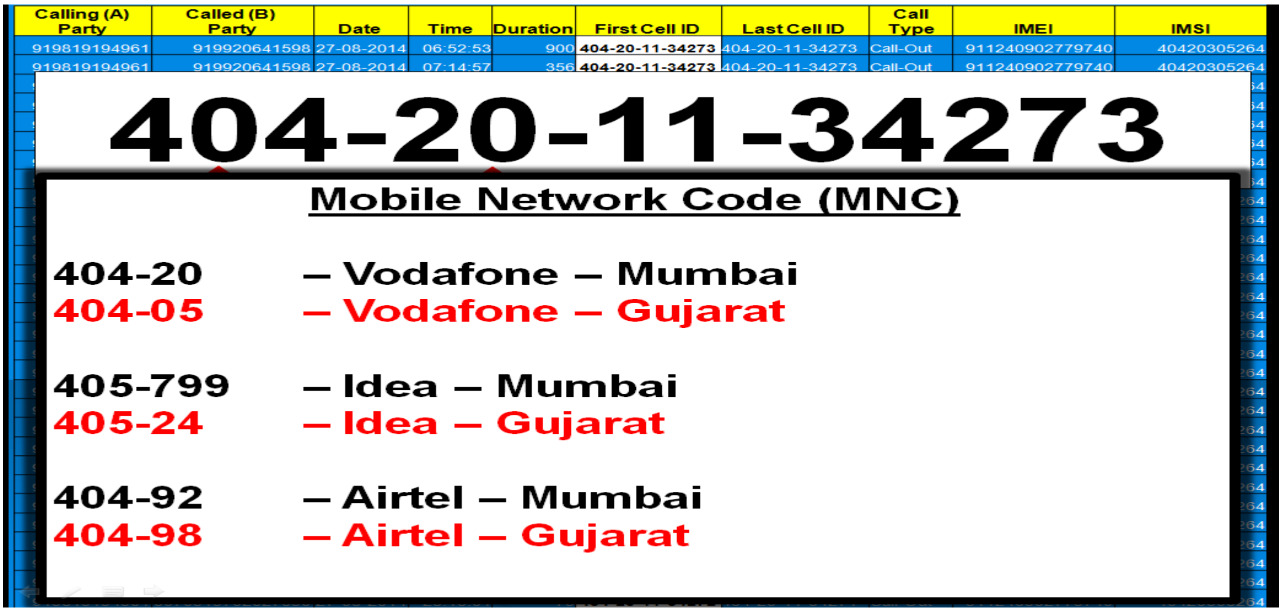
Calling (A) Party
Called (B) Party
Date
Time
Duration
First Cell ID
Last Cell ID
Call Type
IMEI
IMSI
919819194961 919920641598 27-08-2014 06:52:53 900 404-20-11-34273 404-20-11-34273 Call-Out 911240902779740 40420305264
919819194961 919920641598 27-08-2014 07:14:57 356 404-20-11-34273 404-20-11-34273 Call-Out 911240902779740 40420305264
404-20-11-34273
Mobile Network Code (MNC)
404-20 – Vodafone – Mumbai
404-05 – Vodafone – Gujarat
405-799 – Idea – Mumbai
405-24 – Idea – Gujarat
404-92 – Airtel – Mumbai
404-98 – Airtel – Gujarat

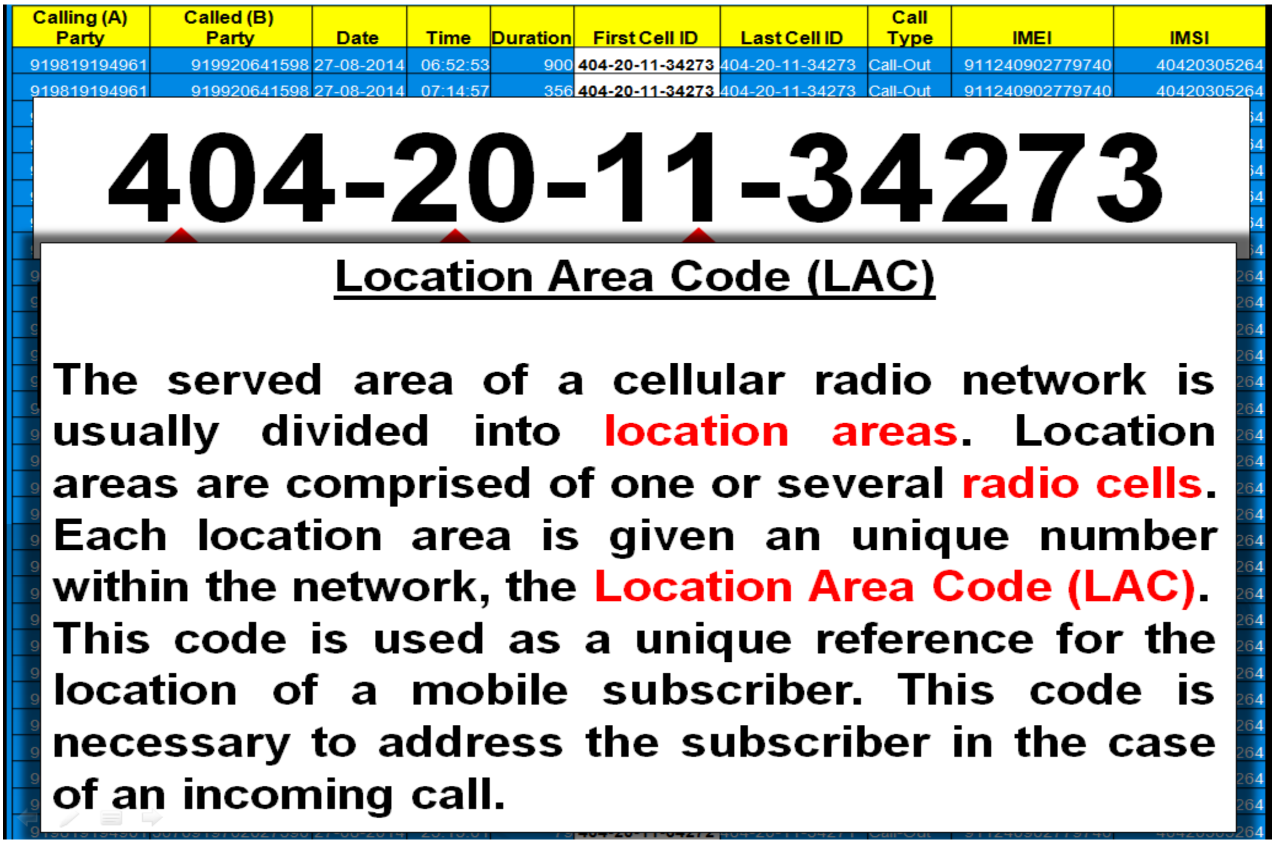
Calling (A) Party
Called (B) Party
Date
Time
Duration
First Cell ID
Last Cell ID
Call Type
IMEI
IMSI
919819194961 919920641598 27-08-2014 06:52:53 900 404-20-11-34273 404-20-11-34273 Call-Out 911240902779740 40420305264
919819194961 919920641598 27-08-2014 07:14:57 356 404-20-11-34273 404-20-11-34273 Call-Out 911240902779740 40420305264
404-20-11-34273
Location Area Code (LAC)
The served area of a cellular radio network is usually divided into location areas. Location areas are comprised of one or several radio cells. Each location area is given an unique number within the network, the Location Area Code (LAC). This code is used as a unique reference for the location of a mobile subscriber. This code is necessary to address the subscriber in the case of an incoming call.

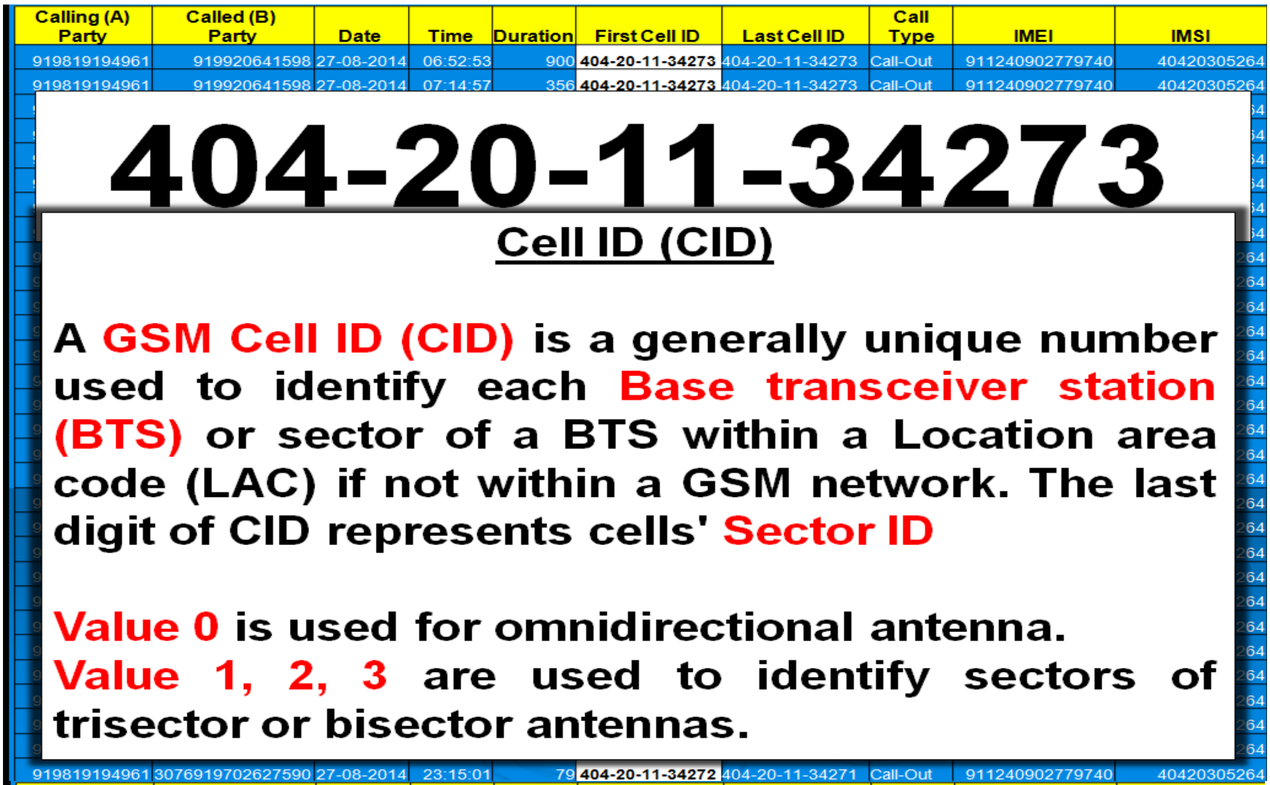
Calling (A) Party
Called (B) Party
Date
Time
Duration
First Cell ID
Last Cell ID
Call Type
IMEI
IMSI
404-20-11-34273
Cell ID (CID)
A GSM Cell ID (CID) is a generally unique number used to identify each Base transceiver station (BTS) or sector of a BTS within a Location area code (LAC) if not within a GSM network. The last digit of CID represents cells' Sector ID
Value 0 is used for omnidirectional antenna.
Value 1, 2, 3 are used to identify sectors of trisector or bisector antennas.

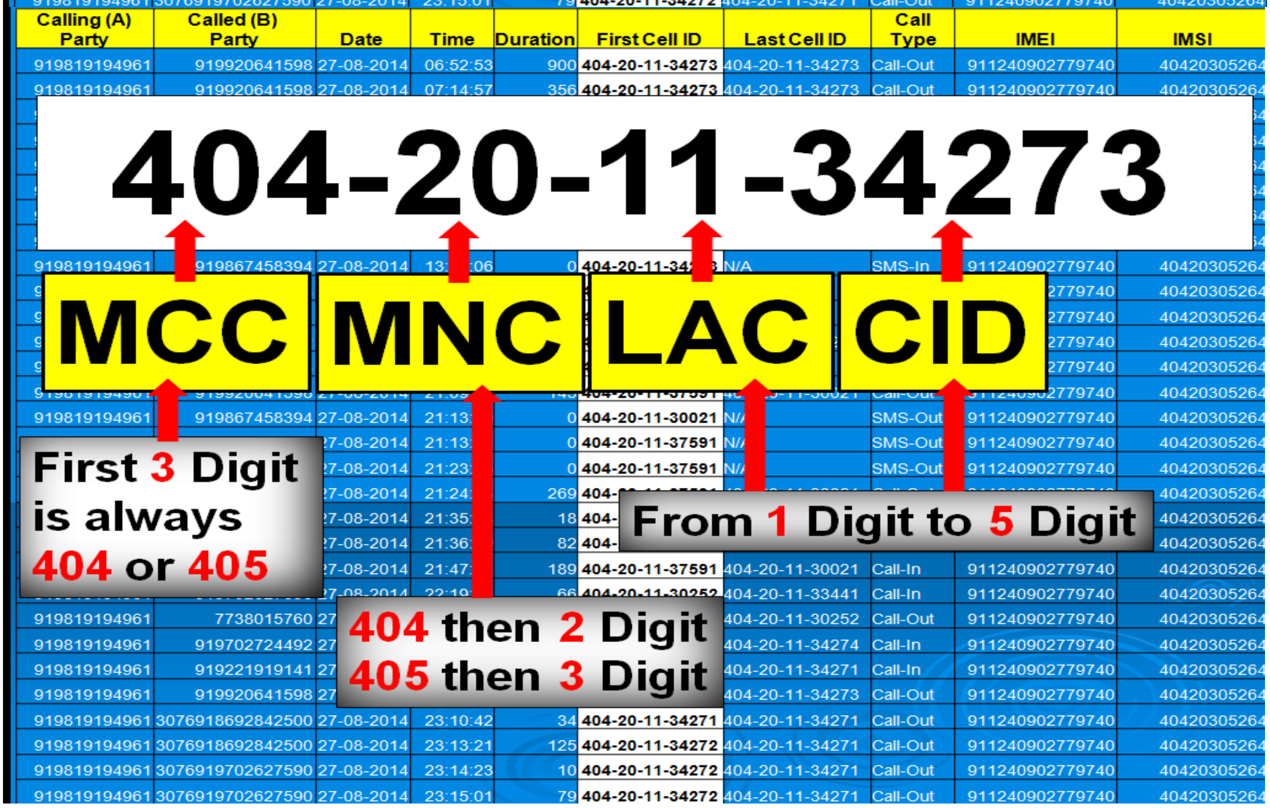
Calling (A) Party
Called (B) Party
Date
Time
Duration
First Cell ID
Last Cell ID
Call Type
IMEI
IMSI
404-20-11-34273
MCC
MNC
LAC
CID
First 3 Digit is always 404 or 405
404 then 2 Digit
405 then 3 Digit
From 1 Digit to 5 Digit

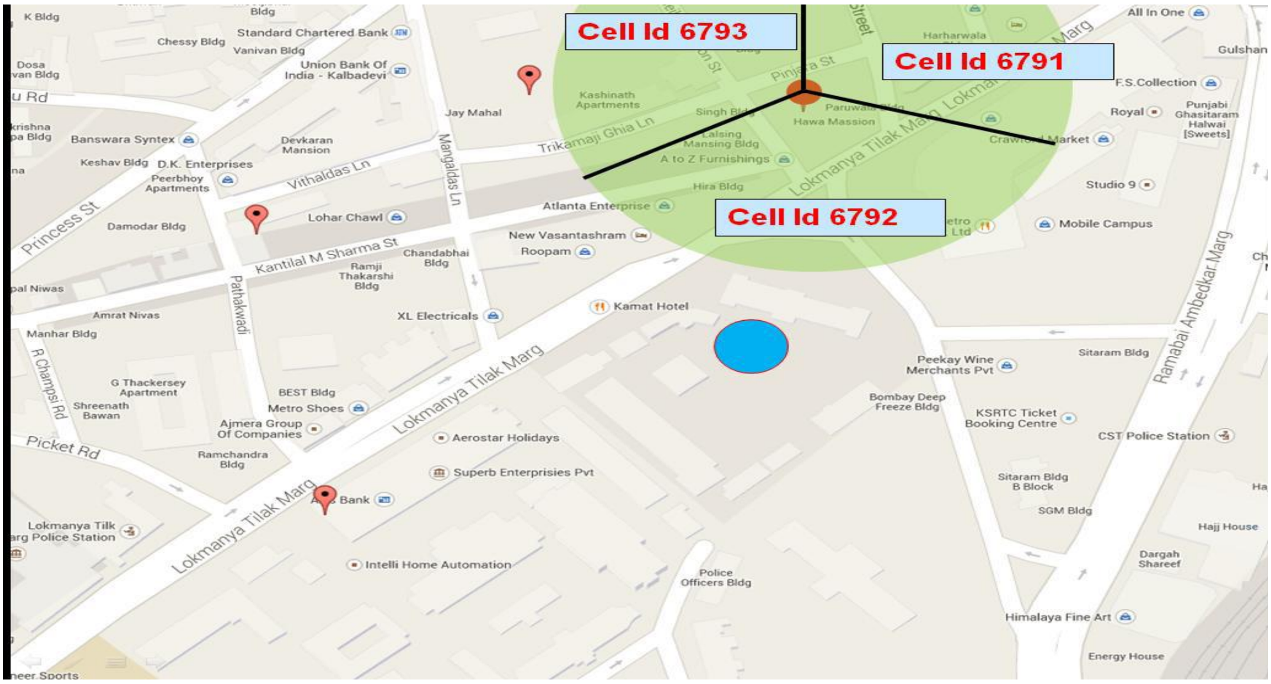

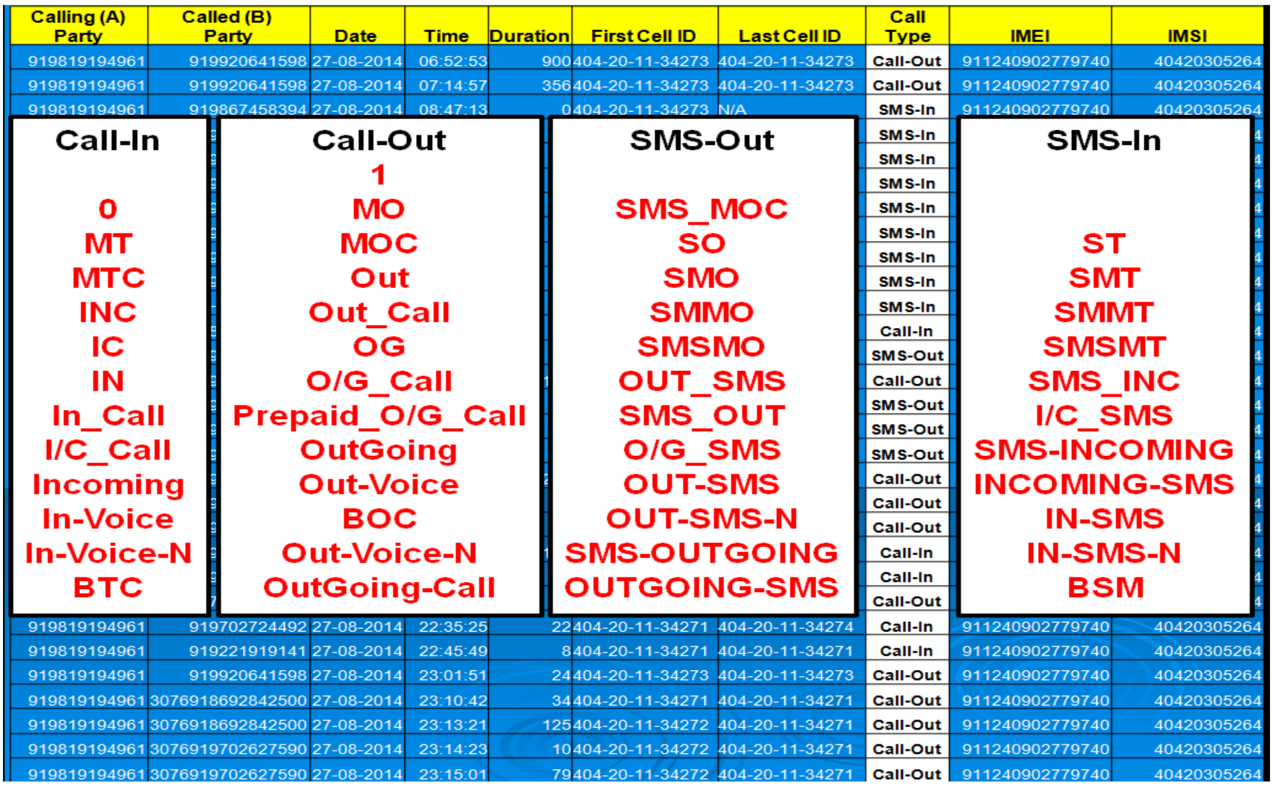

Calling (A) Party	Called (B) Party	Date	Time	Duration	First Cell ID	Last Cell ID	Call Type	IMEI	IMSI
919819194961	919920641598	27-08-2014	06:52:53	900	404-20-11-34273	404-20-11-34273	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919920641598	27-08-2014	07:14:57	356	404-20-11-34273	404-20-11-34273	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	919867458394	27-08-2014	08:47:13	0	404-20-11-34273	N/A	SMS-In	911240902779740	40420305264
							SMS-In		
							SMS-In		
							SMS-In		
							SMS-In		
							SMS-In		
							SMS-In		
							SMS-In		
							SMS-In		
							Call-In		
							SMS-Out		
							Call-Out		
							SMS-Out		
							SMS-Out		
							SMS-Out		
							Call-Out		
							Call-Out		
							Call-Out		
							Call-In		
							Call-In		
							Call-Out		
919819194961	919702724492	27-08-2014	22:35:25	22	404-20-11-34271	404-20-11-34274	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919221919141	27-08-2014	22:45:49	8	404-20-11-34271	404-20-11-34271	Call-In	911240902779740	40420305264
919819194961	919920641598	27-08-2014	23:01:51	24	404-20-11-34273	404-20-11-34273	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076918692842500	27-08-2014	23:10:42	34	404-20-11-34271	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076918692842500	27-08-2014	23:13:21	125	404-20-11-34272	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076919702627590	27-08-2014	23:14:23	10	404-20-11-34272	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264
919819194961	3076919702627590	27-08-2014	23:15:01	79	404-20-11-34272	404-20-11-34271	Call-Out	911240902779740	40420305264

Calling (A) Party
Called (B) Party
Date
Time
Duration
First Cell ID
Last Cell ID
Call Type
IMEI
IMSI
International Mobile Equipment Identity
14 or 15 Digit Code
First 8 Digit is called Type Allocation Code (TAC)
Handset Manufacturer
NOKIA
Nokia Corporation
Model: 6610
FCC ID: XX-XXXX
IC: XX-XXXX
CODE: 1234567
123456/78/901234/7
MADE IN FINLAND

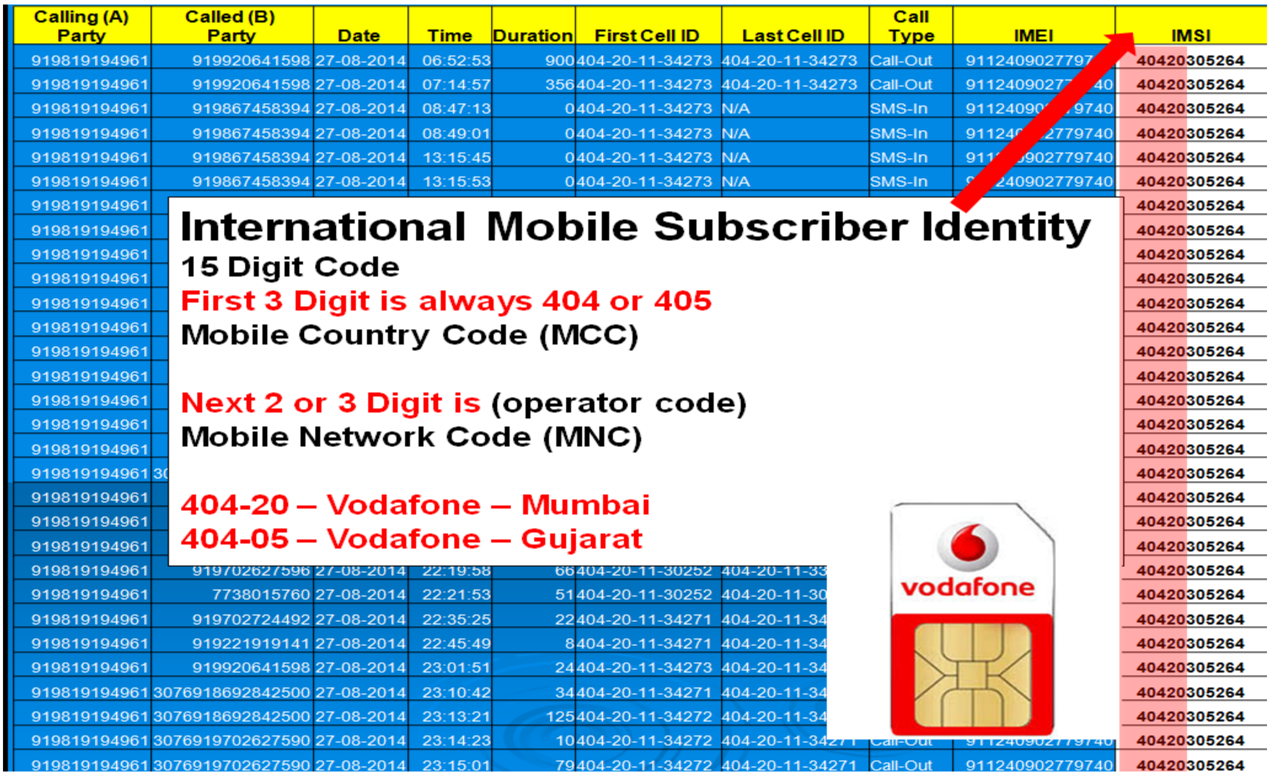
Calling (A) Party
Called (B) Party
Date
Time
Duration
First Cell ID
Last Cell ID
Call Type
IMEI
IMSI
International Mobile Subscriber Identity
15 Digit Code
First 3 Digit is always 404 or 405
Mobile Country Code (MCC)
Next 2 or 3 Digit is (operator code)
Mobile Network Code (MNC)
404-20 – Vodafone – Mumbai
404-05 – Vodafone – Gujarat
vodafone

32. एन0डी0पी0एस0 एक्ट व एक्साईज एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही।

एनडीपीएस एक्ट 1985 के महत्वपूर्ण प्रावधान

एनडीपीएस एक्ट 1985 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को दो भागों में बांटा जा सकता है :–

1. प्रक्रियागत प्रावधान
2. अपराध व दण्ड सम्बंधी प्रावधान

प्रक्रियागत प्रावधान

एनडीपीएस एक्ट के तहत सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान प्रक्रियागत प्रावधान है। इन्हीं महत्वपूर्ण प्रावधानों की पालना करने से मुलजिम को सजा दिलाई जा सकती है तथा इन प्रावधानों की पालना नहीं होने से मुलजिम को फायदा मिलने के पूर्ण सम्भावना रहती है। अतः इन प्रक्रियागत प्रावधानों की जानकारी होना तथा इनकी नियमानुसार पालना किया जाना नितान्त आवश्यक है। महत्वपूर्ण प्रक्रियागत प्रावधान इस प्रकार हैः–

1. धारा 41 एनडीपीएस एक्ट
2. धारा 42 एनडीपीएस एक्ट
3. धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट
4. धारा 43 एनडीपीएस एक्ट
5. धारा 50 एनडीपीएस एक्ट
6. धारा 52 एनडीपीएस एक्ट – गिरफ्तारसुदा व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताना।
7. धारा 55 एनडीपीएस एक्ट
8. धारा 57 एनडीपीएस एक्ट

धारा 41 एनडीपीएस एक्ट :

- ❖ जब किसी पुलिस अधिकारी को किसी मकान, भवन या किसी बन्द स्थान पर कोई मादक पदार्थ होने की सूचना है तो ऐसा पुलिस अधिकारी किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक से उस स्थान की तलाशी लेने हेतु वारण्ट जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा तथा प्रार्थना पत्र में तलाशी लिये जाने के कारणों को अंकित करेगा।
- ❖ पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर उक्त प्राधिकारी किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी वारण्ट जारी कर तलाशी लेने हेतु प्राधिकृत कर सकते है।

धारा 42 एनडीपीएस एक्ट :

- ❖ यदि पुलिस अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि वारण्ट लिये जाने में विलम्ब हो सकता है तथा मादक पदार्थ खुर्द – बुर्द किये जाने की सम्भावना है तो कारण प्रदर्शित करते हुए तलाशी ले सकता है।
- ❖ ऐसे स्थान की तलाशी में कोई मादक पदार्थ बरामद होते हैं तो वह पुलिस अधिकारी उन्हें नियमानुसार अभिग्रहित कर सकेगा।
- ❖ ऐसे स्थान की तलाशी के दौरान कोई व्यक्ति पाया जावे जिसके कब्जे में उक्त मादक पदार्थ होना पाया गया है उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

धारा 43 एनडीपीएस एक्ट

- ❖ धारा 43 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी लोक स्थान में ऐसे किसी व्यक्ति को डिटेन कर तलाशी ले सकता है जिसके पास मादक पदार्थ होने की सूचना हो। यदि उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ मिलता है तो वह उस मादक पदार्थ को नियमानुसार अपने कब्जे में लेकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

धारा 42 (2) एनडीपीएस एक्ट

- ❖ जब किसी थानाधिकारी को अवैध मादक पदार्थो के बारे में सूचना मिलती है तो वह प्राप्त सूचना को रोजानामचा में अंकित करेगा तथा प्राप्त सूचना की प्रति अपने अव्यवहित उच्च अधिकारी को भेजेगा।
- ❖ यह सूचना 72 घण्टे में भिजवाई जानी चाहिए।

- ❖ यदि सूचना थाने से बाहर मिलती है तो थानाधिकारी उस सूचना को एक कागज पर लिखेगा तथा उसकी प्रति नियमानुसार भेजेगा।
- ❖ सूचना 72 घण्टे में भेजी जा सकती है किन्तु प्रकरण की सफलता के लिए यह सूचना तुरन्त विशेष वाहक द्वारा भिजवाई जानी चाहिए।
- ❖ सूचना लेकर जाने वाले विशेष वाहक की रोजनामचा में रवानगी करनी चाहिए।
- ❖ भेजी जाने वाली सूचना पर डिस्पेच नम्बर अंकित कर डिस्पेच रजिस्टर में प्रविष्टि कर पत्र वाहक के हस्ताक्षर करवाने चाहिए।
- ❖ जब पत्रवाहक पत्र देकर वापस आये तो रोजनामचा में वापसी कर सम्पूर्ण हालात अंकित करने चाहिए।
- ❖ सूचना ले जाने वाले विशेष वाहक को गवाह सूची में रखना चाहिए।
- ❖ प्राप्ति रसीद को भी पत्रावली पर रखना चाहिए।

धारा 50 एनडीपीएस एक्ट

- ❖ जब किसी व्यक्ति को मादक पदार्थ की सूचना पर डिटेन किया जाता है तो इस धारा के तहत उस व्यक्ति को तलाशी लेने वाला अधिकारी तुरन्त किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास ले जावेगा या मजिस्टेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष उस व्यक्ति की तलाशी लेगा।
- ❖ जब तक कोई मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं होता है या उस व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास नहीं ले जाया जाता उस व्यक्ति को तब तक डिटेन रखा जा सकता है।
- ❖ इस धारा के तहत किसी स्त्री की तलाशी केवल महिला के द्वारा ही ली जावेगी।
- ❖ यदि किसी कारण से डिटेनशुदा व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास नहीं ले जाया जा सकता या कोई मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो तलाशी लेने वाला अधिकारी उस व्यक्ति को 50 का नोटिस देकर स्वयं तलाशी ले सकता है तथा उक्त कारणों की सूचना 72 घण्टे के अन्दर अपने उच्चाधिकारियों को देगा।
- ❖ यह धारा केवल किसी व्यक्ति की जामा तलाशी में ही लागू होती है। किसी मकान, वाहन आदि की तलाशी में धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होतें है।
- ❖ यदि आकस्मिक चैकिंग के दौरान कोई मादक पदार्थ बरामद होते हैं तो धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होते है अर्थात् यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति के पास मादक पदार्थ होने की पूर्व सूचना है तो ही उस व्यक्ति की तलाशी के सम्बंध में ये प्रावधान लागू होंगे।
- ❖ यह धारा केवल किसी व्यक्ति की जामा तलाशी में ही लागू होती है। किसी मकान, वाहन आदि की तलाशी में धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होतें है।
- ❖ यदि आकस्मिक चैकिंग के दौरान कोई मादक पदार्थ बरामद होते हैं तो धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होते है अर्थात् यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति के पास मादक पदार्थ होने की पूर्व सूचना है तो ही उस व्यक्ति की तलाशी के संबंध में ये प्रावधान लागू होंगे।
- ❖ यदि मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी रेड पार्टी का सदस्य है तो उसके समक्ष ली गई तलाशी इस धारा की अनुपालना नहीं मानी जावेगी।
- ❖ यदि व्यक्ति की तलाशी इस धारा के तहत ली गई है और धारा 50 का नोटिस लिखित में दिया गया है तो वक्त गिरफ्तारी धारा 50 नोटिस की प्रति उस व्यक्ति की जामा तलाशी में मिलना एक अच्छी साक्ष्य होगी।
- ❖ धारा 50 का नोटिस दो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में दिया जाना चाहिए।

धारा 55 एनडीपीएस एक्ट

- ❖ जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई मादक पदार्थ जब्त किये जाते हैं तो वह पुलिस अधिकारी जब्तशुदा मादक पदार्थों को इस धारा के तहत पुलिस थाने में सुरक्षित रखवाएगा।
- ❖ इस प्रक्रिया के तहत जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा थाने के मालखाना प्रभारी को लिखित में एक नोटिस देगा जिस पर जब्त की गई समस्त वस्तुओं का विवरण अंकित होगा।

- ❖ मालखाना प्रभारी जब्तशुदा मादक पदार्थों को थाने की सील से पुनः सील मोहर कर मालखाना रजिस्टर में उसकी प्रविष्टी कर माल को सुरक्षित रखेगा।
- ❖ जब माल को पुनः सील किया जावेगा तो उसकी एक फर्द पृथक से बनाई जावेगी तथा उस समय जिस अधिकारी के पास थाने का चार्ज है वह उस फर्द पर अपने हस्ताक्षर करेगा। साथ ही पुनः सील की कार्यवाही पर भी अपने हस्ताक्षर करेगा।
- ❖ जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा मालखाना प्रभारी को जो नोटिस दिया जावेगा उस पर मालखाना प्रभारी द्वारा मालखाना रजिस्टर में की गई प्रविष्टि का क्रमांक अंकित करेगा तथा अपनी रिपोर्ट उस नोटिस पर लिखेगा।
- ❖ मालखाना से नमूना सेम्पल 48 घण्टे के अन्दर रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल भेजे जाने चाहिए।
- ❖ मालखाना रजिस्टर में माल रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल भेजे जाने व माल जमा करवाकर वाहक के वापस आने की प्रविष्टी करने सहित संपूर्ण प्रविष्टियां करने के पश्चात् मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि को शामिल फाईल किया जाना चाहिए।
- ❖ मालखाना प्रभारी तथा माल जमा कराने वाले वाहक को गवाह सूची में अवश्य रखना चाहिए।

<u>धारा 57 एनडीपीएस एक्ट</u>

- ❖ जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तथा उसके कब्जे से मादक पदार्थ जब्त करता है तो वह संपूर्ण कार्यवाही की सूचना 48 घण्टे में अपने अव्यवहित अधिकारी को भेजेगा।
- ❖ सूचना लेकर जाने वाले विशेष वाहक की रोजनामचा में रवानगी करनी चाहिए।
- ❖ भेजी जाने वाली सूचना पर डिस्पेच नम्बर अंकित कर डिस्पेच रजिस्टर में प्रविष्टि कर पत्र वाहक के हस्ताक्षर करवाने चाहिए।
- ❖ जब पत्रवाहक पत्र देकर वापस आये तो रोजनामचा में वापसी कर संपूर्ण हालात अंकित करने चाहिए।
- ❖ सूचना ले जाने वाले विशेष वाहक को गवाह सूची में रखना चाहिए।
- ❖ प्राप्ति रसीद को भी पत्रावली पर रखना चाहिए।

<u>अपराध व दण्ड संबंधी प्रावधान</u>

1. धारा 15 एनडीपीएस एक्ट
2. धारा 18 एनडीपीएस एक्ट
3. धारा 19 एनडीपीएस एक्ट
4. धारा 20 एनडीपीएस एक्ट
5. धारा 21 एनडीपीएस एक्ट
6. धारा 24 एनडीपीएस एक्ट
7. धारा 25 एनडीपीएस एक्ट
8. धारा 26 एनडीपीएस एक्ट
9. धारा 27 एनडीपीएस एक्ट
10. धारा 27(a) एनडीपीएस एक्ट
1. धारा 29 एनडीपीएस एक्ट
2. धारा 30 एनडीपीएस एक्ट
3. धारा 31(a) एनडीपीएस एक्ट
4. धारा 32 (a) एनडीपीएस एक्ट
5. धारा 36 (a) (4) एनडीपीएस एक्ट
6. धारा 37 एनडीपीएस एक्ट

अपराध व दण्ड सम्बंधी प्रावधान

- ❖ एनडीपीएस एक्ट में अपराध व दण्ड संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। सन् 2001 में एनडीपीएस एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जिसमें मादक पदार्थों को तीन श्रेणियों में बांटा गया :–
  1. अल्प मात्रा
  2. अल्प मात्रा व वाणिज्यिक मात्रा के मध्य की मात्रा (मध्यम मात्रा)
  3. वाणिज्यिक मात्रा
- ❖ नये संशोधनों के तहत धारा 36 (a) एनडीपीएस एक्ट के तहत अल्प मात्रा से संबंधित मामलों का विचारण किसी भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है।
- ❖ धारा 36 एनडीपीएस एक्ट के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा मध्यम मात्रा तथा वाणिज्यिक मात्रा के मामलों का विचारण किया जावेगा।
- ❖ धारा 36 (a) (4) के तहत अल्प मात्रा के अपराधों के अपराधों के लिए अनुसंधान पूर्ण करने की अवधि 60 दिन होगी। मध्यम मात्रा के अपराधों के लिए अनुसंधान पूर्ण करने की अवधि 90 दिन तथा वाणिज्यिक मात्रा के अपराध तथा धारा 19, 24 तथा 27 (a) के अपराधों के लिए यह अवधि 180 दिन की होगी तथा यह अवधि कारण प्रदर्शित करते हुए एक साल तक के लिए बढाई जा सकती है।
- ❖ धारा 36 एनडीपीएस एक्ट के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा मध्यम मात्रा तथा वाणिज्यिक मात्रा के मामलों का विचारण किया जावेगा।
- ❖ धारा 36 (a) (4) के तहत अल्प मात्रा के अपराधों के अपराधों के लिए अनुसंधान पूर्ण करने की अवधि 60 दिन होगी। मध्यम मात्रा के अपराधों के लिए अनुसंधान पूर्ण करने की अवधि 90 दिन तथा वाणिज्यिक मात्रा के अपराध तथा धारा 19, 24 तथा 27 (a) के अपराधों के लिए यह अवधि 180 दिन की होगी तथा यह अवधि कारण प्रदर्शित करते हुए एक साल तक के लिए बढाई जा सकती है।

धारा 15 एनडीपीएस एक्ट

- ❖ धारा 15 के अन्तर्गत पोस्त तृण या डोडा चूरा के अवैध परिवहन, क्रय, विक्रय, कब्जा आदि के लिए दण्ड का प्रावधान है। पोस्त तृण या डोडा चूरा के लिए अल्प मात्रा 1 किलोग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 50 किलोग्राम है।
- ❖ अल्प मात्रा के लिए दण्ड :– 6 माह तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनो
- ❖ मध्यम मात्रा के लिए दण्ड :– 10 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माना
- ❖ वाणिज्यिक मात्रा के लिए दण्ड :– 10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 18 एनडीपीएस एक्ट

- ❖ धारा 18 के अन्तर्गत अफीम के अवैध परिवहन, क्रय, विक्रय, कब्जा आदि के लिए दण्ड का प्रावधान है। अफीम के लिए अल्प मात्रा 25 ग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 2.5 किलोग्राम है।
- ❖ अल्प मात्रा के लिए दण्ड :– 6 माह तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनो
- ❖ मध्यम मात्रा के लिए दण्ड :– 10 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माना
- ❖ वाणिज्यिक मात्रा के लिए दण्ड :– 10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 19 एनडीपीएस एक्ट

- ❖ इस धारा के तहत यदि किसी खेतिहर या किसान द्वारा, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अफीम की खेती का लाइसेन्स दिया गया है, उत्पादित अफीम का गबन करता है या उसका अवैध व्ययन करता है तो उसे 10 से 20 वर्ष तक के कारावास तथा 2 लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 20 एनडीपीएस एक्ट

- ❖ धारा 20 के अन्तर्गत गांजा, चरस, हशीश आदि के अवैध परिवहन, क्रय, विक्रय, कब्जा आदि के लिए दण्ड का प्रावधान है।

- चरस, हशीश आदि के लिए अल्प मात्रा 100 ग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 1 किलोग्राम है।
- गांजा के लिए अल्प मात्रा 1 किलोग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 20 किलोग्राम है।
- अल्प मात्रा के लिए दण्ड :– 6 माह तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनो
- मध्यम मात्रा के लिए दण्ड :– 10 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माना
- वाणिज्यिक मात्रा के लिए दण्ड :– 10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 21 एनडीपीएस एक्ट

- धारा 21 के अन्तर्गत स्मैक, हेरोइन आदि विनिर्मित मादक पदार्थों के अवैध परिवहन, क्रय, विक्रय, कब्जा आदि के लिए दण्ड का प्रावधान है। स्मैक, हेरोइन आदि विनिर्मित पदार्थो के लिए अल्प मात्रा 5 ग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम है।
- अल्प मात्रा के लिए दण्ड :– 6 माह तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनो
- मध्यम मात्रा के लिए दण्ड :– 10 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माना
- वाणिज्यिक मात्रा के लिए दण्ड :– 10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 24 एनडीपीएस एक्ट

- धारा 24 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के स्वापक औषधियों का भारत से बाहर आयात निर्यात करेगा वह 10 से 20 साल तक के कारावास तथा 2 लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 25 एनडीपीएस एक्ट

- धारा 25 के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने किसी परिसर का उपयोग इस अधिनियम के तहत दण्डित किसी अपराध को करने के लिए करता है या सहयोग करता है तो वह उसी अपराध के दण्ड से दण्डित किया जावेगा।

धारा 26 एनडीपीएस एक्ट

- धारा 26 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत यदि किसी लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है वह तीन वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जावेगा।

धारा 27 एनडीपीएस एक्ट

धारा 27 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत मादक पदार्थों के उपयोग के लिए दण्ड का प्रावधान है। इस धारा के तहत

- यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोकिन, मार्फिन आदि अधिसूचित पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास तथा बीस हजार रुपये तक के कारावास या दोनो से दण्डित किया जावेगा।
- अन्य मादक पदार्थों के उपयोग के लिए 6 माह तक के कारावास तथा दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जावेगा।

धारा 27(a) एनडीपीएस एक्ट

- धारा 27 (a) एनडीपीएस के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए वित्तिय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है या ऐसे व्यापार का वित्त पोषण किया जाता है तथा अवैध व्यापार में लिप्त अपराधियों को संश्रय दिया जाता है तो वह 10 से 20 वर्ष तक के कारावास तथा 2 लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा। यह जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 29 एनडीपीएस एक्ट

- धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के तहत किसी भी मादक पदार्थ के अवैध व्यापार का दुष्प्रेरण करता है या आपराधिक षडयन्त्र का पक्षकार बनता है तो वह उस अपराध के लिए निर्धारित दण्ड से दण्डित किया जावेगा।

धारा 30 एनडीपीएस एक्ट

- ❖ धारा 30 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में किये जाने वाले अपराधों या धारा 19, 24 तथा 27 ;द्ध में दण्डित अपराधों के किये जाने की तैयारी करता है या अपराध को किए जाने का प्रयास करता है तो वह उस अपराध के दण्ड के आधे दण्ड से दण्डित किया जावेगा।

धारा 31 (a) एनडीपीएस एक्ट

- ❖ इस धारा के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में किये जाने वाले अपराधों या धारा 19, 24 तथा 27 ;द्ध में दण्डित अपराधों में पूर्व में दोषसिद्ध किया गया हो तथा पुनः इस प्रकार के लिए दोषी पाया जावे तो उसे मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है।

धारा 32 (a) एनडीपीएस एक्ट

- ❖ इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए किसी भी दण्डादेश का निलंबन या परिहार या लघुकरण नहीं होगा। अर्थात् यदि इस अधिनियम के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को उसके अपराध के लिए दण्डित किया गया है तो किसी भी परिस्थिति में उस दण्ड को कम नहीं किया जा सकता है।

धारा 37 एनडीपीएस एक्ट

- ❖ धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।

मादक पदार्थ की जब्ती के संबंध में चैक लिस्ट

1. मुखबिर से प्राप्त सूचना की रोजनामचा में प्रविष्टि करना
2. धारा 42 (2) एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना लेखबद्ध करना
3. थाने के डिस्पेच रजिस्टर में पत्र डिस्पेच कर डिस्पेच नं. अंकित करना।
4. धारा 42 (2) एन.डी.पी.एस. एक्ट में सूचना देने हेतु कानिस्टेबल की रवानगी।
5. कार्यवाही हेतु एस.एच.ओ. की रवानगी मय पर्याप्त जाब्ता मय अनुसंधान बॉक्स।
6. मौके पर पहूंच कर संदिग्ध को डिटेन करना।
7. तलाशी हेतु स्वतन्त्र गवाह तलब करना (हुक्मनामा)।
8. यथा संभव गवाह स्थानीय होने चाहिए।
9. गवाह उपलब्ध होने पर लिखित में सहमति लेना।
10. सहमति लेने के पश्चात गवाहान की नियुक्ति करना।
11. संदिग्ध को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस देना।
12. संदिग्ध से लिखित में अभिमत प्राप्त करना(सेकंड कॉपी पर)।
13. मौके पर राजपत्रित अधिकारी को बुलाना/नोट सहमति।
14. राजपत्रित अधिकारी के मौके पर पहूंचने पर हालात बताना व गवाहान तथा संदिग्ध के बारे में जानकारी देना।
15. स्वंय की व गवाहान की तलाशी लिवाना (संदिग्ध से)।
16. संदिग्ध को चैक करना/ 50 एन.डी.पी.एस. के नोटिस को जामा तलाशी से जप्त करना।
17. बरामद मादक पदार्थ को चैक कर मादक पदार्थ की पहचान करना।
18. बरामद मादक पदार्थ का तौल करना।
19. मादक पदार्थ को सील करना।
20. मुलजिम को गिरफ्तारी के आधारों से अवगत करवा कर गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी तैयार करना।
21. फर्द गिरफतारी में 50 एनडीपीएस के नोंटिस की मूल प्रति को जब्त करना।
22. मौके पर नमूना सील की फर्द तैयार करना।
23. मौके से मय कागजात मय मुलजिम मय आर्टिकल रवानगी।

24. थाने पर वापसी की रोजनामचा में विस्तृत विवरण सहित प्रविष्टि।
25. धारा 42 (2) एनडीपीएस की सूचना देने गए कानि. की वापसी करना।
26. माल को धारा 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मालखाने में जमा करना।
27. माल को पुनः सील मोहर करना।
28. मुलजिम को बन्द हवालात कर गिरफ्तारी रजिस्टर में प्रविष्टि।
29. एफआईआर व एसआर चाक करना।
30. धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना लेखबद्ध करना।
31. थाने के डिस्पेच रजिस्टर में पत्र डिस्पेच कर पत्र पर डिस्पेच नं. अंकित करना।
32. धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना देने हेतु कानि. की रवानगी करना।
33. अनुसंधान हेतु थानाधिकारी को रेडियोग्राम भेजना।
34. माल एफएसएल भेजने हेतु अग्रेषण पत्र तैयार करना।
35. 48 घण्टे के अन्दर माल परिक्षण हेतु एफएसएल भेजना।
36. धारा 57 एनडीपीएस की सूचना देने गए कानि की वापसी करना।
37. थाने के वाहन की लोग बुक तैयार कर प्रति शामिल करना।
38. मालखाना रजिस्टर की प्रति शामिल करना।
39. रोजनामचा आम में कार्यवाही के संबंध में डाली गई रपटों की प्रति शामिल करना।
40. श्रीमान सीओ साहब के वाहन की लोग बुक की प्रति शामिल करना।

फर्द तल्बी गवाहवान

ओर से,
थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जिला जयपुर शहर (दक्षिण)

वास्तेः—
श्री धूकल राम कानि0 545,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जिला जयपुर शहर (दक्षिण)

दिनांकः— 19.11.09 समय 9.55 ए.एम.
कैम्पः— पानीपेच तिराहा, सीकर रोड़, जयपुर।
विषयः— स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको आदेश दिया जाता है कि आज दिनांक 19.11.04 को मन एस.एच.ओ. को प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ को डिटेन किया गया है। उक्त इकराम खाँ की तलाशी ली जानी है। अतः आप आस—पास से दो स्वतंत्र गवाह तलाश कर प्रस्तुत करें।

एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

कानि0 रिपोर्टः—

महोदय आदेश की पालना में आस—पास स्वतन्त्र गवाह तलाश किये गए। (1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी मकान नं. 213 नेहरू नगर व (2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा गवाह बनने के लिए तैयार है। जिन्हें हमराह लेकर आया हूँ। गवाहान मय रिपोर्ट के प्रस्तुत है।

श्री धूकल राम
कानि0 545 समय 10.05एएम

फर्द मामूरी गवाहान/फर्द सहमति गवाहान

ओर से,
थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जिला जयपुर शहर (दक्षिण)

वास्तेः—
(1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर
(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा

दिनांकः— 19.11.09
समयः— 9.55 ए.एम.
विषयः— गवाह बनने की सहमति देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि मन एस.एच.ओ. को प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ को डिटेन किया गया है। उक्त इकराम खाँ की तलाशी ली जानी है। यदि आप उक्त कार्यवाही में गवाह बनने के लिए सहमत हों तो कृपया अपनी सहमती लिखित में प्रदान करने की कृपा करें।

एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

(1) मैं गवाह बनने को सहमत हूँ— हस्ता0 रतनाराम
(2) मैं गवाह बनने को सहमत हूँ— हस्ता0 महेश कुमार

श्री रतना राम व श्री महेश कुमार ने उक्त कार्यवाही में गवाह बनने हेतु अपनी सहमति लिखित में प्रदान की है। अतः श्री रतना राम व श्री महेश कुमार को गवाह नियुक्त किया जाता है।

नोटिस अन्तर्गत धारा 50 एनडीपीएस एक्ट

ओर से,
थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जिला जयपुर शहर (दक्षिण)

वास्तेः–
श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ
जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी
अकलेरा,जिला झालावाड

दिनाकः– 19.11.09 समयः– 9.55 ए.एम.
विषयः– नोटिस अन्तर्गत धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट।
स्वतंत्र गवाहानः–

(1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर, जयपुर।
(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष आप श्री इकराम खाँ को सूचित किया जाता है कि मन एस.एच.ओ. के मुखबिर से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि आपके पास अवैध मादक पदार्थ स्मैक है। इस हेतु आपकी तलाशी ली जानी है।एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 के अन्तर्गत आपको अधिकार है कि आप अपनी तलाशी किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते हैं। इस संबंध में आप अपना अभिमत लिखित में प्रदान करें।

sd रतना राम sd महेश कुमार

sd इकराम खाँ

एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

श्रीमान में अपनी तलाशी किसी भी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देने के लिए सहमत हूँ।

sd इकराम खा

Verified by
एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

sd रतना राम

sd महेश कुमार

फर्द जामा तलाशी गवाहान व थानाधिकारी

मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत सूचना दी जाकर मौके पर श्रीमान सी.ओ. साहब कोतवाली को बुलाया गया है। मौके पर श्रीमान सी.ओ. साहब कोतवाली व गवाहान श्री रतना राम व महेश कुमार भी उपस्थित हैं।

मन एस.एच.ओ. ने व दोनों गवाहान श्री रतना राम व महेश कुमार ने अपनी–अपनी तलाशी श्री इकराम खाँ को श्री मान सी.ओ. साहब कोतवाली की मौजूदगी में दी। सभी के बदन पर पहने हुए कपड़े व दैनिक उपयोग की वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नहीं हुई है। श्री इकराम खाँ तलाशी से पूर्ण रूप से संतुष्ट है।

sd श्रीमान सी.ओ. साहब कोतवाली

sd इकराम खाँ, आरोपी

sd रतना राम, गवाह 1

sd महेश कुमार, गवाह 2

एस.एस.ओ.
थाना शास्त्रीनगर
दिनांक 19.11.09
समयः– 11.00 ए.एम.

रेडियोग्राम

प्रेषितिः— श्रीमान सी.ओ. साहब, कोतवाली, जयपुर शहर (दक्षिण)
सूचनार्थः— श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (दक्षिण)
प्रेषकः— थानाधिकारी थाना शास्त्रीनगर, जयपुर शहर (दक्षिण)

————————————————————————————————

महोदय,

आज दिनांक 19.11.09 को प्रातः 9.30 पर प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर पानीपेच तिराहे पर श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ को डीटेन किया गया है। श्री इकराम खाँ ने धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना पर किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी देने की सहमति प्रदान की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि बतौर राजपत्रित अधिकारी यथाशीघ्र मौके पर पधारने की कृपा करें।

————————————————————————————————

THI 10.20 A.M.
QSL 10.25 A.M.

फर्द नमुना सील बसिलसिले कार्यवाही धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना शास्त्रीनगर, जयपुर शहर (दक्षिण) दिनांक 19.11.09 समय 12.15 पी.एम. कैम्प पानीपैच तिराहा, सीकर रोड़, जयपुर।

विषयः— नोटिस अन्तर्गत धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट।

रूबरू गवाहानः—

(1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर, जयपुर।
(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष श्री श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड के कब्जे से बरामद स्मैक के पैकेट मार्क “A” “B” “C” में सील्ड मोहर किया गया है। उक्त पैकेट जिस सील से शील्ड मोहर किए गए हैं उनका नमूना इस प्रकार है।

नमूना सीलः—

Θ Θ Θ

फर्द नियमानुसार तैयार की जाकर पढ़कर सुनाई गई। सुन समझ सही मानकर सभी संबंधित व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए।

sd इकराम खाँ, आरोपी
sd रतना राम, गवाह 1
sd महेश कुमार, गवाह 2

sd श्रीमान सी.ओ. साहब कोतवाली
एस.एस.ओ.
थाना शास्त्रीनगर

ओर से,
थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जिला जयपुर शहर (दक्षिण)

वास्तेः–
श्री सुल्तान सिंह हे0 कानि0 15,
एच.एम. मालखाना
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जिला जयपुर शहर (दक्षिण)

दिनांकः– 19.11.09 समय 1.20 ए.एम.
कैम्पः– थाना शास्त्रीनगर, जयपुर।
विषयः– धारा 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत माल मालखाने में जमा करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आज दिनांक 19.11.04 को मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की गई। सीलिंग की कार्यवाही इस प्रकार की गई हैः–

मार्क A ⟶ 20 ग्राम स्मैक बतौर कन्ट्रोल सैम्पल
मार्क B ⟶ 20 ग्राम स्मैक बतौर नमूना सैम्पल
माक ' C ⟶ 460 ग्राम स्मैक बतौर वजह सबूत

उक्त तीनों शील्डशुदा पैकिटों को जमा मालखाना कर रिपोर्ट करें।

एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

महोदय,

पैकिट मार्क "A" "B" "C" को थाने की सील में पुनः सील मोहर कर मालखाना में जमा कर दिया गया है। मालखाना रजिस्टर में आर्टिकल नं. 724/118 पर इसका इन्द्राज कर लिया गया है। मालखाना रजिस्टर की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है।
संलग्नः– सत्य प्रतिलिपि
मालखाना रजिस्टर

sd
सुल्तान सिंह एच.एम.
मालखाना थाना
शास्त्रीनगर, जयपुर।

फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ बसिलसिले कार्यवाही धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना शास्त्रीनगर जिला जयपुर शहर (दक्षिण) दिनांक 19.11.09 समय 12.10 पी.एम. केम्प पानीपेच तिराहा सीकर रोड़ जयपुर।

रूबरू गवाहानः–

(1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर, जयपुर।
(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष श्री मन एस.एच.ओ. धीरज वर्मा ने अपना परिचय देते हुए इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ बसिलसिले कार्यवाही धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत नियामानुसार गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी ली गई तो पूर्व में बरामद शुदा मादक पदार्थ के अतिरिक्त पहने हुए कपड़ों व दैनिक उपयाग की वस्तुओं के अलावा पहनी हुई पैंट की जेब से नोटिस 50 एनडीपीएस एक्ट की मूल प्रति प्राप्त हुई जिसे शामिल कागजात किया गया।

1. नोटः— मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना मुलजिम द्वारा बताये गये मोबाईल नं 9887297786 पर उसके भाई मोहसिन खाँ को दी गई।
2. नोटः— वक्त गिरफ्तारी मुलजिम के शरीर पर जाहीराना तौर पर कोई चोट नजर नहीं आ रही है। मुलजिम ने भी कोई चोट नहीं आना बताया।
3. हुलियाः— कद करीब 5 फुट 8 इंच, रंग गेहूंआ, काले रंग की जर्सी, बादामी पैंट तथा क्रीम कलर का शर्ट पहने हुए है। गहरी भौंहे तथा दाढी मूँछें हैं। ‡ गुदा रखा है।

फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढकर सुनाई। सुन सही मान हस्ताक्षर किये।

sd श्रीमान सी.ओ. साहब sd इकराम खाँ, sd रतना राम, sd महेश कुमार,

एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

फर्द चैकिंग एवं जब्ती अवैध मादक पदार्थ स्मैक बकब्जे मुलजिम इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ बसिलसिले कार्यवाही धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना शास्त्रीनगर जिला जयपुर शहर (दक्षिण) दिनांक 19.11.09 समय 12.30 पी.एम. केम्प पानीपेच तिराहा सीकर रोड़ जयपुर

रूबरू गवाहानः—
(1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर, जयपुर।
(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन एस.एच.ओ. धीरज वर्मा मय जाब्ता श्री कैलाश चन्द्र स0उ0नि0, श्री धूकलराम कानि0 545, श्री किशनलाल कानि0 1045, श्री रूपाराम कानि0 1145, श्री हरिसिंह कानि0 160 मय जीप सरकारी मय चालक श्री सीताराम कानि0 848 के थाने से 9.40 ए.एम. पर रवाना होकर मुताबिक सूचना मुखबिर पानीपेच तिराहा समय 9.50 ए.एम. पहुँचा जहां मुखबिर द्वारा बताऐ गये हुलिए का व्यक्ति नजर आया जो पुलिस गाड़ी को देखकर अपनी उपस्थिति छुपाने का प्रयास करने लगा जिसे डिटेन कर यथास्थिति खड़े रहने की हिदायत देते हुए नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ का होना बताया। उक्त व्यक्ति से इस प्रकार जयपुर में घूमने तथा बैग में रखी वस्तुओं के संबंध में जानकारी चाही गई तो कोई संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं दिया तथा घबराहट से पसीने आने लगे। डिटेनशुदा इकराम खाँ के इस प्रकार के व्यवहार तथा मुखबिर की सूचना में काफी समानता नजर आ रही है। अतः सूचना की तस्दीक कर व इकराम खाँ की तलाशी लेने हेतु स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु समय 9.55 ए.एम. पर श्री धूंकलराम कानि 545 को हुकुम नाम देकर गवाह तलब करने हेतु भेजा गया जो समय 10.05 ए.एम पर मय गवाहान श्री रतना राम व श्री महेश

कुमार के वापस आया तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हुकुमनामा शामिल कागजात किया गया। समय 10.10 ए.एम. पर दोनों गवाहान से लिखित में सहमति प्राप्त कर गवाह नियुक्त किया गया। फर्द तैयार कर शामिल कागजात की गई। समय 10.15 ए.एम. पर इकराम खाँ को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत नोटिस देकर उसके के अधिकारों से अवगत कराया गया कि ''आप अपनी तलाशी किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते हैं।'' इस पर इकराम खाँ ने लिखित में किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष देने के लिए सहमति प्रदान की। फर्द तैयार कर शामिल कागजात की गई। चूँकि इकराम खाँ ने लिखित में किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष देने के लिए सहमति दी है अतः बतौर राजपत्रित अधिकारी मौके पर पधारने हेतु सरकारी जीप नं. आर.जे. 14 सी.सी. 9726 में लगे वायरलेस सेट से श्रीमान सी.ओ. साहब, कोतवाली को रेडियाग्राम दिया गया। रेडियोग्राम की प्रति शामिल कागजात की गई। समय 10.55 ए.एम. पर श्रीमान सी.ओ. साहब कोतवाली मौके पर पधारे जिन्हें समस्त हालात से अवगत कराया गया। गवाहान से परिचय करवाया गया।। डिटेनशुदा इकराम खां से परिचय करवाया गया। इकराम खां को अवगत करवाया गया कि श्रीमान सी.ओ. साहब राजपत्रित अधिकारी हैं। आपने किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी देने के लिए सहमति प्रदान की। तत् पश्चात मन एस.एच.ओ. व गवाहान ने अपनी तलाशी इकराम खां को सी.ओ. साहब की मौजूदगी में दी तो अलावा पहने हुए कपड़ों व दैनिक उपयोग की चीजों के अतिरिक्त अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु इस्तयाब नहीं हुई। फर्द तैयार कर शामिल कागजात की गई। स्वयं की व गवाहान की तलाशी देने के पश्चात मन एस.एच.ओ ने गवाहान व श्रीमान सी.ओ साहब की मोजूदगी में इकराम खाँ को चैक किया तो पहनी हुई पैंट की जेब से नोटिस 50 एनडीपीएस एक्ट की मूल प्रति प्राप्त हुई जिसे शामिल कागजात किया गया। इसके पश्चात बदन की तलाशी ली गई तो दाहिने हाथ के कंधे में लटके हुए काले रंग के बैग को चैक करने पर एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली मिली। जिसे खोलकर देखा तो भूरे रंग का पाउडर मिला जिसे सूंघा, परखा चैक किया तो मादक पदार्थ स्मैक होना पाया गया। इकराम खाँ ने भी स्मैक होना बताया। इकराम खाँ से उक्त पदार्थ अपने कब्जे में रखने बाबत लाइसेंस मांगा तो कोई वैध लाइसेंस होना नहीं बताया। इस प्रकार उक्त इकराम खां द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक अपने कब्जे में रखना धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से इकराम खां के पास मिली अवैध मादक पदार्थ स्मैक का हमराह लाए गए अनुसंधान बॉक्स में रखे तराजू से तौल किया गया तो मय बारदाना 540 ग्राम तथा शुद्ध वनज 500 ग्राम हुआ। उक्त स्मैक में से 20–20 ग्राम के दो सैम्पल बतौर नमूना सैम्पल व कंन्ट्रोल सैम्पल निकाले जाकर छोटी पारदर्शी थैलियों में पृथक–पृथक सील मोहर कर क्रमशः मार्क A व B दिया गया। शेष 460 ग्राम स्मैक को पृथक से पारदर्शी थैली में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क C दिया गया। इकराम खां को जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया। मौके पर फर्द नमूना सील तैयार की गई। मन एस.एच.ओ. मय जाब्ता मय गिरफ्तारशुदा मुलजिम इकराम खां मय जब्तशुदा आर्टिकल मार्क A, B व C के वापस थाना रवाना हुआ। वापसी थाना पर नम्बर पर मुकदमा दर्ज करवाया जावेगा।

नमूना सीलः–

Θ Θ Θ

फर्द चैकिंग व जब्ती नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढकर सुनाई। सुन सही मानकर हस्ताक्षर किए।

s/d श्रीमान सी.ओ. साहब s/d इकराम खाँ, s/d रतना राम, s/d महेश कुमार,

एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

थाना शास्त्रीनगर जिला जयपुर शहर (दक्षिण)
दिनांकः— 19.11.09 समयः— 1.15. पी.एम.

कार्यवाही पुलिसः— इस समय मन एस.एच.ओ. मय जाब्ता मय गिरफ्तारशुदा मुलजिम इकराम खां मय जब्तशुदा आर्टिकल पैकेट मार्क A B व C के वापस थाना आया। वापसी पर मुलजिम इकराम खां को बन्द हवालात कर सुपुर्द पहरा सन्तरी किया गया। जब्तशुदा आर्टिकल पैकेट मार्क A B व C को धारा 55 एन. डी.पी.एस. एक्ट के तहत थाने की सील से पुनः सील मोहर कर जमा मालखाना किया गया। मुकदमा नम्बर 427/09 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में कायम कर अनुसंधान निर्देशानुसार श्री राम सिंह थानाधिकारी थाना संजय सर्किल को सुपुर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर व एस.आर. नियमानुसार जारी की गई।

एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना, शास्त्री नगर, जयपुर शहर(दक्षिण)
क्रमांक :— दिनांक :—
सेवा में,
श्रीमान वृत्ताधिकारी महोदय,
वृत्त कोतवाली,
जिला— जयपुर शहर (दक्षिण),

विषय :— सूचना अन्तर्गत धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट।

महोदय,
उपर्युक्त विषयान्तर्गत श्रीमान से सादर निवेदन है कि आज दिनांक 19.11.09 को मन् एस.एच.ओ. को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति पानी पेच चौराहा पर खड़ा है तथा उसके पास स्मैक हो सकती है। यह व्यक्ति स्मैक की डीलिंग करने आया है। इस सम्बन्ध में श्रीमान को पूर्व में धारी 42(2) एन.डी.पी. एस. एक्ट के तहत सूचना दी जा चुकी है। उक्त इतला पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ, जाति— मुसलमान, उम्र—27 साल, निवासी— अकलेरा, जिला—झालावाड़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की गई। उक्त कार्यवाही के आधार पर इकराम खाँ के विरुद्ध थाना हाजा पर मु.नं. 427/09 धारा 8/21 एन.डी.पी. एस. एक्ट में कायम कर अनुसंधान श्री राम सिंह थानाधिकारी थाना संजय सर्किल द्वारा किया जा रहा है। सूचना अन्तर्गत धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की श्रीमान की सेवा में अवलोकन व मार्ग दर्शन हेतु प्रस्तुत है।

थाना प्रभारी,
शास्त्री नगर,
जयपुर शहर, (दक्षिण)

प्रतिलिपि :— श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर, (दक्षिण)

एक्साईज एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही।

आबकारी अधिनियम 1950

धारा 16 राज्य सरकारी की अनुमति के बिना किसी प्रकार की आबकारी योग्स वस्तुओं का निर्माण करना व कब्जे में रखना निषिध है। हैम्प (भांग) के पौधे की खेती करना निषेध है।
उपरोक्त अपराध करने पर धारा 54 के तहत दण्डित होगा।

धारा 19 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई सीमा से अधिक मात्रा में शराब कब्जे में रखना निषिध होगा। उपरोक्त अपराध करने पर धारा 54 के तहत दण्डनीय होगा।

आबकारी अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्यवाही

1. मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही हेतु रवाना (रोजनामचा आम में रपट दर्ज कर रवाना) अथवा गश्त या अन्य मामले में हल्का क्षेत्र में भ्रमण के दौरान सूचना मिलना।
2. मौके पर पहूॅचना।
3. मुताबिक सूचना वाहन/व्यक्ति को रूकवा पूछताछ
4. वाहन/व्यक्ति की तलाशी
5. वाहन/व्यक्ति से अवैध शराब की बरामदगी
6. व्यक्ति को परमीट/लाईससें बाबत् पूछताछ
7. परमीट/लाईसेंस न होने पर अवैध शराब जब्त फर्द जब्ती व बरामदगी तैयार करना।
8. अभियुक्त/अभियुक्तगणों को बाद आगाही जुर्म गिरफ्तार करना।
9. जब्त शुदा माल व मुल्जिम को लेकर थाने रवाना।
10. थाने पर पहुॅच रिपोर्ट जब्तशुदा माल मुल्जिम के थानाधिकारी को प्रस्तुत करना। थानाधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज करना।
11. मुल्जिम दाखिल हवालात/माल मालखाना में जमा।
12. अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान जिम्मे ले अनुसंधान शुरू
13. समस्त फर्दात पर सुर्खी से प्रकरण संख्या दर्ज करना।
14. परिवादी व गवाहान के बयान दर्ज करना।
15. मुल्जिम से पूछताछ
16. घटनास्थल पर पहूॅच घटनास्थल का प्रार्थी की निशादेही से निरीक्षण व फर्द नक्शा मौका तैयार करना।
17. 24 घण्टे पूर्ण होने से पूर्व रिमाण्ड हेतु रिमाण्ड फार्म भर मय केस डायरी मुल्जिम को न्यायालय में पेश करना। माल किससे प्राप्त किया व किसे दिया जाना जाना था बाबत् रिमाण्ड की मांग)
18. मुल्जिम से माल किससे प्राप्त किया व किसे दिया जाना बाबत्त पूछताछ।
19. जब्तशुदा वाहन के रजिस्टर्ड मालिक की जानकारी हेतु जिला परिवाहन अधिकारी को पत्र लिख जानकारी प्राप्त करना।
20. मुल्जिम को रिमाण्ड अवधी समाप्त होने पर न्यायालय में पेश करना, न्यायालय द्वारा जे.सी. करने पर जेल में जमा कराना।
21. वाहन मालिक को तलब कर पूछताछ करना।
22. अपराध में लिप्पतता पाये जाने में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करना।
23. जब्त शुदा वाहन की सूचना जिला आबकारी अधिकारी को भेजना।
24. वाहन के कागजात आर.सी., इन्शोरेन्स, परमीट आदी प्राप्त कर शामिल पत्रावली करना।
25. साक्ष्य का विश्लेषण
26. जब्तशुदा शराब का सेम्पल विधि विज्ञान भेजने हेतू एफ.एस.एल. मार्फत जिला पुलिस अधीक्षक के नाम पत्र लिखना व विशेष वाहक एस.पी. कार्यालय भिजवाना।
27. सेम्पल जमा होने की रसीद शामिल पत्रावली करना।
28. साक्ष्य विश्लेषण
29. साक्ष्यो को लिंक करना।
30. किन–किन व्यक्तियशें के विरूद्व कौन–कौन सी धारा का अपराध प्रमाणित पायागया है बाबत् नोट अंकित करना।
31. पुलिस ब्रीफ तैयार करना।
32. अभियोजन समीक्षा हेतु पत्रावली भेजना

33. अभियोजन समीक्षा में बताई कमियों की पूर्ति
34. पत्रावली चालानी आदेश हेतु चेक लिस्ट के साथ वृताधिकारी के पास भेजना
35. चालानी आदेश प्राप्त करना।
36. चार्जशीट कता करना।
37. चालान न्यायालय में पेश करना।

साक्ष्य चार्ज

कंसं	साक्ष्य	क्या साबित करेगा
1	रवानगी व वापसी रपट रोजनामचा आम	सूचना की आमद व मौके पर रवाना होना व कार्यवाही करना।
2	फर्द बरामदगी व जब्ती शराब	अवैध शराब कब्जे में पाया जाना व मौके पर कब्जे से बरामद होना।
3	फर्द बरामदगी व जब्ती वाहन	वाहन का शराब परिवहन में प्रयोग करना व शराब का वाहन में होना व अभियुक्तो के कब्जे में पाना व वाहन में मौजुद होना।
4	वाहन के दस्तावेज आर/सी इंश्योरेन्स	वाहन मालिक की जानकारी (नाम पता)
5	ड्राईविंग लाइसेंस वाहन चालक	चालक का नाम पता की जानकारी, पहचान
6	सेम्पल विधि विज्ञान भिजवाना व जांच रिपोर्ट प्राप्त करना।	जब्त शुदा माल का शराब होना साबित (एल्कोहल की मात्रा)
7	घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका	घटना का मौके पर होना, अपराधी का वक्त घटना मौके पर पाया जाना साबित करेगा।
8	शराब भरने के स्थान की व खरीददार की जानकारी	शराब अभियुक्तों द्वारा प्राप्त करना साबित

चैक लिस्ट

आबकारी अधिनियम के तहत अनुसंधान

1. सूत्र सूचना की आमद व मौके पर कार्यवाही हेतु रवानगी रपट दर्ज करना। ( )
2. घटनास्थल पर फर्द जब्ती शराब व वाहन बनाना नमुना शील ( )
3. फर्द गिरफ्तारी बनाना ( )
4. थाने पर पहूँच कार्यवाही हेतु रिपोर्ट थानाधिकारी के समक्ष माल व मुल्जिम सिपुर्द करना।( )
5. फर्दात पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा सुर्खी से प्रकरण संख्या दर्ज ( )
6. प्रार्थी व गवाहान के बयान ( )
7. अभियुक्त से पूछताछ ( )
8. घटनास्थल निरीक्षण व नक्शा मौका तैयार करना ( )
9. रिमाण्ड हेतू पेश करना। ( )
10. जब्तशुदा वाहन के रजिस्टर्ड मालिक की जानकारी हेतु जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिखना। ( )
11. माल कहां से प्राप्त किया व किसे दिया जना है जानकारी करना। ( )
12. वाहन मालिक की लिप्तता का पता करना। ( )
13. सेम्पल विधि विज्ञान भिजवाना, रसीद शामिल पत्रावली करना। ( )
14. जब्त शुदा वाहन की सूचना आबकारी अधिकारी को भिजवाना। ( )
15. वाहन के कागजात आर0सी0, इन्श्योरेन्स आदी प्राप्त कर शामील पत्रावली करना व वाहन चालक का डी.एल. प्राप्त करना।
16. पुलिस ब्रीफ तैयार करना।
17. अभियोजन समीक्षा प्राप्त करना।
18. अभियोजन समीक्षा की पूर्ती
19. चालानी आदेश प्राप्त करना।

33. बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012, धारा 3 से 12,19,21,23,24 व 27

बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन अपराध अधिनियम 2012 (POCSO ACT)

क–प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

धारा 3.प्रवेशन लैंगिक हमला – कोई व्यक्ति ''प्रवेशन लैंगिक हमला'' करता है यदि वह–

(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता हैं, या

(ग) बालक के शरीर के किसी भागके साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे कि वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्तिके साथ ऐसा करवाता हैं, या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

धारा 4.प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड– जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

ख– गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

धारा 5.गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला–(क) जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर–

(1) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं, या

(2) किसी थाने के परिसर, चाहे उस पुलिस थाने में पदस्थ है या नहीं जहां उसकी नियुक्ति की गई हैं, प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं, या

(3) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं, या

(4) जब वह पुलिस अधिकारी के रुप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की जाए., या

(ख) जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर –

(1) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहां वह व्यक्ति तैनात है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(2) बलों या सशस्त्रबलों की कमान के अधीन क्षेत्रों में, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(3) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(4) जहां सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रुप में ज्ञात या पहचाना गया उक्त व्यक्ति, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हए, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह (रिमांड होम), संरक्षण गृह, संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित देखरेख और संरक्षण के किसी स्थान का प्रबंध या कर्मचारवृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या देखेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं, या

(ड़) जो कोई किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं, या

(च) जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं, या

(छ) जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं, या

स्पष्टीकरण–जहां किसी बालक पर, कि एक या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा उसके सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खण्ड के अर्थातगर्तत गैंग प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जाना समझा जायेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उस रीति में दायी होगा जैसे कि वह कार्य उसके द्वारा अकेले किया गया था; या

(ज) जो काई घातक आयुध, आग्नेयास्त्र गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या
(झ) जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करके किसी बालक को घोर उपहति कारित करता है, या उसके/उसकी जननेंद्रियों को शारीरिक रूप ये नुकसान और क्षति या क्षति पहुंचाता है; या
(ञ) जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे—
(1) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987(1987 का 14) की धारा 2 के खंड (ठ) के अधीन यथापरिभाषित मानसिक रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ह्रास कारित करता है जिससे बालक कार्य करने में अयोग्य हो जाता है; या
(2) बालिका की दशा में, वह लैंगिक हमले के परिणामस्वरूप, गर्भवती हो जाती है;
(3) बालक को ह्युमन इम्युनोडेफिसियन्सी वायरस या अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से स्थायी व अस्थायी रूप से ग्रस्त कर देता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य करके स्थायी व अस्थायी रूप से ह्रास कर देता है; या
(ट) जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्तता का लाभ उठाकर बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;
(ठ) जो कोई किसी बालक पर एक से अधिक बार या बार–बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ड) जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ढ)जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता या पोषण करने वाला नातेदार या बालक के माता–पिता के साथ घरेलू संबंध या बालक के साथ सांझे गृहस्थ में रहते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ण) जो कोई बालक को सेवा प्रदत्त करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारीवृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(त) जो कोई किसी बालक का न्यासी या प्राधिकारी की स्थिति में होते हुए किसी संस्था या बालक के गृह या कही और बालक पर लैंगिक हमला करता हैं; या
(थ) जो कोई यह जानते हुए की बालक गर्भ से है प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(द) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयास करता है; या
(ध) सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं; या
(न) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और वह पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय किसी लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्व किया गया हैं; या
(प) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से नंगा करता है या नंगा करके प्रदर्शन करता है;
उसके द्वारा गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया माना जायेगा।
धारा 6.गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड– जो कोई गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नही होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
ग–लैंगिक हमला और उसके लिए दंड
धारा 7 लैंगिक हमला– जो कोई, लैंगिक आशय के साथ बालक की योनी, लिंग, गुदा या स्तनों को छुता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनी, लिंग, गुदा या स्तन छुने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक सम्पर्क अंतर्ग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया माना जायेगा।
धारा 8 लैंगिक हमले के लिए दंड– जो कोई लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जूर्माने से भी दंडनीय होगा।
घ– गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिये दंड–
धारा 9– गुरुतर लैंगिक हमला–(क) जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुये, किसी बालक पर–

(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहॉ उसकी नियुक्ति की गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ii) किसी थानें के परिसर, चाहे उस पुलिस थानें में अवस्थित है या नही जहॉ उसकी नियुक्ति की गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iii) अपने कर्त्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iv)जहॉ कोई, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात है या पहचाना गया व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमाल करता है; या

(ख) जो कोई सशस्त्र या सुरक्षा का सदस्य होते हुये बालक पर–

(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहॉ वह व्यक्ति तैनात है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ii) बलों या सशस्त्र बलों कमान के अधीन क्षेत्रों में, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iii) अपनें कर्त्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(iv)जहॉ सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात या पहचाना गया उक्त व्यक्ति, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुये, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह(रिमांण्ड होम), संरक्षण गृह, संप्रेषण या अभिरक्षा या तत्त्सयम प्रवृत किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित देखरेख और संरक्षण के किसी स्थान का प्रबंध या कर्मचारी वृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेषण या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ड) जो कोई किसी अस्पताल, चाहे सरकारी हो या प्राईवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारीवृंद होते हुये उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;या

(च) जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारीवृंद होते हुये उस स्थान में किसी बालक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;या

(छ) जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;या

(ज) जो कोई घातक आयुध आग्नेयास्त्र, गर्म पर्दाथ या संक्षारक पर्दाथ का प्रयोग करते हुये किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(झ)जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करके किसी बालक को घोर उपहति कारित करता है या उसके/उसकी जननैद्रियों को शारीरिक रूप से नुकसान या क्षति पहुॅचाता है; या

(ञ) जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला जिससे–

(i) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 खण्ड (ठ) के अधीन यथा परिभाषित मानसिक रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का हास्य कारित करता है जिससे बालक कार्य करने में अयोग्य हो जाता है;

(ii) बालक को एच0आई0वी या अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से स्थायी या अस्थायी रूप से ग्रस्त कर देता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नित्य प्रतिदिन का काम करने के लिये मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से ह्रास कर सकता है; या

(ट)जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्तता का लाभ उठाकर बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ठ)जो कोई उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार–बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ड)जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ढ)जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता या पौषण करने वाला नातेदार या बालक के माता–पिता के साथ घरेलु संबंध या बालक के साथ सांझे गृहस्थ में रहते हुये बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ण)जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था या स्वामी या प्रबंध या कर्मचारीवृंद होते हुये बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(त)जो कोई किसी बालक का न्यासी या प्राधिकारी की स्थिति मे होते हुये किसी संस्था या बालक के गृह या कही ओर बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(थ) जो कोई यह जानते हुये की बालक गर्भ से प्रवेशन करता है; या

(द) जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयास करता है; या
(ध)सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(न)जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और वह पूर्व इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिये या तत्समय प्रवृत किसी अन्य किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी लैंगिक अपराध किये जाने के लिये दोषसिद्ध किया गया है;या
(प)जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक सार्वजनिक रूप से नंगा करता है या नंगा करके प्रदर्शन करता है।

धारा 10 गुरुतर लैंगिक हमले के लिये दण्ड– जो कोई गुरूतर लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनो मे से किसी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 11 लैगिंक उत्पीडन –किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक पर लैंगिंक उत्पीडन किया गया है जब ऐसा व्यक्ति

(i)लैगिंक आशय ये कोई शब्द कहता है या ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग प्रदर्शित इस आशय के साथ करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाए या

(ii)लैगिंक आशय से उस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बालक को अपने शरीर का कोई भाग प्रर्दशित करने के लिए कहता है।

(iii)अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए किसी प्ररूप या मीडिया मे किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है या

(iv)बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार–बार या निरन्तर पीछा करता है या देखता है या सम्पर्क बनाता है, या

(v)बालक के शरीर के किसी भाग या बालक को लैंगिक कृत्य में अंतर्वलित इलेक्ट्रोनिक फिल्म या अंकीय या अन्य किसी रीति के माध्यम से वास्तविक या बनावटी तस्वीर खींचकर मीडिया का किसी भी रूप मे उपयोग करने की धमकी देता है।

(vi) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए पारितोषण देता है।

स्पष्टीकरण– "लैगिंक आशय" में अंतर्वलित कोई प्रश्न तथ्य का प्रश्न होगा।

धारा 12 लैगिंक उत्पीडन के लिए दंड –जो कोई किसी बालक पर लैगिंक उत्पीडन करेगा वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 19 अपराधों की रिपोर्ट करना–(1) दंडप्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति (जिसके अतंर्गत बालक भी है) जिसे यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किये जाने की संभावना है या यह जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा :–
(क) विशेष किशोर पुलिस यूनिट या (ख) स्थानीय पुलिस
(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट मे –
(क) एक प्रविष्टि संख्या अंकित होगी और लेखबद्व की जायेगी
(ख) सूचना देने वाले को पढकर सुनाई जाएगी
(3) उपधारा (1)के अधीन रिपोर्ट बालक द्वारा दी गई है, उसे उपधारा(2) के अधीन सरल भाषा मे अभिलिखित किया जाएगा जिससे की बालक अभिलिखित की जा रही अतंर्वस्तु को समझ सके।
(4) उस दशा मे जहाँ बालक द्वारा नही समझी जाने वाली भाषा मे अतंर्वस्तु अभिलिखित की जा रही है, वहाँ बालक को यदि वह उसे समझने मे असफल रहता है कोई अनुवाद या कोई दुभाषिया जो ऐसे अर्हताए, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए जब कभी आवश्यक समझा जाए उपलब्ध कराया जाएगा।
(5) जहाँ विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो गया है कि वह बालक जिसके विरूद्व कोई अपराध किया गया है, उसकी देखरेख ओर संरक्षण की आवश्यकता है तब वह कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् उसे यथाविहित रिपोर्ट के चौबीस घन्टे के भीतर तुरंत ऐसी देखरेख और

संरक्षण मे (जिसके अतंगर्त बालक को संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल मे भर्ती किया जाना भी है।) रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

(6) विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलम्ब के बिना परन्तु चौबीस घन्टे की अवधि के भीतर मामलों को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहाँ कोई विशेष न्यायालय पदाभिहित नही किया गया है वहां सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगी, जिसके अतंर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध मे किए गए उपाय भी है।

(7) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए सद्भावना मे जानकारी देने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सिविल या दंडित कोई दायित्व उपगत नही होगा।

धारा 21 मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने मे विफल रहने के लिए दंड – (1) कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपधारा (1) या धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने मे विफल रहता है या जो धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने मे विफल रहता है वह किसी भी प्रकार के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनो से, दंडनीय होगा।

(2) किसी कम्पनी या किसी संस्था (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) का भारसाधक कोई व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध मे धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने मे असमर्थ रहता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा ओर जुर्माने से दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी बालक को लागू नही होगे।

धारा 23 मीडिया के लिए प्रक्रिया –(1) कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना बालक के संबंध मे कोई रिपोर्ट नही करेगा या उस पर कोई टका–टिप्पणी नही करेगा जिससे उसका प्रतिष्ठा हनन या उसकी गोपनीयता का अतिलंघन होना प्रभावित होता हो।

(2) किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट, बालक की पहचान जिसके अतंर्गत उसका नाम, पता, फोटोचित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पडोस या किन्ही अन्य विशिष्टियों को प्रकट नही करेगी जिससे बालक की पहचान का प्रकट अग्रसरित होता हो,

परन्तु ऐसे कारणो से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अधिनियम के अधीन मामले का विचरण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकरण के लिए अनुज्ञात कर सकेगी यदि उनकी राय मे ऐसा प्रकरण, बालक के हित मे है।

(3) मीडिया स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविद्याओ का कोई प्रकाशन या स्वामी संयुक्त रूप और पृथक रूप से अपने कर्मचारी के किसी कार्य और लोप के लिये दायी होगी।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधो का उल्लंघन करता है किसी भी प्रकार के कारावास से, जो छः मास से अन्यून नही होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनो से दंडनीय होगा।

धारा 24 बालक के कथनो को अभिलिखत करना – (1) बालक के कथन को, बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहाँ वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और जहाँ तक संभव हो, उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी स्त्री पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा।

(2) बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी मे नही होगा।

(3) अन्वेषण करते समय पुलिस अधिकारी, बालक या परीक्षण करते समय यह सुनिश्चित करेगें कि किसी भी समय पर बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार के सम्पर्क में न आए।

(4) किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि मे किसी स्टेशन मे निरूद्व नही किया जाएगा।

(5) पुलिस अधिकारी तब तक यह सुनिश्चित करेगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से संरक्षित है जब तक की बालक के हित मे विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेशित न किया गया हो।

धारा 27 बालक की चिकित्सीय परीक्षा :–(1)उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा, जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रीकृत नही किया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का 2) की धारा 184 के अनुसार संचालित की जाएगी।

(2) यदि पीडित कोई बालक है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी।

(3) चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता–पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिस पर बालक भरोसा या विश्वास रखता हो।
(4) जहाँ उपधारा (3) निर्दिष्ट बालक के माता–पिता या ऐसा अन्य व्यक्ति बालक की चिकित्सा जाँच के दौरान किसी कारण उपस्थित नही हो सकता है तो चिकित्सा जाँच, संस्था के प्रमुख द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति मे की जाएगी।

34.कोटपा (सिगरेट व तंबाकू प्रोडेक्ट) अधिनियम 2003

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन,प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम,2003

भारत गणराज्य चौवनवें वर्ष में ससंद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:–

1.(1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन,प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम,2003 है।
(2)इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
(3)यह उस तारीख को प्रवृत होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें,और उस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें की जा सकेगी।

2.यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समचीन है कि संघ को तम्बाकू उघोग अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।

3.इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क)''विज्ञापन'' के अंर्तगत सूचना, परिपत्र, लेखन रैपर या अन्य दस्तावेज द्वारा कोई दृश्यरूपण है और इसके अंतर्गत मौखिक रूप से या प्रकाश, ध्वनि, धूम्र या गैस प्रस्तुत करने या पारेषण के किसी माध्यम द्वारा की गई घोषणा भी है;
(ख)''सिगरेट'' के अंतर्गत–
(1.)किसी कागज या किसी अन्य पदार्थ में, जिसमें तंबाकू न हो, लपेटी गई तंबाकू की कोई रोल है;
(2.)तंबाकू से युक्त किसी पदार्थ में लपेटी गई तंबाकू को कोई रोल जिसका उसके रूप, फिल्टर में प्रयुक्त तंबाकू की किस्म या उसकी पैकेजिंग और लेबल के कारण सिगरेट के रूप में प्रस्तुत किया जाना या उपभोक्ताओं द्वारा क्रय किया जाना संभाव्य हो, भी है, किंतु इसके अंर्तगत बीडी, चुरूट और सिगार नहीं है;
(ग)''वितरण'' के अंतर्गत नमूने के रूप में वितरण भी चाहे वह मुफ्त हो या अन्यथा;
(घ)''निर्यात'' से उनके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है;
(ड)''विदेशी भाषा'' से ऐसी भाषा अभिप्रेत है जो कोई भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा नहीं है;
(च)''आयात'' से उसके व्याकरणिय रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ अभिप्रेत है भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाया जाना;
(छ)''भारतीय भाषा'' से संविधान को आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भाषा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी भाषा की कोई बोली भी है;
(ज)''लेबल'' से ऐसी कोई लिखित, चिन्हित, स्टांपित, मुद्रित या सुचित्रित सामग्री अभिप्रेत है जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई हो या उस पर दिखाई पडती हो;
(झ)''पैकेज'' के अंतर्गत कोई रैपर, बॉक्स, कार्टन, टिन या अन्य आधान भी है;
(ञ)''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(ट)''उत्पादन'' के अंतर्गत, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातिय पदों के साथ ऐसी सिगरेटों, सिगारों, चुरूटों, बीडियों, सिगरेट, तंबाकू, पाइन तंबाकू, हुक्का तंबाकु, चवर्ण तंबाकू, पान मसाले या किसी अन्य घवर्ण सामग्री का, जिसमें उसकी एक अन्तर्वस्तु के रूप में तंबाकू हो(चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) या सुंघनी बनाना है और इसके अंतर्गत–

(i) आधानों को पैक करना, उन पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना;

(ii)थोक पैकेजों से फुटकर पैकेजों में पुनः पैक करना और

(iii)तंबाकू उत्पाद को विपणन योग्य बनाने के लिए किसी अन्य पद्धति का अपनाया जाना भी है;

(ठ)''लोक–स्थान'' से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जहां जनता की पहुंच हो, चाहे साधिकार हो या न हो और इसके अंतर्गत ऑडिटोरियम, अस्पताल भवन, रेल प्रतीक्षालय, आमोद केन्द्र, रेस्तरां, लोक कार्यालय, न्यायालय भवन, शैक्षिक संस्थाएं, पुस्कालय, लोक वाहन और ऐसे स्थान भी है जहां साधारण जनता को आना–जाना होता है, किंतु इसके अंतर्गत कोई खुला स्थान नहीं है;
(ड)''विक्रय'' से, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातिय पदों के साथ, किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल में संपति का अंतरण अभिप्रेत है चाहे नकदी के लिए हो या उधार पर हो या विनिमय के रूप में हो और चाहे थोक या फुटकर में हो तथा इसके अंतर्गत विक्रय के लिए कोई करार और विक्रय का प्रस्ताव और विक्रय के लिए अभिदर्शन भी है;
(ढ)''धुम्रपान'' से किसी रूप में तंबाकू का धूम्रपान अभिप्रेत है जो चाहे सिगरैट, सिगार, बीडी के रूप में या अन्यथा किसी पाइन, रेपर या किसी अन्य उपकरण की सहायता से हो,
(ण)''विनिर्दिष्ट चेतावनी'' से सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग के विरूद्ध ऐसी चेतावनियां अभिप्रेत है जो सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेजों पर, ऐसे रूप में और ऐसी रीति से, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, मुद्रित, पैंट या अंतर्लिखित की जाए;
(त)''तंबाकू उत्पाद'' में अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद अभिप्रेत है।
4.कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा;–परंतु किसी ऐसे होटल में जिसमें 30 कमरे हों या किसी रेस्तरां में जिसमें 30 या उससे अधिक व्यक्तियो के बैठने की क्षमता हो और विमानपतनों पर धूम्रपान क्षेत्र या स्थान की अलग से व्यवस्था की जा सकेगी।
5.(1) कोई व्यक्ति, जो सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, प्रदाय या वितरण में लगा हुआ है या लगा होना सत्यर्पित है, इसका विज्ञापन नहीं करेगा और ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका किसी माध्यम पर नियंत्रण हो, उक्त माध्यम द्वारा सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन नहीं होने देगा और कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन में भाग नहीं लेगा जिसमें प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग या उपभोग का सुझाव दिया गया हो या संप्रर्वतन किया गया हो।
(2)कोई व्यक्ति किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक फायदे के लिएः–
(क)सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के किसी विज्ञापन का संप्रर्दशन नहीं करेगा, संप्रर्दशन नहीं कराएगा या उसके संप्रर्दशन के लिए अनुपात या प्राधिकृत नहीं करेगा; या
(ख)किसी ऐसी फिल्म या वीडियो टेप का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय नहीं कराएगा या विक्रय करने के लिए अनुज्ञात या प्राधिकृत नहीं करेगा जिसमें सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन हो; या
(ग)ऐसे किसी पर्णक, पर्चे या दस्तावेज का, जो सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन है या जिसमें ऐसा विज्ञापन है, जनता में वितरण नहीं करेगा, वितरण नहीं कराएगा या उसे वितरण के लिए अनुज्ञात या प्राधिकृत नहीं करेगा; या
(घ)सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के किसी विज्ञापन का किसी भूमि, भवन, दीवाल, होर्डिंग, फ्रेम, पोस्ट या संरचना पर या किसी भूमि, भवन, दीवाल, होर्डिग, फेम, पोस्ट या संरचना पर या उसके ऊपर न परिनिर्माण करेगा, न प्रदर्शन करेगा, उसे न लगाएगा और न लगाए रखेगा और न ही उसका किसी स्थान में किसी भी रीति से प्रदर्शन करेगा।
परंतु यह उपधारा–
(क) सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज में या उस पर सिगरेट या तम्बाकू उत्पाद के किसी विज्ञापन;
(ख) सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन, जो किसी ऐसे भांडागार या दुकान के प्रवेश स्थान पर या उसके भीतर प्रदर्शित किया गया है जहां सिगरेट या कोई अन्य तम्बाकू उत्पाद वितरण या विक्रय के लिये प्रस्थापित है, के संबंध मे लागू नही होगी।
(3)कोई व्यक्ति किसी संविदा के अधीन या अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिये गये या दिये जाने के लिये करार मे प्रयोजन, दान, पुरस्कार या छात्रवृत्ति के लिये विनियम मै,–
(क) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के किसी व्यापार चिन्ह या ब्राण्ड नाम का , संवर्धन के लिये करार नही करेगा।
6. कोई व्यक्ति–
(क)ऐसे किसी व्यक्ति को जो अठारह वर्ष से कम आयु का है; और
(ख) किसी शैक्षिक संस्था की एक सौ गज की परिधि के भीतर किसी स्थान पर, सिगरेट या किसी अन्य

तंबाकू उत्पाद का विक्रय,विक्रय करने की प्रस्थापना या विक्रय करने की अनुमति नहीं देगा।
7.(1) कोई व्यक्ति, तब तक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, प्रदाय या वितरण नहीं करेगा जब तक कि सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के पैकेज या उसके लेबल पर, जो उसके द्वारा उत्पादित किया गया है, प्रदाय किया गया है या वितरित किया गया है, विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है, जिसके अंतर्गत खोपडी और हड्डियों के क्रास का तस्वीर चित्रण और अन्य चेतावनियां भी है, जो विहित की जाएं।
(2)कोई व्यक्ति तब तक सिगरेटों या बिडी अन्य तंबाकू उत्पादों का व्यापार या वाणिज्य नहीं करेगा जब तक कि सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबर पर जिसका उसके द्वारा विक्रय, प्रदाय या वितरण किया गया है, विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है।
(3)कोई व्यक्ति तब तक मूल्यवान प्रतिफल के लिए या वितरण या प्रदाय के लिए या भारत में विक्रय के लिए सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों का आयात नहीं करेगा जब तक कि उसके द्वारा इस प्रकार आयातित सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबर पर विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है।
(4)ऐसे पैकेज के जिसमें सिगरेट या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद मूल्यवान प्रतिफल के वितरण, विक्रय या प्रदाय हेतू पैक किए गए है वृहतम पैनलों में से कम से कम एक पैनल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी दृश्यमान होगी।
(5)कोई भी व्यक्ति, सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उत्पादन, प्रदाय या वितरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके द्वारा उत्पादित, प्रदाय किये गये या वितरित, यथास्थिति, सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज पर या लेबल पर निकोटिन और टार अंतर्वस्तु को उसकी अधिकतम अनुज्ञेय सीमा सहित उपदर्शित न किया गया होः
परंतु निकोटिन और टार अंतर्वस्तुएं उसकी अधिकतम अनुज्ञेय मात्रा से, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं, अधिक नहीं होगी।
8.(1)सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के पैकेज पर विनिर्दिष्ट चेतावनी–
(क)पठनीय और प्रमुख रूप से होगी;
(ख)आकार और रंग की दृष्टि से सहजदृश्य होगी;
(ग)अक्षरांकन ऐसी शैली में या किस्म का होगा जो पैकेज या उसके लेबर पर प्रयुक्त किसी अन्य किस्म, अक्षराकंन या आरेखन सामग्री के मुकाबले सुभिन्न रूप में मोटे और स्पष्ट अक्षरों में हो और पैकेज पर ऐसी रंग में मुद्रित, पेंट की हुई या उत्कीर्णित होगा, जो पैकेज या उसके लेबर की पृष्ठभूमि से सहजदृश्य रूप में सुभिन्न हो।
(2) वह रीति, जिसमें सिगरेंटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेज पर विनिर्दिष्ट चेतावनी मुद्रित, पेंट या उत्कीर्णित की जाएगी, ऐसी होगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।
(3)सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों वाला प्रत्येक पैकेज इस प्रकार पैक किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस पर या उसके लेबर पर दृश्यमान
विनिर्दिष्ट चेतावनी पैकेज के खोले जाने से पूर्व उपभोक्ता को दृश्यमान हो।
12 (1) कोई पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षण की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य के खाद्य या औषध प्रशासन का कोई अधिकारी या समतुल्य पद धारण करने वाला कोई अन्य अधिकारी, जो पुलिस उप निरीक्षण की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, यदि उसके पास यह संदेह करने का कारण हो कि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, तो विहित रीति में किसी युक्तियुक्त समय पर, किसी ऐसे कारखाने, भवन, कारबार परिसर या किसी अन्य स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा–
(क)जहां सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद में कोई व्यापार या वाणिज्य चलाया जा रहा है या सिगरेट अथवा किन्ही अन्य तंबाकू उत्पादों , प्रदाय या वितरण किया जा रहा है; या
(ख) जहां सिगरेटों या किन्ही अन्य तंबाकू उत्पादों का कोई विज्ञापन किया गया है या किया जा रहा है।
(2) इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी और अभिग्रहण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपाय लागू होंगे।
13 (1)यदि कोई पुलिस अधिकारी, जो उप निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो या राज्य के खाद्य या औषध प्रशासन का कोई अधिकारी या समतुल्य पद धारण करने वाला कोई अन्य अधिकारी, जो पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया

गया हो, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि–
(क)सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेज के संबंध में;या
(ख)सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन के संबंध में,
इस अधिनियम कें उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह विहित रीत में ऐसे पैकेज या विज्ञापन सामग्री का अभिग्रहण कर सकेगा।
(2)उपधारा(1)के खंड(क) के अधीन अभिग्रहण किये गये सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेज या विज्ञापन सामग्री का, ऐसे अधिकारी द्वारा जिसने उस पैकेज या विज्ञापन सामग्री का, ऐसे अधिकारी द्वारा जिसने उस पैकेज या विज्ञापन सामग्री का अभिग्रहण किया है, अभिग्रहण की तारीख से नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए तब तक प्रतिधारक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस जिला न्यायाधिश का, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा अभिग्रहण किया गया था ऐसे प्रतिधारण के लिए अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं कर लिया गया है।
18.(1) अधिहरण का न्यायनिर्णयन करने या लागत का संदाय करने का निदेश देने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सिगरेटों या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के पैकेज के स्वामी या ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में वह है, एक लिखित सूचना न दी गई हो जिसमें उसे उन आधारों की सूचना दी गई हो जिन पर ऐसे पैकेज का अधिहरण करना प्रस्थापित है और उससे अधिहरण के विरूद्ध सूचना में विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर लिखित अभ्यावेदन करने का यूक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और यदि वह ऐसी वांछा करे, तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उस विषय में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया होः
परन्तु जहां सिगरेटों या किसी अन्य तम्बाकू उत्पादों के पैकेज के अभिग्रहण की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर ऐसी सूचना नहीं दी जाती है, वहां वह पैकेज उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से उसका अभिग्रहण किया गया था, लौटा दिया जाएगा।
(2) उपधारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के उपबंध,जहां तक सम्भव हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कार्यवाही को लागू होगें।
19.(1) अधिहरण का न्यायनिर्णयन करने वाले, लागत के संदाय का आदेश देने वाले न्यायालय के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे न्यायालय को अपील कर सकेगा जिसको ऐसे न्यायालय के विनिश्चय की अपील होती है।
(2) अपील न्यायालय, अपीलर्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस विनिश्चय या आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गई,पुष्टि करने, उपांतरण करने या उलटने के लिए, जैसा वह उचित समझे,आदेश पारित कर सकेगा या यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात्, यथास्थिति, नए विनिश्चय या न्यायनिर्णयन के लिए, ऐसे निर्देश सहित जैसा वह उचित समझे, मामले को वापस भेज सकेगा;
परन्तु अधिहरण के बदले किसी जुर्माने में वृद्धि करने वाला या अधिक मूल्य के माल का अधिहरण करने वाला आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को अभ्यावेदन करने या यदि वह ऐसी वांछा करे तो, अपनी प्रतिरक्षा में व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।
(3) अपील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कोई और अपील नहीं होगी।
20. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या ऐसे तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन या विनिर्माण करेगा जिन पर या तो पैकेट पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या तम्बाकू उत्पादों का विक्रय या वितरण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो तीन हजार रूपए तक का हो

सकेगा, दंडनीय होगा।

21.(1) जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा,वह जुर्माने से जो दो सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन अपराध शमनीय होगा और उसका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संक्षिप्त विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।

22.जो कोई धारा 5 के उपबंध का उल्लंघन करेगा वह दोषसिद्धि पर,–

(क) प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, और

(ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

23. विज्ञापन और विज्ञापन सामग्री का समपहरण– जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन धारा 5 के उपबंध के उल्लघंन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, वहां सिगरेटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों के लिए विज्ञापन और विज्ञापन सामग्री सरकार को समपहत की जा सकेगी और ऐसे विज्ञापन और विज्ञापन सामग्री का ऐसी रीति से व्ययन किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

24.कतिपय स्थानों में या अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेटों या किसी अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय के लिए दंड–(1) कोई व्यक्ति, जो धारा 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी होगा और जुर्माने से, जो दो सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन सभी अपराध शमनीय होगे और उनका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में (2023 का 2) संक्षिप्त विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनूसार संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।

25.धारा 4 और धारा 6 के अधीन अपराधों के निवारण, निरोध और विचारण का स्थान–(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिए सक्षम होगेः

परन्तु इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति, यदि उसके पास यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि किसी व्यक्ति ने धारा 4 या धार 6 के अधीन अपराध किया है तो वह ऐसे व्यक्ति को तब तक निरूद्ध कर सकेगा जब तक कि अभियुक्त व्यक्ति, अपना नाम और पता नहीं बता देता है और उसे निरूद्ध करने वाले अधिकारी का अन्यथा समाधान नहीं कर देता है कि वह किसी समन या अन्य कार्यवाहियों का उसके विरूद्ध जो की जाए सम्यक्तः उत्तर देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन निरूद्ध किए गए किसी व्यक्ति को विधि के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा।

(3)धारा 4 या धारा 6 के अधीन अपराध करने वाले किसी व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए किसी ऐसे स्थान पर जहां वह है या जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, साथ ही ऐसे किसी अन्य स्थान पर विचारण किया जाएगा जिस पर वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विचारण करने के लिए दायीं है।

(4) उपधारा(1) और उपधारा (3) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और उसकी एक प्रति जनता की जानकारी के लिए किसी सहजदृश्य स्थान या स्थानों पर, जैसा राज्य सरकार निर्देश दें,प्रदर्शित की जाएगी।

(5) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 (28) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

27.अपराधों का जमानतीय होना– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में किसी बात के होते हुए भी,इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानतीय होगा।

28. अपराधों का शमन–(1) धारा 4 या धारा 6 के अधीन किए गए किसी अपराध के अभियोजन के संस्थित किए जाने से पहले या उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रकम के लिए,जो दो सौ रूपए से अधिक नहीं हो सकेगी, उसका शमन किया जा सकेगा।

(2) जहां किसी अपराध का उपधारा (1) के अधीन शमन किया गया है, वहां अपराधी, यदि वह अभिरक्षा में है, तो उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

29.सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण–इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध न होगी।

30. अनुसूची में किन्हीं तम्बाकू उत्पादों को जोडने की शक्ति– केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना देने के पश्चात्, वैसी अधिसूचना द्वारा ऐसे किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद को जोड सकेगी जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि विज्ञापनों को प्रतिषिद्ध किया जाना है और इस अधिनियम के अधीन इसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण को विनियमित किया जाना अपेक्षित है और तब अनुसूची ऐसे उत्पादों को इसके लागू होने में, तद्नुसार, संशोधित की गई समझी जाएगी।

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन,प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम,2003(COTPA)के क्रियान्वयन हेतू पुलिस के लिए मार्गदर्शिका

धारा	खंड के विषय संक्षेप में	दंड	अधिकृत व्यक्ति / कार्यवाही
4	सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान निषेध	200 रूपये(अधिकतम) (संयोजनीय) (कोटपा की धारा 21)	उपनिरीक्षक अथवा उससे ऊपर • मौके पर जूर्माना अथवा न्यायालय के समक्ष दंड • यदि उल्लंघनकर्त्ता दंड का भुगतान करने से इनकार करता है,तो उसको हिरासत में लिया जाये • अपराध का संक्षिप्त मुकदमा जो कि दंड प्रक्रिया संहिता,1973 के अनुसार हो (कोटपा की धारा 25 व 28)
5	सिगरेट तथा किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन का निषेध	प्रथम अपराधः 1000 रूपये या 2 वर्ष का कारावास या दोनों पुनः दोहराए जाने परः 5000 रूपये तथा 5 वर्ष कारावास (गैर संयोजनीय) (कोटपा की धारा 22)	उप निरीक्षक अथवा इससे ऊपर • विज्ञापन सामग्री से संबंधित छापा,तलाशी तथा जब्ती • दो गवाहों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया जाये • जिला न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही • कोटपा में वर्णित विधि के अनुसार जब्त की गयी सामग्री को नष्ट किया जाये(कोटपा की धारा 23)
6	कोई भी व्यक्ति सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री, बिक्री के लिए प्रस्थापना तथा बिक्री की अनुमति नहीं देगा (क)ऐसे व्यक्ति को या उसके द्वारा, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, तथा (ख)ऐसे क्षेत्र में जो किसी शैक्षिक संस्थान की सौ गज की परिधि में हो	200 रूपये(अधिकतम) (संयोजनीय) (कोटपा की धारा 24)	उप निरीक्षक अथवा इससे ऊपर • मौके पर जुर्माना अथवा न्यायालय के समक्ष दंड यदि, • उल्लंघनकर्त्ता दंड का भुगतान करने से इंकार करता है, तो उसको हिरासत में लिया जाये • अपराध का संक्षिप्त मुकदमा जो कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार हो(कोटपा की धारा 25 व 28)
7	सभी तंबाकू उत्पादों की पैकिंग पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी	निर्माता अथवा उत्पाादक के मामले में प्रथम अपराधः 5000 रूपये या 2 वर्ष कारावास या दोनों पुनः दोहराए जाने परः 10000 रूपये तथा 5 वर्ष कारावास विक्रेता अथवा वितरक के मामले में प्रथम अपराधः 1000 रूपये या 1 वर्ष कारावास या दोनों पुनः दोहराये जाने परः 3000 रूपये तथा 2 वर्ष कारावास (गैर–संयोजनीय) (कोटपा की धारा 20)	उप निरीक्षक अथवा इससे ऊपर • सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादों जिनमें स्वास्थ्य चेतावनी न हो • दो गवाहों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया जाये • जिला न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही • न्यायालय के आदेशानुसार जब्त की गयी सामग्री को नष्ट / वापस किया जाये (कोटपा की धारा 20)

कौन और कब कारवाई आरंभ कर सकता है?

क. नीचे उल्लिखित अधिकारी(तालिका–2), स्वतः प्रेरणा के आधार पर, जहां भी उनके पास यह संदेह करने का कारण हो कि पैकेजिंग और लेबलिंग नियमों 2008, के साथ पढे जाने वाले, कोटपा की धारा 7 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है या हो रहा है या लिखित अथवा

मौखिक रूप से, किसी व्यक्ति/नागरिक/संस्था द्वारा की गई निम्नलिखित शिकायत के आधार पर कि कोटपा के प्रावधानों या तम्बाकू उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, सकता है और इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अवहेलना करने वाली वस्तु को जब्त भी कर सकता है।

पदनाम	विभाग
अधीक्षक और केन्द्रीय उत्पाद एवम् सीमाशुल्क से उच्च स्तर के सभी अधिकारी	राजस्व विभाग के अंतर्गत पंजीकृत सभी परिसर
निरीक्षक की रैंक और विक्रय कर/स्वास्थ्य/परिवहन विभागों के ऊपर के सभी अधिकारी	राजस्व/स्वास्थ्य/राज्य परिवहन विभाग
कनिष्ठ श्रम आयुक्त	श्रमविभाग
संयुक्त निदेशक	कार्यालय उद्योग/लघु उद्योग आयुक्त
डपनिरीक्षक और पुलिस/राज्य खाद्य एवम् औषधि प्रशासन से ऊपर या कोई अन्य अधिकारी जो पुलिस उपनिरीक्षक के बराबर के पद पर हो	खाद्य एवम् औषधि विभाग तथा गृह विभाग

- **कार्यवाही की प्रक्रिया क्या होगी?**

1.जांच और जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व अधिकारी एक छापामार दल बनाएगा

2.छापामार दल में दो स्वतंत्र गवाहों के साथ स्वयं अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी, जिसकी रैंक उप–निरीक्षक(वैकल्पिक) से कम नहीं हो, सम्मिलित होंगे।

3.उल्लंघन के संदेह के आधार पर छापामार दल के साथ परिसर में प्रवेश कर सकता है और जांच कर सकता है;

4.यदि कहीं पर अधिकारी को यह विश्वास होता है कि उल्लंघन किया गया है, तो अधिकारी अवहेलना संबंधित वस्तु को जब्त कर सकता है;

5.अधिकारी को परिसर के स्वामी/काबिज/प्रभारी के नाम जब्तीकरण का ज्ञापन देना होगा;

6.दो गवाहों की उपस्थिति में एक पंचनामा खींचा जाएगा जो अपने बयान में स्थान और जब्त की गई वस्तुओं का वर्णन करेंगे।(परिशिष्ट1)

7.जब्त किये गये पैकेट/वस्तुएं सील की हुई अवस्था में रखी जाएंगी और यह सील दो गवाहों तथा परिसर के स्वामी/काबिज/प्रभारी की उपस्थिति में लगायी जाएगी;

8.अधिकारी को शिकायतकर्ता के नाम, पता, दिनांक तथा अन्य विवरणों के साथ एक शिकायत पंजिका बनानी होगी;

9.जब्त किये गए पैकेज/वस्तुएं उस अधिकारी के पास, जब्तीकरण के दिन से लेकर अगले 90 दिन की अधिक तक, नहीं रखी जाएगी जिसने इन्हें जब्त किया हो, जब तक कि इस हेतु जिला न्यायाधीश या किसी अन्य नियुक्त न्यायाधीश, जिस अधिकार–क्षेत्र में यह जब्तीकरण किया गया था उसकी स्थानीय सीमा के अंदर, द्वारा इसके लिए स्वीकृति प्राप्त न की गई हो;

10.तत्पश्चात अधिकारी जब्तीकरण के स्थान के अधिकार–क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय सीमाओं के अंदर आने वाले वास्तविक अधिकार क्षेत्र के मुख्य दीवानी न्यायालय के जिला न्यायाधीश के समक्ष जब्त की गई वस्तुओं के अधिकरण की प्रक्रिया करेगा;

11.अधिकरण पर निर्णय करने वाला न्यायालय, आदेशपत्र में निर्दिष्ट शर्तों के तहत, स्वामी को अधिकरण के स्थान पर अधिकृत वस्तु की कीमत के बराबर भुगतान का विकल्प प्रदान कर सकता है। न्यायालय द्वारा आदेशित राशि का भुगतान का विकल्प प्रदान कर सकता है। न्यायालय द्वारा आदेशित राशि का भुगतान करने पर जब्त किया गया पैकेट उसी व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिससे कि वह लिया गया था, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह व्यक्ति सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेट के किसी भी प्रकार के वितरण से पूर्व प्रत्येक पैकेट पर निर्दिष्ट चेतावनी दर्ज कराएगा;

12.अधिकरण का विनिर्णय करने वाला या लागत के प्रत्यक्ष भुगतान का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि स्वामी या सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद के जब्तीकरण की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप से इस पैकेट के जब्तीकरण के कारणों की अधिसूचना न दी गई हो और उसे इस अधिकरण के विरूद्ध लिखित रूप से अपना प्रस्तुतिकरण देने के लिए उचित समय, अधिसूचना के अंतर्गत उल्लिलिखित उचित समय, दिया जाना चाहिए साथ ही यदि वह इच्छुक हो तो उसे निजि रूप से अपना पक्ष रखने या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का भी अवसर दिया जाना चाहिए;
13.चूंकि दीवानी अधिकार–क्षेत्र न्यायालय के द्वारा जब्तीकरण या लागत भुगतान के आदेश प्रभावित व्यक्ति किसी ऐसे दंड से बचाव नहीं पा सकता जिसका वह कोटपा के प्रावधानों या किसी अन्य कानून के अंतर्गत अधिकारी है। अतः जांच और जब्तीकरण करने वाले अधिकारी को उस पुलिस थाने के एक आपराधिक शिकायत दर्ज करनी होगी जिसके अधिकार–क्षेत्र के अंतर्गत वह परिसर/ स्थान स्थित है। इस रपट में वह अधिकारी फरदायी होगा। पुलिस थाने में आपराधिक रपट दर्ज हो जाने पर पुलिस अधिकारी ,1973 के तहत उचित कारवाई करेगा;
14.इसके बाद अधिकारी कोटपा की धारा 20 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के समक्ष शिकायत दर्ज करेगा;
15.अधिकारी को यह याद रखना होगा कि पैकेजिंग और लेबलिंग नियम 2008 के साथ पढे गए कोटपा की धारा 7 के अंतर्गत किया गया अपराध संयोजनीय योग्य नहीं होता है;
16.प्राधिकृत अधिकारी को उल्लंघन के प्रत्येक मामले को अभिलिखित करना होगा और कारवाई करनी होगी क्योंकि कोटपा के अंतर्गत वह अपराध दोहराए जाने के संबध में और भी कठोर दंड का प्रावधान है।

परिशिष्ट–1

पंचनामा दिनांकित————————

जहां: हम

क्र.स.	पञ्च गवाहों के नाम और वंश	पता	आयु	व्यवसाय

उपर उल्लिखित पञ्च

श्री ————————के द्वारा बुलवाए जाने पर, जो कि ————————, सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों (विज्ञापन निषेध और व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति व वितरण विनियमन) अधिनियम 2003, के अंतर्गत———————के अधिकृत अधिकारी है और ——————— नियम, 20——, संबंधित अधिनियम की धारा——————— के तहत प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत, आज श्री ——————————————, के परिसर में, पता ————————, इस स्थान की जांच के लिए उपस्थित हुए है, जहां इस संदेह के पर्याप्त कारण है कि, ———— —————— ——————— नियमों,20 —— के साथ पढी जाने वाली संबंधित अधिनियम की धारा——— का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है।

हम यह घोषित करते है कि यहां पंचनामा में उल्लिखित तथ्य हमारे ज्ञान और प्रेक्षण के आधार पर सत्य और सटीक है।

1 दोषी के हस्ताक्षर तिथि समय
नाम
प्ता

1.गवाह के हस्ताक्षर तिथि समय
नाम
पता

2.गवाह के हस्ताक्षर तिथि समय
नाम
पता

संलग्नकः अधिकृत किए गए सामानों की सूची

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम तिथि
समय स्थान

35.एस0सी0/एस0टी0 (अत्याचार निवारण) एक्ट, संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 3 व 4

धारा 3 अत्याचार के अपराधों के लिए दण्ड – 1.जो कोई अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है–

(क) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के मुहँ मे अखाद्य पदार्थ अथवा घिनौना पदार्थ डाले अथवा उसे वह अखाद्य अथवा घिनौना पदार्थ पीने अथवा खाने के लिए बाध्य करे,

(ख) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति के अथवा उसकी ओर से अधिगृहित परिसर मे अथवा उसके प्रवेश स्थल पर विस्टा, मल जल, मुर्दा शरीर अथवा अन्य कोई घृणित पदार्थ डाले,

(ग) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को इरादतन चोट पहूँचाए, अपमान करे अथवा परेशान करे या उसके पडौस मे विस्टा, मल जल, मुर्दा शरीर अथवा अन्य कोई घृणित पदार्थ डाले,

(घ) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को जूतोकी माला पहनाए या उसे नग्न अथवा अर्द्ध नग्न अवस्था मे घुमाएँ,

(ड.) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य पर जबरदस्ती करे जैसे कि एसके कपडे उतारना, सिर मूंडना, मुछे उखाडना, चेहरा अथवा शरीर पोतना अथवा ऐसा ही कोई अन्य कृत्य करना जो मानवीय मर्यादा का अपमानजनक हो,

(च) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति के सवामित्व अथवा उसके अधीन अथवा उसे आवंटित अथवा आवंटन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी की ओर से अधिसूचित किसी जमीन पर गलत रूप से कब्जा करना अथवा खेती करना अथवा उस जमीन को हस्तान्तरित करना,

(छ) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को उसकी जमीन अथवा परिसर से गलत तरीके से बेदखल करना अथवा उसके अधिकारो के उपयोग मे दखल डालना जिसमे वन अधिकार शामिल, किसी जमीन अथवा परिसर अथवा जला अथवा सिंचाई सुविद्या के या फिर फसलों को नष्ट करना अथवा उसके उत्पादों को ले जाना,

***स्पष्टीकरण* :–** इस खंड तथा खंड (च) के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति " गलत रूप से " में शामिल

(क) व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध (ख) व्यक्ति की सहमति के बिना

(ग) व्यक्ति की सहमति के साथ, जहाँ सहमति व्यक्ति को डराकर ली गई है, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को रखकर जिसमे वह व्यक्ति मौत अथवा आघात के भय से ग्रसित है अथवा

(घ) उस जमीन के अभिलेखों की जालसाजी,

(ज) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति से बेगार कराना अथवा बाध्य करने का अन्य तरीका अथवा बंधुआ मजदूरी कराना जो सरकार की ओर से लागू की गई सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अनिवार्य सेवाओं के अलावा है,

(झ) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को मानव अथवा जानवर के मृत शरीर को हटाने या ले जाने को मजबूर अथवा कब्र खुदवाना

(ञ) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य से हाथ से गन्दगी हटाने का काम कराना अथवा नियोजित अथवाउसके लिए उस व्यक्ति के नियोजन की अनुमति देना

(ट) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति की महिला का देव, मूर्ति, पूजा के स्थल, मंदिर अथवा अन्य धार्मिक संस्थान मे देवदासी की तरह या ऐसी ही किसी समान वृति के लिए समर्पित करने का कार्य करना अथवा प्रोत्साहित करना या कृत्यों के लिए आज्ञा करना

(ठ) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य पर जोर डालना, डराना, धमकाना अथवा रोकना –

(क) मत नही करने अथवा प्रत्याशी विशेष को मत देने या उस तरीके से मत देने का जो कानून में प्रावद्यान तरीके से अलग है।

(ख) प्रत्याशी के रूप मे नामांकन पत्र दाखिल न करे अथवा उस नामांकन पत्र को वापस ले अथवा

(ग) चुनाव मे प्रत्याशी के रूप मे अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य का प्रस्ताव न करे अथवा नामांकन द्वितीय के रूप मे न करे।

(ड) संविधान के भाग नौ के अधीन पंचायत अथवा संविधान के भाग नौ के अधीन नगर पालिका के सदस्य अथवा अध्यक्ष अथवा अन्य कोई पदधारी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उसके सामान्य दायित्वों और कार्य कलापो पे जोर डालना, डराना – धमकाना अथवा बाधा डालना।

(ढ) मतदान के बाद चोट करना अथवा गंभीर चोट पहुँचाना अथवा हमला करना अथवा सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार लागू करना या ऐसा करने की धमकी देना अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को या फिर उसे उसके लिए प्रदत्त किसी सार्वजनिक सेवा का लाभ उठाने से रोकना
(ण) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ इस अधिनियम के अधीन अपराध करना कि उसने प्रत्याशी विशेष को मत दिया अथवा नही दिया या फिर कि उसने कानून से निर्धारित तरीके से मतदान किया।
(त) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के खिलाफ झूठा, दुर्भावनापूर्ण अथवा निरर्थक वाद दाखिल करना अथवा अपराधिक अथवा कानूनी कार्यवाही करना।
(थ) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या अथवा जानकारी देना जिससे वह लोक सेवक अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को क्षति पहुँचाए अथवा मुसीबत मे डाले।
(द) सार्वजनिक दृष्टिवाले किसी स्थान पर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य का इरादतन अपमान करना अथवा तंग करने के इरादे से डराना धमकाना।
(ध) सार्वजनिक रूप से किसी स्थान पर अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को जातिसूचक शब्द से गाली देना
(न) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के पवित्र अथवा उच्चतम आस्था के रूप मे ज्ञात किसी को नष्ट करना, क्षमिग्रस्त करना अथवा उखाडना।
स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति " वस्तु" का अर्थ प्रतिमा, छाया चित्र और मूर्ति शामिल
(प) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लोगो को शब्दो से या तो लिखित अथवा कथन या इशारा अथवा दृश्यमान या अन्यथा से दुश्मनी बढाना या दुश्मनी का भाव बढाना, नफरत अथवा दुर्भावना को बढाना
(फ) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लोगो मे आस्थावान किसी दिवंगत व्यक्ति का लिखित अथवा कृथित शब्दों या अन्य तरीको से अनादर करना।
(ब) **(i)** अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिला को जानबुझ कर छूना यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जब छूने का कृत्य यौन प्रकृति का है और उसकी मर्जी के खिलाफ है।
(ii) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिला को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है यौन प्रकृति के शब्द कहना, कृत्य करना अथवा हावभाव करना।
स्पष्टीकरण–उप–खण्ड**(i)** के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "सहमति" अर्थात असंदिग्ध स्वैच्छिक करार जब व्यक्ति शब्दो,हावभाव अथवा किसी अमौखिक रूपसे संप्रेषण और संचारित करे,निर्दिष्ट कृत्य मे भाग लेने की इच्छा के साथ प्रावधान कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिला जिसने यौन प्रकृति के किसी कृत्य का शारीरिक प्रतिरोध नही किया है, केवल इस तथ्य से नही कि, उसे यौन गतिविधि की सहमति जैसा माना जाए
प्रावधान अलग कि, महिला का यौन इतिहास अपराधकर्ता के साथ शामिल से व्यक्त नही कि सहमति अथवा अपराध हल्का है।
(भ) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लोगो की ओर से आम तौर से इस्तेमाल किए जा रहे किसी झरने, जलाशय अथवा अन्य स्रोत केपानी को खराब अथवा दूषित करना जिससे वह उस प्रयोजनार्थ काम का न रहे जिसके लिए आमतौर से उसको काम मे लिया जाता है।
(म) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक आश्रय स्थल के मार्ग के किसी दस्तूरी अधिकार से मना करना अथवा उसे उस सार्वजनिक आश्रय स्थल के मार्ग के उपयोग से रोकना जिसका उपयोग अन्यसदस्य अथवा उसका वर्ग पहूँच के लिए करता है।
(य) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के के सदस्य को उसका घर गाँव अथवा निवास के अन्य स्थान को छोडने को दबाव डालना अथवा छुडवाना। प्रावद्यान कि इस खण्ड मे अतंर्विष्ट कुछ भी नही प्रयुक्त होगा सार्वजनिक कर्त्तव्य के निर्वाह मे कोई कार्रवाही करने मे।
(य क) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किसी तरीके से रोकना अथवा बाधा डालना इनके संबंध मे :–
(क) आमरूप से प्रयुक्त सम्पति स्रोत क्षैत्र का, अथवा कब्रिस्तान अथवा श्मसान समान रूप से अन्य अथवा

प्रयुक्त कोई नदी, झरना, नहर, कुआँ, तालाब, नल कुंड अथवा अन्य पानी की जगह अथवा किसी नहाने का घाट, कोई जन सुविद्या, कोई सडक अथवा मार्ग के उपयोग से

(ख) आरोहण अथवा साईकिल या मोटर साईकिल पर बैठना अथवा जूते पहना या नए कपडे पहना सार्वजनिक स्थल पर या बरात निकालना या घोडे पर बैठना अथवा बरात मे किसी अन्य वाहन पर बैइना, उनसे

(ग) पूजा के किसी स्थल मे प्रवेश से जो सभी के लिए खुला है अथवा जहाँ अन्य लोग वैसे ही धार्मिक कार्य करते है अथवा उनमे भाग लेते है किसी धार्मिक, सामाजिक अथवा सांस्कृति शोभा यात्रा मे जिसमे " यात्रा " शामिल।

(घ) शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान अथवा सार्वजनिक मनोरंजन स्थल अथवा अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से, अथवा किन्ही बर्तनो या वस्तुओ का उपयोग करने से जो सार्वजनिक उपयोगार्थ लोगो के लिए खुले रूप से है अथवा

(ड) किसी व्यवसाय को करने अथवा कोई करोबार, व्यापार अथवा वाणिज्य चलाने अथवा किसी रोजगार मे नियोजन से जिसे करने तथा चलाने का अधिकार जनता के अन्य सदस्यों अथवा उसके किसी वर्ग को है

(य ख) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य को जादू–टोना करने के आरोप मे शारिरीक क्षति अथवा मानसिक पीडा पहूँचाना अथवा

(य ग) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी व्यक्ति, अथवा परिवार अथवा समूह कासामाजिक अथवा आर्थिक बहिष्कार करना अथवा ऐसा करने की धमकी देना, यह दण्डनीय होगा उस अवधि के कारावास जो छः माह से कम का न होगा और जिसे पाँच साल तक बढाया जा सकेगा और जुर्माना।

(2) कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है :–

(i) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को किसी अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्युदण्ड से दंडनीय है, दोषसिद्धी कराना है या यह जानता है कि इससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा और यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता या गढता है, मृत्यु दण्ड से दण्डनीय होगा।

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्युदंड के दंडनीय नही है किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है, दोषसिद्ध करना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम की नही होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहूँचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छः माह से कम की नही होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से , दण्डनीय होगा।

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप मे या मानव आिवास के स्थान के रूप मे या सम्पति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप मे उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से , दण्डनीय होगा।

(v) भारतीय न्याय संहिता (2023 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्व इस आधार पर करेगा {ज्ञात कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य है अथवा वह संपत्ति उस सदस्य से संबंधित है} वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दण्डनीय होगा

{ (अं) अनुसूचित मे विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के विरूद्व हुआ है यह जानते हुए कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह संमति उससे संबंधित है, वह अपराध दण्डनीय होगा, उस दंड का भागी होगा जो ऐसे अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता (2023

की 45) मे विनिर्दिष्ट है और अर्थ दण्ड भी होगा।}

(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय की अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किये जाने के किसी साक्ष्य को अपराधी को विधिक दण्ड के बचने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे मे कोई जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा या

(vii) लोक सेवक होते हुए उस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

धारा–4 कर्त्तव्यों की अनदेखी के लिए दण्ड – (1) जो कोई, लोक सेवक के रूप मे मगर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है, इच्छापूर्वक उन कर्त्तव्यो की अनदेखी करता है, जो इस अधिनियम के अधीन उसकी ओर निष्पादित होनी वांछित है या अधिनियम के अधिन बने नियमों के अन्तर्गत जरूरी है तो वह दंड का भागी होगा कारावास के, जो छः माह से कम समय का नही होगा मगर जिसे बढाकर एक साल तक किया जा सकता है।

(2) उप–धारा (1) मे संदर्भित लोक सेवक के कर्त्तव्यों मे शामिल होंगे

(क) सूचना का पठन जो सूचना मौखिक दी गई है और पुलिस थाना प्रभारी अधिकारी की ओर से मुखबिर के हस्ताक्षर लेने से पहले लिखना, कम करना।

(ख) इस अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक प्रावद्यानों के अधीन परिवाद अथवा प्राथमिकी दर्ज करना और उसे इस अधिनियम की उपयुक्त धारा के अधीन भी पंजीबद्ध करना।

(ग) सूचनाकर्ता को सूचना की प्रतिलिपि तुरंत देना।

(घ) पीडित अथवा गवाह के बयान दर्ज करना।

(ड) अन्वेषण करना और साठ दिन की अवधि के अन्दर विशेष न्यायालय अथवा अनन्यरूप से विशेष न्यायालय मे आरोप – पत्र दाखिल करना, तथा यदि कोई देरी हुई हो तो उसे लिखित मे स्पष्ट करना

(च) किसी दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रोनिक अभिलेख को सही ढंग से तैयार , निर्धारित और अनुदित करना।

(छ) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमो के अन्तर्गत विनिर्दिस्ट कोई अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करना।

प्रावद्यान कि लोक सेवक के खिलाफ इस संबंध मे आक्षेप प्रशासनिक जाँच की अनुशंषा पर दर्ज किए जाएगें।

(3)लोक सेवक की ओर से उप–धारा (2) मे संदर्भित कर्त्तव्य से किसी प्रकार की विमुखता के बारे मे प्रसंज्ञान विशेष न्यायालय अथवा अनन्य विशेष न्यायालय की ओर से लिया जाएगा तथा उस लोक सेवक के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही का निर्देश किया जाएगा।